BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 145/2023

Tribunal on its own motion .....Applicant(s)

Versus

State of Jharkhand & Ors. .....Respondent(s)

INDEX

S. No.	Particulars	Page Nos.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No.7 in compliance to the order dated 26.04.2024 of the Hon'ble NGT (EZ).	1-6
2.	Copy of the letter dated 29.05.2024 issued by MoEFCC to the Monitoring Committee [ANNEXURE-1].	7-8
3.	Copy of the Report of the Monitoring Committee along with minutes of meeting held on 05.06.2024 [ANNEXURE-2].	9-352
4.	A copy of the action taken report submitted by the Monitoring Committee to MoEFCC [ANNEXURE-3].	353-376
5.	Copy of the notification published for declaration of ESZ around Dalma Wildlife Sanctuary vide S.O.680 (E), dated 29.03.2012 [ANNEXURE-4].	377-402

15 OCT 2024

SUJAY KUMAR ★ Govt. of India (Jharkhand) Ranchi ★
NOTARY PUBLIC
Reg. No. ... 2018

NOTARY PUBLIC
RANCHI

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 145/2023

Tribunal on its own motion ..... Applicant(s)

Versus

State of Jharkhand & Ors. ..... Respondent(s)

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.7 (MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE) IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 26.04.2024

I, Pasupala Ravi, Son of Shri Pasupala Sunkanna, aged 47 years, presently employed as Scientist 'D' at the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change (hereinafter referred as MoEF&CC), Regional Office, Ranchi, having office located at 2nd floor, Headquarter- Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand -834002, do hereby, in my official capacity, solemnly affirm and state on oath as follows:

1. That I am acquainted with the facts and circumstances of the instant case and duly competent to swear the present affidavit on behalf of the Respondent No.7 i.e., MoEFCC, on the basis of the official records maintained therein.
2. It is humbly submitted that when the above mentioned matter came up for hearing before this Hon'ble Tribunal on 26.04.2024 and the Hon'ble Tribunal had *inter-alia* directed as under:

" The Respondent No.7 is directed to file its detailed counter-affidavit with reference to the observations made in the Joint Committee Report on each and

every issue raised in the said Report as well as the findings recorded by the Advance Preliminary Survey Team Nos.1&2."

3. It is humbly submitted that the final notification for declaration of Eco-Sensitive Zone (ESZ) around the Dalma Wildlife Sanctuary was published by this answering Respondent No.7 (MoEFCC) vide S.O.680 (E), dated 29.03.2012. To monitor the compliance of the provisions of the aforesaid ESZ notification, a Monitoring Committee has been constituted in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.

4. It is humbly submitted that this answering Respondent Ministry in compliance of the Order dated 26.04.2024 of the Hon'ble Tribunal wrote a letter to the Monitoring Committee *vide* letter No. 02/03/2024-ESZ, dated 29.05.2024, requesting the Monitoring Committee to conduct a site visit, as may be necessary and take appropriate action in the matter and also submit an action taken report to this answering Respondent Ministry. A copy of the said letter written to the Monitoring Committee by MoEFCC dated 29.05.2024 is annexed herein as **ANNEXURE-1**.

5. It is humbly submitted that the Monitoring Committee thereafter conducted the site visit on 05.06.2024 and submitted its report on 01.07.2024. The extract of some of the major observations of the Monitoring Committee are as follows:

   i. *First of all, visual survey of Eco Sensitive Zone (ESZ) was done. In this sequence, some commercial establishments, warehouses, dhabas, hotels, houses etc. located in Eco Sensitive Zone (ESZ) were inspected. During enquiry, it was found that many of the constructions were before 2012, while some were after that.*

   ii. *During the field visit, Alcatra Factory STP Limited was inspected under ESZ, where the company manager told that the company manufactures Coaltar, enamel, epoxy primer, sealing compound and HDLC (Anti Corrosive Product). He told that the area of the said industrial complex is approximately 1.91 acres. During the inspection of the premises, STP Limited was found to*

15 OCT 2024

be operating and in this sequence, it was decided by the Monitoring Committee that a detailed report regarding STP Limited will be sent to the Regional Office, Jharkhand State Pollution Control Board, Jamshedpur, along with action taken as per rules.

iii. *Thereafter, during the field visit, SRG Iron & Steel (P) Ltd. inspection was conducted in which the Slag Screening Point in the premises of SRG was found partially dismantled by the committee.*

iv. *SRG Iron & Steel (P) Ltd. a detailed report regarding this was sought from the General Manager, DIC, Chaibasa and Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board, Jamshedpur, who will submit it along with the action taken within three days.*

v. *Thereafter, Balajee Steel Udyog Ltd. premises were visited where several Slag Screening machines were also found which appeared to be working through this Unit but at the time of inspection the Unit was not operating. When the documents were demanded from the operator, he did not submit the consent to establish, consent to operate certificate and other required documents. Instructions were given to General Manager, DIC Chaibasa and Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board, Jamshedpur to investigate Balajee Steel Udyog Ltd and take action as per rules."*

A copy of the report of the Monitoring Committee along with minutes of meeting held on 05.06.2024 is also annexed herein as **ANNEXURE-2.**

6. It is humbly submitted that thereafter this answering respondent, upon receipt of the above said minutes of meeting, again wrote a letter to the Monitoring Committee vide letter No. 02/03/2024-ESZ, dated 22.07.2024 requesting that a point wise and detailed action taken report be submitted to this answering respondent based on the observations of the Monitoring Committee during the field visit held on 05.06.2024. In response thereof, the Monitoring Committee sent action taken report on 14.08.2024 to this answering

15 OCT 2024

SUJAY KUNAR NOTARY PUBLIC Govt. of India (Jharkhand)

respondent. A copy of the action taken report submitted by the Monitoring Committee is annexed herein as **ANNEXURE-3**.

7. It is humbly submitted that this answering respondent Ministry has also examined the report of the Joint Committee constituted by the Hon'ble Tribunal vide its Order dated 30.01.2024. The aforesaid report has not indicated the date of coming into existence or establishment of the private buildings and structures including high rise buildings and also industrial units located within the ESZ of Dalma Wild Life Sanctuary. That, in so far as prior requirement of Environmental Clearances for certain developmental activities is concerned, it is submitted that prior requirement of Environmental Clearances for developmental activities to be regulated was introduced by the Central Government in 1994. That, however, Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) are required to be obtained by industrial units and developmental activities, as may be applicable, under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

8. It is further humbly submitted that the notification declaring ESZ around Dalma Wildlife Sanctuary was published *vide* S.O.680 (E) dated 29.03.2012 and para Nos. 3 (1) and 3(3) of the said notification, in respect of location of industrial units and constructions activities, provides as follows:

I. ***Industrial Units:*** *(a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting Industries shall be allowed to be setup within the Eco-sensitive Zone; (b) any non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment, may be permitted in the Eco-sensitive Zone; c) no establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone.*

Construction Activities: *No new construction of any kind shall be allowed in the area falling within a distance of three hundred meters from the boundary of the Dalma Wildlife Sanctuary.*

15 OCT 2024

SUJAY KUNAR NOTARY PUBLIC Govt. of India (Jharkhand)

A copy of the notification declaring ESZ around Dalma Wildlife Sanctuary published vide S.O.680 (E), dated 29.03.2012 is annexed herein as **ANNEXURE-4**.

9. It is most humbly submitted that the contents mentioned in this reply affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief.

DEPONENT

Dr. Pampala Rao
Scientist 'D'
Govt. of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Regional Office, Ranchi

15/10/2024

SUJAY KUMAR
NOTARY PUBLIC
Govt. of India (Jharkhand) Ranchi

15 OCT 2024

S. Kumar
15-10-24

NOTARY PUBLIC
RANCHI

15/10/2024 Advt

E.No. 3993/25

Signature attested on identification of Lawyer

VERIFICATION

I, the above named Deponent, do hereby verify that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge as per the records of the answering respondents. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.

Verified at Ranchi on this.... day of..... 2024.

DEPONENT

Dr. Pasupala Ravi
Scientist 'G'
Govt. of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Regional Office, Ranchi

SUJAY KUNAR
NOTARY PUBLIC
Govt. of India (Jharkhand) Ranchi

15 OCT 2024

S. Kumar
15-10-24

NOTARY PUBLIC
RANCHI

15/10/2024

ID No. 3993/05

Signature attested on identification of Lawyer

Annexure-1

No. 02/03/2024-ESZ
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(ESZ-Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor bagh Road, Aligunj,
New Delhi-110003
Dated:29.05.2024

To,

The Chairman Monitoring Committee
Commissioner office,
West Singhbhum, Chaibasa, (Kolhan) -833201, Jharkhand

Sub: OA No.145 of 2023 (EZ) titled as "Tribunal on its Own Motion Vs. State of Jharkhand & Ors.– reg.

Sir,

In reference to the above mentioned subject, I have been directed to state that the matter has been taken up Suo Motu by the National Green Tribunal (NGT) and the Ministry has been impleaded as Respondent No.7. The Hon'ble Tribunal amongst others in its Order dated 26.04.2024 (*copy enclosed*) has observed and directed as follows :

"3. Along with this affidavit, a Joint Committee Report has been filed as Annexure-C (pages 26-44), and in para 2.1.3 under the heading 'Observations of the survey teams' it is stated that physical verification of the structures constructed from the confluence point of Kharkai River and Subarnarekha River from the banks of the river till Kapali area was carried out by Advanced Preliminary Survey Team No.1 along with Zonal Amin, Revenue Sub-Inspector and Zonal Inspector and upon joint inspection it was found that there are few Pukka Houses and other structures within revenue boundary of river in approximately six wards. It is stated that there were 62 structures such as – Pukka Makan, Asbestos Makan, Pump House, Public Toilet, concrete as well as tin boundary wall present upto 10 meters from the revenue boundary as well as 134 structures were found to be present from 10-15 meters from revenue boundary as summarized in the Table No.1 (page no.31 of the paper book). However, there were three multi-storeyed buildings constructed beyond 15 meters from the revenue boundary of the river only in two wards, the details of which have been given in the Report.

4. The Report further mentions that a detailed field investigation to verify the presence of construction activities by private individuals starting in foothills of Dalma Range was carried out by the Advance Preliminary Survey Team No.2, which shows presence of kaccha and concrete structures for three zones i.e., 300 meters radius (1453 structures), 300 – 500 meters radius (74 structures) , and 500 meters – 1 kilometer radius (256 structures) in the Eco-Sensitive Zone of Dalma Wildlife Sanctuary.

5. The Report also mentions that there were 78 industries present in the 300 meters – 1 kilometer of the Dalma Range boundary and Asanbani Village of the Dalma Range, found to have maximum number of concrete/non-concrete structures followed by Saharbera and Kanderbera Villages respectively. A table has also been given at page no.32 of the paper book summarizing the same.

6. The Report also mentions that there are two industrial units within the Eco-Sensitive Zone of Dalma Wildlife Sanctuary, namely, STP Limited, Pipe Production Products Division and SRG Iron and Steel (P) Ltd. Plant. The Report mentions that STP Limited does not have Environmental Clearance or Consent to Operate and pollution control devices were absent and hazardous materials were transported in open trucks. The said project also lacks authorization for hazardous waste and proper road maintenance. The Jharkhand State Pollution Control Board has instructed the Project Proponent to install air pollution control devices; obtain hazardous waste authorization and clarify the closure timeline.

7. The Respondent No.7 is directed to file its detailed counter-affidavit with reference to the observations made in the Joint Committee Report on each and every issue raised in the said Report as well as the findings recorded by the Advance Preliminary Survey Team Nos.1&2."

2. In view above, it is requested that the Monitoring Committee may conduct a site visit, as may be necessary and also take appropriate action in the matter. The action taken report may be intimated to this Ministry for onward submission to Hon'ble NGT. The issue may be taken up on TOP PRIORITY.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours Faithfully,

(Dr. Veenu Joon)
Scientist 'E'
Ph.011-20819181,e-mail:joon.veenu@gov.in

Encl:-

i. Copy of Joint Committee report
ii. Copy of Order dated 26.04.2024
iii. Copy of ESZ Notification

Copy to: -

1. Deputy Director General of Forests (C), Regional Office, 2nd Floor, Headquarter- Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand – 834002, Ranchi

2. Deputy Conservator, forest elephant Project, Jamshedpur, 831001

Annexure-2

कार्यालय–उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सीएचए एरिया (नॉर्थ–वेस्ट) पारसी आरामगाह एवं साईं मंदिर के पास,
पो–सोनारी, जमशेदपुर 831011
e-mail-dfo-dirpe@gov.in , dcffdjsr@gmail.com ; ☎-0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक 1047 दिनांक 01/07/2024

E-mail

सेवा में,

Dr. Veenu Joon,
Scientist 'E'
Govt. of India,
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
(ESZ Division)
Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road Aliganj
New Delhi- 110003

विषयः– OA no.145 of 2023 (EZ) titled as "Tribunal on its Own Motion Vs. State of Jharkhand & Ors. - reg"

प्रसंगः– आपका पत्रांक 02/03/2024-ESZ दिनांक 29.05.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन सभी अनुलग्नकों सहित e-mail id- joon.veenu@gov.in एवं chaturvedi.363@nic.in पर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनुलग्नकःयथोक्त।

आपका विश्वासी

01/7/2024

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर
–सह–संयोजक
निगरानी समिति, दलमा वन्यप्राणी
आश्रयणी, इको सेन्सिटिव जोन

01/7/24 01/7/24

Pls. see

10/7/24
LA(ESZ)

E:\Nigrani samiti ki Baithak\NGT OA no. 145 of 2023 Letter to govt. doc

वन पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय भारत सरकार की पत्र संख्या–02/03/2024-ESZ दिनांक 29.05.2024 के क्रम में माननीय NGT Order O.A No- 145/2023/EZ की कंडिका 4,5,6 & 7 के अनुपालन के निमित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन।

कंडिका –04 O.A No. 145/2023 में माननीय NGT द्वारा निर्गत न्यायादेश के आलोक में गठित संयुक्त समिति के पत्र पृष्ठ संख्या– 16 में उद्धृत तथ्य निम्नवत् है :– " The Land Sat Satellite images over the time have been compared and found many urban expansions have already been taken place even prior to year 2012 and onwards against the notifications dated 29th March, 2012 which is in accordance with the field survey committee report as well." (अनुलग्नक–01)

इससे स्पष्ट है कि कई संरचनाएँ वर्ष– 2012 के पूर्व से ही विद्यमान है अर्थात् कई संरचनाएँ Eco Sensitive Zone की अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व का है।

दिनांक – 23.04.2024 को दलमा ईको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी की निगरानी समिति की बैठक में O.A. No-567/2023/PB दिनांक 26.04.2024 में माननीय NGT के पारित आदेश द्वारा गठित समिति के द्वारा की गयी अनुशंसा के क्रम में एक Multidisciplinary Committee का गठन निम्नवत् किया गया है :–

1. अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला–खरसावाँ (अध्यक्ष) (अपने–अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत)
2. संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला–खरसावाँ (सदस्य)
3. उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/ सरायकेला–खरसावाँ के प्रतिनिधि
4. कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम (सदस्य)
5. संबंधित अंचल अधिकारी (सदस्य)
6. कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला–खरसावाँ (सदस्य)
7. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर (सदस्य)
8. वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी, पश्चिमी प्रक्षेत्र, घाटशिला (अनुलग्नक–02)

- निर्गत संरचनाओं के Mitigation Plan हेतु Zonal Master Plan के निर्माण के लिए संकल्प संख्या– 883 दिनांक 21.03.2022 द्वारा M/S XLRI, Jamshedpur को नामित किया गया है। इस क्रम में उप वन संरक्षक, गज परियोजना, जमशेदपुर के कार्यालय पत्रांक–971, दिनांक–18.06.2024 द्वारा अपेक्षित राशि की भी मांग की गयी है।(छायाप्रति संलग्न– अनुलग्नक–03)
- Eco Sensitive Zone में अवैध निर्माण कार्य की रोकथाम के दृष्टिगत् दिनांक 27.06.2023 को संपन्न निगरानी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि Eco Sensitive Zone के अवस्थित ग्राम/नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण का नक्शा पारित करने के पूर्व उप वन संरक्षक, गज परियोजना, जमशेदपुर से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा। (बैठक की कार्यवाही कंडिका–9 का संदर्भ लिया जाना समीचीन होगा। (अनुलग्नक–04)

1

- दिनांक 27.06.2023 को सम्पन्न ESZ की निगरानी समिति के बैठक में ESZ के अधिसूचना के प्रावधानों के तहत् संबंधित अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी को अधिसूचना के प्रावधानों के विपरीत हो रहे कार्यकलापों के विरूद्ध एहतियाती कदम उठाने हेतु निर्देशित किया गया है। (बैठक की कार्यवाही कंडिका–9 के द्वितीय खण्ड का संदर्भ लिया जाना समीचीन होगा– (छायाप्रति संलग्न)

(अनुलग्नक–04 (A)

:– इको सेन्सिटिव जोन में विद्यमान अवैध निर्माण संरचनाओं एवं अनुषंगी निर्माण गतिविधि को रोकथाम के दृष्टिगत इको सेन्सिटिव जोन से सटे भूमि का नक्शा पारित करने के क्रम में उत्पन्न कठिनाईयों एवं दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी की सीमा 300 मीटर की दूरी पर Concrete का निर्माण अनुज्ञात नहीं करने संबंधी बिन्दूओं को रेखांकित करते हुए निगरानी समिति के पत्रांक–1082 दिनांक 02.08.2022 के द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को संसूचित किया गया है। (अनुलग्नक–05)

:– दिनांक 27.06.2023 को सम्पन्न निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही (छायाप्रति संलग्न) की बिन्दु 11 के अनुपालन के संदर्भ में दिनांक 11.07.2023 को गठित समिति के द्वारा दलमा इको सेन्सिटिव जोन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-33 संलग्न क्षेत्र का भ्रमण किया गया। दलमा इको सेन्सिटिव जोन में व्याप्त मानवीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यकलापों एवं निर्माण को संज्ञान में लिया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि संबंधित अंचल अधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी मानगो नगर निगम एक विस्तृत प्रतिवेदन निगरानी समिति को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही दलमा इको सेन्सिटिव जोन में कोई भी निर्माण कार्य का नक्शा पारित करने से पहले वन विभाग से अनापत्ति लेना अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया। (छायाप्रति संलग्न– अनुलग्नक–06)

:– वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक–02/03/2024-ESZ दिनांक 29.05.2024 के क्रम में दिनांक–05.06.2024 को संबंधित पदाधिकारियों द्वारा इको सेन्सिटिव जोन का Visual Survey किया गया, उक्त के दृष्टिगत संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुकूल कार्रवाई कर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। (अनुलग्नक–07)

पूर्व में भी समय–समय पर निगरानी समिति के बैठक में दिये गये निदेशों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा की गयी कार्रवाई के तथ्य निम्नवत् है :–

- निगरानी समिति के बैठक की कार्रवाई झारपंक –325 दिनांक 23.04.2024 की कंडिका –6 के आलोक में गठित समिति के द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें ESZ के अन्तर्गत कार्यरत ईकाइयों तथा संबंधित मौजा में अवस्थित संरचना के संबंध में विस्तृत सूचना एवं कृत कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। (अनुलग्नक–08)
- क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद जमशेदपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक– 681, 682 दिनांक 20.10.2022 के द्वारा ESZ में CTE/CTO की प्राप्ति के बिना संचालित ईकाईयों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए ईकाईयों को बंद करने का निर्देश दिया गया। (अनुलग्नक–09)

2

- प्राप्त सूचना के आधार पर जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया इसी क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ के द्वारा स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन पत्रांक–317 दिनांक 22.04.2024 के द्वारा समर्पित कर सूचित किया है कि चड़ासांडा में Crusher Machine स्थापित नही पाया गया तथा उक्त स्थल पर कोई खनिज भंडारण नही किया गया है। तत्संबंधी प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ समर्पित किया गया है। (अनुलग्नक–10)
- ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तावित गतिविधियों की रोकथाम हेतु निगरानी समिति के स्तर से अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विभागों के पदाधिकारियों के साथ सतत् रूप से पत्राचार किया जाता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर ने अपने ज्ञापांक– 679, 680, 681, 682 दिनांक–20.10.2022 एवं ज्ञापांक– 413 दिनांक – 29.04.2023, ज्ञापांक– 1004 दिनांक 26.09.2023 द्वारा ईकोसेन्सिटिव जोन में अवैध स्लैग स्क्रीनिंग से संबंधित ईकाईयों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न–अनुलग्नक–11) पुनः क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर के पत्रांक–611, 614 दिनांक 24.06.2023, पत्रांक–1010 दिनांक 27.09.2023 के द्वारा इको सेन्सिटिव जोन में संचालित विभिन्न ईकाइयों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बंद करने का निर्देश दिया गया। एवं झारखण्ड बिजली वितरणलिमिटेड से उक्त ईकाइयों का विद्युत विच्छेदन करने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। (अनुलग्नक–11 (A)

  पुनः क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर के द्वारा विभिन्न होटलों /रेस्टोरेंट आदि को अपने ज्ञापांक–638 दिनांक 03.07.2023, ज्ञापांक 663, 664 दिनांक 07.07.2023 एवं ज्ञापांक 703 दिनांक –17.07.2023 द्वारा स्थापना/संचालन के निमित्त ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। (अनुलग्नक–12)

:– ईको सेन्सिटिव जोन के कतिपय स्थानों में अवैध खनन एवं ईंट भट्टा संचालन के दृष्टिगत् संयोजक द्वारा निर्गत पत्रांक 390 दिनांक 10.03.2023 के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ ने अपने पत्रांक 292 दिनांक 13.05.2023 के द्वारा निगरानी समिति को कृत कार्रवाई से अवगत कराया। (छायाप्रति संलग्न –अनुलग्नक–13)

- अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर अपने कार्यालय ज्ञापांक 951 दिनांक 29.08.2016 के द्वारा ESZ में संचालित अवैध गतिविधि सहित प्रतिषिद्ध कार्य

3

से संबंधित निरीक्षण सहित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन निगरानी समिति को उपलब्ध कराया गया है।(छायाप्रति संलग्न– अनुलग्नक–14)

- दिनांक 07.07.2020 को सम्पन्न इको सेन्सिटिव जोन के निगरानी समिति की बैठक में ESZ अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट का DUMP नही करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में जमशेदपुर एवं सरायकेला–खरसावाँ जिलों में ठोस अपशिष्ट विशेष रूप से Fly ash उत्पादक कारखानों को इको सेन्सिटिव जोन अन्तर्गत Fly ash Brick संसाधनों को Fly ash आपूर्ति नहीं करने एवं Fly ash का निष्पादन इको सेन्सिटिव जोन में नहीं करने का निर्देश दिया गया। (अनुलग्नक–15)
- दिनांक 21.08.2022 के इको सेन्सिटिव जोन द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर के पत्रांक–459 दिनांक–08.05.2023 द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित किया गया। (छायाप्रति संलग्न– अनुलग्नक–16)

उपरोक्त के अतिरिक्त, निगरानी समिति के पत्रांक 966 दिनांक 09.07.2022 के द्वारा वन क्षेत्र पदाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि Eco Sensitive Zone की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधित कार्यों की सूचना अंकित कर Eco Sensitive Zone की सीमा में तथा अन्य उपर्युक्त स्थानों पर बोर्ड/signage अधिस्थापित करने हेतु निदेश दिया गया, जिसका अनुपालन वन क्षेत्र पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 635 दिनांक 15.12.2022 एवं पत्रांक 749 दिनांक 14.12.2022 के द्वारा की गई है।(छायाप्रति संलग्न– अनुलग्नक–17)

इस प्रकार से समय–समय पर आवश्यकतानुसार निगरानी समिति द्वारा कार्रवाई की जाती है।*अनु०–यथोक्त।*

क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद आदित्यपुर जमशेदपुर।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम मानगो।

जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला– खरसावाँ।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सरायकेला–खरसावाँ।

महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा।

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक गज परियोजना ,जमशेदपुर सह– संयोजक, निगरानी समिति दलमा ईको सेन्सिटिव जोन, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी।

प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा –सह–अध्यक्ष, निगरानी समिति दलमा ईको सेन्सिटिव जोनदलमा वन्यप्राणी आश्रयणी।

370-1.

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(विधि शाखा)

पत्रांकः–86(A)/विधि,

प्रेषक,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

एडवोकेट ऐश्वर्या राजश्री,
कोलकाता।

जमशेदपुर दिनांकः–14/03/2024.

विषयः– माननीय NGT, E.Z Kolkata में दायर वाद संख्या–O.A. No. 145/2023/EZ में प्रतिशपथ पत्र दायर करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय NGT में दायर वाद संख्या–O.A. No. 145/2023/EZ में दिनांक–30.01.2024 को माननीय NGT, E.Z Kolkata द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय एवं जिला स्तरीय गठित कमिटि द्वारा दिनांक–27.01.2024 को सुवर्णरेखा नदी एवं दलमा रेंज के क्षेत्रों का भ्रमण के उपरान्त संयुक्त जॉच समिति द्वारा दिनांक–13.03.2024 को जॉचोपरान्त तथ्य विवरणी तैयार किया गया है। जॉच समिति द्वारा अनुमोदित जॉच प्रतिवेदन माननीय NGT Kolkatta में प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से दायर करने हेतु उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, विधि–शाखा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को प्राधिकृत किया गया है।

अनुरोध है कि उक्त अनुमोदित जॉच प्रतिवेदन के आलोक में Respondents की ओर से माननीय NGT कोलकाता में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करवाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक–यथोक्त।
पृष्ठ सं० 01 से 150

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Scanned with CamScanner

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, EASTERN ZONE AT KOLKATA

Original Application No. 145 / 2023 /EZ

(Earlier Original Application No. 567/ 2023 / PB)

In the matter of:-

Tribunal on its own Motion ..... Applicant (s)

Versus

State of Jharkhand ..... Respondent (s)

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2, DISTRICT MAGISTRATE, EAST SINGHBHUM, JHARKHAND

I, **Goutam Kumar** son of Late **Nakul Ram**, aged about **39** years, resident of **House No. 4, Road No. 3, Judge's Colony, Circuit House, Bistupur, P.O. & P.S. Bistupur, Jamshedpur, District East Singhbhum Jharkhand,** do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am working as Deputy Collector Land Reforms, Dhalbhum, Jamshedpur, East Singhbhum, Jharkhand and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of the present case and I am competent to swear this affidavit in this case before this Hon'ble Court.
2. That I have been duly authorised by the answering respondent No. 2 to swear and file this counter affidavit on his behalf in the present application.
3. That I have gone through the contents of the instant writ application and have fully understood the same.
4. That the answering respondent craves leave of this Hon'ble Court to be allowed to file additional/ supplementary affidavit giving detailed

SEAL OF NOTARY NOTARY JAMSHEDPUR East Singhbhum Regd. No. 176/04 OM PRAKASH SINGH

14/3/024

Scanned with CamScanner

paragraph wise reply to the instant writ application if so required and/or if so directed by the Hon'ble Court.

5. That it is stated and submitted that in compliance to the order dated 30.01.2024 by the Hon'ble Court, a committee was constituted by Sri. Prashant Kumar, Secretary and Sri. Nagesh Mishra, Chief Engineer – I, in Chief, Water Resources Department, Ranchi vide Letter No. 2/PMC/Vidhi/969/2023/530/ Ranchi, dated 27.10.2023 and Letter No. 2/PMC/Vidhi/969/2023/531/ Ranchi, dated 27.10.2023.

Photocopy of the Letter No. 2/PMC /Vidhi /969/2023/530/Ranchi, dated 27.10.2023 and Letter No. 2/PMC/ Vidhi /969 /2023 / 531/ Ranchi, dated 27.10.2023 are annexed as **Annexure A & B**.

6. That it is stated and submitted that Report of the Joint Committee, dated 13.03.2024 is filed along with annexures.

Original Report of the Joint Committee, dated 13.03.2024 is annexed as **Annexure C (Original Report + Annexure i. ii, iii & iv)**

7. That this counter affidavit is being filed bonafide and in the interest of justice.

8. That I have gone through the contents of this affidavit and have fully understood the same.

9. That annexures are certified/Photostat/true copies of their respective originals.

OM PRAKASH SINGH NOTARY Jamshedpur Regd. No. W-9/84

The executant has / have Signed / put his / her / their Thumb in presence of Sri / Smt. / Miss. ..... Advocate, Jamshedpur

Notary Public Jamshedpur East Singhbhum Reg. No.-178/2014 Govt. of Jharkhand 14/3/2024

Deponent

Signed in my presence

Advocate 14-03-2024

Scanned with CamScanner

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE

In Compliance

with the Hon'ble NGT Order dated 30.01.2024

In

Suo Motu matter

OA No. 145/2023/EZ
(Earlier OA No. 567/2023/PB)

Contents

1. Background 2
2. Composition of Committee 3
2.1 First Joint Committee Meeting and Preliminary Survey 3
2.1.1 Advanced Preliminary Survey Team No 1 3
2.1.2 Advance Preliminary Survey Team No.-2 4
2.1.3 Observations of the survey teams 4
2.2. Field Visits 7
2.3. Field Observations 10
2.3.1 Random Verification of selective siteson the river-bed of Subarnarekha-river: 10
2.3.2 Verification of construction activities in Eco Sensitive Zone of Dalma 11
3. Violation of Environmental Laws 13
4. Recommendation of the Committee 17
4.1 Subarnarekha River 17
4.2 Dalma Wildlife Sanctuary 17

1. Background

I. The Dalma Wildlife Sanctuary which is a natural habitat of elephants and numerous flora and fauna in Jharkhand is enveloped by the Eco Sensitive Zone which is notified vide S.O 680 dated 29.03.2012. Moreover, the Subarnarekha flows from the district and runs parallel to the hill range and is a lifeline of several residents of the area.

II. On basis of a communication dated 30.08.2023 received in the Tribunal, it was disclosed as well as an allegation was put that "rampant and discriminate construction of high-rise buildings on the river-bed of Subarnarekha-river in violation of the environmentalguidelines were being carried out". Even, "construction activities by private individuals have also started in foothills of Dalma", which falls under theEco Sensitive Zone of Dalma, which is notified vide S.O 680 dated 29.03.2012."

III. In view of the above mentioned communication, dated 30.08.2023 received in the Tribunal, anOriginal Application has been registered in suo-motu exercise of power ofHon'ble NGT, with OA No. 567/2023, dated 20.09.2023 and transferred to the Eastern Zone Bench, Kolkatawith OA No. 145/2023.

IV. In this regard, Hon'ble NGT vide its first order dated 20.09.2023 directed as follow:

"4. Having regard to the above, we deem it proper to form a JointCommittee comprising of the Chief Conservator of Forests (CCF), Regional Office, MoEF&CC Ranchi, Regional Director (East), Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, State Pollution Control Board (SPCB), Principal Secretary, Water Resource Department of State of Jharkhand and concerned District Magistrate. The District Magistrate will act as nodal agency for coordination and compliance. The Committee will visit the site, ascertain the factual situation in respect of violation of the environmental norms and especially in regard to issue mentioned above and will submit a report before the Eastern Zone Bench, Kolkataalongwith suggested remedial measures, including environmental restoration plan within eight weeks."

V. Hon'ble NGT vide its latest order dated 30.01.2024 directed as follow:

"2. The respondents have not been impleaded in the present case. The following are therefore directed to be arrayed as respondents. (i) Chief Conservator of Forest, Department of Forest, Environment & Climate Change, State of Jharkhand; (ii) District Magistrate, East Singhbhum, Jharkhand (iii) Principal Secretary, Water Resource Department, Jharkhand; (iv) Additional Principal Chief Conservator of Forest, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Regional Office Ranchi, Jharkhand; (v) Member Secretary, Central Pollution Control Board; and (vi) Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board.

3. The District Magistrate, East Singhbhum was required to file Committee Report."

2. Composition of Committee

I. In connection to Hon'ble NGT Order dated 20.09.2023, the Joint Committee consists of the following member:

1. Chief Conservator of Forests (CCF), Regional Office, MoEF&CC Ranchi,
2. Regional Director (East), Central Pollution Control Board (CPCB),
3. Member Secretary, State Pollution Control Board (SPCB),
4. Principal Secretary, Water Resource Department of State of Jharkhand
5. Concerned District Magistrate (Nodal Agency).

II. The Committee was mandated to:

1. visit the site,
2. ascertain the factual situation in respect of violation of the environmental norms
3. submit a report before the Tribunalalong with suggested remedial measures(District Magistrate, East Singhbhum to act as nodal agency for coordination and compliance)

2.1 First Joint Committee Meeting and Preliminary Survey

Further, in compliance to order the committee held its first joint committee meeting on **27-October-2023**through hybrid mode**,** where all the committee members and other concerned officials were present in person, while Regional Director, CPCB, RD Kolkata has joined through virtual mode***(Minutes of Meeting enclosed as Annexure I).***

The committee discussed about the steps to be taken to ensure the compliance of the Order and investigate the violation of the Environmental Guidelines in the foothills of Dalma sanctuary which isEco Sensitive Zone of Dalmaand surrounding of the Subarnarekha River the following two survey teams were constituted;

2.1.1 Advanced Preliminary Survey Team No 1

In order to investigate the issue of rampant and discriminate construction of high-rise buildings on the river-bed of Subarnarekha-river in violation of the environmental guidelines an **Advanced Preliminary Survey Team No 1** was constituted with following members:

(a) District Magistrate and Deputy Commissioner, East Singhbhum, Jamshedpur
(b) Additional Deputy Commissioner, Jamshedpur
(c) Additional Collector, Saraikela-Kharsawan
(d) Regional Officer of State Pollution Control Board
(e) Chief Executive Officer, District Council, Saraikela-Kharsawan
(f) Municipal Commissioner Mango Municipal Corporation, Jamshedpur

(g) Executive Officer, Jamshedpur Notified Area Committee, Jamshedpur

(h) Executive Engineer, Subarnarekha Canal Division, Jamshedpur

The work area of the preliminary survey of the above constituted team was from the **confluence points of Kharkai River and Subarnarekha River to BaligumaNala along the river bank.** The Term of Reference (ToR) of this team were determined as follows: -

(a) Situation of any kind of construction/encroachment under Revenue Boundary of River.

(b) In case the area of the structures and buildings constructed on the banks of the river is 20,000 square meters, the condition of obtaining Environmental Clearance for the construction of the structure.

(c) Status of compliance with sub-clause 23.2 of clause-23 of Jharkhand Building Bye Laws-2016.

(d) The condition of obtaining pollution control certificate as required for the structures and buildings constructed on the banks of the river.

2.1.2 Advance Preliminary Survey Team No.-2

In order to investigate the issue of construction activities by private individuals started in the foothills of Dalma sanctuary which isEco Sensitive Zone of Dalma, an **Advance Preliminary Survey Team No.-2**was constituted as follows:

(a) Divisional Forest Officer, Elephant Corridor, Jamshedpur – chairman
(b) Additional Deputy Commissioner, Jamshedpur –Member
(c) Additional Collector, Saraikela-Kharsawan-Member
(d) Regional Officer of State Pollution Control Board -Member
(e) Municipal Commissioner Mango Municipal Corporation, Jamshedpur-Member

The foothills of Dalma sanctuary which isEco Sensitive Zone of Dalmawas designated as the working area of the above constituted team. The Term of Reference (ToR) of this team were determined as follows:

(a) Position of structures built within 1 km to 500 m of the boundary area of Dalma Wildlife Sanctuary.
(b) Condition of the constructed structure being located in Eco-sensitive Zone.

2.1.3 Observations of the survey teams

A detailed physical verification of the structures constructed **from the confluence point of Kharkai River and Subarnarekha River from the banks of the river till Kapali area** was done was carried out by **Advanced Preliminary Survey Team No 1** along with by the Zonal Amin, Revenue Sub Inspector and Zonal Inspector.

The report was submitted on 10.11.2023, where it was reported that few Pukka Houses, and other structures are also found within revenue boundary of river in

approximately 6 wards. Moreover, **62no** of structures such as *Pukka Makan, Asbestoses Makan, Pump House,Public Toilet, concrete as well as tin boundary wall* were also present **up to 10 m from the revenue boundary** as well as **134no**of structures were found to be present from**10-15 m from revenue boundary** as summarized in the **Table 1**. However,**03 no of multi-storey building was constructed beyond 15 m from revenue boundary** of the river in only two wards ***(Detailed Report enclosed as Annexure II).***

Table 1: Summary of the structures present in the bank of **Subarnarekha River** as surveyed by Advance Preliminary Survey Team No.-1.

Sl No	Structures	Total Count		
		<10 m	**10-15 m**	**>15 m**
1	Concrete Houses(Private)	16	120	03
2	Concrete Houses (Government)	0	02	0
3	High Rise/Multi-stored Building	0	0	**03**
4	Non-Permanent Houses (KacchaMakan)	21	07	01
5	Concrete Boundary Wall (Private)	17	01	03
6	Non-Concrete Boundary Wall (Govt)	0	0	0
7	Govt. Utility Structures (such as Toilet, Pump Houses etc)	03	02	01
8	Private Utility Structures (such as Toillet, Pump Houses etc)	0	0	0
9	Industry	0	0	0
10	OtherStructures (if any, specify)	05	02	0
	Total	**62**	**134**	**11**

A detailed field investigation to verify the presence of construction activities by private individuals started in foothills of Dalma Range was carried by **Advance Preliminary Survey Team No.-2.** The villages such asPardih, Baliguma, Dimna, Mirzadih, Gerua, Patipani, Haludbani, Asanbani, Ramgarh, Kanderbera and Saharberaunder Dalma Wildlife Eastern Zone, Jamshedpur were surveyed for the presence of kuccha and concrete structures for 3 zones, i.e**300 m radius*(1453no. of structures)***, **300 m – 500 m radius *(74 no. of structures)***, and **500 m to 1 km radius*(256 no. of structures)***Eco Sensitive Zone of Dalma Wildlife

Sanctuary, **Table 2*(Detailed Report enclosed as Annexure III)***.It was observed that **78 numbers of Industries** were also present in the **300 meter to 1 km of the Dalma Range boundary**. ***Asanbani village of the Dalma range found to have maxuimum number of concrete/non-concrete structures***, followed by ***Saharbera&Kanderbera village respectively (Total count- 777, 480 & 385 respectively)*** as summarized in **Table 3**.

Table 2: Summary of the structures present in the surrounding of eco-sensitive zone of**Dalma Range** as surveyed by Advance Preliminary Survey Team No.-2.

Sl No	Structures	Total Count		
		<300 m	300-500 m	500 m – 1 km
1	Concrete Houses(Private)	305 & hill view colony ripit colony (Dimna)	32	80
2	Concrete Houses (Government)	15	5	
3	High Rise/Multi-stored Building	6		
4	Non-Permanent Houses (KacchaMakan)	946	40	143
5	Concrete Boundary Wall (Private)	40		2
6	Non-Concrete Boundary Wall (Govt)			
7	Govt. Utility Structures (such as Toilet, Pump Houses etc)	5		2
8	Private Utility Structures (such as Toillet, Pump Houses etc)	58		5
9	Industry	71	1	6
10	Other Structures (if any, specify)	2 tower, 5 Hari mandir	1 Hari mandir	12 Mandir
		1453	79	250

Table 3: Structures present in the Villages located within eco-sensitive zone ofDalma Range as surveyed by Advance Preliminary Survey Team No.-2.

Sl No	Villages	Total Count			
		Concrete Structure	Non-Concrete Structure	Multi Stored/High-Rise Building	Industries
1	Pardih,	45	-	3	1
2	Baliguma	20	-	3	4
3	Dimna	18	-	-	3
4	Mirzadih	5	-	-	14
5	Gerua	4	-	-	4
6	Patipani	3	-	-	4
7	Haludbani	3	-	-	1
8	Asanbani	252	525	1(AshianaAprt.)	28
9	Ramgarh	20	23	-	4
10	Kanderbera	133	252	-	12
11	Saharbera	129	351	-	3
	Total	**632**	**1151**	**7**	**78**

Further, based on the report of the Preliminary Survey teams, field visitswere carried out by the committee members for random checks.

2.2. Field Visits

The members of the joint committee and other concerned officialsvisited the site on 27/01/2024. Following committee members were present during inspection:

1. Shri Prashant Kumar, IAS,Principal Secretary, Water Resource Department of State of Jharkhand.
2. Shri Rajeev Ranjan, Scientist E/ Additional Director, RO Ranchi,MoEF&CC, Govt. of India.
3. Shri M.K. Biswas, Regional Director, CPCB, RD Kolkata.
4. Shri ManjunathBhajantri, IAS, District Magistrate, E Singhbhum, Jharkhand.
5. Shri Ram Pravesh Kumar, Regional officer, Jamshedpur, JSPCB.

Following other concerned officials were also present during site inspection on 27.01.2024:

1. Shri NageshMishra, Engineer in Chief, Irrigation Department, Jharkhand
2. Shri Abhishek Kumar, DFO, Dalma Wildlife Sanctuary.
3. Shri Md. A. Rafique, Sci B, CPCB, RD Kolkata
4. Dr.S.Y Ali, RA, CPCB RD Kolkata

As per the list provided by the **Advance Preliminary Survey Team No.-1 and 2,** the establishment with big structures or high-rise buildings were selected and visited randomly.

All the three (03) multi-storied/ high-rise buildings located on the banks of the **Subarnarekha river** basin as per the list provided by **Advance Preliminary Survey Team No.-1, were verified.** Among six (06) no of multi-storied/high-rise buildings and seventy eight (78) no of industries in the foothills of Dalma sanctuary, which isEco Sensitive Zone of**Dalma**as per the list provided by **Advance Preliminary Survey Team No.-2, three (03)no of structures were randomly verified by the committee members.**

It was found thatAakash Riviera, Mango is located in the bank of Subarnarekha River and STP Limited, SRG Iron and Steel Ltd. etc.are situated in the foothills of Dalma sanctuary which isEco Sensitive Zone of Dalma. These unitswere recorded in the report of the **Advance Preliminary Survey Team**. The details of locations visitedare mentioned below in **Table 4.**

Table 4. Locations visited in 27.01.2024

Sl No.	Location	Latitude	Longitude
1	Aakash Riviera	22.835506	86.168755
2	Mango (Sahara and Srinath high rise building)	22.819405	86.203905
3	Opposite of City Inn	22.854189	86.202662
4	STP Limited	22.852728	86.239721
5	SRG Iron and Steel Ltd.	22.850516	86.248341
6	Dalma range boundary	22.852793	86.240094
7	GautamDihar	22.813267	86.219612

Fig.1: Visit on Aakash India Riviera (Measurement of distance from Revenue Boundary of Subarnarekha river to Construction area)

Fig 2: Visit on Sahara River View Samay Construction

Fig. 3: High Rise building situated in Eco-sensitive zone of Dalma Range

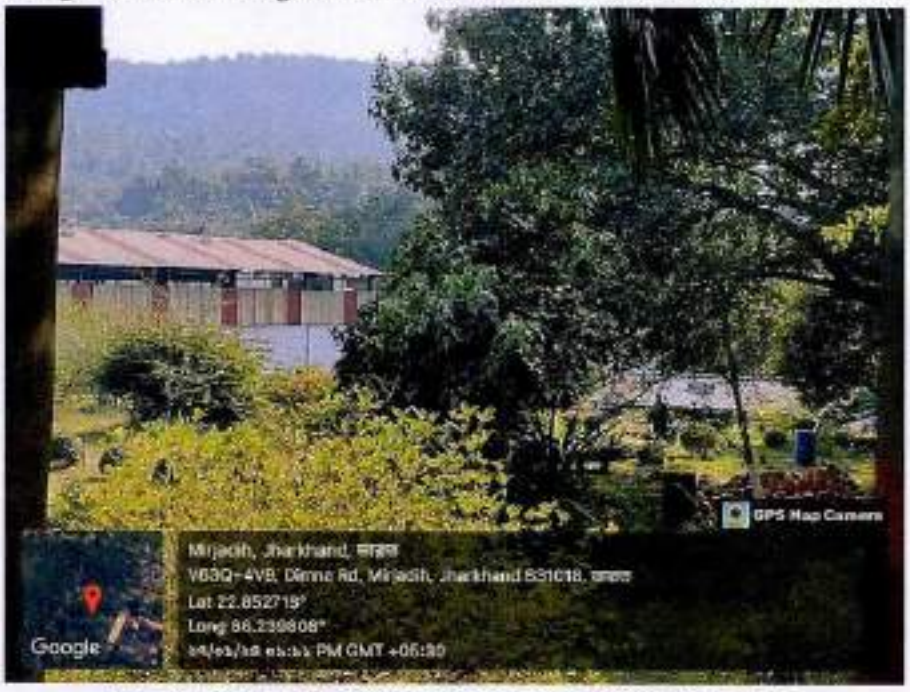

Fig. 4: STP Ltd. Situated in Eco-Sensitive Zone

Fig. 5 SRG Iron and Steel Ltd. situated in Eco-Sensitive Zone

2.3. Field Observations

2.3.1 Random Verification of selective siteson the river-bed of Subarnarekha-river:

The Subarnarekha River lacks designated flood plain zoning. Therefore, during inspections to identify illegal construction activities, the NGT committee relied on section 23 of the Jharkhand Building Bye-laws 2016. This section states:

> *"23.1 In case of rivers other than the Ganges, no construction or re-construction of any building shall be allowed, within a strip of land of 10-15 metres (where area is open and not developed 15m, up to), or such distances as prescribed by the State Government, from the outer boundary of the riverfront of any river (as prescribed by the Irrigation Department). The State Government shall notify a list of such rivers."*
>
> *23.2 No construction shall be allowed within the boundary of the river.*

Distance measurements were made from the revenue boundary, as reported by the CO Chandil and Aamin.

General Observations from Random Verification:

- Some pucca (concrete) houses and boundary walls were found within 10-15 meters of the Subarnarekha River's revenue boundary. This indicates potential non-compliance with distance regulations.
- High-rise buildings like Aakash India Riviera, Srinath Home, and Sahara River View Samay Construction were situated beyond 15 meters from the revenue river boundary, complying with the preliminary survey team's findings.

Observations Specific to Aakash Riviera Project:

- Environmental Concerns:
  - Stockpiles of topsoil, clay, and alluvial material were observed near the riverbank without adequate measures to prevent them from flowing into the river. This can lead to increased erosion and sedimentation.
  - Steel rods were found within 10-12 meters of the revenue boundary, suggesting earlier start of potential construction activity there. However no permamnet structures built with the rods(observation a).
  - Insufficient greenbelt development was observed, falling short of the stipulations in the Environmental Clearance (EC) and Consent to Establish (CTE) (observation b).
- Non-Compliance with JSPCB (Jharkhand State Pollution Control Board) Conditions (observation c):
  - Missing 10-foot high pucca boundary wall on the river side of the project.
  - Incomplete or inadequate greenbelt development (mentioned earlier in observation b).
- The project proponent (PP) has not submitted the required six-monthly compliance reports to the MoEF&CC regional office in Ranchi.

2.3.2 Verification of construction activities in Eco Sensitive Zone of Dalma

Committee members visited National Highway (NH)33 (connecting Jamshedpur to Ranchi) adjacent to a city hotel/restaurant (see photos 19-22). The DFO Dalma informed them that a building near City Inn (shown in white colour with provisions for bamboo for construction/painting in photos 19 and 21) was situated from the 300 meters of the forest boundary limit of Dalma wildlife sanctuary. The committee's findings regarding construction activities near the sanctuary are detailed below;

- **Dalma Wildlife Sanctuary Eco Sensitive Zone:**
  - A large number of concrete buildings were observed within 300 meters of the sanctuary boundary (refer to Google map images with pink line showing the boundary and white line showing the 300-meter zone).

- Site inspection revealed numerous concrete buildings constructed within 300 meters from the forest boundary of the Dalma Wildlife Sanctuary (see photos 22-31).
- Comparing Google Earth images from 2009 to 2023 (2012 not mentioned) made it challenging to pinpoint which buildings were constructed before the 2012 Eco-Sensitive Zone (ESZ) notification.

- **Industrial Units within Eco Sensitive Zone of Dalma Wildlife Sanctuary:**
  - **STP Limited, Pipe Production Products Division:**
    - Located within the Eco Sensitive Zoneof the sanctuary (refer to Google Map photo), the project was reportedly established before 2012 and is planned for relocation.
    - The project lacks an Environmental Clearance (EC) and a Consent to Operate (CTO) issued after a specific year (not mentioned).
    - Air pollution control devices were absent, and hazardous materials were transported in open trucks (photo 37).
    - The project also lacks authorization for hazardous waste and proper road maintenance (unpaved roads with dust).
    - JSPCB has instructed the proponent to install air pollution control devices, obtain hazardous waste authorization, and clarify the closure timeline (letter no. 100 dated 30.01.2024).
  - **SRG Iron & Steel (P) Ltd. Plant:**
    - This plant within Eco Sensitive Zoneof the sanctuary (see photos 41-42) was observed conducting slag screening operations, resulting in dust emissions.
    - The plant lacked water spraying systems and dust control equipment.
    - Since JSPCB had not issued a CTO, the committee directed action against the plant.
    - The Regional Officer, Jamshedpur (JSPCB), informed about closure orders issued to the plant (letters no. 1886- 13.09.2022 and 975 dated 07.11.2022).
    - The project proponent also confirmed the closure via letter dated 14.11.2022.
    - JSPCB further instructed the closure, dismantling, and reporting of the slag screening plant (letter no. 99 dated 30.11.2024).
- **Forest Boundary Pillars:**
  - Forest department officials accompanying the committee members pointed out some forest pillars marking the boundary of the Dalma Wildlife Sanctuary (see photos 42-43).

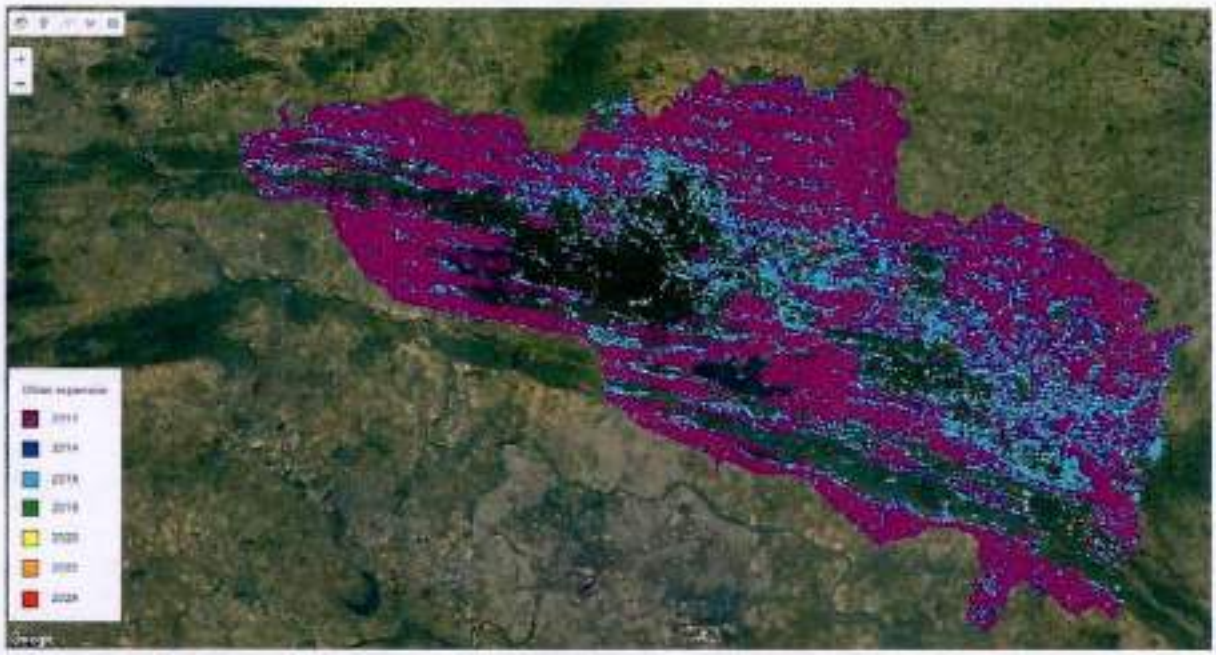

Fig 6: Urban expansion since 2012 through landsat image

I. The landsat satellite images over the time have been compared and found many urban expansions have already been taken place even prior to the year 2012 and onwards against the notifications dated 29th March 2012 which is in accordance with the field survey committee report as well.

Considering the random verifications of the findings of the preliminary survey teams and satellite images over the time, committee accepted the findings of the survey committee reports.

3.Violation of Environmental Laws

I. High-rise building construction on the river-bed of Subarnarekha-river in violation of ***Jharkhand Building Bye- Law, (2016)***

Regulation	Committee Observation
"In case of river other than the Ganges, no construction or reconstruction of any building shall be allowed, within a strip of land of 10-15 meters (where area is open and not develop 15m, up to), or such distance as prescribed by State Government, from the outer boundary of the riverfront of any river (as prescribed by the Irrigation Department)."	According to the report submitted by **Advanced Preliminary Survey Team No 1** on 10.11.2023, where it was reported **62no** of structures such as *Pukka Makan, Asbestoses Makan, Pump House,Public Toilet, concrete as well as tin boundary wall* were also present **up to 10 m from the revenue boundary** as well as **134** noof structures were found to be present from**10-15 m from revenue boundary*(Annexure II).***

	The data is also verified and supported by the field visit of the committee members, where some pucca (concrete) house and boundary wall was found to be present within the 10-15 m of revenue boundary of Subarnarekha River.

II. Construction activities in foothills of Dalma Rangein violation of the ***notification of Ministry of Environment and Forests, dated 29th March, 2012***:

*"**NOW THEREFORE,** in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub - section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of the Dalma Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Jharkhand as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone)"*

*"1. **Boundaries of Dalma Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone. -** (1) Dalma Wildlife Sanctuary is bounded by the forests of Dhalbhum and Saraikela Forest Division of Iharltiland and Kansabati Forest Division of West Bengal, Jamshedpur township and Chandil sub divisional town are merely 0 - 5 kilometers from the boundary of Dalma Wildlife Sanctuary.*

(2)The said Eco-sensitive Zone covers an area of 522.98 square kilometer in Jharkhand, consisting of the followings, namely:-

i) enclave villages:

Total number of villages - 85
Area to be hchded in the Eco-sensitive zone:
Non-forest area - 200.28 square kilometres
Forest area- 198.30 square kilometers
Total = 398.58 square kilometers;

(ii) villages situated outside the boundary of Protected area:

The Total number of villages - 51
Area to be included in the Eco-sensitive me:
Non-forest area - 80.45 square kilometers
Forest area - 43.95 square kilometers
Total = 124.40 square kilometers;

(iii)development blocks:

Patamda, Jamshedpur and Golmuri blocks of East Singhbhum district and Chandil and Nimdih blocks of Saraiakela- Kharsawan district;

As per section 3 of the notification for the regulation of ***'Prohibited, regulated and permitted activities in Eco-Sensitive Zone'***	
Regulation	**Committee's Observations**
"(1) Industrial Units: *(a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be setup within the Eco-Sensitive Zone;* *(b) any non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-Sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment, may be permitted in the Eco-Sensitive Zone;* *(c) no establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone."*	The detailed survey done by **Advance Preliminary Survey Team No.-2** where**78 industries** were recorded to be present in between 300 m – 1 km of the Dalma Range. Among these industries, **STP Ltd. and SRG Iron and Steel Ltd.** were also randomly verified by the committee members present in the eco-sensitive zone of the Dalma Range, as mentioned in the report ofAdvance Preliminary Survey Team No.-2 **(Annexure III).** As per the information available the STP Ltd was constructed in the year 1985.
"(2) Quarrying and Mining: *(a) No mining activity except for bona-fide domestic use of the local residents shall be allowed within the of Eco- Sensitive Zone.* *(b) No crushing activity shall be allowed within the Eco-sensitive Zone"*	No quarrying or mining activities were observed by the committee members during the field visit. However slag screening operations were observed in SRG Iron & Steel (P) Ltd. Plant, resulting in dust emissions.
"(3) Construction Activities: *No new construction of any kind shall be allocated in the area falling within a distance of three hundred meters from the boundary of the Dalma Wildlife Sanctuary."*	During the field visit by the committee members and concerned officials, numerous structures such as concrete construction, high rise building, and residential habitats were observed within the 300 m from the boundary of the Dalma Wildlife Sanctuary. Same observation was submitted by the detailed field survey done by Advance Preliminary Survey Team No.-2. Kuccha and concrete structures were present in the villages such as Pardih, Baliguma, Dimna, Mirzadih, Gerua, Patipani, Haludbani, Asanbani, Ramgarh, Kanderbera and Saharbera were

	found to be present in 3 zones, i.e**300 m radius *(1453 no. of structures)*, 300 m – 500 m radius *(74 no. of structures)*,** and **500 m to 1 km radius*(256 no. of structures)*** in the foothills of Dalma sanctuary which isEco Sensitive Zone ofDalma Wildlife Sanctuary ***(Annexure III)***. The newly constructed buildings after the publication of the notification, i.e 2012 in violation of the norms are displayed in the map ***(Annexure IV)***

III. ***Other Violations with respect to the notification of Ministry of Environment and Forests, dated 29th March, 2012***:

Regulation	Committee's Observation
"2. Zonal Master Plan for the Dalma Eco-sensitive Zone. - (1) A Zonal Master Plan for the Dalma Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government, in such manner as are specified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the law relating to town and country planning for the time being in force in the State, the divisionalworking plans and the guidelines issued by Central Government, within a period of one year from fie date of this notification and approved by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests."	The Zonal Master Plan as per the notification shall demarcate all the existing worshipping places, village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies present within a period of one year form the date of notification. Later vide MoEF&CC notification dated 14.07.2023 **preparation of Zonal Master plan for the purpose of ESZ has been extended till 13.07.2025**(i.e within a period of two years from the date of publication of the amendment notification dated 14.07.2023) and **representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India has been excluded** from the monitoring committee. This means the committee currently consists of thirteen members.

4. Recommendation of the Committee

4.1 Subarnarekha River

Based on the findings of the Advanced Preliminary Survey Team No. 1, the committee recommends the following actions:

- **Approve Survey Findings:** The details of constructed structures or buildings within the 10-15 meter strip of land from the revenue boundary of Subarnarekha River, as identified by the Advanced Preliminary Survey Team No. 1, can be accepted.
- **Consider Removal of Illegal Structures:** Constructions within this zone, except for public utility structures, may be considered illegal and in violation of the Jharkhand Building Bye Laws-2016. The committee recommends evaluating options for the removal of these structures.
- **Riverbank Stabilization:** Stabilization of the Subarnarekha River banks through the plantation of native species should be undertaken.
- **Erosion and Flood Management:** Implementation of measures to protect against riverbank erosion and manage floods is recommended.

4.2 Dalma Wildlife Sanctuary

The Ministry of Environment and Forests notification dated 29th March, 2012, mandated the creation of a Zonal Master Plan (ZMP) for the Eco Sensitive Zone of Dalma Wildlife Sanctuary within one year (by 29th March 2013). This ZMP serves as a key reference document for the eco-sensitive zone's monitoring committee when making decisions.

- **Finalize Zonal Master Plan:** The committee emphasizes the urgent finalization of the ZMP by the Jharkhand government without further delay. A finalized ZMP will provide a crucial framework for guiding future actions within the eco-sensitive zone.

Ministry of Environment and Forests Notification Update (July 14, 2023):

A subsequent notification by the MoEF&CC dated 14th July, 2023, extended the deadline for preparing the Zonal Master Plan for the eco-sensitive zone to 13th July, 2025 (within two years from the amended notification date).

- **Monitor and Address Violations:** The monitoring committee should initiate actions against constructions carried out within the eco-sensitive zone and the 300-meter buffer area surrounding the Dalma Wildlife Sanctuary after the publication of the original MoEF notification on March 29, 2012.

Signature of committee members:

13/03/24

(Ram Pravesh Kumar)
Regional officer, Jamshedpur,
Jharkhand State Pollution
Control Board

(Manjunath Bhajantri)
IAS, District Magistrate,
E.Singhbhum, Jharkhand.

(Mrinal Kanti Biswas)
Sc E&Regional Director,
CPCB, RD Kolkata.

13 05 24

(Rajeev Ranjan)
Scientist E/ Additional Director, RO
Ranchi, MoEF&CC, Govt. of India.

13/03/24

(Prashant Kumar)
Secretary, Water Resource
Department,
State of Jharkhand.

"Annexure–I"

573

माननीय N.G.T में दायर वाद O.A.No. 567/2023 में पारित आदेश के आलोक में गठित समिति की दिनांक–27.10.2023 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

07 NOV 2023

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 में संलग्न है। बैठक में क्षेत्रीय निदेशक (पूर्व) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोलकत्ता के द्वारा Video Conferencing के माध्यम से सहभागिता की गयी।

सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा समिति के सभी सहभागी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया।

सर्वप्रथम माननीय N.G.T में दायर वाद O.A.No. 567/2023 में दिनांक– 20.09.2023 को पारित आदेश की विवेचना समिति के सदस्यों द्वारा की गई एवं पारित आदेश के विभिन्न बिन्दुओं के अनुपालन हेतु विचार विमर्श किया गया।

विमर्श के उपरांत यह तथ्य सामने आया कि माननीय N.G.T द्वारा Dalma Range Hill के अन्तर्गत जमशेदपुर के Northern side में Natural habitat of elephants and numerous flora and fauna के Environmental Guidelines के Violation एवं सुवर्णरेखा नदी के किनारे Rampant and discriminate construction of high-rise building के निर्माण के संदर्भ में जाँच की जानी है।

सभी सदस्यों द्वारा इस संबंध में अपने–अपने विचार एवं सुझाव दिये गये। सभी सदस्यों के विचार विमर्श के उपरांत दो Advance Preliminary Survey Team गठित करने का निर्णय लिया गया:–

1. Advance Preliminary Survey Team No.-1 का गठन निम्नवत् किया जायेगा।

(a) जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	–अध्यक्ष
(b) Additional Deputy Commissioner, Jamshedpur	-सदस्य
(c) Additional Collector , Saraikela-Kharsawan	-सदस्य
(d) Regional Officer of State Pollution Control Board	-सदस्य
(e) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् सरायकेला–खरसावाँ	-सदस्य
(f) नगर आयुक्त मानगो नगर निगम, जमशेदपुर	-सदस्य
(g) कार्यपालक पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर	-सदस्य
(h) कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर	-सदस्य

उपरोक्त गठित टीम का Preliminary Survey का कार्य क्षेत्र खरकई नदी एवं सुवर्णरेखा नदी के Confluence points से नदी के किनारे बालीगुमा नाला तक होगा। इस टीम का Term of Reference (ToR) निम्न रूप से निर्धारित किया गया:–

(a) Revenue Boundary of River के अंतर्गत किसी भी तरह के निर्माण/अतिक्रमण की स्थिति।

(b) नदी के किनारे निर्मित संरचनाओं एवं भवनों का क्षेत्र 20,000 वर्ग मी० होने की स्थिति में संरचना के निर्माण हेतु Environmental Clearance प्राप्त किए जाने की स्थिति।

(c) Jharkhand Building Bye Laws-2016 की कंडिका–23 की उपकंडिका 23.2 के अनुपालन की स्थिति।

(d) नदी के किनारे निर्मित संरचनाओ एवं भवनों हेतु यथावश्यक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त होने की स्थिति।

यह टीम दिनांक–09.11.2023 तक प्रतिवेदन तैयार करेंगी। इस टीम के गठन हेतु अधिसूचना उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा निर्गत की जायेगी एवं टीम के सभी सदस्यों को सूचित करते हुए निर्धारित समय पर प्रतिवेदन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपायुक्त जमशेदपुर द्वारा यह प्रतिवेदन समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा। (कार्रवाई–उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर)

2. Advance Preliminary Survey Team No.-2 का गठन निम्नवत् किया जायेगा।

(a) Divisional Forest Officer, Elephant Corridor, Jamshedpur –अध्यक्ष
(b) Additional Deputy Commissioner, Jamshedpur -सदस्य
(c) Additional Collector , Saraikela-Kharsawan -सदस्य
(d) Regional Officer of State Pollution Control Board -सदस्य
(e) नगर आयुक्त मानगो नगर निगम, जमशेदपुर -सदस्य

उपरोक्त गठित टीम का कार्य क्षेत्र Dalma Wildlife Sanctuary का क्षेत्र होगा। इस टीम का Term of Reference (ToR) निम्न रूप से निर्धारित किया गया:–

(a) Dalma Wildlife Sanctuary के Boundary के क्षेत्र के 1 कि०मी० से 500 मी० के अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं की स्थिति।

(b) निर्मित संरचना Eco-sensitive Zone में अवस्थित होने की स्थिति।

यह टीम दिनांक–09.11.2023 तक प्रतिवेदन तैयार करेंगी। इस टीम के गठन हेतु अधिसूचना Additional Director, MoEFCC, क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा निर्गत की जायेगी एवं टीम के सभी सदस्यों को सूचित करते हुए निर्धारित समय पर प्रतिवेदन तैयार किया जाना सुनिश्चित की जायेगी। Additional Director, MoEFCC, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा यह प्रतिवेदन समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा। **(कार्रवाई– Additional Director, MoEFCC, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची)**

उपरोक्त वर्णित Advance Preliminary Survey Team 1एवं 2 से प्राप्त प्रतिवेदन के अध्ययन के उपरांत माननीय N.G.T के द्वारा गठित समिति के सभी सदस्य दिनांक–14.11.2023 को पूर्वाहन् 10:00 बजे निरीक्षण भवन, जमशेदपुर में एकत्रित होगें तथा क्षेत्र निरीक्षण करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत बैठक समाप्त की गयी।

27/10/23

(प्रशांत कुमार)
सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांक–2/पी०एम०सी०/विविध/969/2023..... 530 /राँची, दिनांक–27/10/2023

प्रतिलिपिः– Additional Director, MoEFCC, क्षेत्रीय कार्यालय राँची/क्षेत्रीय निदेशक (पूर्व) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोलकता/सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण बोर्ड, राँची/जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/10/23

(प्रशांत कुमार)
सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांक–2/पी०एम०सी०/विविध/969/2023.....530 /राँची, दिनांक–27/10/2023

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता, सुवर्णरेख बहुद्देशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स जमशेदपुर/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/10/2023

(नागेश मिश्र)
अभियंता प्रमुख–I
जल संसाधन विभाग, राँची।

माननीय N.G.T में दायर वाद O.A No-567/2023 में पारित आदेश के आलोक में गठित समिति की बैठक में उपस्थित पदाधिकारी की विवरणी।

क्र०	पदनाम	नाम	हस्ताक्षर	email id.
1	सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची।	श्री प्रशांत कुमार	27/10/23.	
2	अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, राँची।	इं० नागेश मिश्र	27/10/2023	
3	मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) क्षेत्रीय कार्यालय, एमओईएफ एवं सीसी, राँची Scientist 'E' (Additional Director)	Rajeev Ranjan 9430182650	27.10.23	ro.ran-met@gov.i
4	क्षेत्रीय निदेशक (पूर्व) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोलकता।			
5	सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	[illegible]	27.10.23	jspcb ranchi gmail.c
6	जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	Manjunath Bhajantri	27/10/2023	
7	मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर।	संजय कुमार	27/10/23	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

माननीय N.G.T में दायर वाद O.A.No. 567/2023 में पारित आदेश के आलोक में गठित समिति की दिनांक–27.10.2023 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के संदर्भ मे शुद्धि पत्र।

उपायुक्त का कार्यालय पूर्वी सिंहभूम
30 OCT 2023
जमशेदपुर

विभागीय पत्रांक–2/पी०एम०सी०/विविध/969/2023–530 राँची दिनांक–27.10.2023 द्वारा दिनांक–27.10.2023 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाई में Advance Preliminary Survey Team No.-1एवं 2 के गठन के संदर्भ में उल्लेखित तथ्यों को निम्नवत संशोधित किया जाता है :–

1. Advance Preliminary Survey Team No.-1 का गठन निम्नवत् किया जायेगा।

(a) जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	–अध्यक्ष
(b) Additional Deputy Commissioner, Jamshedpur	-सदस्य
(c) Additional Collector , Saraikela-Kharsawan	-सदस्य
(d) Regional Officer of State Pollution Control Board	-सदस्य
(e) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् सरायकेला–खरसावाँ	-सदस्य
(f) नगर आयुक्त मानगो नगर निगम, जमशेदपुर	-सदस्य
(g) कार्यपालक पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर	-सदस्य
(h) कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर	-सदस्य

उपरोक्त गठित टीम का Preliminary Survey का कार्य क्षेत्र खरकई नदी एवं सुवर्णरेखा नदी के Confluence points से नदी के किनारे बालीगुमा नाला तक होगा। इस टीम का Term of Reference (ToR) निम्न रूप से निर्धारित किया गया:–

(a) Revenue Boundary of River के अंतर्गत किसी भी तरह के निर्माण/अतिकमण की स्थिति।

(b) नदी के किनारे निर्मित संरचनाओं एवं भवनों का क्षेत्र 20.000 वर्ग मी० होने की स्थिति में संरचना के निर्माण हेतु Environmental Clearance प्राप्त किए जाने की स्थिति।

(c) Jharkhand Building Bye Laws-2016 की कंडिका–23 की उपकंडिका 23.2 के अनुपालन की स्थिति।

(d) नदी के किनारे निर्मित संरचनाओ एवं भवनों हेतु यथावश्यक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त होने की स्थिति।

* यह टीम दिनांक–09.11.2023 तक प्रतिवेदन तैयार करेगी। उपायुक्त जमशेदपुर द्वारा यह प्रतिवेदन समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा।

P:\Letter and File\969_2023\Write.docx

2. Advance Preliminary Survey Team No.-2 का गठन निम्नवत् किया जायेगा।

(a) Divisional Forest Officer, Elephant Corridor, Jamshedpur –अध्यक्ष
(b) Additional Deputy Commissioner, Jamshedpur -सदस्य
(c) Additional Collector , Saraikela-Kharsawan -सदस्य
(d) Regional Officer of State Pollution Control Board -सदस्य
(e) नगर आयुक्त मानगो नगर निगम, जमशेदपुर -सदस्य

उपरोक्त गठित टीम का कार्य क्षेत्र Dalma Wildlife Sanctuary का क्षेत्र होगा। इस टीम का Term of Reference (ToR) निम्न रूप से निर्धारित किया गया:–

(a) Dalma Wildlife Sanctuary के Boundary के क्षेत्र के 1 कि०मी० से 500 मी० के अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं की स्थिति।
(b) निर्मित संरचना Eco-sensitive Zone में अवस्थित होने की स्थिति।

* यह टीम दिनांक–09.11.2023 तक प्रतिवेदन तैयार करेंगी। Divisional Forest Officer, Elephant Corridor, Jamshedpur द्वारा यह प्रतिवेदन समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य तथ्य यथावत रहेंगे।

(प्रशांत कुमार)
सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांक–2/पी०एम०सी०/विविध/969/2023 531 /राँची, दिनांक–27/10/2023

प्रतिलिपि:– Additional Director, MoEFCC, क्षेत्रीय कार्यालय राँची/क्षेत्रीय निदेशक (पूर्व) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोलकता/सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण बोर्ड, राँची/जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से अनुरोध है कि गठित Advance Preliminary Survey Team No.-1 एवं 2 के सभी सदस्यों को इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

(प्रशांत कुमार)
सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांक–2/पी०एम०सी०/विविध/969/2023 531 /राँची, दिनांक–27/10/2023

प्रतिलिपि:–मुख्य अभियंता, सुवर्णरेख बहुद्देशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स जमशेदपुर/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नागेश मिश्र)
अभियंता प्रमुख–I
जल संसाधन विभाग, राँची।

ज्ञापांक–3052(6) विधि, दिनांक– 09/11/2023

प्रतिलिपि– गठित Adavance Preliminary Surve Team No.1 & 2 के सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि–शाखा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

F:\Letter and File\969_2023\Minka.docx

"Annexure – II"

अंचल अधिकारी का कार्यालय, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम

पत्रांक 1813

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
जमशेदपुर ।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि–शाखा,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

जमशेदपुर अंचल, दिनांक 10 नवंबर 2023

विषय : माननीय N.G.T. में दायर वाद O.A. No. 567/2023 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग : उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 390(A) / वि0, दिनांक 28.10.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि जमशेदपुर अंचल अन्तर्गत खरकई नदी एवं सुवर्णरेखा नदी के confulence point से नदी के किनारे अतिक्रमण से संबंधित नक्शा सूची सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

10/11/23

अंचल अधिकारी
जमशेदपुर

110 Zila_Kalyan_2023

(28)

N

J N A C JAMSHEDPUR
RS THANA - GHATSHILA
WARD NO - 7
SHEET NO - 1 & 2
DIST. - SINGHBHUM
SCALE - 1CM = 20M
YEAR - 1970 - 71

NAZRI MAKSHA

SUBARNA REKHA RIVER

580

43

NAZRI NAKSHA

J N A C JAMSHEDPUR
RS THANA - GHATSHILA
WARD NO - 6
SHEET NO - 1,2 & 3
DIST. - SINGHBHUM
YEAR - 1970 - 71

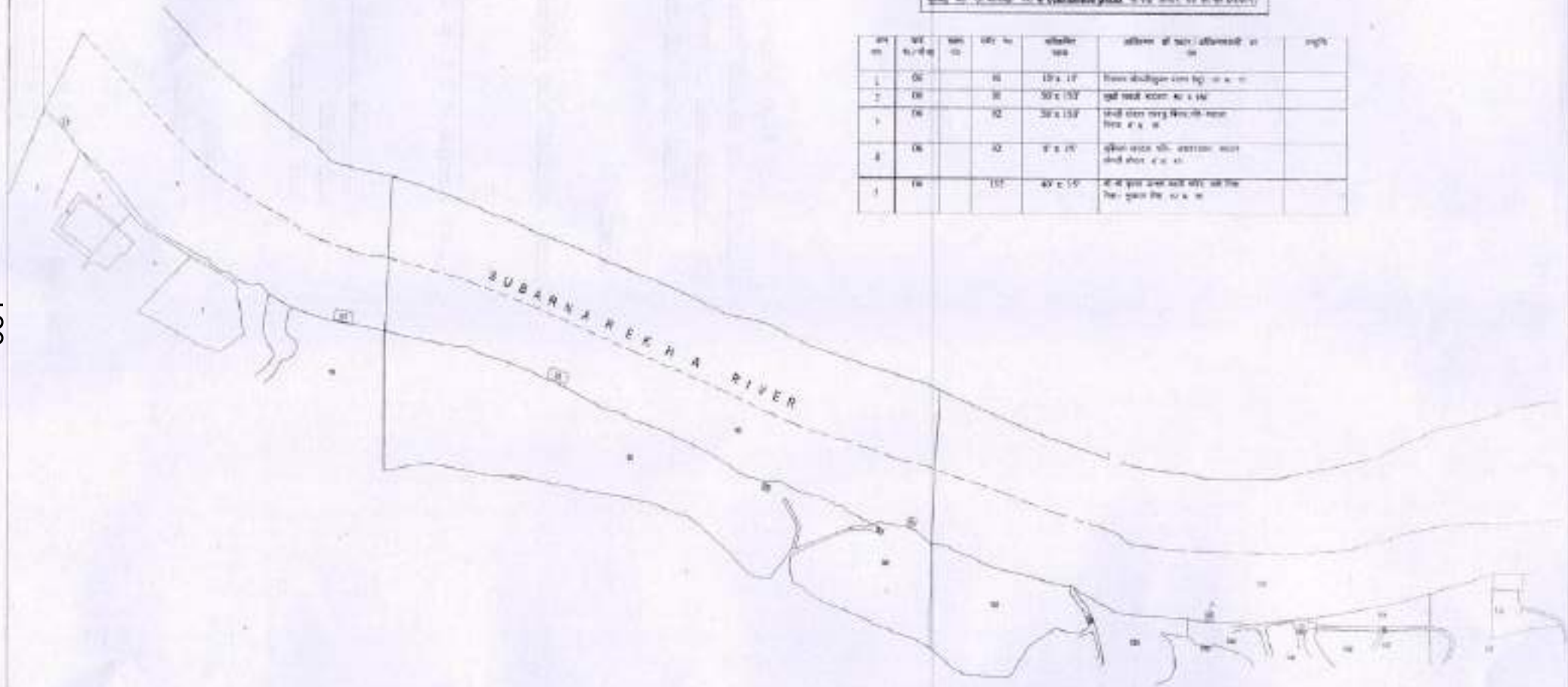

581

44

NAZRI NAKSHA

N

JNAC - JAMSHEDPUR
RS THANA - GHATSHILA
WARD NO - 1
SHEET NO - 3
DIST. - SINGHBHUM
YEAR - 1970 - 71

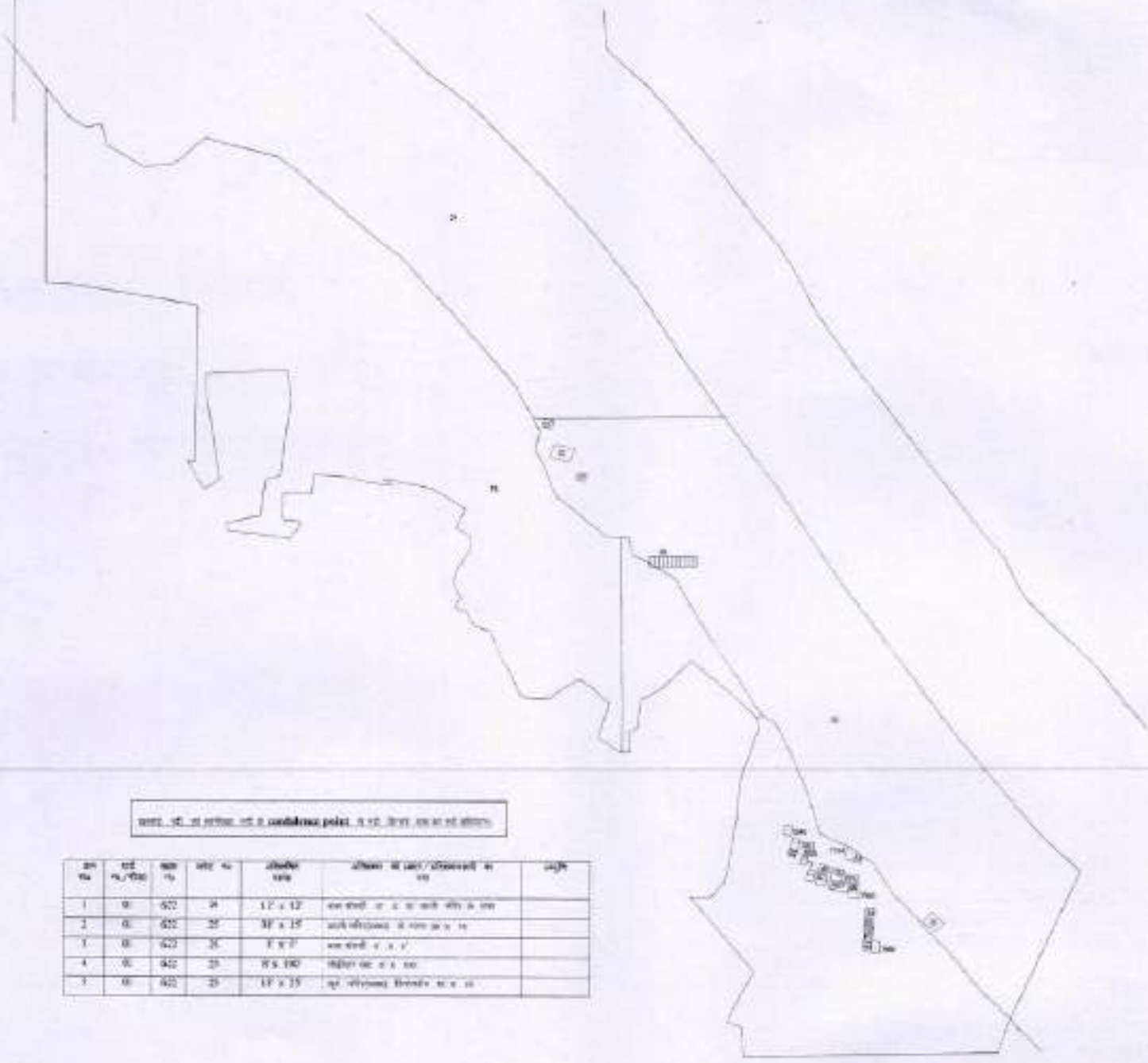

1	0	622	24	17' x 12'		
2	0	622	25	18' x 15'		
3	0	622	26	5' x 7'		
4	0	622	27	15 x 180		
5	0	622	28	13' x 15'		

Asstt.

R.S.I. - III

C.I.
Jamshedpur

C.O.
Jamshedpur

130

अंचल अधिकारी का कार्यालय, मानगो।

पत्रांक :- 1008

प्रेषक,

अंचल अधिकारी
मानगो।

10/11/23

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

मानगो, दिनांक :- 09/11/23

विषय :- खरकई नदी एवं सुवर्णरेखा नदी के Confluence Point से नदी के किनारे बालीगुमा नाला तक का सर्वेक्षण Report भेजने के संबंध में।

प्रसंग :- उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पत्रांक – 309 (A) / विधि दि० – 28 / 10 / 2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में खरकई नदी एवं सुवर्णरेखा नदी के Confluence Point से नदी के किनारे बालीगुमा नाला तक Revenue Boundary of River के अन्तर्गत निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित किया जाता है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

9/11/23

अंचल अधिकारी
मानगो।

अंचल अधिकारी का कार्यालय, मानगो।

पत्रांक :.....

प्रेषक,

अंचल अधिकारी
मानगो।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

मानगो, दिनांक :–

विषय :– खरकई नदी एवं सुवर्णरेखा नदी के Confluence Point से नदी के किनारे बालीगुमा नाला तक का सर्वेक्षण Report भेजने के संबंध में।

प्रसंग :– उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पत्रांक – 309 (A) / विधि दि० – 28 / 10 / 2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में खरकई नदी एवं सुवर्णरेखा नदी के Confluence Point से नदी के किनारे बालीगुमा नाला तक Revenue Boundary of River के अन्तर्गत निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित किया जाता है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–

अंचल अधिकारी
मानगो।

ज्ञापांक :– 1008 दिनांक :– 09/11/23

प्रतिलिपि :– अपर उपायुक्त ,पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपूर को भवदीय पत्रांक – 309 (A) / विधि दि० – 28 / 10 / 2023 के प्रसंग में सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन
9/11/23
अंचल अधिकारी
मानगो।

L.H.S of Downstream of Swarnrekha River

Sl No.	Ward No.	Khata No.	Plot No.	Area	Type of Structure	Within Revenue Boundary of River	Up to 10m From Revenue Boundary	10 - 15 m From Revenue Boundary	More than 15m From Revenue Boundary	Remarks
1	8 वा० सी० मानगो	268	3619		मकान पक्का			10 - 15 M		LALTU ALAM S/o ANSARI KHAN
2	8 वा० सी० मानगो	312	3621		पम्प हाउस	D-10m	D-10 M			PUMP HOUSE
3	8 वा० सी० मानगो	312	3621		SRINATH HOME				25 - 40m	SRINATH HOME
4	8 वा० सी० मानगो	312	3621		शौचालय				15 - 20 m	शौचालय
5	8 वा० सी० मानगो	312	3621		BUILDING FLAT				25 - 40 m	SAHARA RIVER VIEW SAMAY CONSRUCTION
6	8 वा० सी० मानगो	268	3622		जीसु मकान बाउड़ी वाल		0-10m			जीसु भवन बाउड़ी वाल
7	8 वा० सी० मानगो	1249	3983		मकान पक्का			10 - 15 m		भालु यादव
8	8 वा० सी० मानगो	1249	3983		मकान पक्का				15 - 20 m	रमेश यादव
9	8 वा० सी० मानगो	1249	3983		मकान पक्का				15 - 20 m	महेन्द्र यादव
10	8 वा० सी० मानगो	खतियान पार्ट-पार्ट है।	4035		बर्कर्स कॉलेज बाउड़ी वाल			10 - 15 m		बर्कर्स कॉलेज बाउड़ी वाल
11	8 वा० सी० मानगो	खतियान पार्ट-पार्ट है।	4212		पक्का एसबेस्टस छावनी माउली मार्केट			10 - 15 m		पक्का एसबेस्टस छावनी माउली मार्केट
12	8 वा० सी० मानगो	खतियान पार्ट-पार्ट है।	4212		शौचालय			10 - 15 m		शौचालय
13	8 वा० सी० मानगो	खतियान पार्ट-पार्ट है।	4213		पक्का बाउड़ी वॉल			10 - 15 m		पक्का बाउड़ी वॉल
14	8 वा० सी० मानगो	1249	3646		बाउड़ी वॉल			10 - 15 m		बाउड़ी वॉल
15	8 वा० सी० मानगो	268	3619		बाउड़ी वॉल			10 - 15 m		बाउड़ी वॉल

L.H.S of Downstream of Swarnrekha River

Sl No.	Ward No.	Khata No.	Plot No.	Area	Type of Structure	Within Revenue Boundary of River	Up to 10m From Revenue Boundary	10 - 15 m From Revenue Boundary	More than 15m From Revenue Boundary	Remarks
1	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3129	60'x15'	पक्का दिवाल टिन एस्बेट्स	✓				नागपो नगर निगम द्वारा निर्मित हाथी मार्केट
2	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3129	80'x6'	पक्का दिवाल छत	✓				गुरूनानक हाई स्कूल का ऑगोटोरियम
3	10	जीर्ण-शीर्ण है।	Near 3128/ 3129	30'x20'	बास, झोपड़ी		0 - 10			गाय बांधा जाता है।
4	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3128	50'x10'	पक्का दिवाल		0 - 10			पक्का दिवाल खरा नहीं है।
5	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3128	20'x40'	पक्का दिवाल एस्बेट्स		0 - 10			
6	10	जीर्ण-शीर्ण है।	4312	40'x40'	पक्का दिवाल छत		0 - 10			
7	10	जीर्ण-शीर्ण है।	4312	30'x30'	पक्का दिवाल Near सिढ़ी		0 - 10			
8	10	जीर्ण-शीर्ण है।	4312	10'x10'	बास बल्ली झोपड़ी		0 - 10			
9	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3517	40'x30'	मंदिर		0 - 10			
10	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3487	25'x25'	बांस बल्ली बांउड्री		0 - 10			
11	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3487	100'x40'	बांउड्री वॉल			10 - 15		
12	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3487	30'x20'	मकान			10 - 15		
13	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3489	30'x20'	मकान			10 - 15		
14	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3489	30'x20'	मकान			10 - 15		
15	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3517	30x40	पक्का दिवाल	✓				बाउड्रीवाल, पोस्ट ऑफिस रोड तथा शांति नगर का जंक्शन

9.11.2019

16	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3961		पक्का दिवाल छत को सहारा सकाल		0 – 10			
17	10	जीर्ण-शीर्ण है।	4065	10x10	पक्का मंदीर राम मंदिर			10 – 15		सूर्य मंदिर राम मंदिर
18	10	जीर्ण-शीर्ण है।	नदी में		पक्का दिवाल	✓				पक्का दिवाल एस्बेस्टस श्याम नगर
19	10	जीर्ण-शीर्ण है।	4065	10x30	पक्का सिढी		0 – 10			सूर्य मंदिर के पास की सिढी राम नगर
20	10	जीर्ण-शीर्ण है।	4029	25x35	पक्का सिढी	✓				लक्ष्मण नगर के पास की सिढी
21	10	जीर्ण-शीर्ण है।	4029		कच्चा बांउड्री तथा मंदिर प्रांगण		0 – 10			गादर का बाउड्रा बांस से बनाया गया है।

587

50

अंचल अधिकारी
मानगो।

L.H.S of Downstream of Swarnrekha River

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sl No.	Ward No.	Khata No.	Plot No.	Area	Type of Structure	Within Revenue Boundary of River	Up to 10m From Revenue Boundary	10 - 15 m From Revenue Boundary	More than 15m From Revenue Boundary	Remarks
1	8 वा० सं० बालगो	306	3619		मकान पक्का			10 - 15 M		LALTU ALAM S/o ANSARI KHAN
2	8 वा० सं० बालगो	312	3621		पम्प हाउस		0 - 10 M			PUMP HOUSE
3	8 वा० सं० बालगो	312	3621		SRINATH HOME				25 - 40m	SRINATH HOME
4	8 वा० सं० बालगो	312	3621		शौचालय				15 - 20 m	शौचालय
5	8 वा० सं० बालगो	312	3621		BUILDING FLAT				25 - 40 m	SAHARA RIVER VIEW SAMAY CONSRUCTION
6	8 वा० सं० बालगो	293	3622		जीसु भवन बाउड़ी बाल		0 - 10 M			जीसु भवन बाउड़ी बाल
7	8 वा० सं० बालगो	1349	3983		मकान पक्का			10 - 15 m		भानु यादव
8	8 वा० सं० बालगो	1349	3983		मकान पक्का				15 - 20 m	रमेश यादव
9	8 वा० सं० बालगो	1349	3983		मकान पक्का				15 - 20 m	महेन्द्र यादव
10	8 वा० सं० बालगो	खतियान जीर्ण-शीर्ण है।	4035		वर्कर्स कॉलेज बाउड़ी बाल			10 - 15 m		वर्कर्स कॉलेज बाउड़ी बाल
11	8 वा० सं० बालगो	खतियान जीर्ण-शीर्ण है।	4212		पक्का एसोस्टस छावनी पछली मार्केट			10 - 15 m		पक्का एसबेस्टस छावनी मछली मार्केट
12	8 वा० सं० बालगो	खतियान जीर्ण-शीर्ण है।	4212		शौचालय			10 - 15 m		शौचालय
13	8 वा० सं० बालगो	खतियान जीर्ण-शीर्ण है।	4213		दत्ता बाउड़ी बॉल			10 - 15 m		दत्ता बाउड़ी बॉल
14	8 वा० सं० बालगो	1349	3646		बाउड़ी बॉल			10 - 15 m		बाउड़ी बॉल
15	8 वा० सं० बालगो	293	3619		बाउड़ी बॉल			10 - 15 m		बाउड़ी बॉल

L.H.S of Downstream of Swarnrekha River

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sl No.	Ward No.	Khata No.	Plot No.	Area	Type of Structure	Within Revenue Boundary of River	Up to 10m From Revenue Boundary	10 - 15 m From Revenue Boundary	More than 15m From Revenue Boundary	Remarks
1	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3129	80'x15'	पक्का दिवाल टिन एस्बेट्स	✓				मानवी नगर निगम द्वारा निर्मित सब्जी मार्केट
2	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3129	80'x6'	पक्का दिवाल छत	✓				गुरूनानक हाई स्कुल का ऑडोटोरियम
3	10	जीर्ण-शीर्ण है।	Near 3128/ 3129	30'x20'	बास, झोपड़ी		0 – 10			गाय बन्धा जाता है।
4	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3128	50'x10'	पक्का दिवाल		0 – 10			पक्का दिवाल छत नहीं है।
5	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3128	20'x40'	पक्का दिवाल एस्बेट्स		0 – 10			
6	10	जीर्ण-शीर्ण है।	4312	40'x40'	पक्का दिवाल छत		0 – 10			
7	10	जीर्ण-शीर्ण है।	4312	30'x30'	पक्का दिवाल Near सिढ़ी		0 – 10			
8	10	जीर्ण-शीर्ण है।	4312	10'x10'	बास बल्ली झोपड़ी		0 – 10			
9	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3517	40'x30'	मंदिर		0 – 10			
10	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3487	25'x25'	बांस बल्ली बांउड्री		0 – 10			
11	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3487	100'x40'	बांउड्री वॉल			10 – 15		
12	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3487	30'x20'	मकान			10 – 15		
13	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3489	30'x20'	मकान			10 – 15		
14	10	जीर्ण-शीर्ण है।	3489	30'x20'	मकान			10 – 15		
15	10	जीर्ण-शीर्ण है	3517	30x40	पक्का दिवाल	✓				बाउड्रीवाल, पोस्ट ऑफिस रोड तथा शांति नगर का जंक्शन

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाण्डिल।

पत्रांक– 1160

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
चाण्डिल।

सेवा में,

अपर उपायुक्त,
सरायकेला–खरसावाँ।

चाण्डिल, दिनांक– 10.11.23

विषयः– **माननीय N.G.T में दायर वाद O.A No 567/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में Dalma Wild Life Sanctury के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न संरचनाओं का जाँच करने के संबंध में।**

प्रसंगः– जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 390(A)/वि0, दिनांक 28.10.2023।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि खरकई नदी एवं सुवर्णरेखा नदी के confluence point से नदी के किनारे से कपाली क्षेत्र तक का निर्मित संरचनाओं का भौतिक सत्यापन अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से कराया गया। विस्तृत विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कृपा किया जाय।

अनु– यथोक्त।

विश्वासभाजन

10.11.23
अंचल अधिकारी
चाण्डिल

10/11/23
EE
SDO Jkr

नजरी नक्शा

नाम ग्राम - डोबो
थाना - चाण्डिल
थाना नं० 331
जिला - सिंहभूम
पैमाना - 16" = 1 मील
सन् - 1958 - 59 ई०

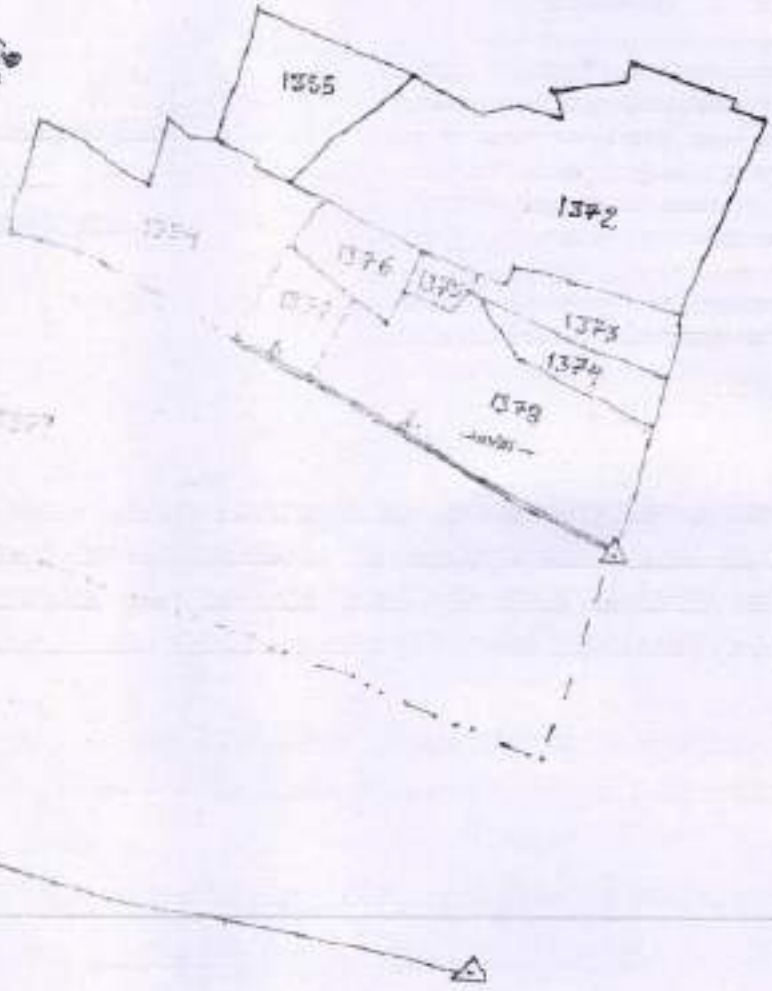

क्र सं०	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	चतुर्दीमाना से 15 मीटर तक संरचना	संरचना का प्रकार एवं निर्माणकर्ता का नाम
1.	डोबो		1377	150' लम्बाई	टी-1 का चारदीवारी AAKASH INDIA RIVERA
2	डोबो		1378	62.0' लम्बाई	टी-1 का चारदीवारी AAKASH INDIA RIVERA

Kamlesh Mahato
चाण्डिल

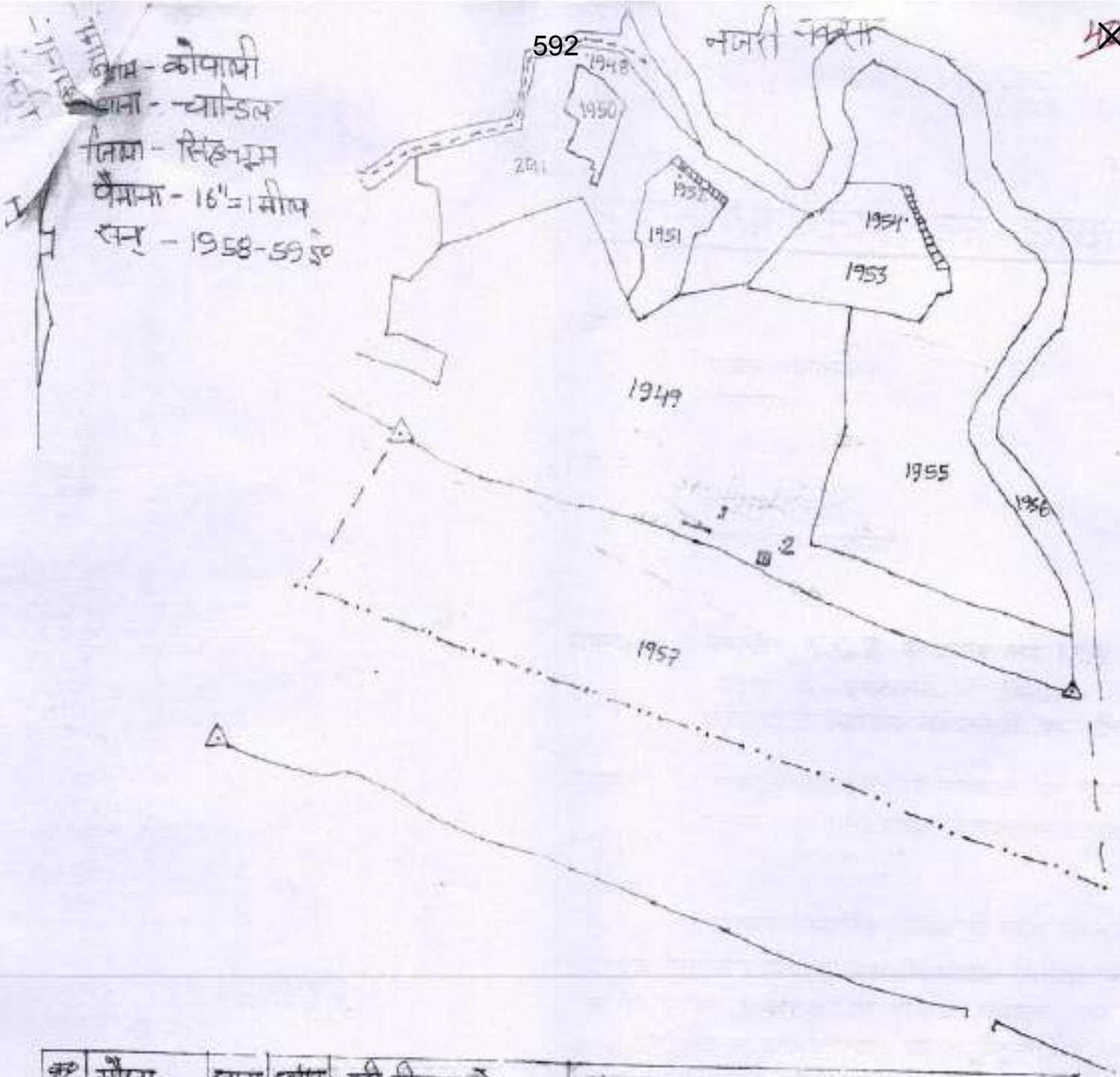

क्र० सं०	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	नदी सीमाना से 15 मीटर तक संरचना का रकबा	संरचना का प्रकार एवं निर्माण कर्ता का नाम
1.	कोपाली		1949	65' लम्बाई	समैल का चारदीवारी अलात व्यक्ति द्वारा
2.	कोपाली		1949	10'X12'	एसबेस्टस मकान अलात व्यक्ति द्वारा

Kamdev
उप प्रमोन
चाण्डिल

X

ग्राम – कोपापी
थाना – चान्डिल
जिला – सिंहभूम
पैमाना – 16" = 1 मील
सन् – 1958 – 59ई०

नजरी नक्शा

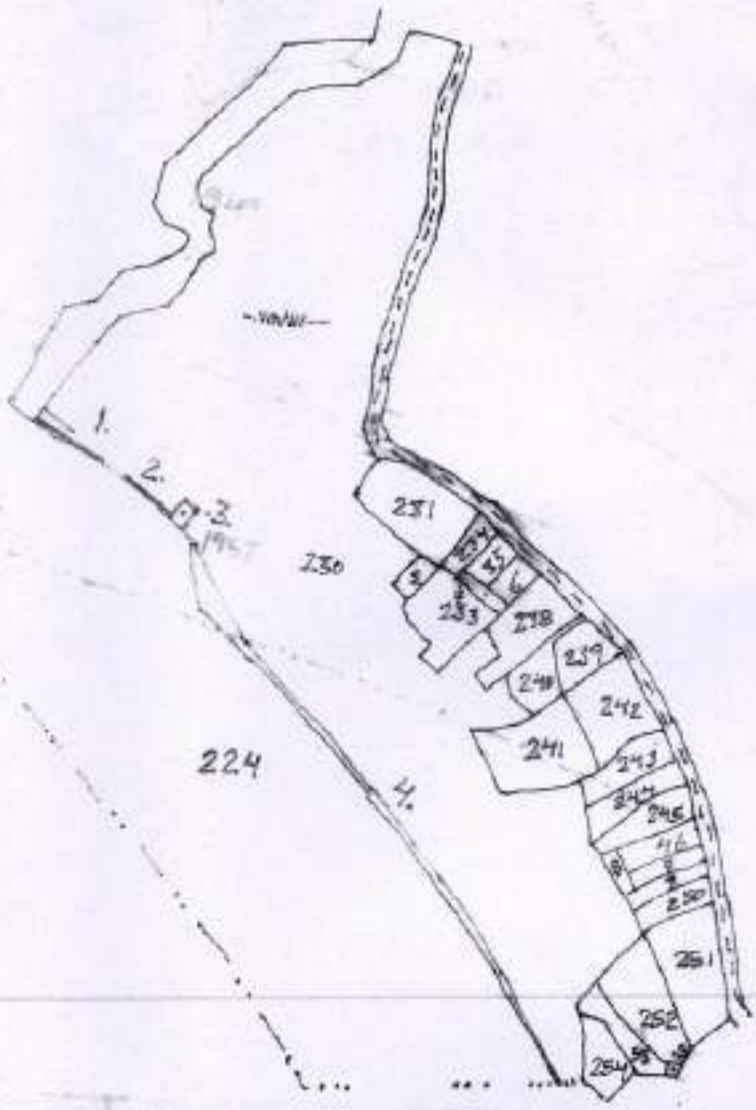

क्र० सं०	मौजा	खाता सं०	प्लॉट नं०	नदी सीमाना से 15 मीटर तक संरचना का रकबा	संरचना का प्रकार एवं निर्माण कर्ता का नाम
1.	कोपापी		230	160' लम्बाई	पक्का चारदीवारी मलान व्यक्ति द्वारा
2.	कोपापी		230	100' लम्बाई	पक्का चारदीवारी मलान व्यक्ति द्वारा
3.	कोपापी		230	32'×40'	टीना शेड मलान व्यक्ति द्वारा
4	कोपापी		230	1150' लम्बाई	पक्का चारदीवारी सीमेन्ट मलवत; पिट मॉल सहित

Kandra
मलमला
चानडिल

L.H.S of Downstream of Swarnrekha River										
Sl No.	Mouza /Thana no	Khata No	Plot No	Area	Type of structure	Within Revenue Boundary of River	Up to 10m From Revenue Boundary	10-15m From Revenue Boundary	More than 15m From Revenue Boundary	Remark
1	कपाली / 332	114	230	32'×40'	पक्का टीना का मकान		✓			अज्ञात
2	कपाली / 332	114	230	100 फीट (लम्बाई)	वाउन्ड्री वॉल		✓			अज्ञात
3	कपाली / 332	114	230	160 फीट (लम्बाई)	वाउन्ड्री वॉल		✓			अज्ञात
4	कपाली / 332	114	230	1550 फीट (लम्बाई)	वाउन्ड्री वॉल		✓			समीम अख्तर पि०—मो० सिद्दिक
5	कपाली / 332	476	1949	65 फीट (लम्बाई)	स्लैब का वाउन्ड्री वॉल		✓			अज्ञात
6	कपाली / 332	476	1949	10'×12'	ऐस्बेस्टस मकान		✓			अज्ञात
7	कपाली / 332		1860		पक्का मकान				15 — 25 मीटर	अज्ञात
8	कपाली / 332	368	1875		वाउन्ड्री				20 — 30 मीटर	अज्ञात
9	कपाली / 332	476	1949		वाउन्ड्री वॉल				20 — 30 मीटर	अज्ञात
10	कपाली / 332	476	1949		ऐस्बेस्टस मकान				20 — 30 मीटर	अज्ञात

594

57

L.H.S of Downstream of Swarnrekha River										
Sl No.	Mouza /Thana no	Khata No	Plot No	Area	Type of structure	Within Revenue Boundary of River	Up to 10m From Revenue Boundary	10-15m From Revenue Boundary	More than 15m From Revenue Boundary	Remark
1	डोबो / 331	102	1342		वाउड्री वॉल				15 – 20 मीटर	tata steel jusco
2	डोबो / 331	102	1354	100 फीट (लम्बाई)	स्लैब का वाउड्री वॉल		✓			अज्ञात
3	डोबो / 331	142	1377	150 फीट (लम्बाई)	टीना का चारदिवारी		✓			Aakash India Riviera
4	डोबो / 331	142	1378	620 फीट (लम्बाई)	टीना का चारदिवारी		✓			Aakash India Riviera
5	डोबो / 331	142 142 → 142 142	1374 1375 1376 1377 1378		बहुमंजिला भवन				18 – 25 मीटर	Aakash India Riviera

595

58

(Annexure – III)

कार्यालय–वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर
e-mail-rfodalmawl@gmail.com

पत्रांकः– 720 दिनांकः– 26.12.23

कार्यालयः उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना
पत्रांक 2435
दिनांक 26.12.2023.
जमशेदपुर

26/12/23 Court Section 26.12.2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर

विषय :– माननीय NGT में दायर वाद संख्या – O.A. No. 567/2023 में पारित आदेश के आलोक में विभागीय बैठक पत्रांक –351 दिनांक– 27.10.2023 एवं उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक – 390(A)/विधि, दिनांक – 28.10.2023 में दिये गये निदेश के अनुपालन में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– आपके कार्यालय का ज्ञापांक 1897 दिनांक 15.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र, जनशेदपुर के अन्तर्गत पारडीह, बालीगुमा, डिमना, निर्जाडीह, गेरूआ, पातीपानी एवं हलुदबनी उपपरिसर का स्थलीय जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है।

अतः श्रीमान् को आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक :– **यथोक्त।**

आपकी विश्वासी
26.12.2023
वन क्षेत्र पदाधिकारी
दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र,
जमशेदपुर।

Dalma Wildlife Sanctuary Zone

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डीए)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
1	बालीगुमा	10		803	2 एकड़	वास्तु विहार			
2	बालीगुमा	10		785, 782	2.30 एकड़	पाल सिटी आशियाना			
3	बालीगुमा	10		776	1.50 एकड़	इस्पात नगर			
4	बालीगुमा	10		798	0.10 एकड़	जय माँ तारा इस्पात गोडाउन			
5	बालीगुमा	10		798	0.05 एकड़	वृन्दावन होटल			
6	बालीगुमा	10		798	0.05 एकड़	वृन्दावन गैरेज			
7	बालीगुमा	10		799	0.10 एकड़	सीट गैरेज			
8	बालीगुमा	10		798	0.05 एकड़	पंजाब ट्रक एंड कार बॉडी सेंटर			
9	बालीगुमा	10		798	0.04 एकड़	दास भोजनालय			
10	बालीगुमा	10		800, 801	1.00 एकड़	आरएसी० इन्डस्ट्रीज			
11	बालीगुमा	10		798	0.20 एकड़	आर्यन ग्लास पैलेज			
12	बालीगुमा	10		798	0.50 एकड़	अपना रेस्टोरेन्स एन्ड लॉज			
13	बालीगुमा	10		798	0.50 एकड़	सुमन मोटर्स			
14	बालीगुमा	10		797	0.20 एकड़	माँ संतोषी इन्जीनियरिंग वर्कस			
15	बालीगुमा	10		793, 794	0.50 एकड़	भारत पेट्रोलियम			
16	बालीगुमा	10		425, 429, 430	0.03 एकड़	बालीगुमा होटल			

प्रभारी वनपाल
मानगो परिसर

597

60

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (Ha)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
17	बालीगुमा	10		430	0.03 एकड़	नन्दु चेड़देज			
18	बालीगुमा	10		420	0.04 एकड़	सुरज इण्टरप्राईजेज			
19	बालीगुमा	10		418	0.03 एकड़	साईबाबा रोड़ लाईन			
20	बालीगुमा	10		431	0.03 एकड़	मी० के० इन्टरप्राईजेज			
21	बालीगुमा	10		431	0.02 एकड़	श्री सिद्धी विनायक ट्रान्सपोर्ट			
22	बालीगुमा	10		422	0.02 एकड़	बालीगुमा राशन दुकान			
23	बालीगुमा	10		424	0.02 एकड़	आर्यन ऑटो इलेक्ट्रीक वर्क			
24	बालीगुमा	10		422	0.03 एकड़	रासन प्वाईन्ट			
25	बालीगुमा	10		773, 775	1.50 एकड़	Rivaah A Boutique Resort			
26	बालीगुमा	10		424	0.03 एकड़	विशाल ऑटो मैकेनिक			
27	बालीगुमा	10		766, 758	0.30 एकड़	Swarna Garden - A Unit of Ranjan Dhaba			
28	डिमना	10		19	0.10 एकड़	श्याम डेयरी			
29	डिमना	10		19	0.05 एकड़	AGCS FOOD & SPICES PVT.LTD			
30	डिमना	10		19	0.02 एकड़	माँ बनसा किराना स्टोर			
31	डिमना	10		19	0.03 एकड़	माँ काली मेडिकल			
32	डिमना	10		19	0.04 एकड़	दादा बोदी भोजनालय			

598

61

Amit Kr. Srivastava
प्रभारी वनपाल
बानगो परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डि)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
33	डिमना	10		20	0.10 एकड़	Smriti Seva Sadan Hospital			
34	डिमना	10		20	1.50 एकड़	R.V.S. School			
35	डिमना	10		21	0.10 एकड़	Dayal Steel Construction Pvt.Ltd			
36	डिमना	10		20, 21		R.V.S. Academy			
37	डिमना	9		1751	0.03 एकड़	डरी कुंज			
38	डिमना	9		1751, 1752	0.03 एकड़	माँ गौरी गल्स पी0जी0			
39	डिमना	9		1751	0.03 एकड़	जया कलेक्शन			
40	डिमना	10		19	0.03 एकड़	माँ तारा मेडिटेवल			
41	डिमना	10		19	0.02 एकड़	साई स्टोर			
42	डिमना	10		19	0.10 एकड़	आयुष स्टोर			
43	डिमना	9		1731	0.10 एकड़	पानी टंकी			
44	डिमना	9		1309, 1317, 1379		सिद्धू कान्हू स्कूल			
45	डिमना	9		1759	0.05 एकड़	गौरमेंट स्कूल			

Amrit Kr. Srivastava
प्रभारी वनपाल
मानगो परिसर

599

62

(48)

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (हे०)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
46	डिमना			1759		सामुदायिक भवन			
47	डिमना	9	382	1753,	0·23·10	हिल व्यू कोलोनी			
			382	1755,	0·23·70				
			382	1756,	0·09·50				
			382	1750,	0·42·20				
			212	1745,	0·12·40				
			212	1757,	0·42				
			212	1748,	0·46·50				
			212	1747,	0·33·50				
			212	1760,	0·13·70				
			212	1761,	0·05				
			212	1762,	0·53				
			212	1763,	0·05·80				
			212	1764,	0·37·00				
			212	1766,	0·37·90				
			212	1767,	0·32·30				
			212	1768,	0·04·90				
			212	1770,	0·19·50				
			382	1775,	0·16·30				
			382	1771,	0·10·00				
			382	1772,	0·24				
			382	1775	0·13·50				

600

63

Amrit Jh. Diwan

प्रभारी वनपाल
सालगो परिसर

23/12/2023

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डीए)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
			382	1780,	0·35·30				
			382	1781,	0·29·30				
			382	1782	0·32·60				
			382	1783,	1·06·50				
			382	1784,	0·10·20				
			382	1775,	1·75·00				
			353	1303,	0·42·30				
			353	1304,	0·11·20				
			353	1306,	0·00·10				
			353	1309,	0·04·00				
			353	1310,	0·08·10				
			353	1311,	0·14·50				
			353	1312,	0·12·40				
			352	1313,	0·07·40				
			554	1327,	0·13·80				
48		9	554	1328,	0·00·50				
			554	1324,	0·01·30				
			554	1325,	0·26·20				
			554	1320,	0·09·70				
			554	1321,	0·15·00				
			554	1322,	0·09·90				
			554	1329,	0·05·10				
			554	1331,	0·01·30				
			554	1332,	0·06·40				
			534	1333,	0·00·30				
			23	1334,	0·12·20				
			554	1377,	0·13·81				
			554	1376,	0·02·10				
			122	1360,	0·17·00				
			123	1393,	0·01·20				
				5017					

रिपिट कॉलोनी

601

64

Amrit Kr. Srivastava

प्रभारी वनपाल
धालभूमगढ़ परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डीए)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
49	पारडीह	8		8	0.20 एकड	शौचालय			
50	पारडीह	8		18, 19		सिटी इन			
51	पारडीह	8		20		एक्का भोजनालय			
52	पारडीह					बाइन शॉप			
53	पारडीह					प्रिती भोजनालय			
54	पारडीह					सृष्टी पार्टर्स एन्ड गैरेज			
55	पारडीह	8		23		अपोलो टायर			
56	पारडीह					नमला होटल न्यू बिल्डींग			
57	पारडीह	8		29		मेडीको बिल्डर्स			
58	पारडीह	9		250		इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प			
59	पारडीह	9		250		न्यू बिल्डींग			
60	पारडीह	9		249	0.03 एकड़	सरकारी शौचालय			
61	पारडीह	9		251	0.04 एकड़	सुमन जेन्टस ब्यूटी पार्लर			
62	पारडीह	9		251	0.03 एकड़	लक्ष्मी भोजनालय			

602

65

Amit K. Srivastava

प्रभारी वनपाल

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डीh)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
63	पारडीह	9		251	0.04 एकड़	सेन मोटर्स			
64	पारडीह	9		245	0.02 एकड़	शिव मंदिर			
65	पारडीह	9		246, 247	1.50 एकड	पारडीह सरकारी स्कूल			
66	पारडीह	9		251	0.02 एकड़	कृष्णा मोटर्स			
67	पारडीह	9		251	0.03 एकड	यूनिवर्सल मेडिकल			
68	पारडीह	9		246	0.07 एकड़	Abid Car AC expart			
69	पारडीह	9		205	0.05 एकड़	वाशिंग पाइन्ट			
70	पारडीह	9		204	0.04 एकड़	एस0एन0 अल्यूमियम वर्कस			
71	पारडीह	9		207, 208		उषा मोटर्स			
72	पारडीह	9		200, 201	0.06 एकड़	गुलाम शीट वर्क शॉप			
73	पारडीह	9		200	0.03 एकड	एस0 के0 जी0 वर्कस			
74	पारडीह	9		209, 198		बैलकन स्टील			
75	पारडीह	9		197	0.04 एकड़	भारती भवन			
76	पारडीह	9		197	0.03 एकड़	दादा मिट एन्ड चिकेन शॉप			
77	पारडीह	9		93	0.02 एकड़	हरि मंदिर			

603

66

Amit K. Srivastava

प्रभारी वनपाल
मानगो परिसर

23/10/2020

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी०)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
78	पारडीह	9		186, 187	0.06 एकड़	माँ उर्मिला डोटल			
79	पारडीह	9		188	0.02 एकड़	नालन्दा बैटरी			
80	पारडीह	9		178	0.04 एकड़	इण्डीया कार डेकोरेशन			
81	पारडीह	9		176	0.03 एकड़	शर्मा वेलोथ सेटर			
82	पारडीह	9		176	0.03 एकड़	माँ मेडिकल			
83	पारडीह	9		176	0.04 एकड़	ईशान ऑटो मोबाईल			
84	पारडीह	9		175	1.00 एकड़	शिव टाईल्स			
85	पारडीह	9		162		S.R.K Steel Traders			
86	पारडीह	9		162		श्री बालाजी मोबाईल			
87	पारडीह	9		162		वाशिंग सेटर			
88	पारडीह	9		159		A.M.T.M Pvt Ltd			
89	पारडीह	9		120		Old Godown			
90	पारडीह	9		120		Maruti Suzuki Arena			
91	पारडीह	9		119, 123		Shib Kumar ASTHAL APARTMENT			
92	पारडीह	9		87, 115		Maa Durga Body Builder			
93	पारडीह	9		87		Tils Godown			

604

67

Amit Ld. Sirator.

प्रभारी धनपाल
वनक्षेत्र पारडीह

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डि०)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
94	पारडीह	9		18, 19		Shurda city			
95	पारडीह	9		1660	0.20 एकड	पानी टंकी			
96	पारडीह	9		1660	0.50 एकड	स्वास्थ्य केन्द्र			
97	पारडीह	9		1675		प्राथमिक विद्यालय			

Amrit Kr. Srivastava

प्रभारी वनपाल
मानगो परिसर

Dalma Wildlife Sanctuary Zone

Sl No	Ward No	Khata No	Plot No	Area (एकड)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
1	मिर्जाडीह	48	176	0.03	एस०एस०इस्टेक इण्डिया प्रा०लि०			
			177	0.06				
			178	0.18				
			179	0.06				
2	मिर्जाडीह	48	410	0.39	धनवन्ती डिस्ट्रब्युटर प्रा०लि० पक्का चारदीवारी गोदाम			
			417	0.1				
3	मिर्जाडीह	12	273	1.32	मसेर्स ब्लुमुन कन्सट्रक्सन प्रा०लि० कम्पनी			
			285	5.32				
			288	0.09				
4	मिर्जाडीह	31	282	0.58	M/S S.P.G Enterprise पक्का चारदीवारी गाय सेड			
			283	0.44				
			272	0.46				
			253	0.18				
			272	0.23				
			282	0.27				
			253/A	0.27				
5	मिर्जाडीह	31	182	0.36	M/S S.P.G Enterprise पक्का चारदीवारी गैरेज			
			165	0.36				
			175	0.44				

606

69

Amrit Lal Sivastava,
प्रभारी वनपाल

6	मिर्जाडीह	107	261	0.34	M/S [illegible] Enterprise पक्का चारदीवारी एवं गोदाम			
			270	0.67				
			277	1.36				
7	मिर्जाडीह	31	275	0.88	M/S S.P.G Enterprise चारदीवारी			
8	मिर्जाडीह	29	263	0.06	M/S S.P.G Enterprise गोदम एवं पक्का चारदीवारी			
			264	0.2				
			268	0.15				
			269	0.09				
		32	265	0.26				
			266	0.56				
9	मिर्जाडीह	12	324	0.53	जय माता दी इन्ट प्राईजेज चारदीवारी			
			309	0.08				
			339	0.19				
			343	0.87				
			345	0.12				
			323	0.10				
10	मिर्जाडीह	85	1175	0.43	मेसर्स चन्द्रा आकाश प्रा०लि० कम्पनी झाड़ी			
			1177	1.34				
			1178	0.35				
			1179	0.09				
11	मिर्जाडीह	48	321	0.75	M/S धनवन्ती डिस्ट्रब्युटर प्रा०लि० पक्का चारदीवारी			
12	मिर्जाडीह	38	694	0.63	आनन्द विहार प्रोमोटर एवं डेवलपर्स प्रा०लि० पक्का चारदीवारी			
			695	2.29				
			693	1.73				
			708	0.23				
			709	0.12				
			710	0.12				

607

70

प्रभारी वनपाल
मानगो परिसर

13	मिर्जाडीह	85	1175	0.35	A.D.L साइन स्कुल बिल्डींग एवं चारदीवारी			
			1178	0.3				
			1179	1.16				
			1180	0.91				
			1182	0.09				
14	मिर्जाडीह	54	940	0.13.75	पक्का चारदीवारी एवं टीना शेड पानी फिल्टर प्लान्ट			
15	मिर्जाडीह	125	1091	2.25	S.T.P Ltd अलकतरा फैक्ट्री			
			1092	0.04				
			1093	0.1				
			1094	2.52				
16	मिर्जाडीह	130	649	0.42	पारिक ईन प्रा०लि० टीना शेड एवं पक्का चारदीवारी मकान			
			650	0.03				
			640	0.02				
			639	0.13				
			641	0.6				
			642	0.15				
			643	0.05				
			644	0.88				
			648	0.69				
			585	0.33				
17	मिर्जाडीह	122	937	0.67	ज्ञान गंगा पब्लीक स्कुल			
			938	0.33				
18	मिर्जाडीह	132	72	72	गाय पालन टीना शेड			
19	मिर्जाडीह	85	1188	1.1	संत श्री आशारामजी आश्रम पक्का चारदीवारी			
			1189	0.28				
			1190	0.59				
			1191	1.74				
			1192	0.05				
			1198	1.74				
			1199	0.46				

608

71

प्रभारी वनपाल
मानगो परिसर

			260	0.63				
20	गेडुआ	111	261	1.56	SRG Iron and Steel (P) Ltd			
			262	1.21				
21	गेडुआ	28	698	0.33	एम०एस० पुजा इन्टरप्राईजेज			
22	गेडुआ	24	778	0.75				
23	गेडुआ	43	40	0.63.50	ईण्डेन गैस गोदाम			
24	गेडुआ	1	143	0.13	फैबर्सब्लाक ईट्ट प्लान्ट			
			144	0.02				
25	गेडुआ	14	485	0.59	फैबर्सब्लाक ईट्ट प्लान्ट वर्तमान बन्द है।			
26	गेडुआ	58	259	1.4.50	विनीद कुमार सिंह कन्स०प्रा०लि० पक्का चारदीवारी			
27	गेडुआ	57	243	0.02	पतंजली ट्रस्ट पक्का चारदीवारी			
			241	0.17				
28	गेडुआ	31	232	0.14	पतंजली ट्रस्ट मकान एवं पक्का चारदीवारी			
			2397	0.15				
			231	0.11				
		32	231	0.09				
			233	0.30				
		58	242	0.30				
29	पातिपानी	2	269	0.86	गोदाम एवं गाड़ी पार्किंग पक्का चारदीवारी			
30	पातिपानी	1	270	0.61	फेवर्स ब्लाक ईट प्लान्ट वर्तमान बन्द है।			
31	पातिपानी	44	201	2.34	फलाईएएस ईट्ट प्लाट			
32	पातिपानी	2	233	0.31	गाय पालन पक्का चारदीवारी			
33	पातिपानी	40	235	0.72	गाय पालन पक्का चारदीवारी			

609

72

प्रभारी वनपाल

(58)

34	पातिपानी	44	237	2.10	गिट्टा बालु मिक्सचर प्लान्ट			
35	पातिपानी	39	137	0.17	फलाईएएस ईट्ट प्लाट			
36	हलुदवनी	22	245		लाईन होटल			
37	हलुदवनी	22	360	0.38	गाड़ी पार्किंग एवं चारदीवारी			
			361	0.69				
38	हलुदवनी	29	198	0.38	S.S Engineers Works Shop			
			199	0.31				
39	हलुदवनी	44	12	1.02	पुलिस कैम्प			

Amit Kr. Srivastava

प्रभारी वनपाल
बलगो परिसर

610

73

59

कार्यालय–वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र, चाण्डिल
e-mail-dalmawestrfo@gmail.com

पत्रांकः– 577 दिनांकः– 22.12.2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

22/12/23 Asst. Section

विषय :– माननीय NGT में दायर वाद संख्या – O.A. No. 567/2023 में पारित आदेश के आलोक में विभागीय बैठक पत्रांक –351 दिनांक– 27.10.2023 एवं उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक – 390(A)/विधि, दिनांक – 28.10.2023 में दिये गये निदेश के अनुपालन में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– आपके कार्यालय का ज्ञापांक 1887 दिनांक 15.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र, चाण्डिल के अन्तर्गत आसनबनी, कान्दरबेड़ा, रामगढ़, शहरबेड़ा, चेलियामा, एवं पितकी उपपरिसर का स्थलीय जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है।

अतः श्रीमान् को आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

For आपका विश्वासी
22.12.2023
वन क्षेत्र पदाधिकारी
दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र,
चांडिल।

Dalma Wildlife Sanctuary Zone

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
1	आसनबनी			2580	35 डी0				
2					10 डी0			शिव मंदिर	
3					10 डी0			4 घर आवास	
4				2579	7 डी0			RFO Quarter	
5					19 डी0			1 पक्का मकान	
6								2 एसबेस्टस दुकान	
7				2576, 2577, 2578	270 ए0			इलेक्ट्रीक सब स्टेशन	
8				2297, 2299, 2298, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305,2306/a, 2307/a, 2309/a, 310/a,2311/a,2312/a, 2313,2314, 2315, 2316, 2317/a, 2318/a, 2319/a	9 ए0 30 डी0			Golden Leaf Resort	
								Ashiana wood land (185 पक्का मकान)	
9				2319	93 डी0			2 पक्का मकान	
10				2317	9 डी0			1 पक्का मकान 1 एसबेस्टस मकान, 2 कच्चा मकान	
11				2317	8 डी0			1 पक्का मकान 1 एसबेस्टस मकान, 1 कच्चा मकान	
12				2320	12 डी0			1 पक्का मकान 1 हरि मंदिर	

612

75

Kanaku 24/4/17

Wild -

Sagar Kumar
प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
13				2325	4 डी0			1 पक्का मकान	
14				2312	50 डी0			Ganapati Engineering workshop	
15				2312	18 डी0			पक्का मकान 2 एसबेस्टेश मकान,	
16					5 डी0			टिना शेड वेयर हाउस	
17				2312, 2308, 2309, 2310, 2342	3 ए0 28 डी0			TM International Logistic Ltd, Ganapati Engineering workshop	
18				2342, 2347, 2344	70 डी0			TM ware house (closed)	
19				2283, 2284	50 डी0			Slab boundry wall	
20				2282, 2285	30 डी0			Fly Ash ईट भट्टा	
21				2286, 2287	35 डी0			माँ अन्ने गैरेज	
22				2338, 2339, 2340, 2341, 2347,2360,2361,2362,2363,2364,2	2 ए0 65 डी0			Associate Engineering work	
23				2328	20 डी0			vishal sales work House	
24					5 डी0			1 पक्का मकान	
25				2328	15 डी0			3 पक्का मकान 4 एसबेस्टेश मकान	

613

76

Kunder Singh

Sagar Kumar
प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
26				2223	5 डी0			1 पक्का मकान 1 एसबेस्टस मकान	
27				2321	5 डी0			1 पक्का मकान 1 कच्चा मकान	
28				2322	6 डी0			1 पक्का मकान 1 कच्चा मकान	
29				2323, 2327	4 डी0			2 एसबेस्टस मकान	
30			403	2499, 2498	15 डी0			JSR steel Trader ware	
31				2499, 2498	4 डी0			लखबीर सिंह ढाबा	
32				2499	40 डी0			Indian Oil Petrol Pump (Near Kali Mandir)	
33				2495, 2490	30 डी0			8 पक्का मकान 1 एसबेस्टस मकान 1 होटल	
34				2483	42 डी0			1 Truck Garage (MSH Automobile)	
35				2483	20 डी0			4 पक्का मकान 3 कच्चा मकान	
36				2470	80 डी0			Truck Garage	
37				2470	18 डी0			4 पक्का मकान	
38				2470	6 डी0			1 पक्का दुकान	
39				2475	17 डी0			2 पक्का मकान	
40				2440	10 डी0			Truck Garage Shop	

614

77

Karnder 21/1/17 @Ltr-

सहायक निदेशक
वन्यजीव परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
41				2434, 2435, 2436	1.00 एकड़			Tata Parking, Radhaani Engineering	
42				2438, 2439	40 डी0			Washing center	
43				2430, 2432, 2433	14 डी0			6 पक्का मकान	
44				2593	70 डी0	टिपा शेड – बाउन्ड्री वॉल			
45				2416, 2417	23 डी0	1 बाउन्ड्री वॉल			
46				2414,	10 डी0	1 पक्का मकान 3 एसबेस्टस मकान			
47				2417, 2413, 2414, 2416	40डी0				
48				2201	85 डी0	2 पक्का बाउन्ड्री वॉल			
49				2196, 2197, 2200, 2201	80 डी0	Paper Factory			
50				2412	11 डी0	1 पक्का मकान 4 एसबेस्टस मकान			
51				2186	6 डी0	1 पक्का मकान 2 कच्चा मकान			
52				2185	85 डी0	4 पक्का मकान 11 एसबेस्टस मकान 6 कच्चा मकान			
53				2172	75 डी0	नन्दानीरि मार्बिल			
54				2170, 2171	50 डी0	रवि ट्रान्सपोर्ट सर्विस			
55				2170	35 डी0	Work Shop (Iron)			
56				2171	38 डी0	A.M. Enterprises			

615

78

Karadey 2417

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

64

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
57				2155, 2167, 2168	45 डी0	Garage			
58				2155, 2156, 2167	77 डी0	NEST - IN (Garage-workshop)			
59				2151, 2154, 2155, 2156	90 डी0	2 पक्का मकान 1 पक्का बाउन्ड्री वॉल			
60				2152	6डी0	3 एसबेस्टश मकान			
61				2279	5 डी0	2 कच्चा मकान			
62				2280	5 डी0	2 कच्चा मकान			
63				2252	5 डी0	2 कच्चा मकान			
64				2255	8 डी0	3 कच्चा मकान			
65				2256	10 डी0	4 कच्चा मकान			
66				2269	5 डी0	2 कच्चा मकान			
67				2270	2 डी0	1 कच्चा मकान			
68				2271	3 डी0	1 कच्चा मकान			
69				2272	2 डी0	1 एसबेस्टश मकान			
70				2273	2 डी0	1 एसबेस्टश मकान			
71				2274	5 डी0	2 कच्चा मकान			
72				2275	15 डी0	6 कच्चा मकान 1 एसबेस्टश मकान			
73				2277	2 डी0	1 कच्चा मकान			
74				2392	6 डी0	3 एसबेस्टश मकान			
75				2392	5 डी0	2 पक्का मकान			

616

79

Kamdev Bhatt (ACF)

प्रभारी वनपाल
कलमा परिसर.

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
76				2393, 2394	9 डी0	Jharkhand washing center			
77				2393, 2394, 2395, 2396	17 डी0	Hotel Tata Highway			
78				2396	9 डी0	4 एसबेस्टश मकान 2 पक्का मकान			
79				2396	23 डी0	Factory (New Teck Engineering) "Gurmeet Singh"			
80				2397, 2398	35 डी0	New Fabrication workshop			
81				2398	5 डी0	1 पक्का दुकान			
82				2399	4 डी0	1 पक्का दुकान			
83				2398, 2399	30 डी0	Diamond Motor Garage			
84				2399, 2411	31 डी0	Apollo Tyre work house			
85				2411	3 डी0	1 पक्का मकान			
86				2329	23 डी0	1 पक्का मकान 8 कच्चा मकान 2 एसबेस्टश मकान			
87				2329	20 डी0	1 बाउन्ड्री वॉल			
88				2331	4 डी0	2 एसबेस्टश मकान			
89				2332	6 डी0	2 पक्का मकान 2 कच्चा मकान			
90				2334	4 डी0	1 पक्का मकान 2 कच्चा मकान			

617

80

Kamdev Singh Asst.

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
91				2335	6 डी0	3 कच्चा मकान 1 एसबेस्टॉस मकान			
92				2336	4 डी0	2 कच्चा मकान			
93				2350	13 डी0	3 कच्चा मकान 3 एसबेस्टॉस मकान			
94				2351	2 डी0	1 कच्चा मकान			
95				2353	4 डी0	1 पक्का मकान			
96				2354	9 डी0	1 पक्का मकान 3 कच्चा मकान			
97				2357	5 डी0	2 एसबेस्टॉस मकान			
98				2358	5 डी0	1 एसबेस्टॉस मकान 1 कच्चा मकान			
99				2359	20 डी0	2 पक्का मकान 3 कच्चा मकान 4 एसबेस्टॉस मकान			
100				2367	38 डी0	6 पक्का मकान 11 कच्चा मकान			
101				2368	2 डी0	1 एसबेस्टॉस मकान			
102				2369	2 डी0	1 एसबेस्टॉस मकान			
103				2370	6 डी0	1 पक्का मकान 1 एसबेस्टॉस मकान			
104				2371	3 डी0	1 पक्का मकान			

618

81

Karadev

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
105				2372	2 एकड	12 कच्चा मकान			
106				2372	32 डी0	10 एसबेस्टस मकान			
107				2373	65 डी0	10 पक्का मकान 6 कच्चा मकान 2 एसबेस्टस मकान			
108				2374	6 डी0	2 पक्का मकान 1 कच्चा मकान			
109				2376	1 एकड	16 पक्का मकान 10 कच्चा मकान 12 एसबेस्टस मकान			
110				2377	56 डी0	11 पक्का मकान 6 कच्चा मकान 7 एसबेस्टस मकान			
111				2378	50 डी0	7 पक्का मकान 1 कच्चा मकान			
112				2380	2 डी0	1 हरि मंदिर			
113				2380	8 डी0	1 प्राईमरी स्कूल			
114				2380	20 डी0	4 पक्का मकान 4 एसबेस्टस मकान			
115				2375	2 एकड	80 कच्चा घर			
116				Forest	35 डी0	25 एसबेस्टस मकान			

619

82

Kamdev Singh

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
117				2382	11 डी0	1 कच्चा मकान 4 एसबेस्टॉस मकान			
118				2383	4 डी0	1 पक्का मकान			
119				2450	8 डी0	3 कच्चा मकान			
120				2452	3 डी0	1 एसबेस्टॉस मकान			
121				2453	2 डी0	1 पक्का मकान			
122				2454	25 डी0	1 पक्का मकान			
123				2456	3 डी0	2 एसबेस्टॉस मकान			
124				2457	7 डी0	3 एसबेस्टॉस मकान			
125				2458	9 डी0	1 कच्चा मकान 3 एसबेस्टॉस मकान			
126				2459	5 डी0	1 कच्चा मकान 1 एसबेस्टॉस मकान			
127				2460	3 डी0	1 पक्का मकान			
128				2462	10 डी0	4 कच्चा मकान			
129				2463	2 डी0	1 कच्चा मकान			
130				2464	5 डी0	1 पक्का मकान 1 एसबेस्टॉस मकान			
131				2484	25 डी0	10 पक्का मकान			
132				2485	1 एकड़ 18 डी0	15 पक्का मकान 5 कच्चा मकान 10 एसबेस्टॉस मकान			

620

83

Ramdev Hansda

Sagar Kumar
कुमारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
133				2486	45 डी0	11 पक्का मकान 5 कच्चा मकान 3 एसबेस्टेश मकान			
134				2487	16 डी0	3 पक्का मकान 4 एसबेस्टेश मकान			
135				2488	5 डी0	1 पक्का मकान			
136				2489		Company			
137				2496	15 डी0	6 पक्का मकान			
138				2136	24 डी0	6 कच्चा मकान 5 एसबेस्टेश मकान			
139				2137	5 डी0	1 पक्का मकान 1 कच्चा मकान			
140				2135	9 डी0	2 कच्चा मकान 2 एसबेस्टेश मकान			
141				1993	70 डी0	5 पक्का मकान 22 कच्चा मकान 6 एसबेस्टेश मकान			
142				1970	12 डी0	4 पक्का मकान 1 प्राथमिक विद्यालय			
143				1972	7 डी0	3 पक्का मकान			
144				1994	45 डी0	11 कच्चा मकान 9 एसबेस्टेश मकान			
145				2128	10 डी0	3 कच्चा मकान			

621

84

Kondle 21-11-1 Plot –

Sagar Kumar

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
146				1968	9 डी0	Mount View Hotel			
147				1973	5 डी0	1 बाउन्ड्री वॉल 3 कच्चा मकान			
148				1974	9 डी0	3 पक्का मकान			
149				1975	70 डी0	Aava auto comps pvt ltd (Engineering Product)			
150				1975	70 डी0	Schaffler Primer (India)Bearing Ltd			
151				1975	10 डी0	1 Godown			
152				1975	55 डी0	Closed Petrol Pump (BP)			
153				1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1975, 1976, 1977	7 एकड़ 50 डी0	Dalmanchal Hotel			
154				1978	4 डी0	1 एसबेस्टस मकान Closed the hut Hotel			
155				1978	5 डी0	1 पक्का मकान 1 कच्चा मकान			
156				1979	6 डी0	1 पक्का मकान 1 कच्चा मकान			
157				1979	3 डी0	1 बाउन्ड्री वॉल			
158				1981, 1982	10 डी0	Ananya Hotel			
159				1981	8 डी0	4 एसबेस्टस मकान			
160				1980, 1984	40 डी0	Maa Pavers & Tiles			
161				1985	8 डी0	1 कच्चा मकान			
162				1982	5 डी0	1 पक्का मकान			

622

85

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
163				1983, 2001	1.20 एकड़	Adani Wilmer Ltd			
164				2008, 2012, 2013, 2014	95 डी0	Akka Poultry Hatchery			
165				2019	5 डी0	2 एसबेर्स्टश मकान			
166				2019, 2020, 2105	65 डी0	S.R Enterprises (Ice Plant)			
167				2103, 2104	115 डी0	Bharbdwaz Body Builder			
168				2590		ASTPL LTD (Shreya Auto Mobil)			
169				2100	100 एकड़	Samsudeen Enterprises			
170				2100	15 डी0	टीना सेड			
171				2100	12 डी0	6 कच्चा मकान			
172				2102	14 डी0	4 कच्चा मकान 3 एसबेर्स्टश मकान			
173				2097, 2098	51 डी0	1 बाउन्ड्री वॉल			
174				2097	50 डी0	Delhivary Pvt Ltd			
175				2090, 2091, 2092, 2093, 2094	1.56 एकड़	Awtaar Enterprises			
176				2096, 2091	9 डी0	4 एसबेर्स्टश मकान			
177				2078, 2079, 2080, 2591	1.20 एकड़	TCI Godown			
178				2078, 2079, 2080	1.40 एकड़	10th Mile Stone Hotel			
179				2068	6 डी0	2 कच्चा मकान 1 झोपड़ी (होटल)			

623

86

Kamadev 3/11/21

प्रभारी वनपाल
कलमा परिक्षेत्र

(72)

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
180				2066	15 डी0	2 पक्का मकान ट्रक पार्किंग			
181				2065	10 डी0	2 एसबेस्टस होटल 1 पक्का मकान			
182				2064	6 डी0	1 एसबेस्टस मकान 1 पक्का मकान			
183				2062	1.40 एकड़	Tel Godown			
184				2054, 2055, 2062, 2057	2.56 एकड़	Shyam Metalics			
185				2057, 2056, 2058, 2059, 365, 366	3.20 एकड़	SHINE MOTORS			
186				360	12 डी0	6 कच्चा मकान			
187				357	8 डी0	4 कच्चा मकान			
188				354	2 डी0	1 पक्का मकान			
189				350	1.00 एकड़	Star Trailor Roadways			
190				350	10 डी0	4 एसबेस्टस मकान 1 पक्का मकान			
191				319	20 डी0	4 एसबेस्टस मकान 6 पक्का मकान			
192				316, 317	1.00 एकड़	बाउन्ड्री वॉल			
193				313	4 डी0	1 एसबेस्टस मकान 1 कच्चा मकान			
194				312	3 डी0	1 उप स्वास्थ्य केन्द्र			
195				232	2 डी0	1 एसबेस्टस मकान			

624

87

Kamdev Singh Deo

Sanjay Kumar

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
196				133, 134	78 डी0	OWM Logistic (Jamund Auto Pvt Ltd ware House)			
197				127	81 डी0	Asian Wood			
198				103, 106	52 डी0	टीना सेड			
199				105	37 डी0	New Balaji Traders (Scrap) माल			
200				116	2 डी0	1 एसबेस्टेश मकान			
201				119	3 डी0	1 पक्का मकान			
202				120	5 डी0	2 पक्का मकान			
203				123	10 डी0	1 पक्का मकान 4 कच्चा मकान			
204				124	9 डी0	4 एसबेस्टेश मकान			
205				125	2 डी0	1 एसबेस्टेश मकान			
206				7881	85 डी0	7 एसबेस्टेश मकान 1 बाउन्ड्री वॉल			
207				79, 80	61 डी0	टीना सेड			
208				43	10डी0	3 कच्चा मकान 1 टीना शेड			
209				65	9 डी0	3 एसबेस्टेश मकान			
210				67	4 डी0	2 एसबेस्टेश मकान			
211				68	5 डी0	2 एसबेस्टेश मकान			

Kamdev Singh (Adv.)

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

625

88

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
212				31	10 डी0	2 एसबेस्टेश मकान 1 टीना शेड			
213				70	5 डी0	1 कच्चा मकान 1 पक्का मकान			
214				2581	3 डी0	1 एसबेस्टेश मकान			
215				75	8 डी0	2 एसबेस्टेश मकान 1 पक्का मकान			
216				28	6 डी0	1 पक्का मकान			
217				18, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43	4.47 एकड़	C.J. Darel Pvt Ltd (Logistic)			
218				27, 21	1.37 एकड़	Bharat Benz Show Room			
219				20	9 डी0	1 एसबेस्टेश मकान 2 कच्चा मकान			
220				22, 23	6 डी0	1 एसबेस्टेश मकान 2 पक्का मकान			
221				26	3 डी0	1 झोपड़ी (होटल)			

626

89

Kamdev Ghatu

Saqar Kumar
प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Dalma Wildlife Sanctuary Zone

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (Acr)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
1	कान्दरबेड़ा			31	0.03 एकड़	दो मंजिला पक्का मकान			
2				32	0.08 एकड़	दलना हील होटल			
3				33	0.20 एकड़	New Naryan Tailar Service			
4				33	0.03 एकड़	Sindhi ware Fiver			
5				33	0.30 एकड़	Fiver Universal			
6				34, 35	0.10 एकड़	पक्का मकान			
7				37	0.03 एकड़	पक्का मकान			
8				37	0.02 एकड़	Labour Hotel			
9				37	0.03 एकड़	OM Road Live			
10				37	0.02 एकड़	वैष्णों माता दवाखाना			
11				37	0.02 एकड़	दासन दुकान			
12				37	0.03 एकड़	खपरैल मकान			
13				37	0.08 एकड़	पक्का मकान			
14				39	0.10 एकड़	पक्का मकान			
15				39	0.06 एकड़	पक्का मकान			
16				39	0.08 एकड़	खपरैल मकान–2 एस्बेस्टस मकान–2			
17				39	0.05 एकड़	एस्बेस्टस मकान–			
18				39	0.04 एकड़	एस्बेस्टस मकान–			
19				39	0.05 एकड़	पक्का मकान			
20				39	0.09 एकड़	पक्का मकान			
21				39	0.06 एकड़	सामुदायिक भवन, क्लब घर			

627

90

Kamlesh Sharma

RSI

Sagar Kumar

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (Acr)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
22				106	0.13 एकड़	3 पक्का मकान, 2 खपरैल मकान			
23				160	0.03 एकड़	1 पक्का मकान			
24				161	0.06 एकड़	2 खपरैल मकान			
25				167	0.17 एकड़	2 खपरैल मकान 3 एस्बेस्टस मकान			
26				166	0.03 एकड़	1 एस्बेस्टस मकान			
27				170	0.07 एकड़	1 पक्का मकान 2 एस्बेस्टस मकान			
28				194	0.07 एकड़	1 खपरैल मकान 1 एस्बेस्टस मकान			
29				83, 84	1.50 एकड़	बारुण्डी –1			
30				89	0.06 एकड़	1 खपरैल मकान 1 एस्बेस्टस मकान			
31				104	0.13 एकड़	1 खपरैल मकान 3 एस्बेस्टस मकान 1 पक्का मकान			
32				103	0.06 एकड़	1 खपरैल मकान 1 एस्बेस्टस मकान			
33				159	0.18 एकड़	1 घुआल घर 2 खपरैल मकान 1 एस्बेस्टस मकान 1 पक्का मकान			

628

91

Ramdev Bhatt

Sagar Kumar
प्रभारी वनपाल
कांसा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (Acr)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
34				39	0.19 एकड़	5 एस्बेस्टस मकान			
35				39	0.11 एकड़	3 पक्का मकान			
36				39	0.24 एकड़	8 एस्बेस्टस मकान			
37				39	0.04 एकड़	कच्चा मकान			
38				38, 35	0.08 एकड़	2 पक्का मकान मंजीत होटल			
39				55	0.06 एकड़	पक्का मकान			
40				55	0.06 एकड़	जगजीत होटल			
41				159	0.12 एकड़	दो मंजिला पक्का मकान			
42				89	0.20 एकड़	पक्का मकान			
43				90	0.10 एकड़	3 खपरैल मकान 1 एस्बेस्टस मकान			
44				89	0.03 एकड़	पुआल घर			
45				46	0.15 एकड़	1 खपरैल मकान 5 एस्बेस्टस मकान 1 पक्का मकान			
46				48	0.07 एकड़	1 एस्बेस्टस मकान 1 पक्का मकान			
47				49, 50	0.14 एकड़	ware House पक्का मकान			

Komdev 21/7/21

Sagar Kumar

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (Acr)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
48				52	0.05 एकड़	1 एस्बेस्टस मकान 1 पक्का मकान (डार्मकांटा)			
49				53, 54	0.09 एकड़	बाउण्ड्री –1			
50				504, 505	1.50 एकड़	Shamlina Boundary Building 2 मंजिला पक्का मकान			
51				506	0.20 एकड़	H.P. Petrol Pump			
52				506	0.10 एकड़	Tina Shed			
53				520	0.06 एकड़	Tina Shed			
54				558, 560	1.60 एकड़	Mithila Motor			
55				581	1.17 एकड़	Nirmal Transport			
56				564	0.09 एकड़	पक्का मकान			
57				564	0.04 एकड़	2 मंजिला पक्का मकान			
58				566	1.00 एकड़	Om Logistic			
59				613	0.02 एकड़	Tina Shed			
60				614, 617	0.12 एकड़	Puna Bombay Transport			
61				614	0.13 एकड़	पक्का मकान			
62				617	0.17 एकड़	1 टीना शेड 1 एस्बेस्टस मकान 1 पक्का मकान			
63				437, 438, 439	2.30 एकड़	Silver sand Resort			
64				266	0.18 एकड़	बाउन्ड्री –1			

630

93

Kamdin 21/4/14 Mehta

Sanjay Kumar Gupta
प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (Acr)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
65				264	0.45 एकड़	विद्यालय			
66				258	0.03 एकड़	पक्का मकान			
67				259	0.06 एकड़	Gurmeet Hotel			
68				259	0.05 एकड़	1 खपरैल मकान 1 पक्का मकान			
69				564	0.05 एकड़	1 पक्का मकान			
70				108	0.04 एकड़	1 खपरैल मकान 1 एस्बेस्टस मकान			
71				109	0.04 एकड़	1 खपरैल मकान			
72				110	0.04 एकड़	1 खपरैल मकान			
73				114	0.03 एकड़	1 खपरैल मकान			
74				87	0.10 एकड़	1 एस्बेस्टस मकान 1 पक्का मकान			
75				90	0.16 एकड़	5 एस्बेस्टस मकान 3 खपरैल मकान			
76				91	0.95 एकड़	कम्पनी			
77				105	0.02 एकड़	खपरैल मकान			
78				166	0.04 एकड़	कला केन्द्र			
79				159	0.10 एकड़	Subhechha Hotel			
80				159	0.09 एकड़	टेन्ट गैरेज			
81				159	0.11 एकड़	2 खपरैल मकान 1 एस्बेस्टस मकान 1 पक्का मकान			
82				158	0.04 एकड़	1 पक्का मकान			

631

94

Kamdev 31/1/19

प्रभारी वन परिसर कला परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (Acr)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
83				162	0.04 एकड	खपरैल मकान–			
84				160	0.03 एकड	पक्का मकान			
85				174	0.01 एकड	झोंपड़ी			
86				194	0.06 एकड़	1 खपरैल मकान 1 एस्बेस्टस मकान			
87				193	0.04 एकड	खपरैल मकान–			
88				192	0.02 एकड	खपरैल मकान–			
89				197	0.07 एकड़	2 खपरैल मकान 1 एस्बेस्टस मकान			
90				196	0.04 एकड	पक्का मकान			
91				195	0.03 एकड़	खपरैल मकान–			
92				248	0.03 एकड	एस्बेस्टस मकान			
93				249	0.03 एकड़	खपरैल मकान–			
94				894	0.09 एकड	3 पक्का मकान			
95				251	0.02 एकड	एस्बेस्टस मकान			
96				252	0.16 एकड	4 एस्बेस्टस मकान 2 पक्का मकान			
97				254	0.11 एकड	1 खपरैल मकान 2 पक्का मकान			
98				253	0.03 एकड़	एस्बेस्टस मकान,			
99				257	0.03 एकड	खपरैल मकान			
100				275	0.07 एकड	1 खपरैल मकान 2 पक्का मकान			

632

95

Kendra 8247

White

प्रभारी वनपाल

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (Acr)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
101				274	0.04 एकड़	1 खपरैल मकान 1 पक्का मकान			
102				272	0.04 एकड़	1 खपरैल मकान			
103				271	0.04 एकड़	एस्बेस्टस मकान,			
104				270	0.05 एकड़	1 एस्बेस्टस मकान 1 पक्का मकान			
105				151	0.06 एकड़	1 पक्का मकान			
106				211	0.03 एकड़	1 पक्का मकान			
107				166	0.03 एकड़	Tower - 2			
108				156	0.06 एकड़	ट्रैक्टर गैरेज			
109				562	0.06 एकड़	2 एस्बेस्टस मकान,			
110				556	0.09 एकड़	3 एस्बेस्टस मकान, 1 टीना शेड			
111				552	0.55 एकड़	कम्पनी			
112				551	0.60 एकड़	Petrol Pump			
113				551	0.33 एकड़	Boundary			
114				540	0.60 एकड़	B.P. Pump			
115				539	0.50 एकड़	Tata Genous Part			
116				541	0.45 एकड़	टीना शेड			
117				531	0.02 एकड़	3 मंजिला मकान			
118				532	0.02 एकड़	Tata Genous Part			
119				533	0.03 एकड़	Tata Genous Part			
120				530	0.30 एकड़	Boundary			

633

96

Kamdev 2/11/17

प्रभारी वनपाल
डलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (Acr)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
121				534	0.07 एकड़	Boundary			
122				535	0.15 एकड़	Boundary			
123				527	0.12 एकड़	3 एस्बेस्टस मकान,			
124				527	4.00 एकड़	Boundary			
125				501	0.15 एकड़	3 एस्बेस्टस मकान, 3 खपरैल मकान			
126				499	0.20 एकड़	1 टीना शेड 1 खपरैल मकान			
127				544		4 एस्बेस्टस मकान, 3 खपरैल मकान			
128				618	0.65 एकड़	२ आटा मील			
129				618	0.07 एकड़	1 पक्का मकान 2 एस्बेस्टस मकान,			
130				625	0.15 एकड़	मिक्चर प्लॉट			
131				626	0.33 एकड़	Ware House			
132				276	0.07 एकड़	1 पक्का मकान 2 खपरैल मकान			
133				279	0.07 एकड़	1 पक्का मकान 1 खपरैल मकान			
134				280	0.05 एकड़	1 पक्का मकान			
135				281	0.16 एकड़	3 पक्का मकान 2 एस्बेस्टस मकान, 2 खपरैल मकान			

634

97

Kamdev Mete

Sanjay Kumar
प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (Acr)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
136				284	0.08 एकड़	दो तल्ला सामुदायिक भवन			
137				427, 428, 430	1.88 एकड़	गोदाम			
138				115	0.03 एकड़	1 पक्का मकान			
139				118	0.14 एकड़	2 पक्का मकान 1 एस्बेस्टस मकान, 1 खपरैल मकान			
140				199	0.04 एकड़	खपरैल मकान			
141				200	0.07 एकड़	1 पक्का मकान 2 एस्बेस्टस मकान,			
142				246	0.02 एकड़	1 एस्बेस्टस मकान,			
143				247	0.05 एकड़	1 पक्का मकान 1 खपरैल मकान			
144				288	0.05 एकड़			1 पक्का मकान 1 खपरैल मकान	
145				286	0.06 एकड़			1 पक्का मकान 1 एस्बेस्टस मकान, 1 खपरैल मकान	
146				287	0.02 एकड़			1 खपरैल मकान	
147				423	0.06 एकड़			3 खपरैल मकान	
148				424	0.02 एकड़			1 खपरैल मकान	
149				425	0.04 एकड़			1 एस्बेस्टस मकान, 1 खपरैल मकान	

635

98

Kamdev Singh Date -

Sagar Kumar
प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (Acr)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
150				384	0.05 एकड़			1 एक्का मकान 1 खपरैल मकान	
151				385	0.09 एकड़			3 खपरैल मकान	
152				386	0.02 एकड़			1 खपरैल मकान	
153				387	0.06 एकड़			1 एस्बेस्टस मकान, 1 पक्का मकान	
154				289	0.02 एकड़			1 खपरैल मकान	
155				382	0.19 एकड़			4 एस्बेस्टस मकान, 5 खपरैल मकान	
156				382	0.05 एकड़			होटल	
157				381	0.05 एकड़			स्कूल	
158				343	1.00 एकड़			Boundary	
159				380	0.06 एकड़			1 एस्बेस्टस मकान, 2 खपरैल मकान	
160				383	0.02 एकड़			1 एस्बेस्टस मकान,	
161				299	0.03 एकड़			1 पक्का मकान,	
162				300	0.03 एकड़			1 खपरैल मकान,	
163				301	0.20 एकड़			2 एस्बेस्टस मकान, 4 खपरैल मकान, 2 टीना घर	
164				302	0.06 एकड़			1 एस्बेस्टस मकान, 1 पक्का मकान,	

636

99

Kamdev Hansda

Sanjay Kumar

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (Acr)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
165				304	0.05 एकड़			1 एस्बेस्टस मकान, 1 खपरैल मकान,	
166				303	0.05 एकड़			1 पक्का मकान, 1 खपरैल मकान,	
167				293	0.20 एकड़			4 पक्का मकान, 4 खपरैल मकान,	
168				292	0.09 एकड़			1 पक्का मकान, 3 खपरैल मकान,	
169				291	0.11 एकड़			1 एस्बेस्टस मकान, 2 खपरैल मकान, 2 पक्का मकान	
170				325	0.07 एकड़			4 एस्बेस्टस मकान,	
171				324	0.03 एकड़			1 एस्बेस्टस मकान,	
172				298	0.13 एकड़			1 एस्बेस्टस मकान, 2 खपरैल मकान, 1 पक्का मकान	
173				222	0.06 एकड़			खपरैल	
174				223	0.06 एकड़			1 एस्बेस्टस मकान, 1 खपरैल मकान,	
175				228	0.05 एकड़			2 झोपड़ी, 1 खपरैल मकान,	

637

100

Kamdeo Singh

Sanjay Kumar

प्रभारी वनपाल

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (Acr)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
176				229	0.04 एकड़			1 पक्का मकान	
177				295	0.06 एकड़			1 पक्का मकान 1 खपरैल मकान	
178				294	0.02 एकड़			1 एस्बेस्टस मकान,	
179				216	0.06 एकड़			1 टीना घर 1 पक्का मकान 1 खपरैल मकान	
180				217	0.02 एकड़			1 एस्बेस्टस मकान,	
181				218	0.05 एकड़			1 पक्का मकान 1 एस्बेस्टस मकान,	
182				219	0.04 एकड़			1 खपरैल मकान 1 एस्बेस्टस मकान,	
183				220	0.04 एकड़			1 खपरैल मकान	
184				221	0.10 एकड़			1 खपरैल मकान 1 एस्बेस्टस मकान,	
185				143	0.06 एकड़			1 अर्ध निर्माण मकान 1 खपरैल मकान	
186				144	0.04 एकड़			2 खपरैल मकान	
187				148	0.21 एकड़			3 पक्का मकान 4 खपरैल मकान	

638

101

Kanday 24hrs

Sagar Kumar
प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (Acr)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
188				149	0.09 एकड़			1 पक्का मकान 1 एस्बेस्टस मकान, 1 खपरैल मकान	
189				211	0.02 एकड़			1 पक्का मकान	
190				215	0.05 एकड़			1 पक्का मकान 1 खपरैल मकान	
191				128	0.03 एकड़			1 खपरैल मकान	
192				130	0.05 एकड़			1 खपरैल मकान 1 पक्का मकान	
193				133	0.05 एकड़			1 एस्बेस्टस मकान, 1 खपरैल मकान	
194				132	0.04 एकड़			2 खपरैल मकान	
195				146	0.05 एकड़			2 खपरैल मकान	
196				145	0.04 एकड़			2 खपरैल मकान	
197				719, 720	0.04 एकड़			2 खपरैल मकान	
198				297	0.23 एकड़			1 पक्का मकान 1 एस्बेस्टस मकान, 4 खपरैल मकान	
199				296	0.05 एकड़			1 पानी टंकी 1 खपरैल	

639

102

Kamdev 24H1 Dalma

Sagar Kumar
प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Dalma Wildlife Sanctuary Zone

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma WildEfe Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
1	रामगढ़			40,41	2 ए0 15 डी0	Ware House (Reliance Jiomart)			
2				44,746	12 डी0	Jai Maa Tarini Hotel (Ramgarh)			
3				94, 95	5 डी0	1 पक्का मकान			
4				97, 102, 103, 104	45 डी0	Boundry Wall			
5				109	12 डी0	3 पक्का मकान			
6				111	10 डी0	2 पक्का मकान 1 एस्बेस्टस मकान,			
7				750	5 डी0	Shatrughan Hotel			
8				750	7 डी0	Boundry Wall			
9				118	5 डी0	बाबा का ढाबा (होटल)			

640

103

Kamdev

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

89

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
10				125, 126	20 डी0	Truck Garrage			
11				125	1 डी0	हरि मंदिर			
12				149	40 डी0	13 कच्चा मकान, 5 एस्बेस्टस मकान, 1 पक्का मकान			
13				153	13 डी0	4 एस्बेस्टस मकान, 2 पक्का मकान			
14				154	55 डी0	1 Boundry Wall			
15				155, 160	65 डी0	GTI Truck Garrage			
16				165	60 डी0	Boundry Wall			
17				171	65 डी0	Scrap Godown			
18				175, 176, 177	1 एo 25 डी0	Banke Bihari Auto Motors Ltd. (Mahindra)			
19				180	45 डी0	BEBCO Trucking (Truck Garrage service Centre)			

641

104

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डेo)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
20				179, 180	60 डेo	Rachal Transport Co. (Truck Garrage)			

Kamlesh Jharkhand

Delhi –

प्रभारी वनपाल
वलमा परिसर

642

105

Dalma Wildlife Sanctuary Zone

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
1	शङ्खबेड़ा	02	166	384	3 डी0	कच्चा मकान (वरुण डांगर)			
2			166		5 डी0	पक्का मकान (शशी महतो)			
3			166		1 डी0	एस्बेस्टस मकान, बन्द			
4			166		5 डी0	एस्बेस्टस मकान, (पीओ रंजन पातबी)			
5			166		6 डी0	एस्बेस्टस मकान, (उत्तम माल)			
6			166		7 डी0	एस्बेस्टस मकान, (दुलाल चौधरी एवं लक्ष्मीकांत चौधरी)			
7			166		6 डी0	पुआल घर (लक्ष्मीकांत चौधरी)			
8			166		2 डी0	एस्बेस्टस मकान, (देवाशिष घोष)			
9			166		2 डी0	एस्बेस्टस मकान, (महेश्वर महतो)			
10			166		5 डी0	एस्बेस्टस मकान, (राधाकांत तन्तुवाई)			
11			166		2 डी0	एस्बेस्टस मकान, (युधिष्ठीर तन्तुवाई)			

643

106

Kendik Prasad

Sagar Kumar

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Werd No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between600 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
12			166		1 डी0	टीना रोड (सबुज कल्याण समिति शहरबेड़ा)			
13			166		3 डी0	एस्बेस्टस मकान, (बासुदेव तन्तुवाई)			
14			166		2 डी0	एस्बेस्टस मकान, (पक्तु तन्तुवाई)			
15			166		2 डी0	एस्बेस्टस मकान, (नंदलाल जागर)			
16			166	102, 103	91 डी0	राज्यकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय शहरबेड़ा			
17			166	15	3 डी0 3 डी0	दो तल्ला पक्का मकान कच्चा मकान (मिथुन घोष)			
18			166	25	10 डी0	एक तल्ला पक्का मकान (हरिपद महतो एवं गुरुपदो महतो)			
19				23	11 डी0	3 पक्का मकान (साइदेव महतो)			
20				21, 22	17 डी0	10 एस्बेस्टस मकान, (महेन्द्र सिंह)			
21				18	2 डी0	1 एस्बेस्टस मकान, (मती सिंह)			

644

107

Kamdev 31/1/14

Alok

Sanjay
प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डीh)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
22				17	2 डीh	1 एसबेस्टस मकान (बबलु सिंह)			
23					2 डीh	1 पक्का मकान (जीवन सिंह)			
24					2 डीh	1 कच्चा मकान (जीवन सिंह)			
25				94	3 डीh	1 एसबेस्टस मकान, (गुलाब तन्तुवाई)			
26				95	2 डीh	1 कच्चा मकान (निशीकांत तन्तुवाई)			
27				98	1 डीh	1 पक्का मकान (चन्द्र भूषण महतो)			
28				96	2 डीh	1 पक्का मकान (शंकर तन्तुवाई)			
29				97	2 डीh	पक्का मकान (निहाल महतो)			
30					2 डीh	कच्चा मकान (निहाल महतो)			
31				100	3 डीh	कच्चा मकान (निरंजन महतो)			
32					5 डीh	पक्का मकान (निरंजन महतो)			
33				100	2 डीh	पक्का मकान (नरेन महतो)			

645

108

Kamdev Satpathi

Sagar Kumar
प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

(94)

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
34				100	2 डी0	कच्चा मकान (खपैल छहतों)			
35				29	5 डी0		3 कच्चा मकान		
36				31	3 डी0		2 कच्चा मकान		
37							1 पक्का मकान		
38				30	4 डी0		2 पक्का मकान		
39				33	2 डी0		हरी मंदिर		
40				37	2.5 डी0		1 पक्का मकान		
41				38	4 डी0		1 पक्का मकान		
42							1 कच्चा मकान		
43				39	5 डी0		1 पक्का मकान		
44							1 कच्चा मकान		
45				40	4.5 डी0		2 पक्का मकान		
46							2 कच्चा मकान		
47				46	5 डी0		2 पक्का मकान		
48							2 कच्चा मकान		
49				47	4 डी0		1 पक्का मकान		
50							1 कच्चा मकान		
51				50	3 डी0		2 कच्चा मकान		
52				51	10 डी0		1 कच्चा मकान		
53							1 पक्का मकान		
54				58	14 डी0		8 कच्चा मकान		
55				77, 78	4 डी0		1 पक्का मकान		
56				32	2 डी0		1 पक्का मकान		
57				36	2 डी0		1 पक्का मकान		
58				41, 42	4 डी0		2 कच्चा मकान		

646

109

Sagar Kumar
प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी०)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
59				43	2 डी०		1 पक्का मकान		
60				55	15 डी०		3 कच्चा मकान		
61							4 पक्का मकान		
62				82	4 डी०		2 कच्चा मकान		
63				83, 84, 85	8 डी०		1 पक्का मकान		
64							2 कच्चा मकान		
65				92	6 डी०		1 पक्का मकान		
66							2 कच्चा मकान		
67				91	2 डी०		1 पक्का मकान		
68				130, 133, 134, 135, 135, 137, 185, 186, 184, 181, 136, 145, 204, 945, 140, 138, 141, 142, 181, 182	500 डी०			S.N.S ईंट भट्टा	
69				180, 181	20 डी०			6 कच्चा मकान	
70								8 पक्का मकान	
71				179	7 डी०			3 पक्का मकान	
72								2 एसबेस्टस मकान	
73				157	1 डी०			शिव मंदिर	
74				172, 173	13 डी०			5 कच्चा मकान	
75								2 पक्का मकान	
76				169	6 डी०			3 पक्का मकान	
77				381	10 डी०	6 पक्का मकान			
78					14 डी०	पक्का चार दिवारी			
79				373	147 डी०	पक्का चार दिवारी, चार हिस्सा खेत			
80				374	44 डी०	पक्का चार दिवारी,			
81				297	4 डी०	2 पक्का मकान			

647

110

Sagar Kumar
प्रभारी पदाधिकारी
दलमा वन्यप्राणी

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
82				285, 286	44 डी0		नवाणी शकर स्टोन क्रेशर, 2 एसबेस्टस मकान		
83				284	1 डी0		1 पक्का मकान		
84				283	9.5 डी0		4 पक्का मकान		
85				280	17 डी0		2 पक्का मकान		
86							1 कच्चा मकान		
87				279, 269	27 डी0		3 पक्का मकान		
88							5 कच्चा मकान		
89				324, 325, 326	183 डी0	1 पक्का चार दिवारी,			
90				104	13 डी0	3 पक्का मकान			
91						3 कच्चा मकान			
92				105	8 डी0	1 पक्का मकान			
93				106	8 डी0	1 कच्चा मकान			
94						3 पक्का मकान			
95				114	30 डी0	3 कच्चा मकान			
96						6 पक्का मकान			
97				251	4 डी0			3 झोपडी	
98				341, 818, 817, 826, 819, 825, 823, 820, 349, 348, 347, 346, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 850, 851, 858, 822, 821	25 एकड़			विश्वास ईट भट्टा	
99				455	6 डी0	1 पक्का मकान			1 पक्का मकान
100						4 कच्चा मकान			4 कच्चा मकान
101				484	70 डी0	3 एसबेस्टस मकान,			3 एसबेस्टस मकान,
102						9 कच्चा मकान			9 कच्चा मकान

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

648
111

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
103					22 डी0	4 एस्बेस्टस मकान,			4 एस्बेस्टस मकान,
104						6 कच्चा मकान			6 कच्चा मकान
105				727	99 डी0	14 एस्बेस्टस मकान,			
106						16 कच्चा मकान			
107						5 पक्का मकान			
108				894	5 डी0	1 एस्बेस्टस मकान,			
109						1 कच्चा मकान			
110						1 पक्का मकान			
111				711	2 डी0	1 पक्का मकान			
112				895	5 डी0	2 एस्बेस्टस मकान,			
113						2 कच्चा मकान			
114				916	6 डी0	2 एस्बेस्टस मकान,			
115						3 कच्चा मकान			
116				877	2.67 एकड़	1 पक्का चार दिवारी,			
117				822	4 डी0	1 पक्का मकान			
118				867	5 डी0	1 एस्बेस्टस मकान,			
119						1 पक्का मकान			
120				785	2 डी0	1 कच्चा मकान			
121				746	4 डी0	1 पक्का मकान			
122						1 कच्चा मकान			
123				726	3 डी0	1 पक्का चार दिवारी,			
124						1 एस्बेस्टस मकान,			
125				727	32 डी0	इलेक्ट्रीक सब स्टेशन, चार दिवारी, 1 पक्का मकान			
126				781	3 डी0	1 सरकारी स्कूल, 1 पक्का मकान			

649

112

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
127				955	2 डी0	1 एस्बेस्टस मकान,			1 एस्बेस्टस मकान,
128				385	4 डी0	1 सामुदायिक भवन, (4 पक्का मकान) 2 एस्बेस्टस मकान,			1 सामुदायिक भवन, (4 पक्का मकान) 2 एस्बेस्टस मकान,
129				965	7 डी0	1 एस्बेस्टस मकान,			1 एस्बेस्टस मकान,
130						1 पक्का मकान			1 पक्का मकान
131				454	1 डी0	1 एस्बेस्टस मकान,			1 एस्बेस्टस मकान,
132				451	1 डी0	1 कच्चा मकान			1 कच्चा मकान
133				484	10 डी0	6 एस्बेस्टस मकान,			6 एस्बेस्टस मकान,
134						3 कच्चा मकान			3 कच्चा मकान
135						1 पक्का मकान			1 पक्का मकान
136				705	9 डी0	4 एस्बेस्टस मकान,			4 एस्बेस्टस मकान,
137						2 कच्चा मकान			2 कच्चा मकान
138				650	4 डी0	4 कच्चा मकान			4 कच्चा मकान
139				703	12 डी0	1 एस्बेस्टस मकान,			1 एस्बेस्टस मकान,
140						6 कच्चा मकान			6 कच्चा मकान
141				652	4 डी0	2 एस्बेस्टस मकान,			2 एस्बेस्टस मकान,
142				700	21 डी0	6 कच्चा मकान			
143						2 एस्बेस्टस मकान,			
144				661, 662	4 डी0	2 कच्चा मकान			
145						1 एस्बेस्टस मकान,			
146				663, 664	3 डी0	2 एस्बेस्टस मकान,			
147				684	3 डी0	3 एस्बेस्टस मकान,			
148				964	24 डी0	3 कच्चा मकान			3 कच्चा मकान
149						1 पक्का मकान, 2 झोपड़ी			1 पक्का मकान, 2 झोपड़ी
150				418, 419	12 डी0	1 पक्का मकान			

650

113

Kanchan Bhatia

Sagar

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
151				[illegible]	[illegible]	1 एसबेस्टस मकान			
152				442	6 डी0	1 पक्का मकान			
153				447	6 डी0	सरकारी स्कूल, एक पक्का मकान			
154				444	1 डी0	1 कच्चा मकान			
155				445	15 डी0	5 कच्चा मकान			
156						2 पक्का मकान			
157				462	13 डी0	2 कच्चा मकान			
158						1 पक्का मकान			
159				419	2 डी0	हरि मंदिर			
160				468	3 डी0	1 कच्चा मकान			
161				469	17 डी0	8 कच्चा मकान			
162						3 पक्का मकान			
163				470	21 डी0	8 कच्चा मकान			
164						2 पक्का मकान			
165				472	3 डी0	1 पक्का मकान			
166				413	58 डी0	6 पक्का मकान			
167						8 कच्चा मकान			
168				418	2 डी0	1 पक्का मकान			
169				419, 420	11.5 डी0	3 कच्चा मकान			
170						1 पक्का मकान			
171				427	2 डी0	1 पक्का मकान			
172				430, 431	2 डी0	1 पक्का मकान			

651

114

Sagar Kumar
प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
173				[illegible]	[illegible]	3 कच्चा मकान			
174				432	10 डी0	4 कच्चा मकान			
175				433	2 डी0	1 कच्चा मकान			
176				435	9 डी0	5 कच्चा मकान			
177				585	3 डी0	सरकारी स्कूल, एक पक्का मकान			
178				586	37 डी0	14 एसबेस्टस मकान,			
179						6 कच्चा मकान			
180						1 पक्का मकान			

652

Kamdev 21/4/17

प्रभारी वनपाल
दलमा परिसर

115

(101)

Dalma Wildlife Sanctuary Zone

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
1	चेलियागा			2426	50 डी0	2 कच्चा मकान (गणेश महतो एवं मिलटन महतो)			
2				2273	2 डी0	3 कच्चा मकान (उदय महतो)			
3				2275	8 डी0	4 कच्चा मकान (शकी पदो महतो, चैतन महतो, गोलटु महतो)			
4				2275	10 डी0	2 कच्चा मकान (वकील महतो)			
5				2276	8 डी0	1 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (दुलाली महतो)			
6				2265	30 डी0	5 पक्का मकान सरकारी स्कूल			
7				2265	60 डी0	12 कच्चा मकान (रमेश टुडू, सुनाचन टुडू, मनोहर टुडू)			

653

116

Simon Tudu

प्रभारी वनपाल
चाकुलिया परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
8				2606	1 एकड़	15 कच्चा मकान 1 चबुतरा 1 जल मिनार (लक्ष्मण सबर एवं अन्य)			
9				2607	80 डी0	32 कच्चा मकान (बुधु सबर ,कृष्णा सबर सोनु सबर एवं अन्य)			
10				2230	2 डी0	1 कच्चा मकान (चैतन सबर)			
11				2231	2 डी0	1 कच्चा मकान (चैतन सबर)			
12				2232	2 डी0	1 कच्चा मकान (चैतन सबर)			
13				2234	2 डी0	1 कच्चा मकान (चैतन सबर)			
14				2280	12 डी0	1 कच्चा मकान (सरती महतो)			
15				2280	6 डी0	1 कच्चा मकान (परमील महतो)			
16				2280	2 डी0	1 कच्चा मकान (धुनकीया सिंह)			
17				2281	4 डी0	1 आंगनबाड़ी			

654

117

Simon Tudu

प्रभारी वनपाल
चाकुलिया परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
18				2572	6 डी0	2 कच्चा मकान (बेदुकपर सिंह, शुकचरण सिंह)			
19				2171	6 डी0	2 कच्चा मकान (दीनबन्धु सिंह)			
20				2170	6 डी0	2 कच्चा मकान (दीनबन्धु सिंह)			
21				2169	3 डी0	3 कच्चा मकान (जादव सिंह)			
22				2167	4 डी0	1 कच्चा मकान (दामोदर सिंह)			
23				2166	10 डी0	4 कच्चा मकान (धुलराज सिंह, दुर्योधन सिंह)			
24				2293	12 डी0	2 पक्का मकान (रूकडुल)			
25				2216	4 डी0	1 कच्चा मकान (दुशासण सिंह)			
26				2217	8 डी0	3 पक्का मकान (हरायन सिंह)			

655

118

Simon Tudu

प्रभारी वनपाल
चाकुलिया परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी०)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
27				2318	2 डी०	2 पक्का मकान (लालमोहन सिंह) 2 कच्चा मकान (जीतु सिंह)			
28				2319	3 डी०	2 कच्चा मकान (दुर्गापद सिंह)			
29				2320	3 डी०	2 कच्चा मकान (दुर्गापद सिंह)			
30				2322	5 डी०	2 कच्चा मकान (मृत्युंजय सिंह एवं दुलाल सिंह)			
31				2324	3 डी०	2 कच्चा मकान (दयाल सिंह)			
32				2324	2 डी०	2 कच्चा मकान (अजब सिंह)			
33				2324	4 डी०	2 कच्चा मकान (संजय सिंह)			
34				2323	5 डी०	3 कच्चा मकान (श्रवण सिंह)			
35				1910	7 डी०	3 कच्चा मकान (तारापद सिंह एवं जवाहरलाल सिंह)			

656

119

Simon Tudu
प्रभारी वनपाल
चाकुलिया परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
36				2149	12 डी0	5 कच्चा मकान (केशवती सिंह)			
37				2426	5 डी0	2 कच्चा मकान (संतोष सिंह)			
38				2425	5 डी0	2 कच्चा मकान (चम्पा सिंह)			
39				2419	5 डी0	2 कच्चा मकान (हीरालाल सिंह)			
40				2419	5 डी0	1 कच्चा मकान (गंगालाल सिंह)			
41				2417	10 डी0	3 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (कालीपद सिंह)			
42				2539	1 डी0	1 पक्का मकान मंदिर			
43				2416	5 डी0	1 कच्चा मकान (कमला देवी)			
44				3098	10 डी0	2 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (सृष्टीधर मांझी, गौड़ मांझी एवं युधिष्ठर मांझी)			
45				2538	10 डी0	1 कच्चा मकान (नारान सिंह)			

657

120

Simon Tudu

प्रभारी वनपाल
चाकुलिया परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
46				2534	5 डी0	1 पक्का मकान (सुकदेव सिंह)			
47				2534	5 डी0	1 पक्का मकान (शंकर सिंह)			
48				2398	15 डी0	2 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (संगल मांझी)			
49				2529	15 डी0	3 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (दलगोबिन्द सिंह एवं मानगोबिन्द सिंह)			
50				2357	20 डी0	3 पक्का मकान (बिरेन सिंह सरदार)			
51				1537	4 डी0	1 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (गगन सिंह)			
52				2536	8 डी0	3 कच्चा मकान (विश्वनाथ सिंह)			
53				2540	4 डी0	2 कच्चा मकान (देवीलाल सिंह)			
54				2522	9 डी0	3 कच्चा मकान (गुरूपद सिंह)			

658

121

Simon Tudu

प्रभारी वनपाल
चाकुलिया परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
55				2517	4 डी0	1 कच्चा मकान (गुरूपद सिंह)			
56				2521	2 डी0	1 कच्चा मकान (गुरूपद सिंह)			
57				2520	4 डी0	2 कच्चा मकान (बुधु सिंह)			
58				2518	3 डी0	2 कच्चा मकान (अमृता देवी)			
59				2518	2 डी0	1 कच्चा मकान (अनिल सिंह)			
60				2511	2 डी0	1 कच्चा मकान (अमर सिंह)			
61				2511	3 डी0	1 कच्चा मकान (जलेश्वरी सिंह)			
62				2541	4 डी0	1 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (सायनाथ सिंह)			
63				2510	4 डी0	1 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (सरव सिंह)			
64				2721	3 डी0	1 कच्चा मकान (पंचानन सिंह)			

659

122

Simon Tudu
भारी वनपाल
धाकुलिया परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
65				2721	3 डी0	1 कच्चा मकान (भरत सिंह)			
66				2721	3 डी0	1 कच्चा मकान (समर सिंह)			
67				2721	3 डी0	1 कच्चा मकान (सुकदेव सिंह)			
68				2721	3 डी0	1 कच्चा मकान (शुकदेव सिंह)			
69				2721	4 डी0	1 कच्चा मकान (रमनी सिंह)			
70				2509	4 डी0	4 कच्चा मकान (सनातन सिंह)			
71				2721	15 डी0	2 पक्का मकान (अनिल सिंह)			
72				2542	5 डी0	1 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (अनला सिंह)			
73				2544	2 डी0	2 पक्का मकान (कोकील सिंह)			
74				2506	5 डी0	1 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (मिथण सिंह)			

660

123

Simon Tudu
प्रभारी वनपाल
दाक्तिया परिसर

109

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डीh)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
75				2546	3 डीh	1 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (मथुर सिंह)			
76				2547	2 डीh	1 पक्का मकान (शंभु सिंह)			
77				2547	2 डीh	1 पक्का मकान (मोड़े सिंह)			

Simon Tudu
प्रभारी वनपाल
चकुलिया परिसर

661

124

Dalma Wildlife Sanctuary Zone

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी०)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure If Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
1	ऊपर पितकी			501	5 डी०	1 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (सुधांद सिंह)			
2				501	5 डी०	2 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (लखन सिंह)			
3				506	3 डी०	1 कच्चा मकान (धुरूप सिंह)			
4				523	4 डी०	2 कच्चा मकान (सुकदेव सिंह)			
5				523	6 डी०	3 कच्चा मकान (रूप सिंह, गोपाल सिंह)			
6				522		2 कच्चा मकान (कालीचरण सिंह सरदार)			
7				521	3 डी०	1 कच्चा मकान (कालीचरण सिंह सरदार)			
8				519	10 डी०	3 कच्चा मकान (कालीचरण सिंह सरदार)			
9				525	6 डी०	3 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (विनोद सिंह, आनन्द सिंह)			

662

125

Simon Tudu
प्रभारी वनपाल
नाकुलिया परिसर

(111)

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी०)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
10				491	3 डी०	1 पक्का मकान, (गुरूपद सिंह)			
11				492	3 डी०	2 कच्चा मकान, (गुरूपद सिंह)			
12				495	3 डी०	2 कच्चा मकान (संतोष सिंह)			
13				496	3 डी०	1 कच्चा मकान (संतोष सिंह)			
14				567	15 डी०	7 कच्चा मकान (आसनी सिंह, मंजु सिंह, कलावती सिंह)			
15				527	10 डी०	2 पक्का मकान 3 कच्चा मकान (शिवचरण सिंह सरदार, कुन्ती सिंह सरदार)			
16				515	4 डी०	1 कच्चा मकान (रवि सिंह)			
17				516	15 डी०	6 कच्चा मकान (रवि सिंह, रहिन सिंह, गणेश सिंह, रायमनि सिंह)			
18				532	3 डी०	1 पक्का मकान (रहिन सिंह)			

663

126

Simon Tudu
वन वनपाल
कलिया परिसर

Sl No	Village	Ward No	Khata No	Plot No	Area (डी0)	Structure Details upto 300 m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 300 m To 500m Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure Details between 500 M To 1KM Radius of Dalma Wildlife Sanctuary Boundary as Marked in the Map	Structure if Under Eco Sensitive Zone (Remarks)
19				560	6 डी0	1 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (धनक सिंह)			
20				551	4 डी0	2 कच्चा मकान (करमु सिंह, धरमु सिंह)			
21				550	4 डी0	2 कच्चा मकान (अरूण सिंह)			
22				550	10 डी0	3 कच्चा मकान 2 पक्का मकान (केशव सिंह)			
23				448	5 डी0	2 कच्चा मकान 1 पक्का मकान (विक्रम सिंह)			
24				543	6 डी0	2 कच्चा मकान			

664

127

वनपाल
चाकुलिया परिसर

(Annexure-IV)

X3

Photos 1&2: Photos of Aakash Riviera project (residential commercial complex) adjacent to River Subarnrekha.

Photo3:Photo of Aakash Riviera project adjacent to River Subarnrekha.

Photo4:Photo of iron steel structure for hoarding within 15m from Subarnrekha river boundary

Photo5:Photo of measurements taken during inspection of Aakash Riviera project.

Photo6:Photo of iron steel structure for hoarding within 15m from Subarnrekha river boundary

(Annexure-IV)

IX

Photo 7: Photo of boundary of metal, concrete at some portions of Aakash Riviera project.

Photo 8: Photo of bamboo-fabric windscreen on river side

Photo 9:Photo of some portions along metal boundary through which chances of silt flow towards river remain.

Photo10:Photo of measurements taken during inspection of Aakash Riviera project

Photo 11: Photo of measurements taken during inspection of Aakash Riviera project.

Photo12:Photo of portion where PP has to make arrang--ements so that there is no silt flow in River Swarnrekha

Photos 13& 14: Photos of some steel rods that were observed in the floor in the Aakash Riviera project.

Photo 15: Photo of concrete house with metal roof within 10-15 m from river Swarnrekha boundary.

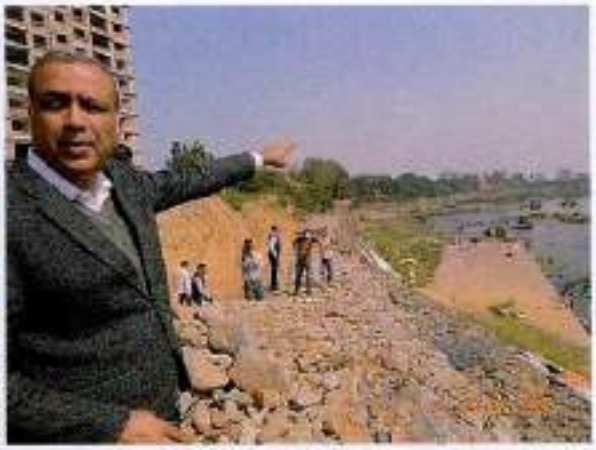

Photo16:Photo of Stone pitching work done on river bank for strengthening the bank and control erosion.

Photos 17&18:Photos of stone pitching work done on river bank for strengthening the bank and control erosion

Photos19& 20: Photos of NH 33 adjacent to city inn hotel/restaurant. Building opposite to city inn (white colour with provisions for bamboo for construction/painting) was within 300 m from the Dalma wildlife sanctuary.

Photo 21: Photo of the building within 300 m from Dalma wildlife sanctuary (see photo 19,20 also)

Photo22:Photo of large numbers of concrete buildings constructed within 300 m of Dalma wildlife sanctuary

Photos 23&24: Photos of large numbers of concrete buildings constructed within Dalma ESZ adjacent to National Highway.

Photos 25&26: Photos of large numbers of concrete buildings constructed within Dalma ESZ adjacent to National Highway.

Photos 27& 28: Photos of concrete buildings constructed within Dalma Ecosensitive zone.

Photo 29&30: Photos of concrete buildings constructed within Dalma Ecosensitive zone

Photo31&32:Photos of STP limited,Pipe production products division, Dimna Road, Jamshedpur . The project was with in Dalma wildlife sanctuary.

Photo33&34:Photos of STP limited,Pipe production products division, Dimna Road, Jamshedpur. The project was within Dalma wildlife sanctuary.

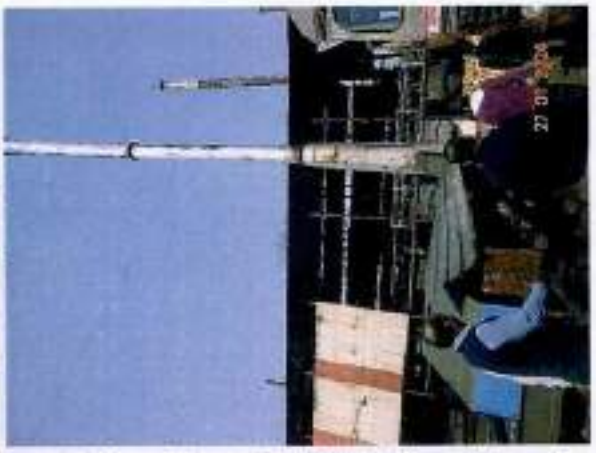

Photo35: Photos of STP limited,Pipe production products division, Dimna Road, Jamshedpur. The project was within Dalma wildlife sanctuary.

Photo 37: Photo of transportation of byproduct (reportedely napthalene) from STP ltd.

Photo38: Photo of roads at some place, not black topped, and dust layers visible in STP limited.

Photo39: Photo of bridge over a local nallah in Dalma Wildlife sanctuary.

Photo 40: Photo of SRG Iron & steel(p) ltd. plant within the Dalma wildlife sanctuary.

Photo41:Photo of slag screening operation with dust emissions at SRG Iron & steel(p) ltd. plant.

Photo 42: Photo of forest pillars shown by forest officials during site inspection.

IX

Photo43:Photo of one boundary of Dalma wildlife sanctuary near forest pillar(see photo 42).

Photo 44: Photo of concrete buildings/stuctures near the banks of river Subarnrekha.

Photos45&46: Photos of concrete buildings/stuctures near the banks of river Subarnrekha.

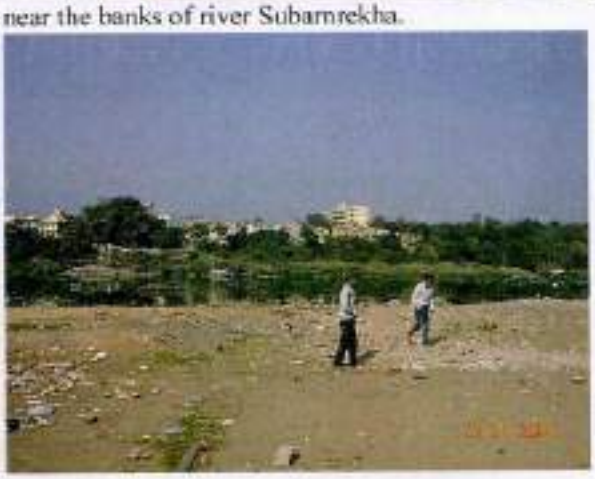

Photos 47&48: Photos of concrete buildings/stuctures near the banks of river Subarnrekha.

Photo 49: Photo of concrete buildings/stuctures near the banks of river Subarnrekha.

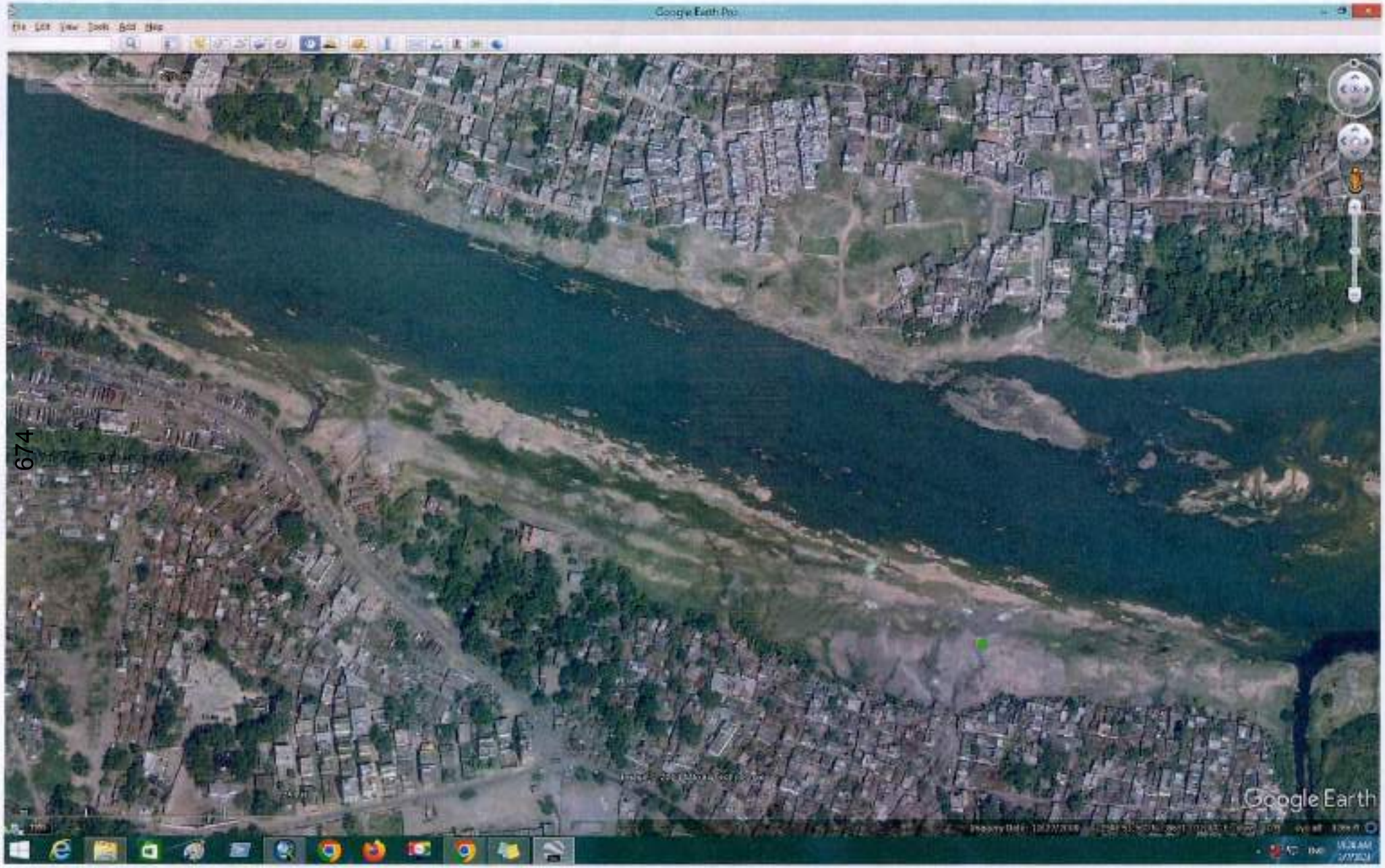

674

137

Google Earth Image: 22.10.2009 (Latitude: 22.813267, Longitude: 86.219612, Place: Gautam Dihar)

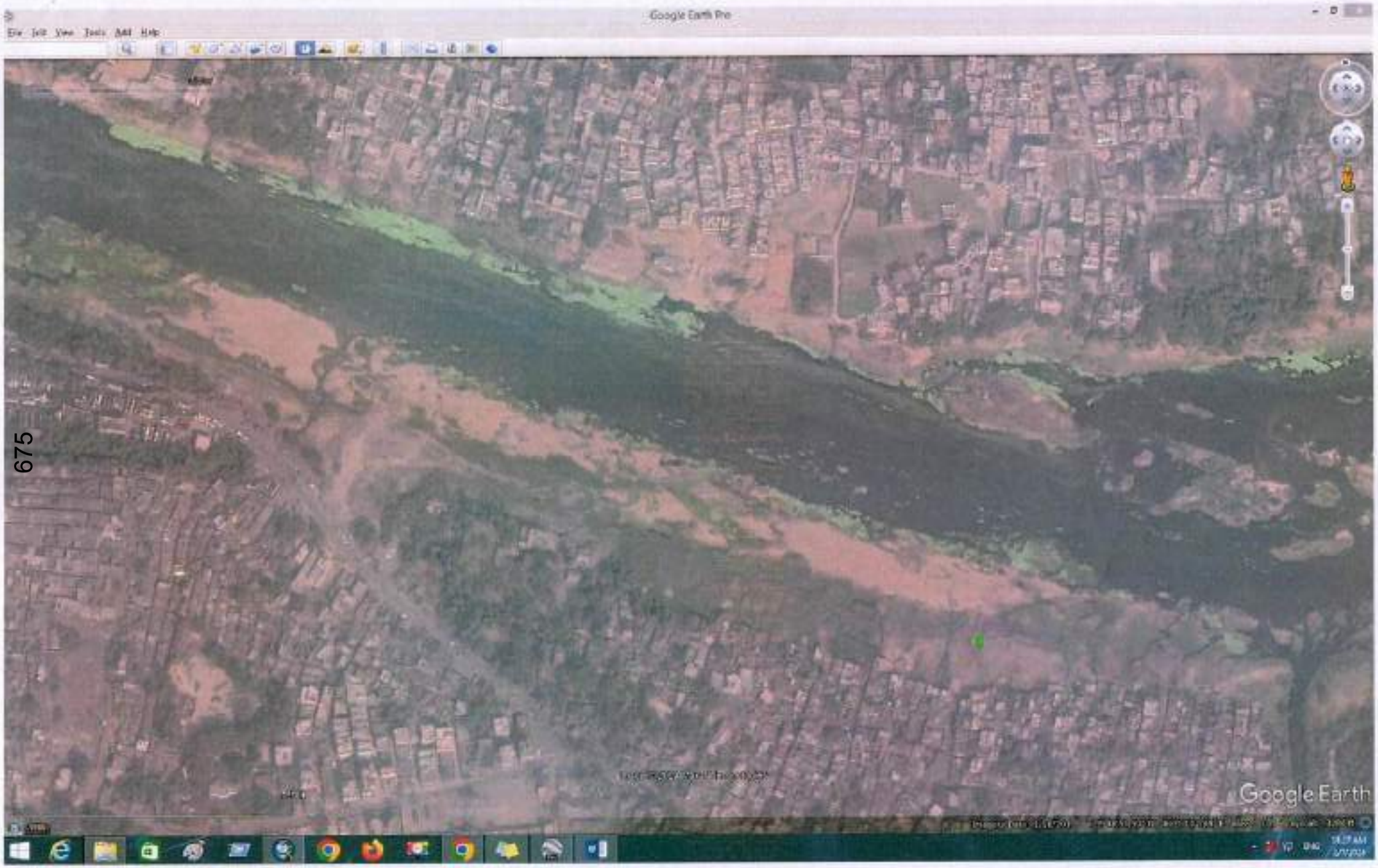

675

138

Google Earth Image: 18.01.2017 (Latitude: 22.813267, Longitude: 86.219612, Place: Gautam Dihar)

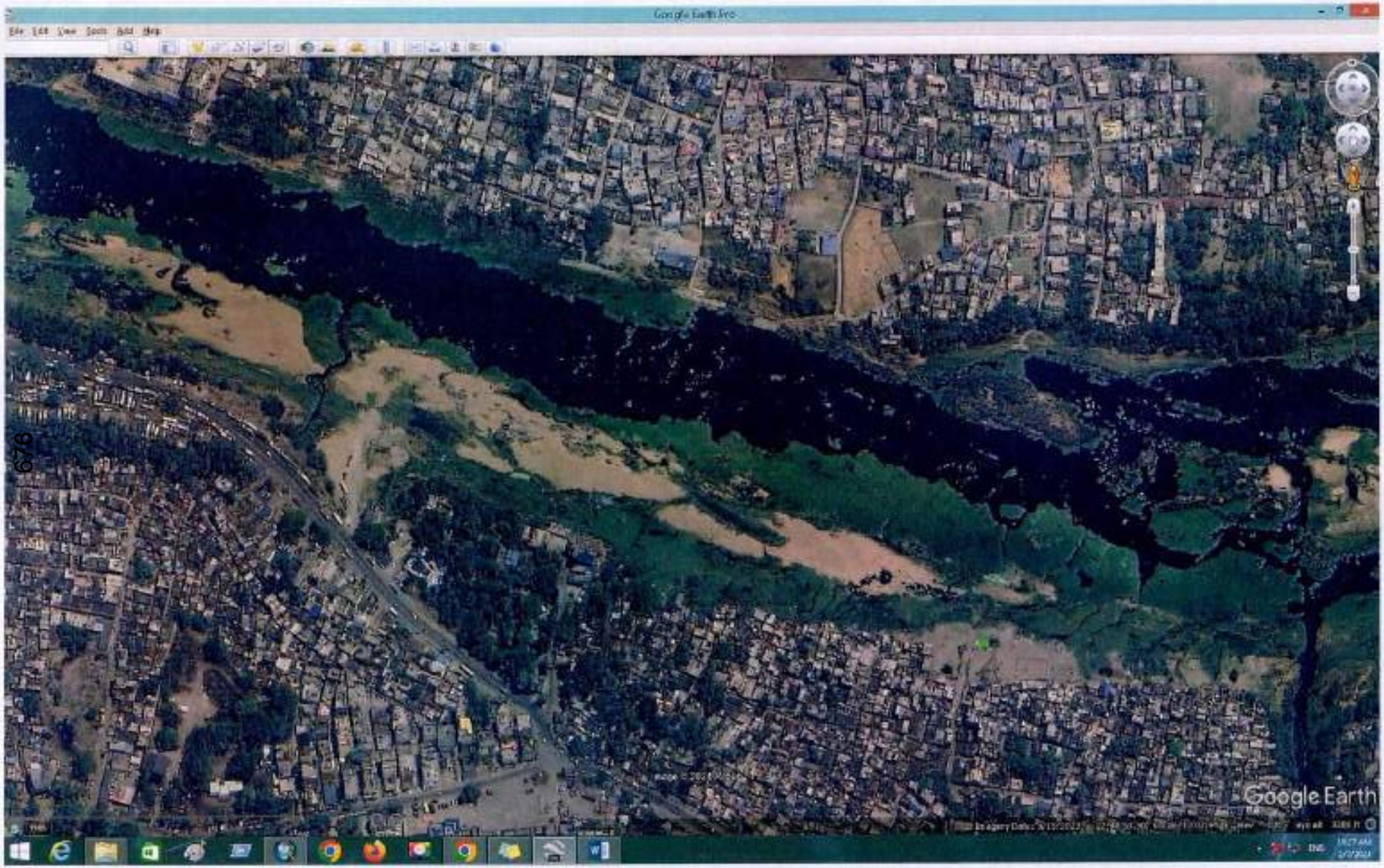

Google Earth Image: 15.05.2023 (Latitude: 22.813267, Longitude: 86.219612, Place: Gautam Dihar)

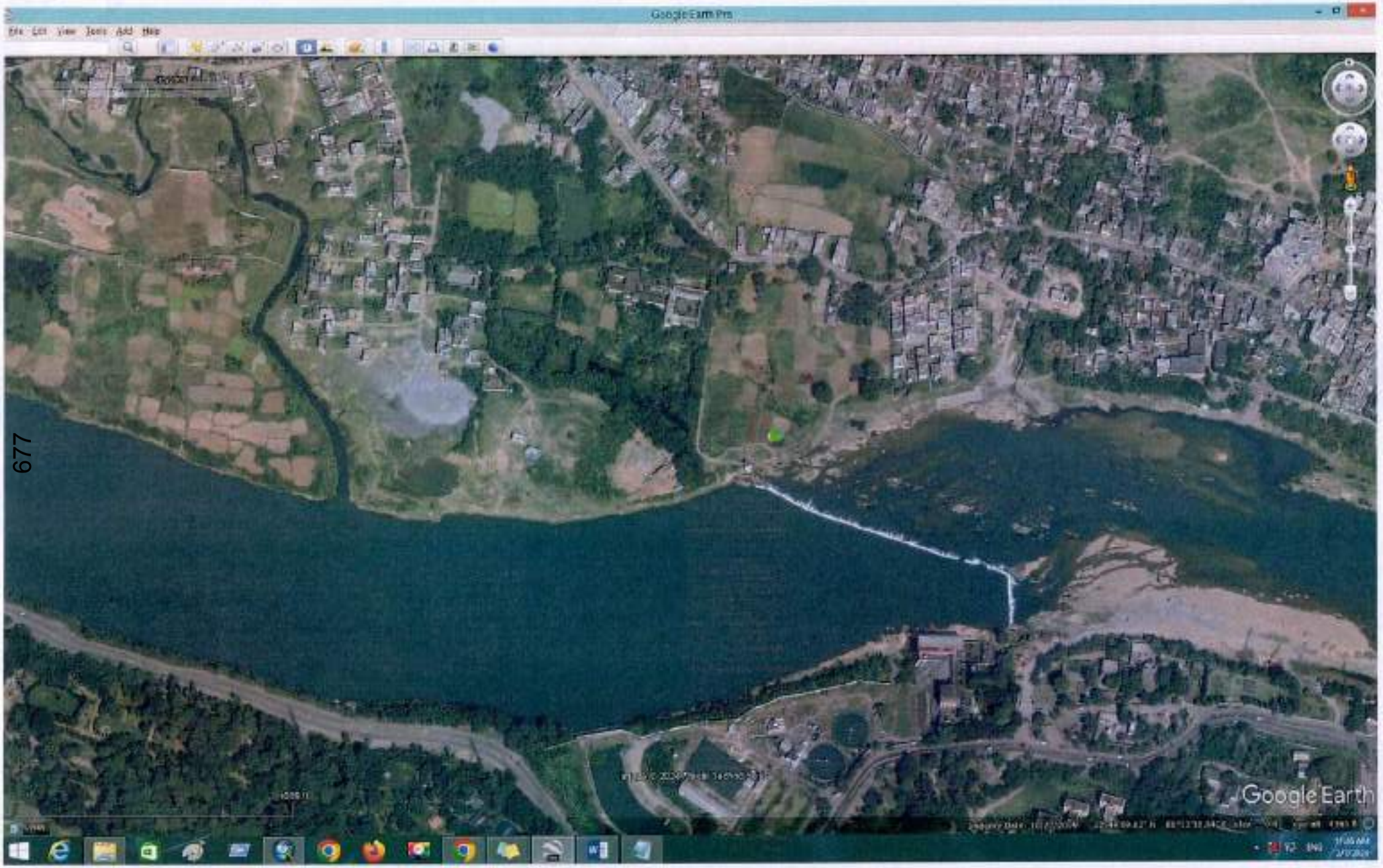

677

140

Google Earth Image: 27.10.2009 (Latitude: 22.819405, Longitude: 86.203905, Place: Mango (Sahara and Srinath high rise building)

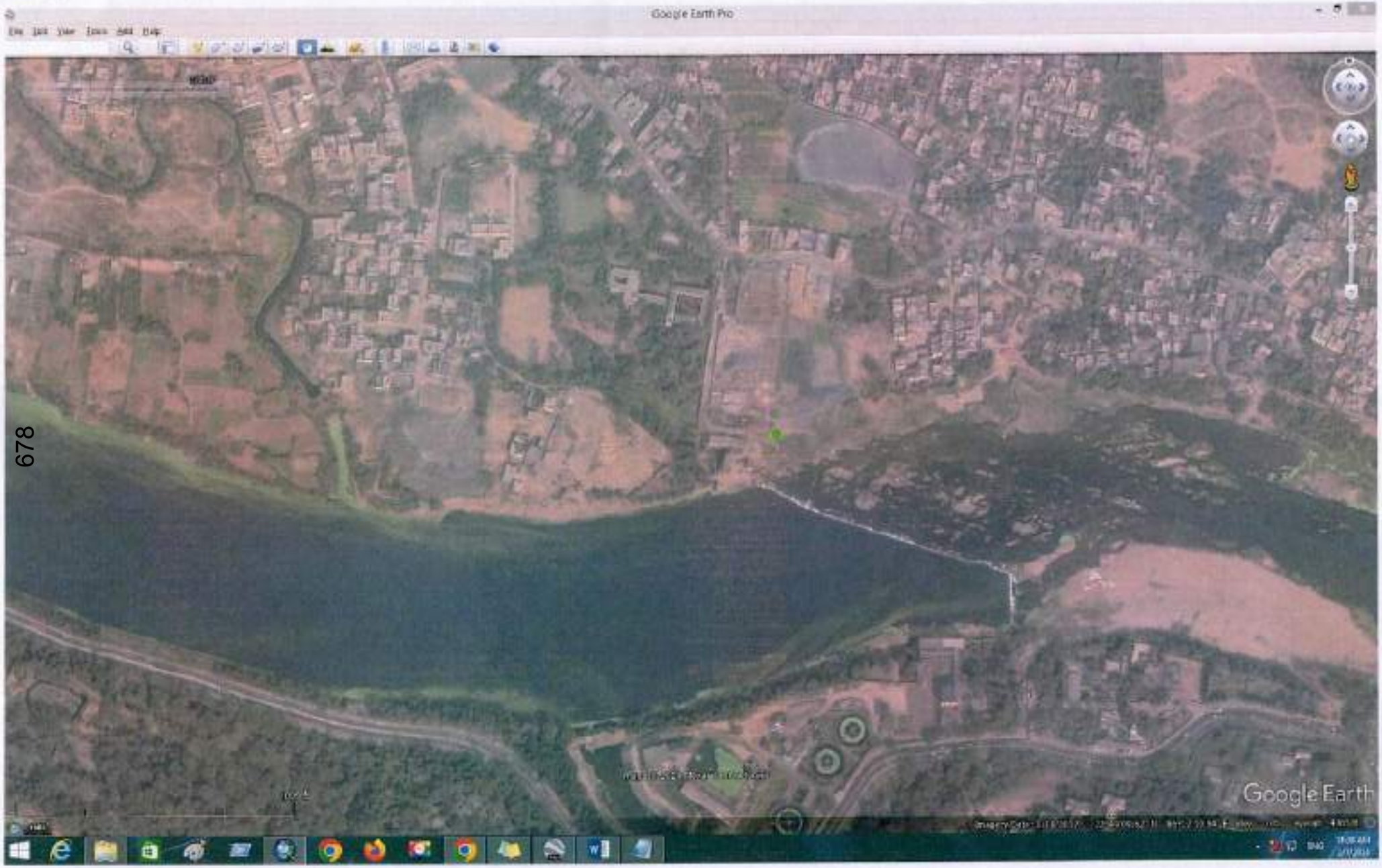

678

141

Google Earth Image: 18.01.2017 (Latitude: 22.819405, Longitude: 86.203905, Place: Mango (Sahara and Srinath high rise building)

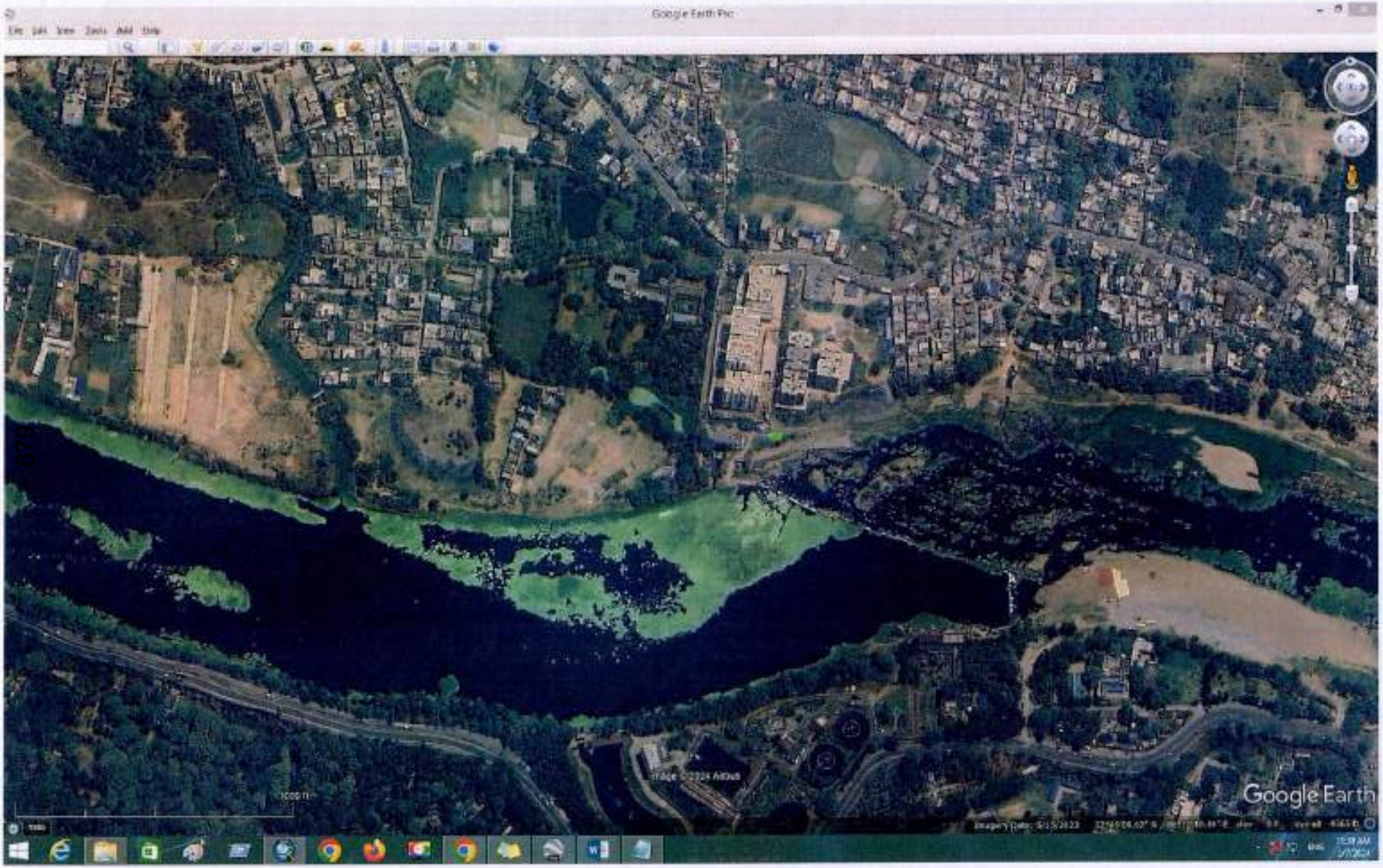

Google Earth Image: 15.05.2023 (Latitude: 22.819405, Longitude: 86.203905, Place: Mango (Sahara and Srinath high rise building)

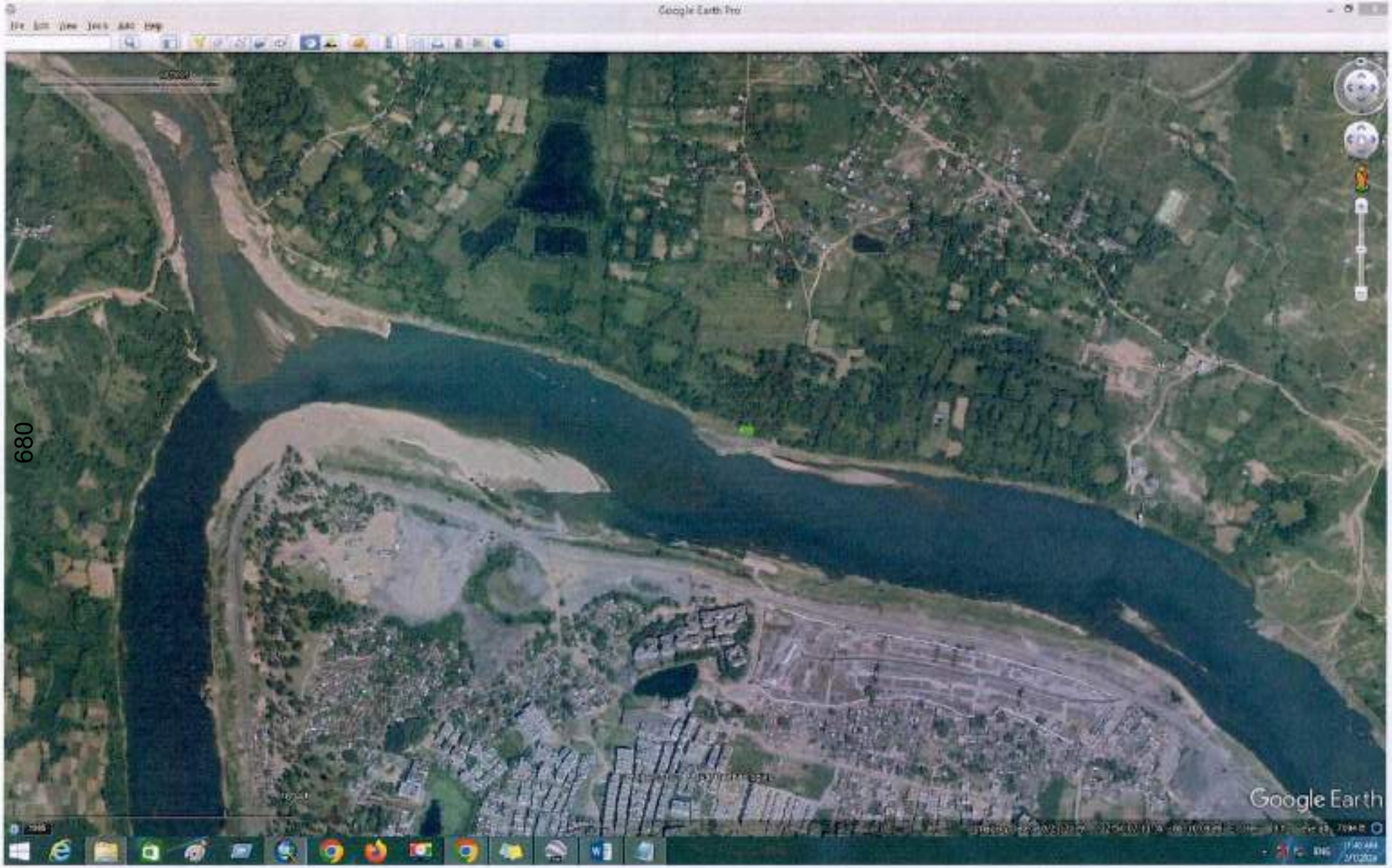

680

143

Google Earth Image: 27.10.2009 (Latitude: 22.835506, Longitude: 86.168755, Place: Aakash Riviera)

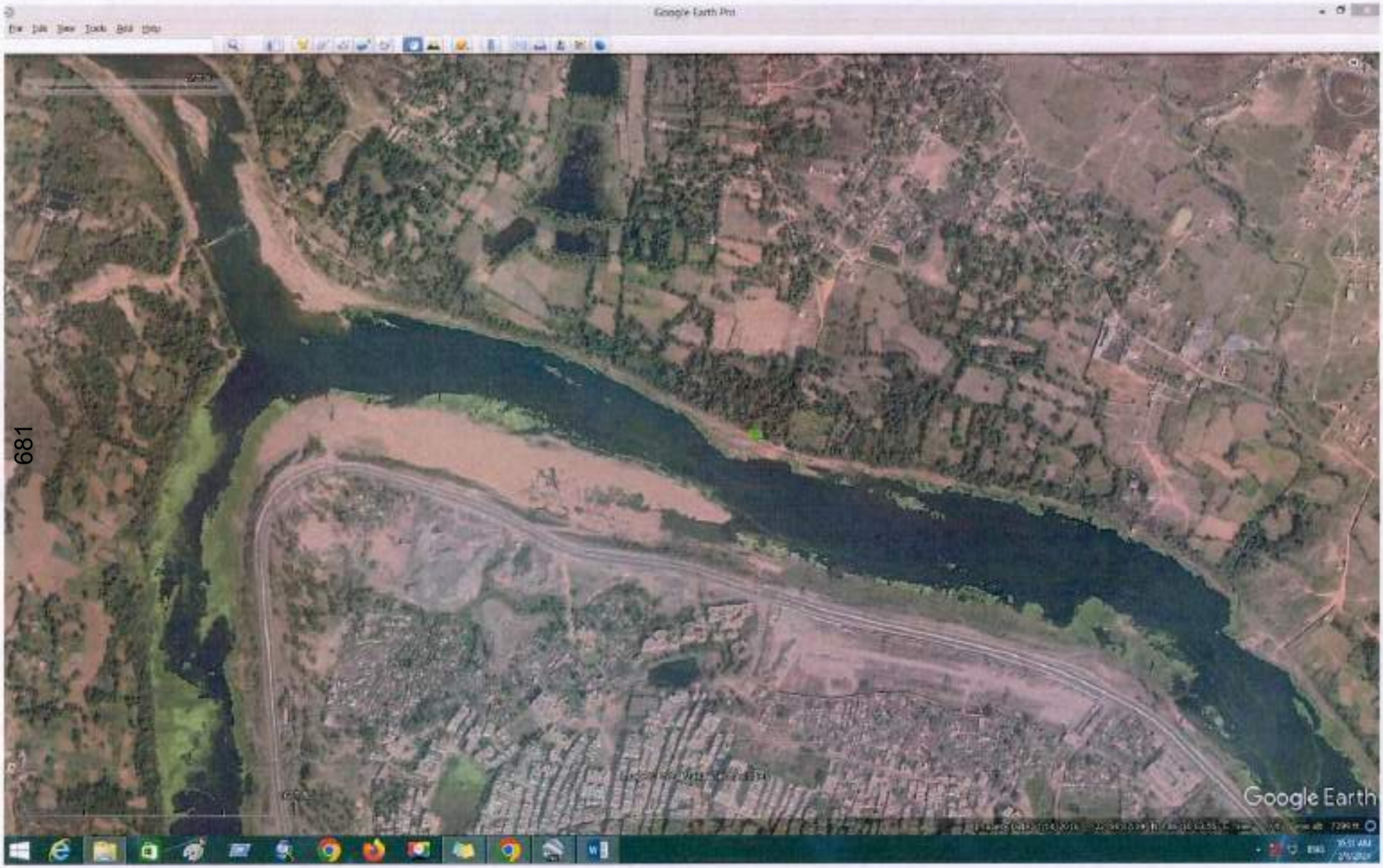

681

144

Google Earth Image: 10.01.2016 (Latitude: 22.835506, Longitude: 86.168755, Place: Aakash Riviera)

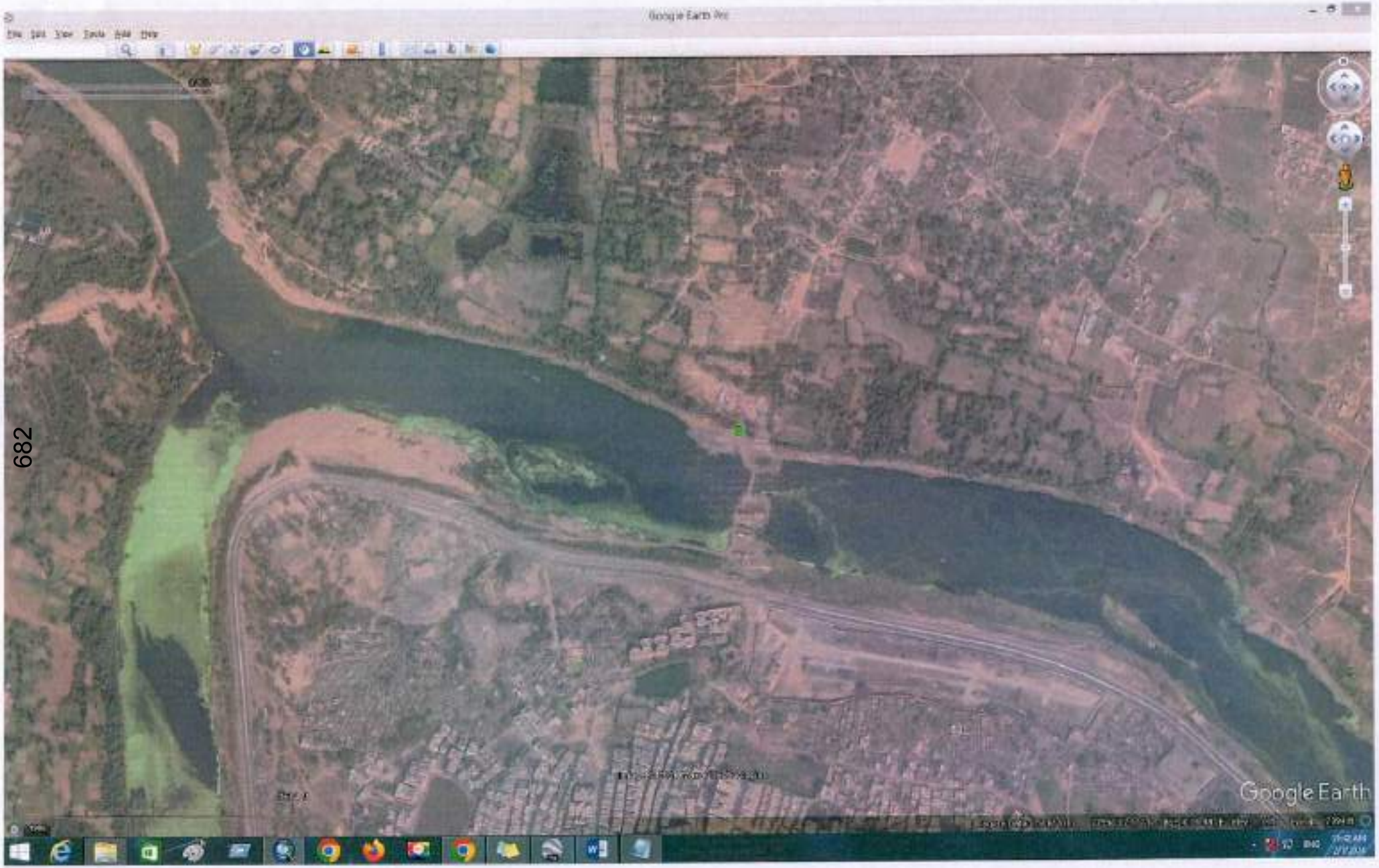

682

145

Google Earth Image: 18.01.2017 (Latitude: 22.835506, Longitude: 86.168755, Place: Aakash Riviera)

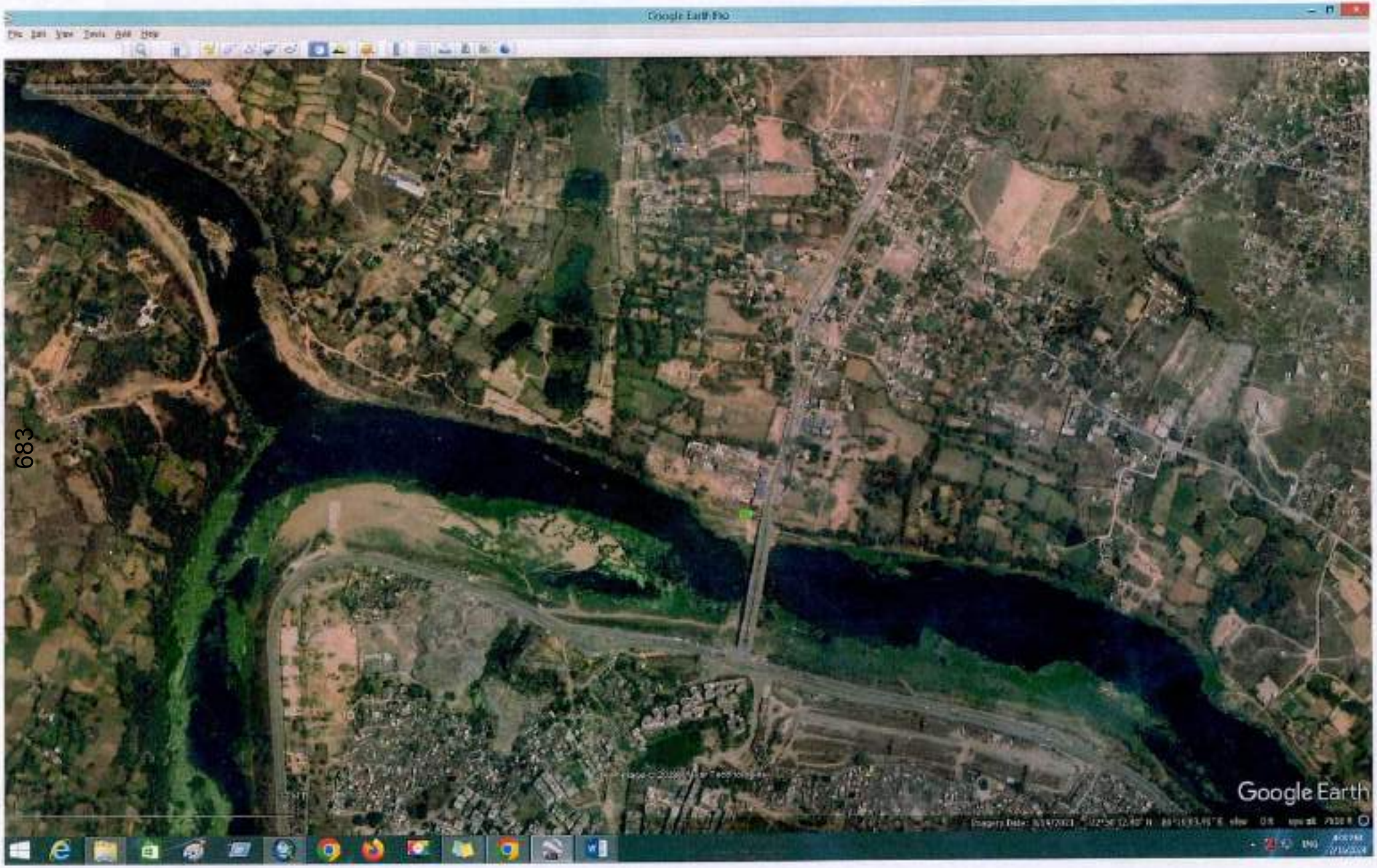

683

146

Google Earth Image: 19.03.2021 (Latitude: 22.835506, Longitude: 86.168755, Place: Aakash Riviera)

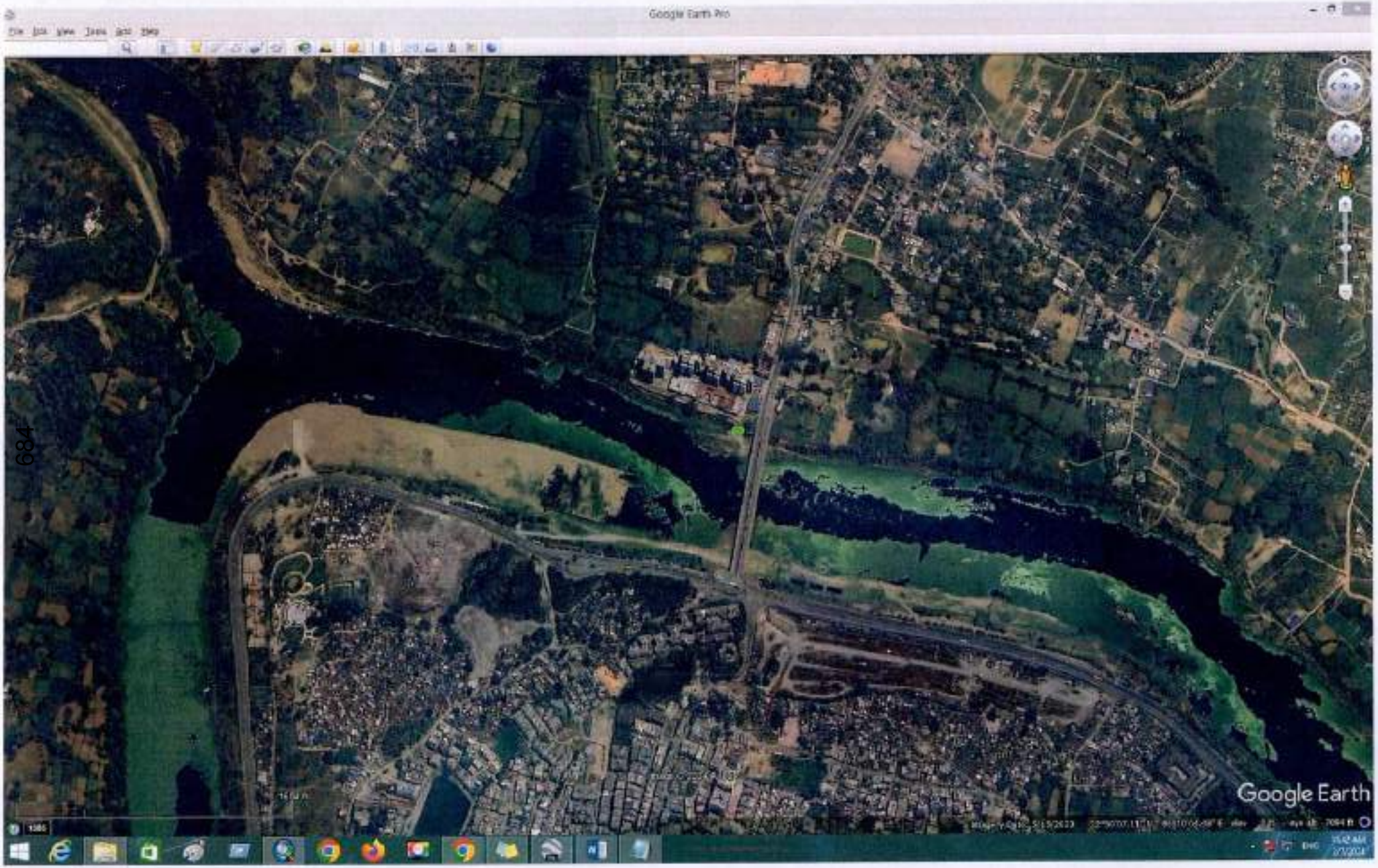

684

147

Google Earth Image: 15.05.2023 (Latitude: 22.835506, Longitude: 86.168755, Place: Aakash Riviera)

Location in Jamshedpur and Dalma Range visited in 27.01.2024

Sl No.	Location	Latitude	Longitude
1	Aakash Riviera	22.835506	86.168755
2	Mango (Sahara and Srinath high rise building)	22.819405	86.203905
3	Opposite of City Inn	22.854189	86.202662
4	STP Limited	22.852728	86.239721
5	SRG Iron and Steel Ltd.	22.850516	86.248341
6	Dalma range boundary	22.852793	86.240094
7	Gautam Dihar	22.813267	86.219612

(134)

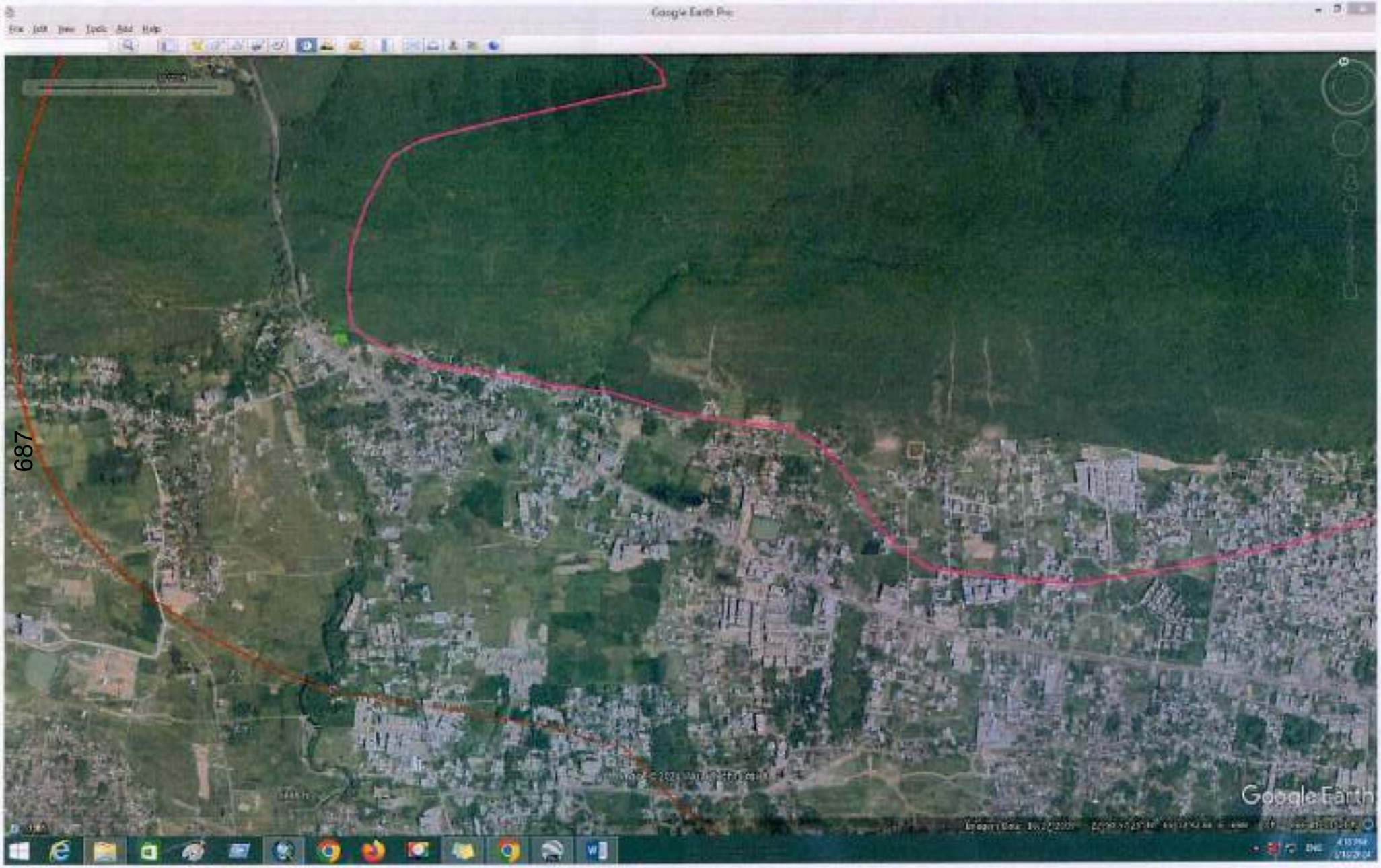

Google Earth Image: 27.10.2009 (Latitude: 22.854189, Longitude: 86.202662, Place: Opposite of City Inn)

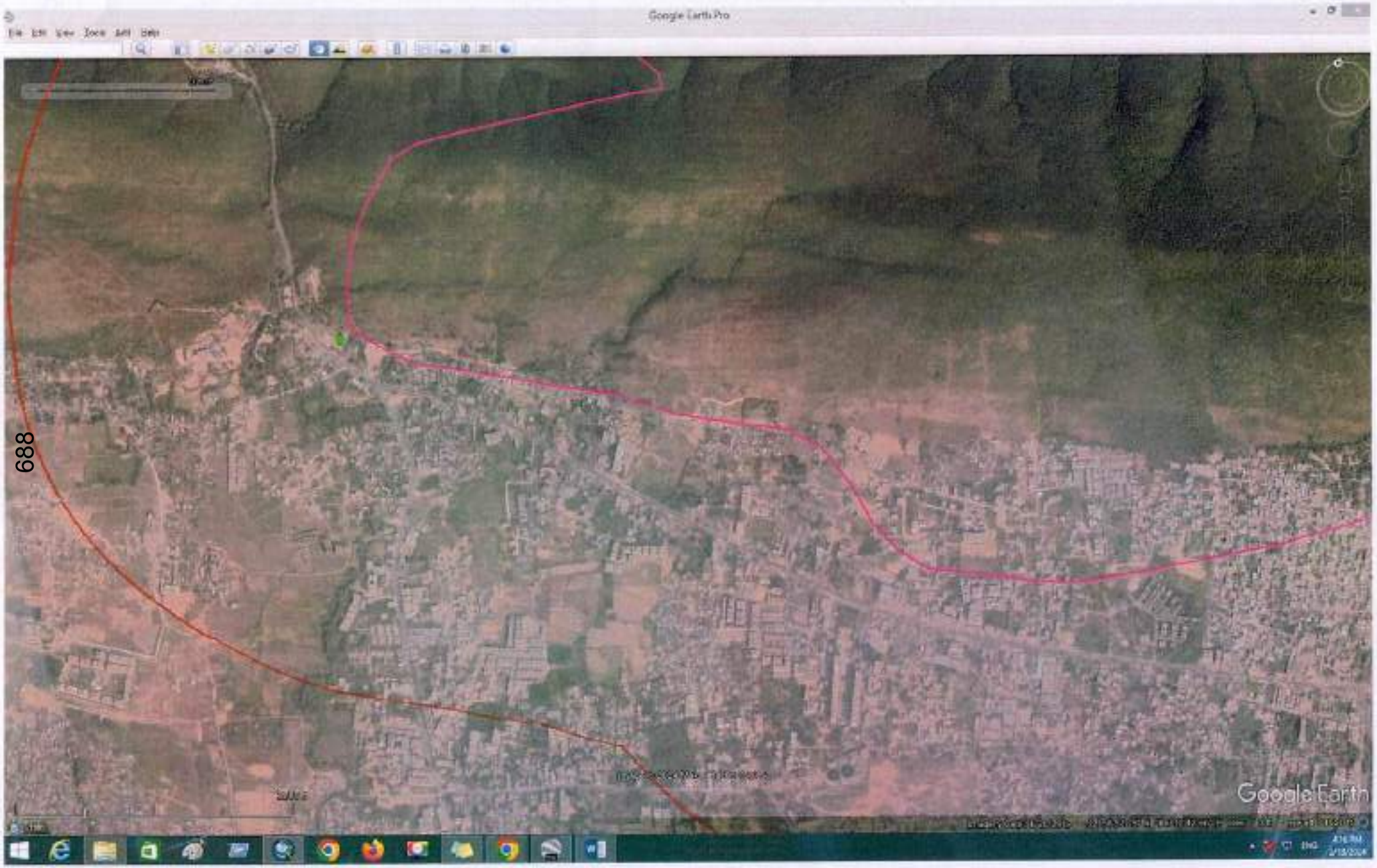

688

151

Google Earth Image: 18.01.2017 (Latitude: 22.854189, Longitude: 86.202662, Place: Opposite of City Inn)

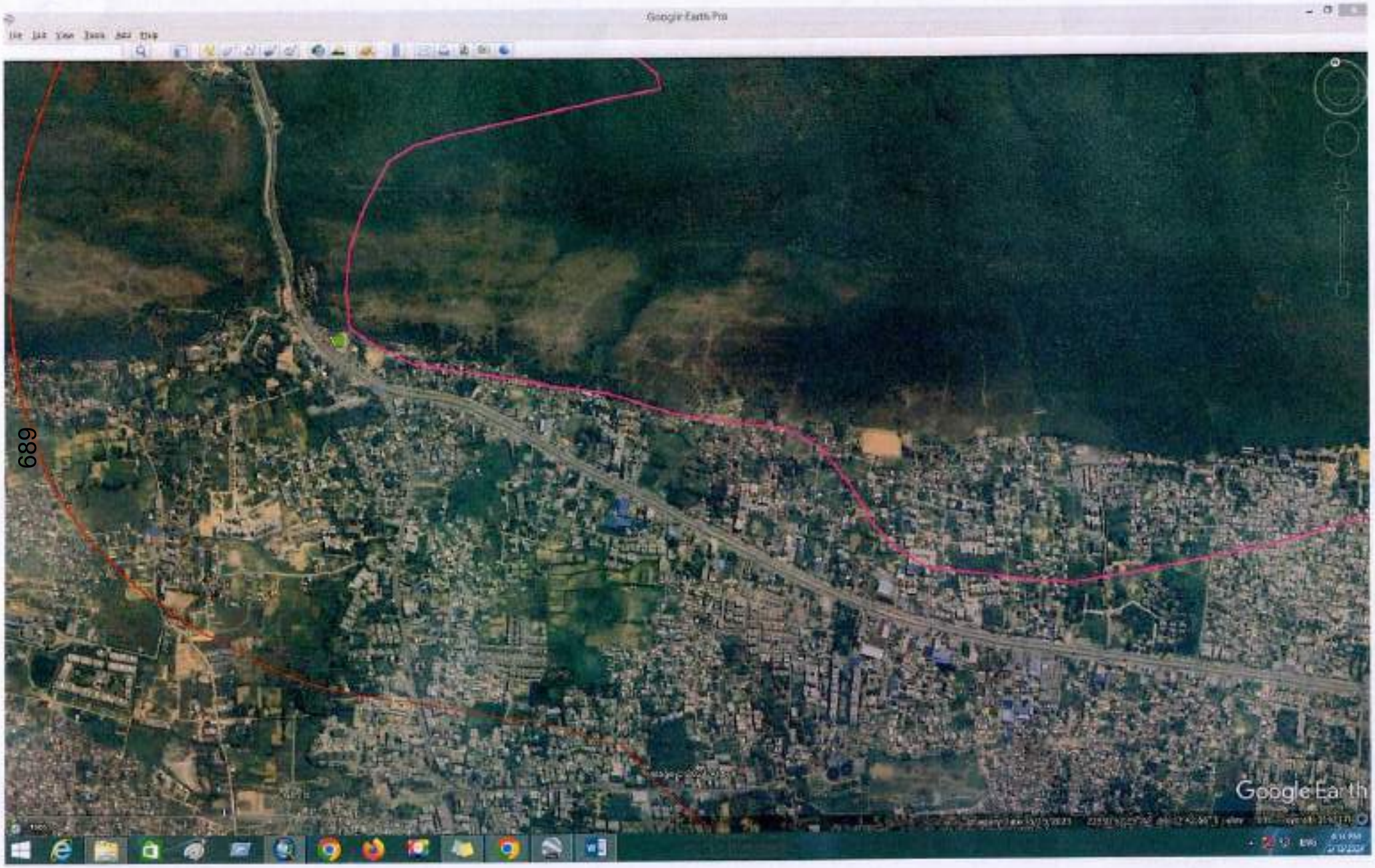

689

152

Google Earth Image: 15.05.2023 (Latitude: 22.854189, Longitude: 86.202662, Place: Opposite of City Inn)

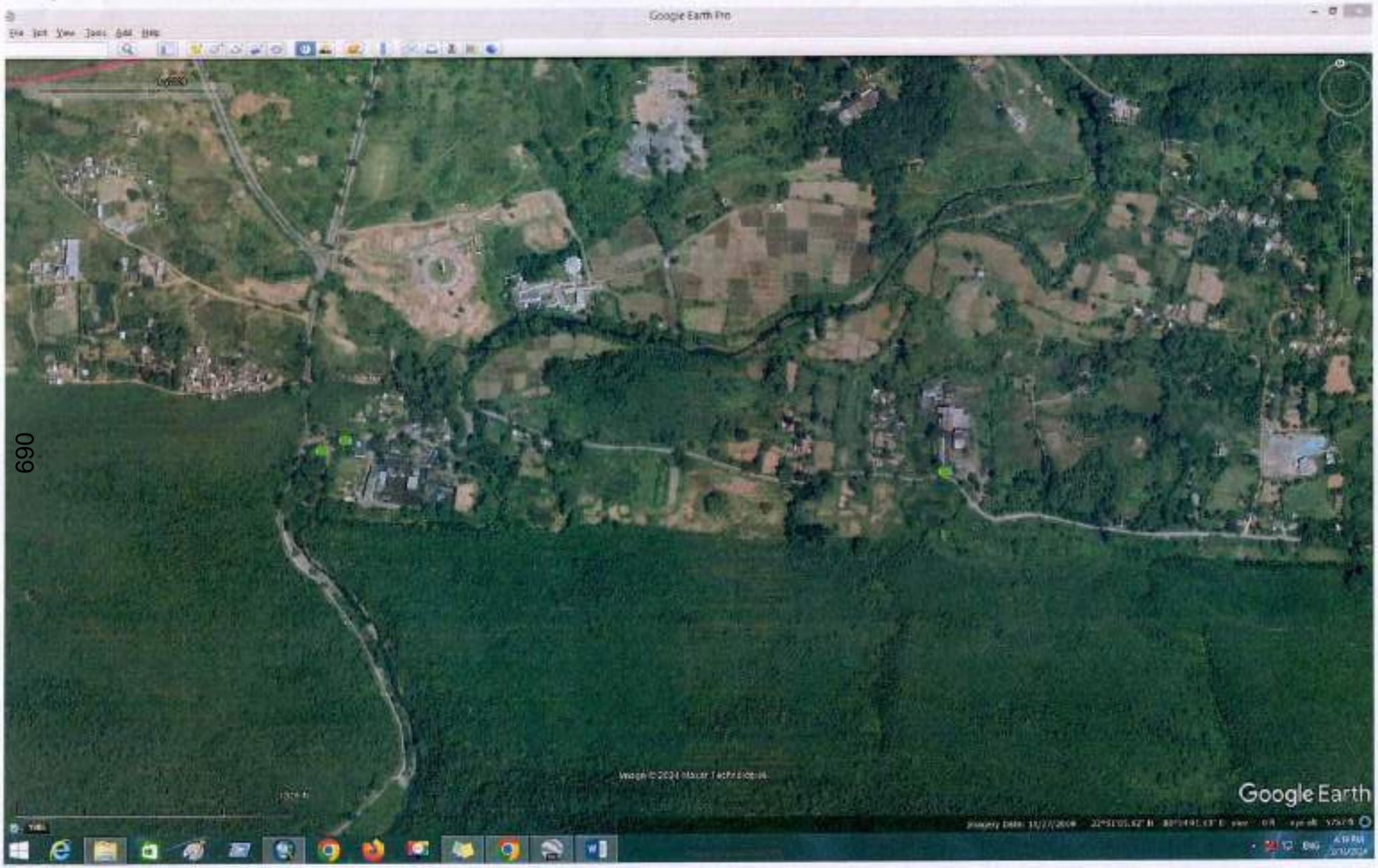

690

153

Google Earth Image: 27.10.2009 (Latitude: 22.852793, Longitude: 86.240094, Place: Dalma range boundary)
(Latitude: 22.850516, Longitude: 86.248341, Place: SRG Iron and Steel Ltd.)

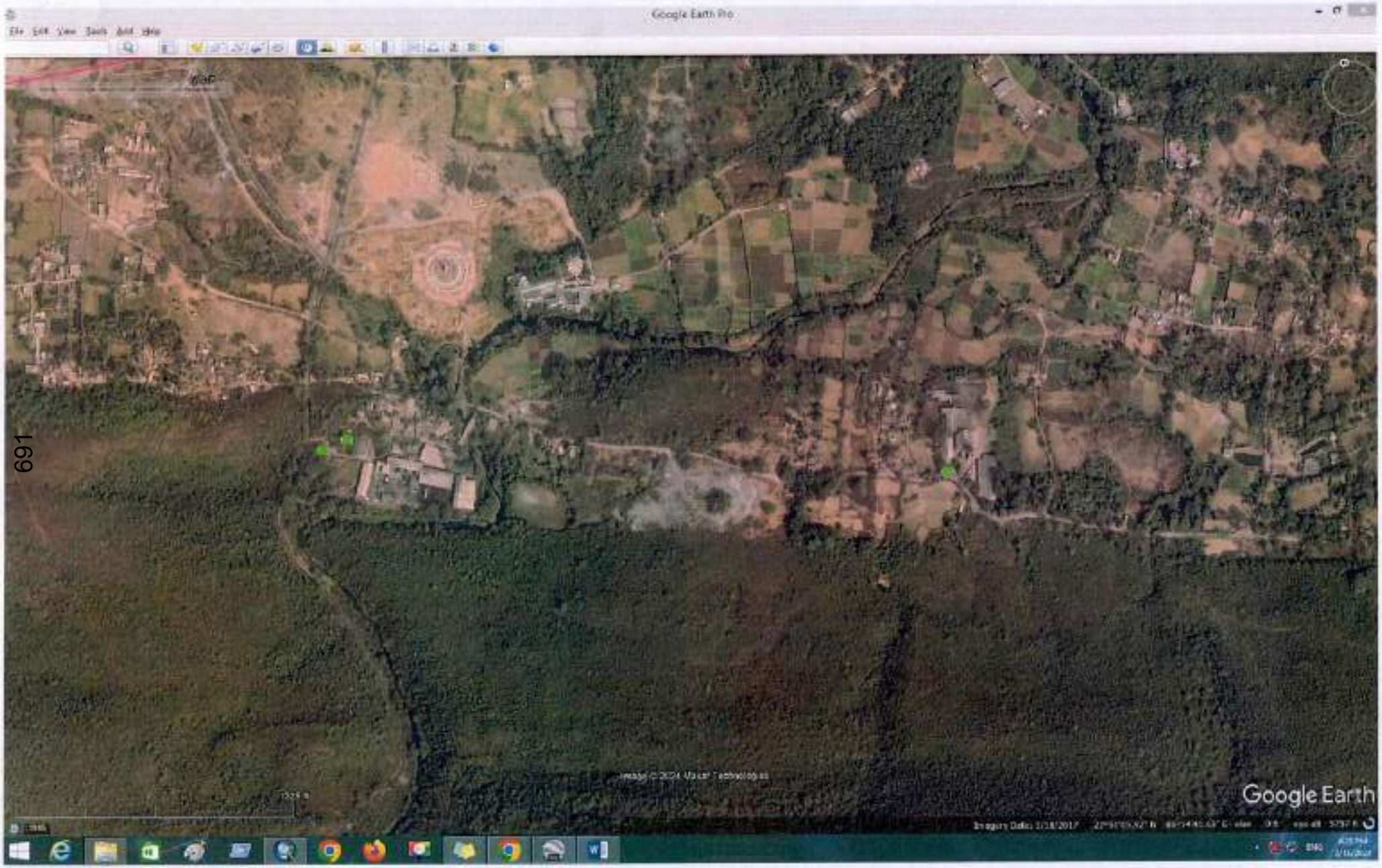

691

154

Google Earth Image: 18.01.2017 (Latitude: 22.852793, Longitude: 86.240094, Place: Dalma range boundary)
(Latitude: 22.850516, Longitude: 86.248341, Place: SRG Iron and Steel Ltd.)

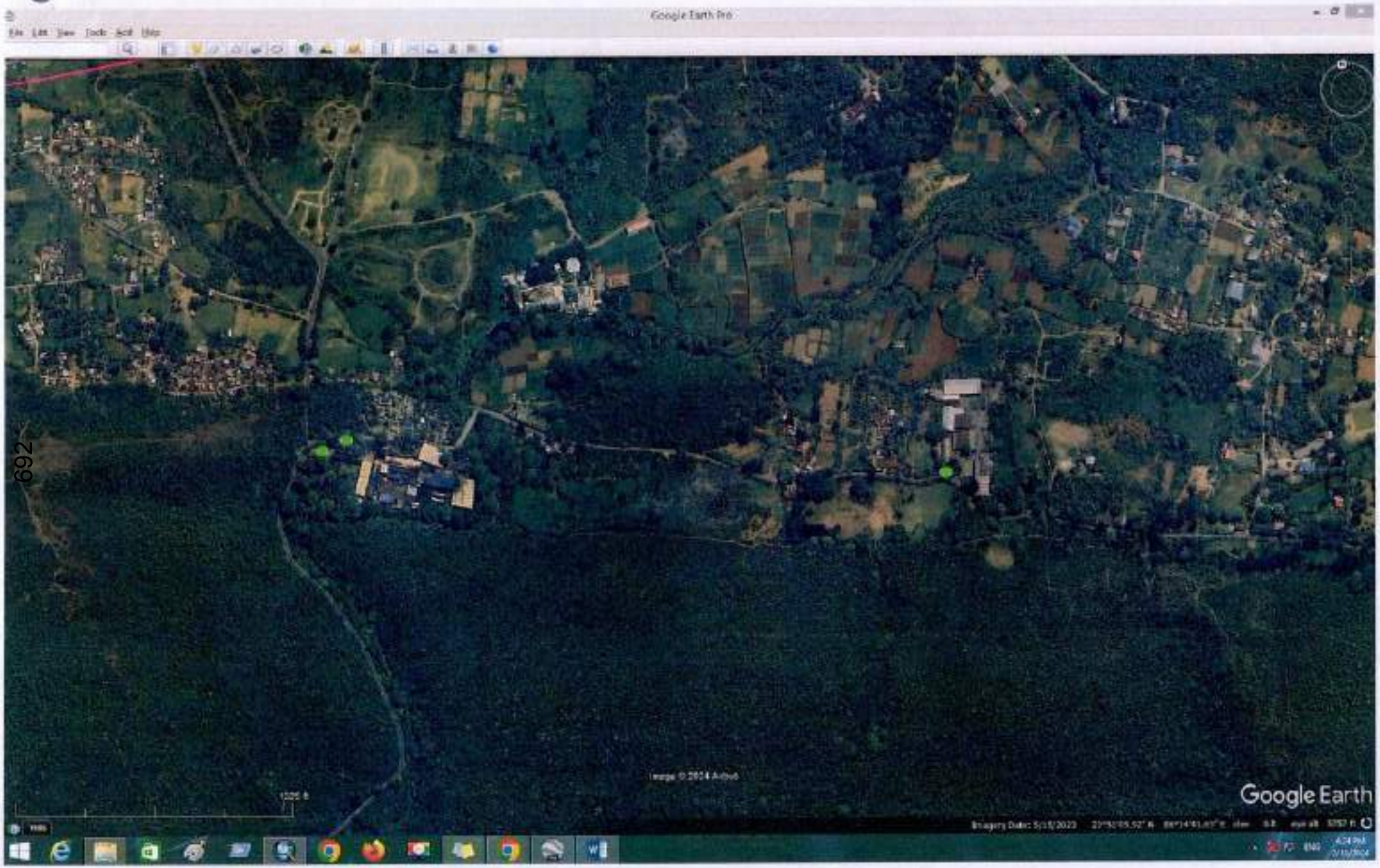

692

155

Google Earth Image: 15.05.2023 (Latitude: 22.852793, Longitude: 86.240094, Place: Dalma range boundary)
(Latitude: 22.850516, Longitude: 86.248341, Place: SRG Iron and Steel Ltd.)

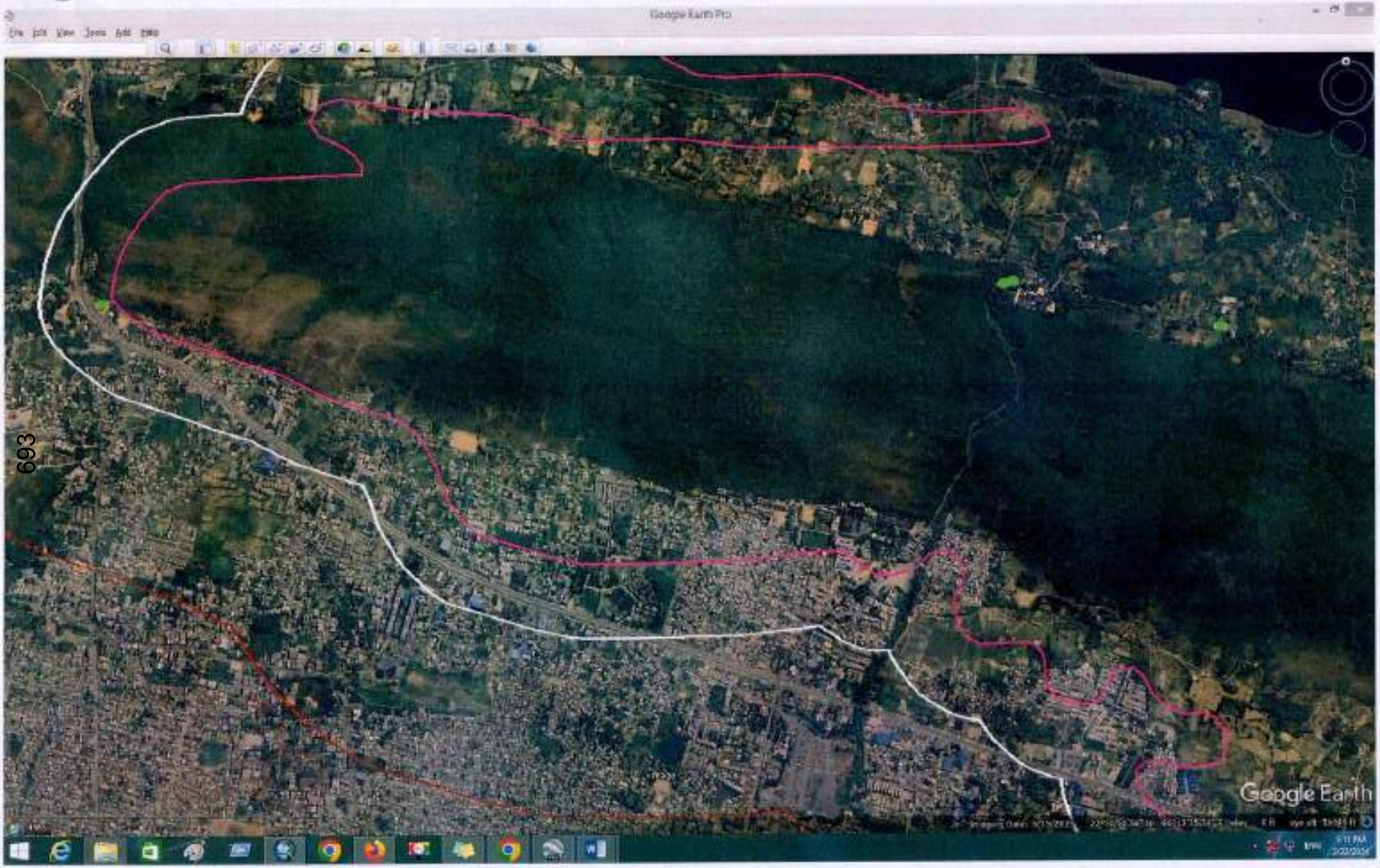

693

156

Google Earth Image: 15.02.2023 (Latitude: 22.854189, Longitude: 86.202662, Place: Opposite of City Inn)

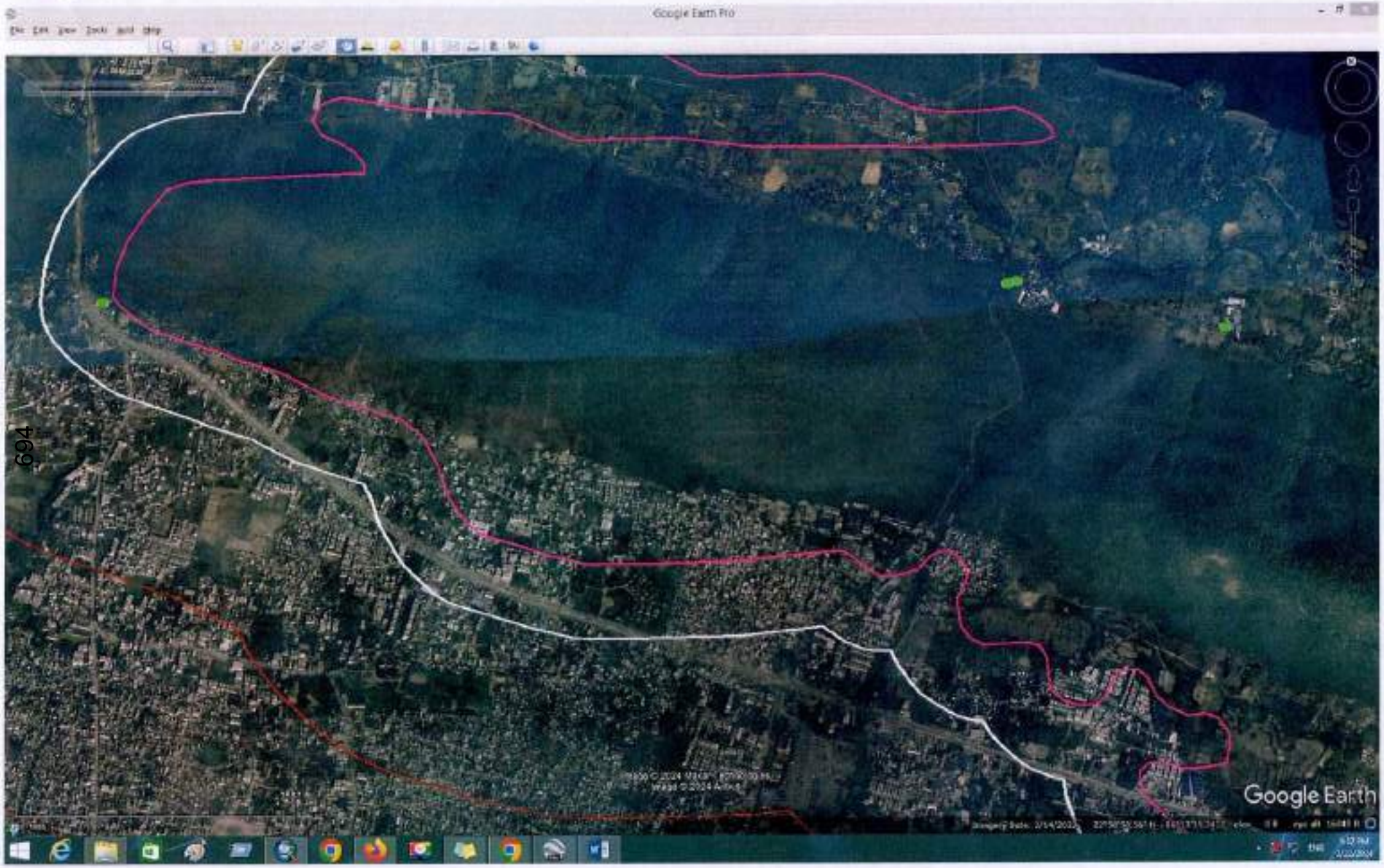

694

157

Google Earth Image: 14.02.2022 (Latitude: 22.854189, Longitude: 86.202662, Place: Opposite of City Inn)

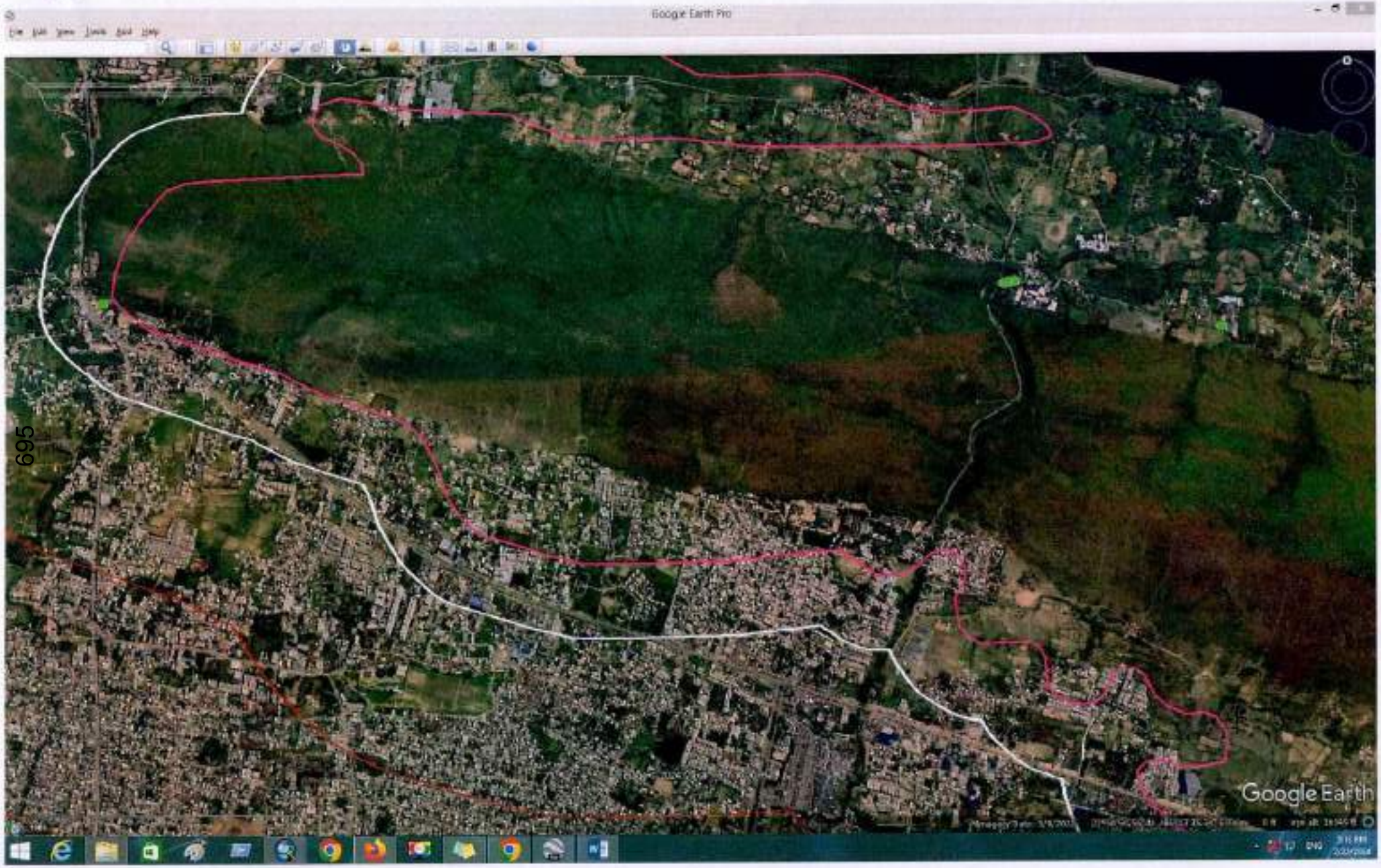

695

158

Google Earth Image: 09.05.2020 (Latitude: 22.854189, Longitude: 86.202662, Place: Opposite of City Inn)

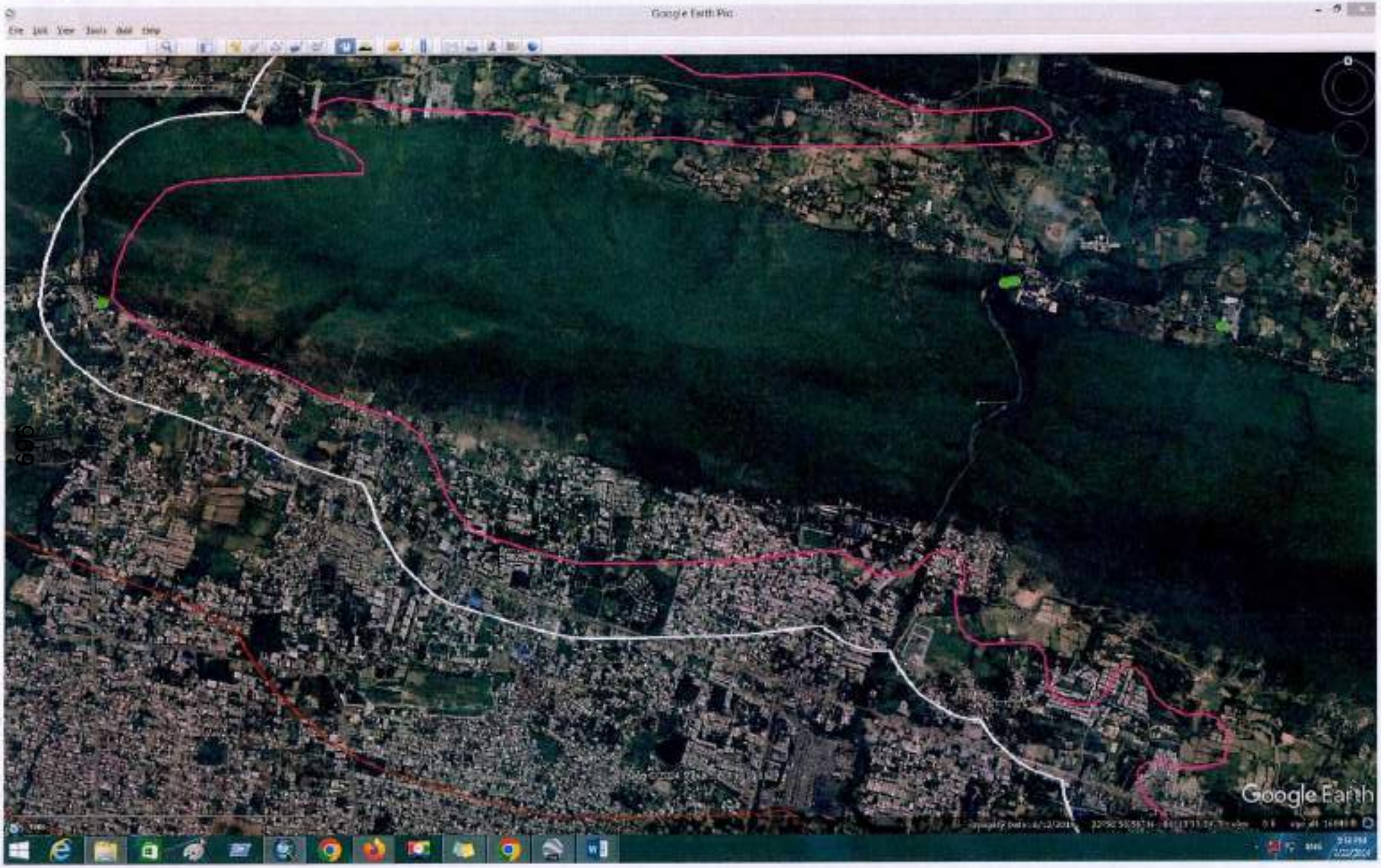

Google Earth Image: 12.06.2019 (Latitude: 22.854189, Longitude: 86.202662, Place: Opposite of City Inn)

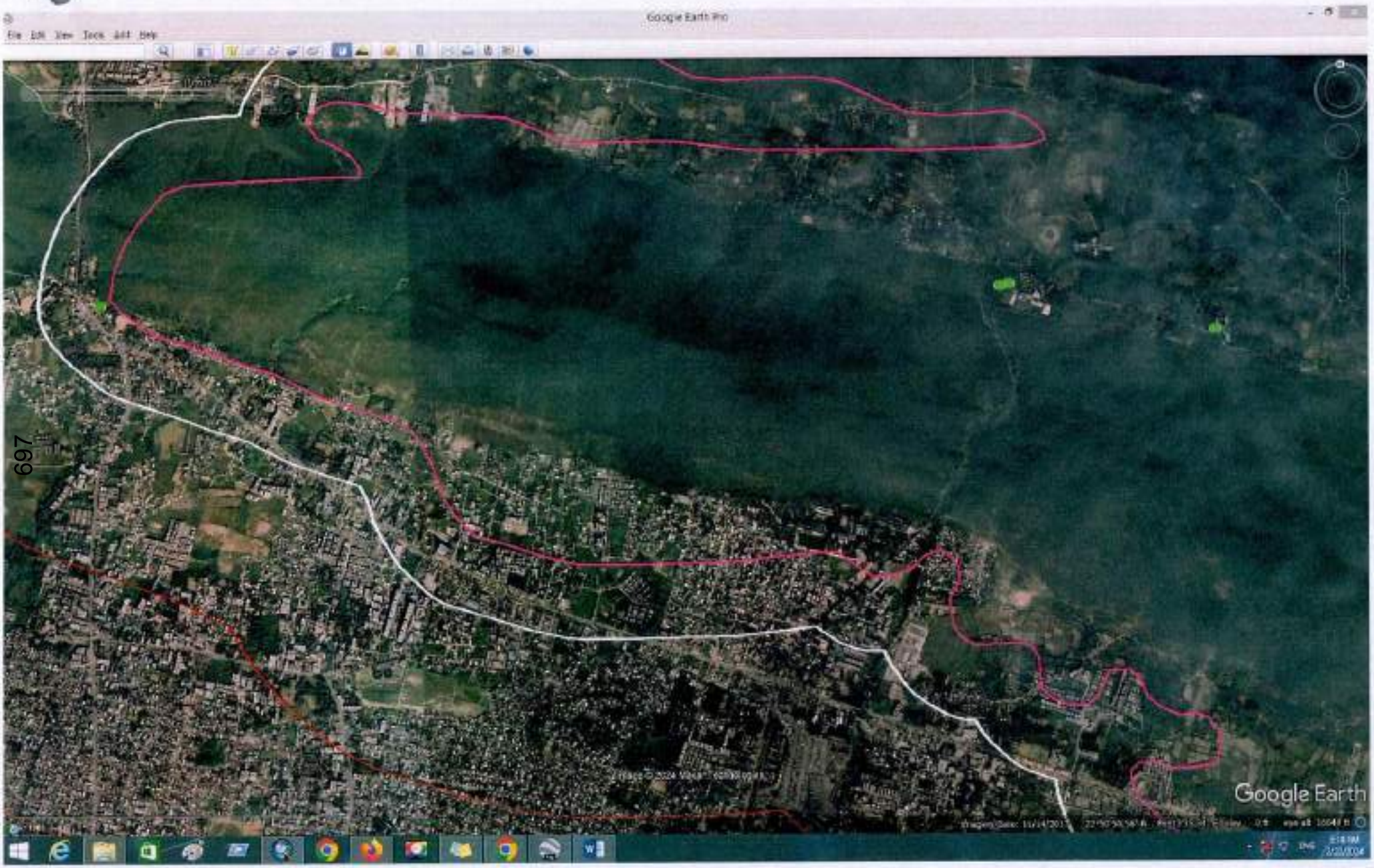

697

160

Google Earth Image: 14.11.2017 (Latitude: 22.854189, Longitude: 86.202662, Place: Opposite of City Inn)

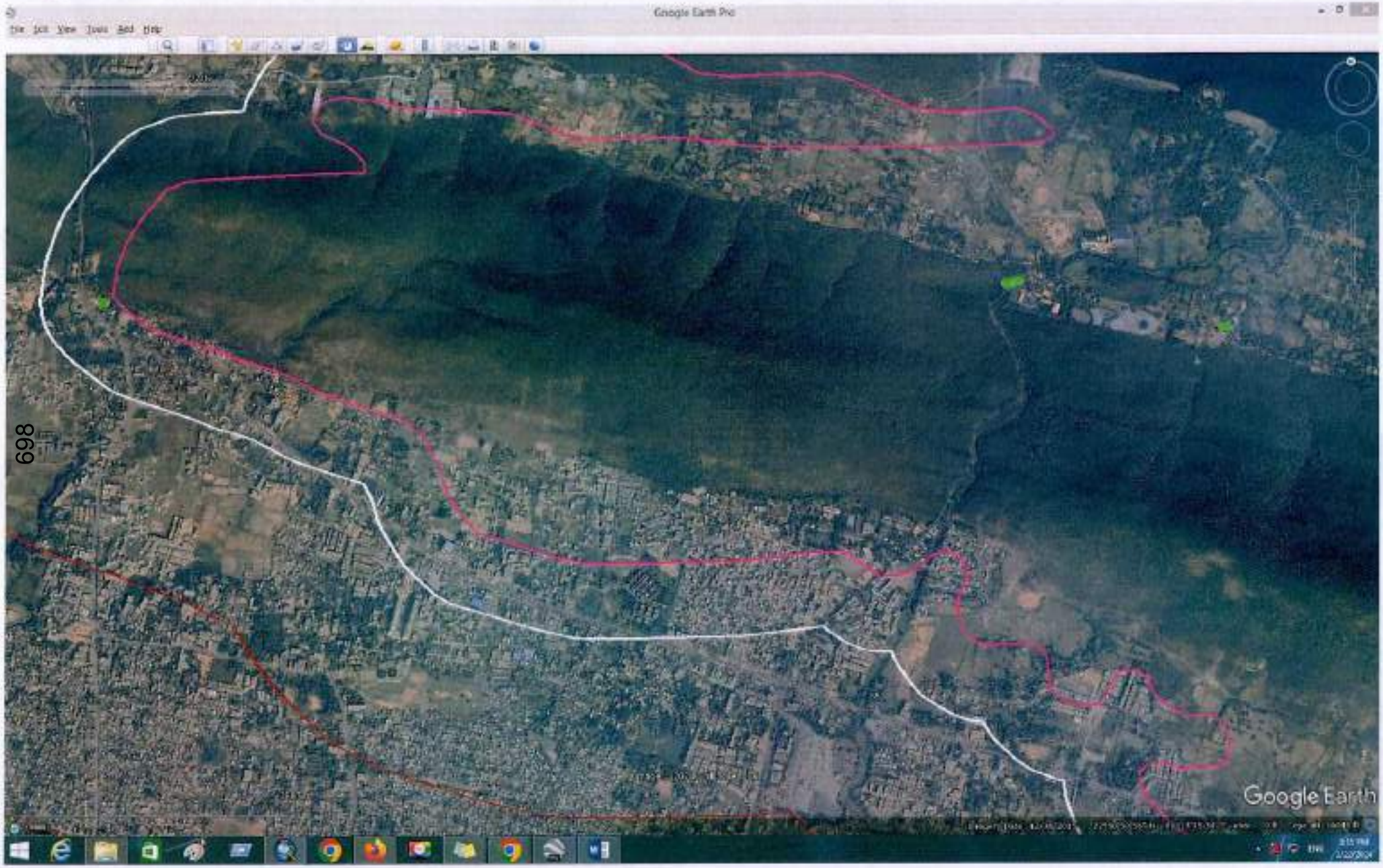

698

161

Google Earth Image: 30.12.2015 (Latitude: 22.854189, Longitude: 86.202662, Place: Opposite of City Inn)

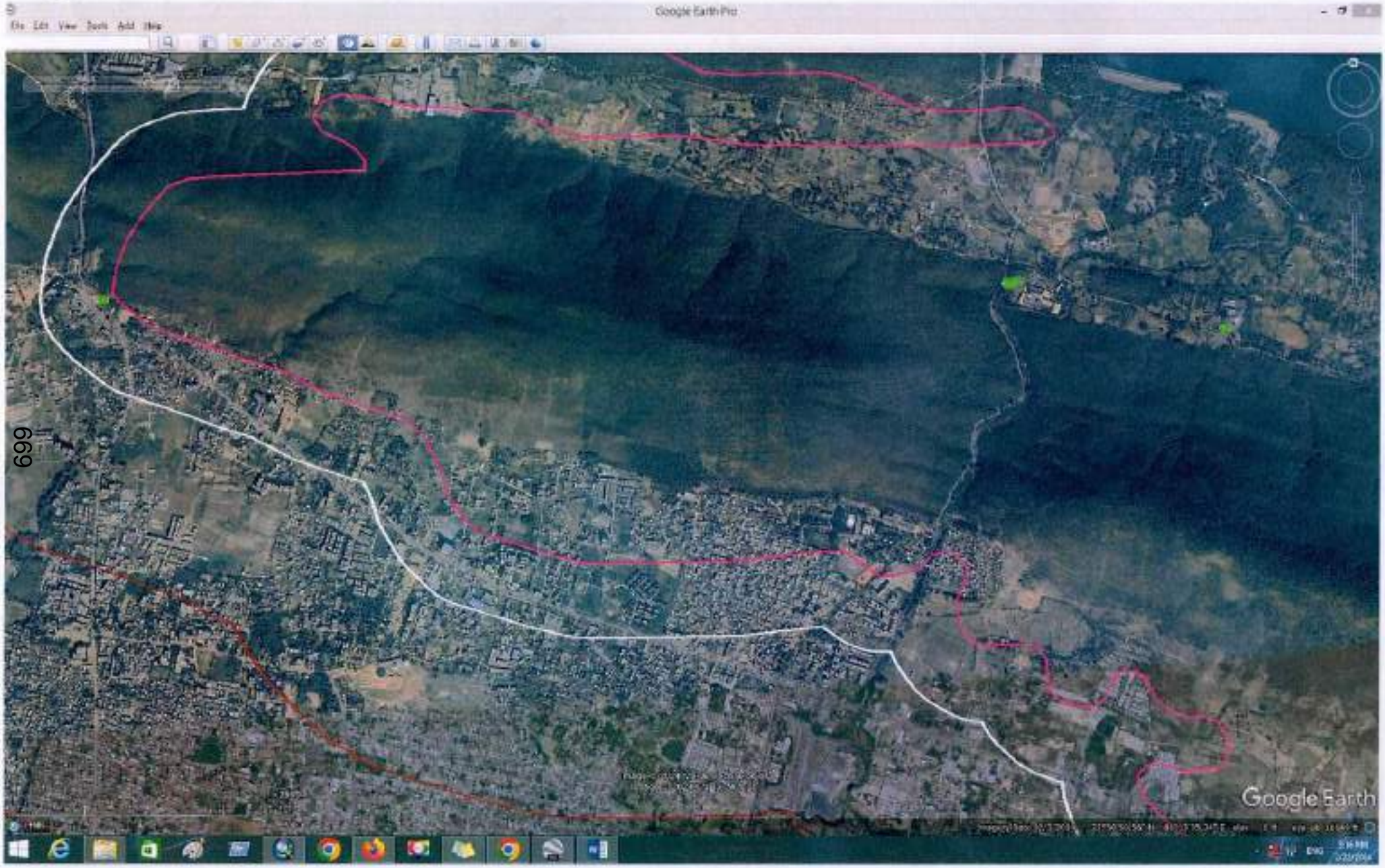

699

162

Google Earth Image: 03.02.2014 (Latitude: 22.854189, Longitude: 86.202662, Place: Opposite of City Inn)

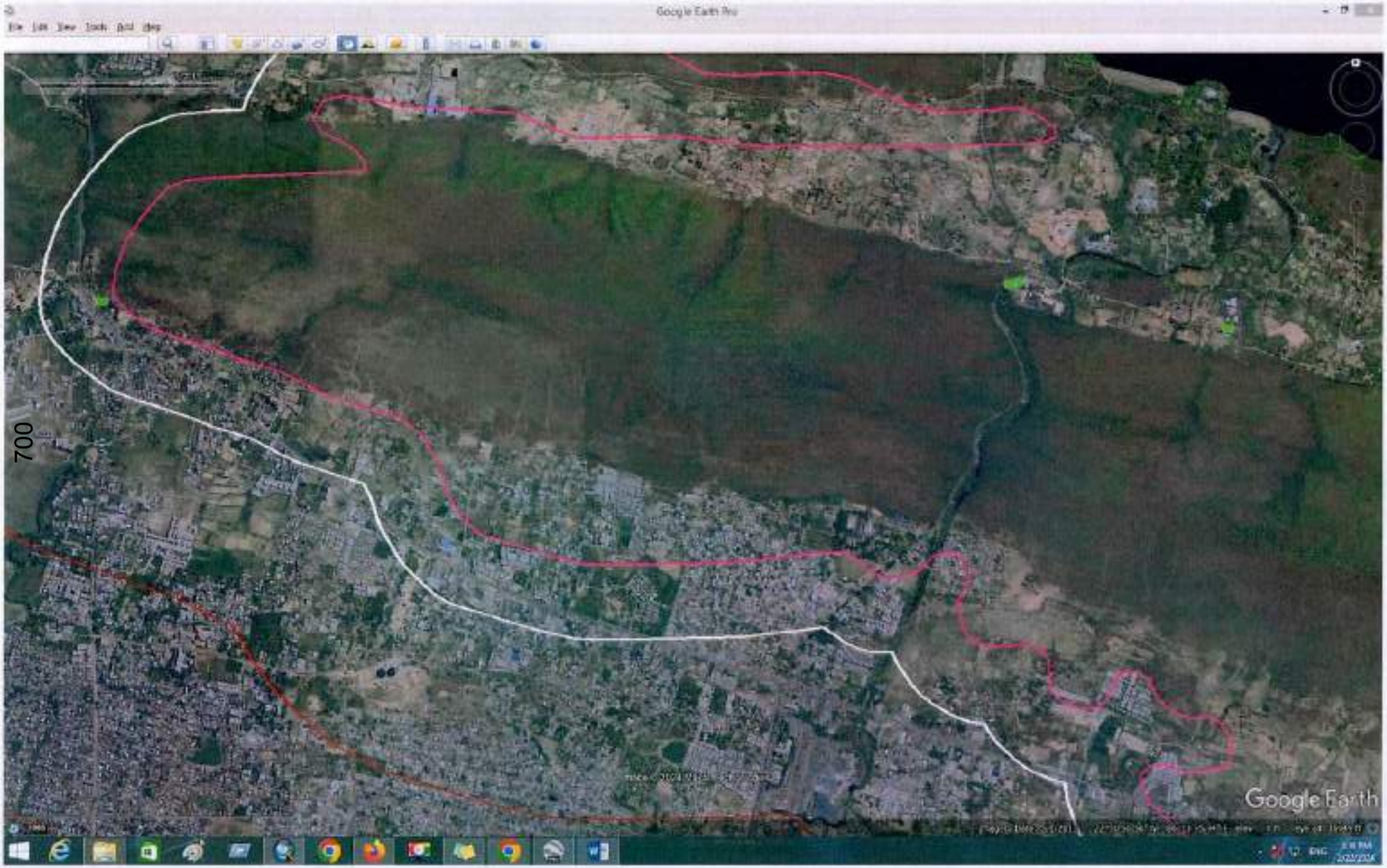

700

163

Google Earth Image: 01.05.2013 (Latitude: 22.854189, Longitude: 86.202662, Place: Opposite of City Inn)

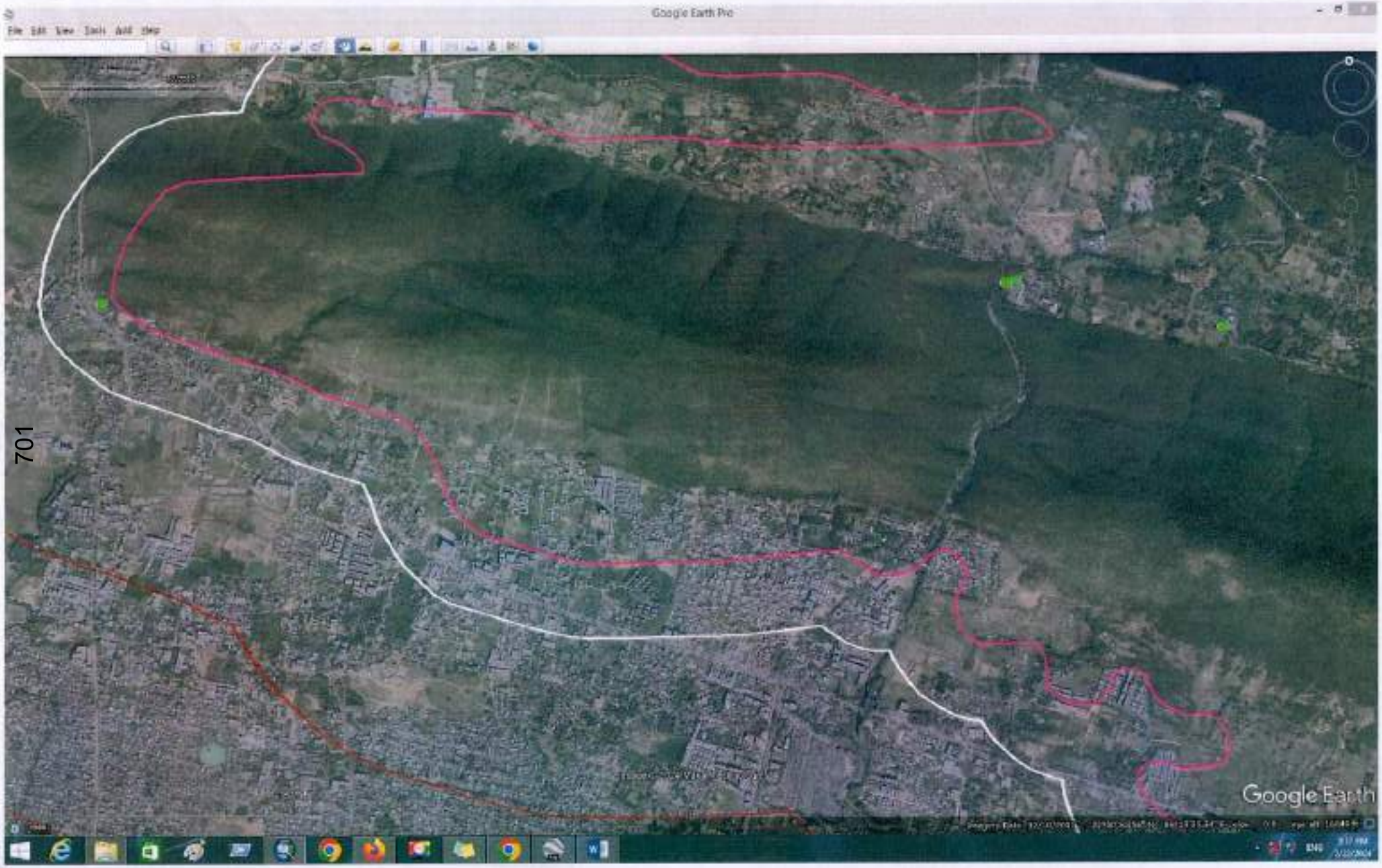

701

164

Google Earth Image: 10.12.2011 (Latitude: 22.854189, Longitude: 86.202662, Place: Opposite of City Inn)

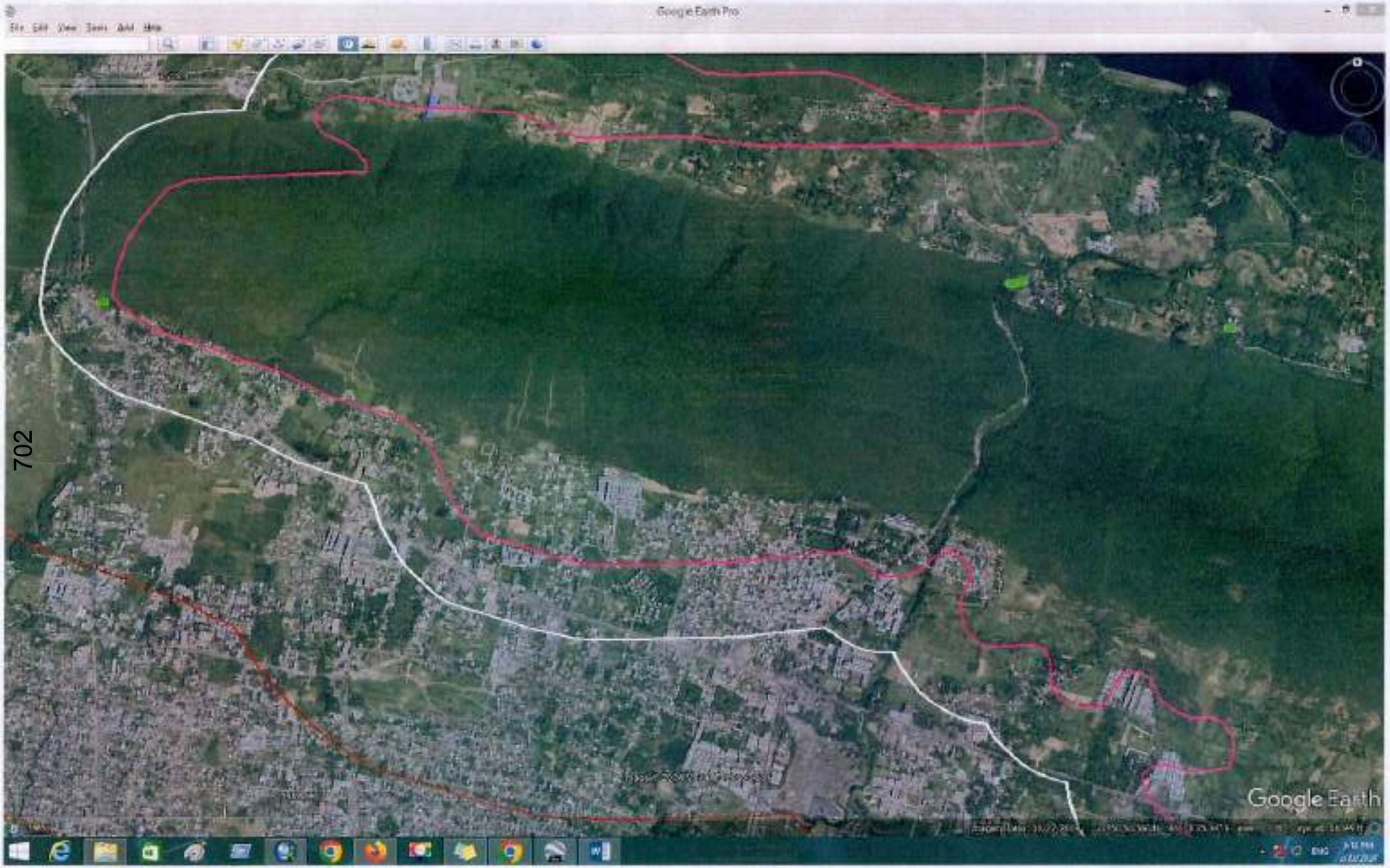

702

165

Google Earth Image: 27.10.2009 (Latitude: 22.854189, Longitude: 86.202662, Place: Opposite of City Inn)

3430-2

दिनांक 23.04.2024 को प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा की अध्यक्षता में दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- यथा पंजी संधारित।

उपस्थित पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक में सर्वप्रथम इको सेन्सिटिव जोन के परिसीमा पर विमर्श की गई एवं इससे उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना के अनुसार स्वतः उद्धृत है *"अतः अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (V) तथा खंड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा, जैसा कि निम्नलिखित उपाबद्ध रूप में दर्शायी गयी सीमा के भीतर पाँच किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेन्सिटिव जोन (जिसको इसमें इसके पश्चात् इको सेन्सिटिव जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है।'* तदालोक में Environment Protection Act, 1986 में विनिर्दिष्ट प्रावधान 24 (2) में वर्णित तथ्यों के आलोक में जो कि, यथा उद्धृत है "Where any act or omission constitutes an offence punishable under this act and also under any other act then the offender found guilty of such offence shall be liable to be punished under the other act and not under this act" तदोपरान्त दिनांक 27.06.2023 को सम्पन्न निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही की अनुपालन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में संबंधित पदाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार पक्ष रखा गया :-

1. ईको सेन्सेटिव जोन में अवैध तरीके से ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के निर्माण किए जाने के मामले में SAR Case No. 6/2021-22 से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन/फलाफल के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों से जानकारी माँगी गई परन्तु बैठक में संबंधित पदाधिकारी यथा अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के अनुपस्थित रहने के कारण तत्संबंधी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी तदालोक में संबंधित SAR Case के मामले में अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को स्मार पत्र निर्गत किए जाने हेतु निदेशित किया गया है।

   (अनुपालन- अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर)

2. ईको सेन्सेटिव जोन के अन्तर्गत मौजा बड़ालाखा में बंद पड़े क्रशर प्लांट के संदर्भ में की गई कार्रवाई के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ ने सूचित किया है कि उक्त स्थल से क्रशर प्लांट को हटा दिया गया है तथा इस बावत उनके द्वारा प्रतिवेदन भी समर्पित कर दिया गया है। (अनुपालित)

3. ईको सेन्सेटिव जोन में अवस्थित अवैध फैक्ट्री, होटल, रिसोर्ट के संबंध में उक्त प्रतिष्ठानों को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के संदर्भ में विस्तृत प्रतिवेदन ही मौंग क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर से की गई थी, तदाशय में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों (होटल, रिसोर्ट आदि) को निर्गत नोटिस के परिपेक्ष्य में की गई अद्यतन कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर को निदेशित किया गया साथ ही अनापत्ति निर्गत किए गए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का विस्तृत ब्यौरा संयोजक के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए निगरानी समिति को समर्पित करने का भी निदेश दिया गया।

   (अनुपालन- क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर एवं उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर)

C:\Users\user\Desktop\dalma 23-04-24.docx

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

4. दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी के इको सेंसिटिव जोन में अवैध मिट्टी कटाई एवं पहाड़ के खनन मामले में बोड़ाम थाना में दर्ज प्राथमिकी पर अद्यतन प्रतिवेदन की मांग वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से की गयी थी। उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को स्मार देने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन – उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर)

5. विभिन्न औद्योगिक ईकाई/प्रतिष्ठान (मुख्यतः स्पंज आयरण, स्टील प्लांट) द्वारा इको सेन्सिटिव जोन में Fly ash डम्पिंग करने के संबंध में बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर के प्रतिनिधि एवं जिला उद्योग केन्द्र द्वारा यह सूचित किया गया कि इको सेन्सिटिव में ज्यादातर Slag, Fly ash टाटा स्टील कम्पनी के Vendor द्वारा गिराया जाता है। इस संबंध में बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से यह बताया गया है कि प्रथम दृष्टया इसका रोकथाम का दायित्व टाटा कम्पनी पर है। Flyash के Bricks निर्माण करने हेतु अवैध रूप से संचालित ईकाइयों पर नियमानुसार कार्रवाई करने एवं विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोग विच्छेदन संबंधी नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर को पूर्व के बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में " Environmental Impact Assessment" का एक प्रति निगरानी समिति को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जमशेदपुर/सराईकेला खरसावाँ, कारखाना निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सराईकेला खरसावाँ, महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा /क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर)

6. ईको सेन्सेटिव जोन में अवैध एवं पर्यावरणीय मानकों के विपरीत संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा दलमा आश्रयणी में रासायनिक/हानिकारक बहिस्रावों का निस्तारण पहचान एवं रोकथाम हेतु एक समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है:–

i- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा (अध्यक्ष)
ii- क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर (सदस्य)
iii- कारखाना निरीक्षक, जमशेदपुर, सरायकेला–खरसावाँ (सदस्य)
iv- कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमशेदपुर, सरायकेला–खरसावाँ (प्रतिनिधि)
v- वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर।

ये समिति इको सेन्सिटिव जोन क्षेत्र का भ्रमण करेगी एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन निगरानी समिति को एक माह के अंदर उपलब्ध करायेगी।

(अनुपालन– क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर, कारखाना निरीक्षक, जिला उद्योग केन्द्र, सरायकेला–खरसावाँ चाईबासा, कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जमशेदपुर/सरायकेला–खरसावाँ)

7. मानगो नगर निगम के क्षेत्रांर्गत अवैध निर्माण के संदर्भ में (विगत बैठक के कार्यवाही का कंडिका 10 का संदर्भ लिया जाय) कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण उक्त मामले की समीक्षा नहीं हो सकी।

8. NGT में दायर वाद OA No. 567/2023 में पारित आदेश के कंडिका 01 में उद्धृत " That the construction activities by private individuals have started in foothills of Dalma Range, which is otherwise a protected area" के अनुपालन हेतु NGT द्वारा गठित समिति की अनुशंसा इस प्रकार है " **Monitor and Address Violations :-** The monitoring committee should initiate actions against constructions carried out within the eco-sensitive zone and the 300-meter buffer area surrounding the Dalma Wildlife sanctuary after the publication of the original MoEF notification on March 29, 2012 " के क्रम में Sri Mrinal Kanti Biswas

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Sc E & Regional Director, CPCB, RD Kolkata के द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में मंतव्य सहित विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रकार समिति गठित की जाती है :–

I. अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला–खरसावाँ (अध्यक्ष) (अपने –अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत)
II. संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला–खरसावाँ (सदस्य)
III. उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला–खरसावाँ के प्रतिनिधि
IV. कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम (सदस्य)
V. संबंधित अंचल अधिकारी (सदस्य)
VI. कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला खरसावाँ (सदस्य)
VII. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर (सदस्य)
VIII. वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र, चाण्डिल।

9. Negative List से संबंधित कार्रवाई का पर्यवेक्षण हेतु जानकारी प्रदान करने संबंधी कार्य के निमित्त अपर उपायुक्त, जो कि अपने–अपने जिले के लिए इको सेन्सिटिव जोन के लिए नामित नोडल पदाधिकारी है। यथाशीघ्र Negative List तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर /सरायकेला खरसावाँ, संबंधित अंचल अधिकारी, कार्यपालक अधिकारी मानगो नगर निगम)

10. जोनल मास्टर प्लॉन के क्रियान्वयन हेतु XLRI के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जोनल मास्टर प्लॉन के निर्माण हेतु व्यापक रूप से Man Power एवं Technicians की जरूरत होगी जिसके लिए अग्रिम राशि की आवश्यक्ता है। उक्त के मद्देनजर फंड (Fund) के Demand हेतु सरकार को अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि जोनल मास्टर प्लॉन बनाने के दौरान GIS का Input लेते हुए LULC Study भी किया जाएगा एवं एक Application विकसित किया जाएगा, जो लोक शिकायत हेतु एक Window होगा जिसके द्वारा संबंधित विभाग को स्वयं रूप से शिकायत अग्रसारित हो सकेगा एवं तत्संबंधी त्वरित समाधान की प्रक्रिया विकसित की जाएगी।

(अनुपालन– उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर)

11. वन अग्नि एवं विशु शिकार की रोकथाम के दृष्टिगत वन आधारित गाँव के जन–प्रतिनिधियों, पारम्परिक ग्राम प्रशासन के मानकी/मुण्डा के साथ बैठक करने एवं वन अग्नि एवं विशु शिकार के सापेक्ष जागरूकता फैलाने हेतु संबंधित प्रखण्ड विकास अधिकारी/अंचल अधिकारी को निदेशित करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, चाण्डिल, नीमडीह, मानगो, बोड़ाम, पटमदा एवं संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी)

12. इको सेन्सिटिव जोन में भू–जल संबंधी क्रियाकलाप को अधिसूचना के प्रावधानानुसार लागू करने हेतु महाप्रबंधक, DIC, चाईबासा को निदेश दिया गया है। उनको निदेशित किया गया है कि वे अपने स्तर पर भू–जल से संबंधित सक्षम प्राधिकार से पत्राचार करेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन निगरानी समिति को उपलब्ध करायेंगे। (अनुपालन–महाप्रबंधक, DIC, चाईबासा)

13. Elephant corridor मार्गों में हाथियों भटकाव को रोकने के लिए तालाब का निर्माण, हाथियों के रुचि कर भोजन जैसे घास, कटहल, केला इत्यादि प्रजातियों के पौधों का रोपण करने हेतु प्रशासक स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर से अनुरोध किया गया था। उक्त कार्य हेतु पुनः पत्राचार करने के लिए उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर निदेशित किया गया।

(उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक गज परियोजना जमशेदपुर)

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

14. विचार विमर्श के दौरान यह बात प्रकाश में लाया गया कि दलमा इको सेन्सिटिव जोन में नियम के विपरीत SRG Iron & Steel (P) LTD का संचालन किया जा रहा है। उक्त मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर को निदेशित किया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि उपरोक्त के अलावे अवैध रूप से संचालित अन्य इकाईयों की भी जांच कर लें।

(अनुपालनः– क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर, कारखाना निरीक्षक पूर्वी सिंहभूम/ सरायकेला–खरसावाँ)

15. उपरोक्त कंडिका की श्रृंखला में इको सेन्सिटिव जोन में अवस्थित प्रदूषणकारी इकाई STP LTD के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर 15 दिनों के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर को निदेशित किया गया । वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर ने सूचित किया कि STP LTD के द्वारा हानिकारक बहिस्राव का निस्तारण इको सेन्सिटिव जोन में अवस्थित प्राकृतिक जल स्रोत में किया जाता है। इस तथ्य को गंभीरता पूर्वक लेते हुए आयुक्त महोदय द्वारा STP LTD एवं अन्य सभी प्रदूषणकारी इकाई को चिन्हित करते हुए नियमानुसार कारवाई करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन– क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर, कारखाना निरिक्षक पूर्वी सिंहभूम/ सरायकेला खरसावाँ)

16. समाचार पत्र में दलमा इको सेन्सिटिव जोन में अवैध पत्थर खनन के मामले में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में संबंधित जिला खनन पदाधिकारी का ध्यान आर्कषित किया गया। इस बात संबंधित जिला के स्तर पर गठित District Mining Task Force के द्वारा कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन – जिला खनन पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम/ सरायकेला– खरसावाँ)

17. आश्रयणी/इको सेन्सिटिव जोन में विद्यमान विद्युत संचारण लाईन को दुरस्त करने के संबंध में वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये त्रुटिपूर्ण विद्युत लाइनो की सूची के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग द्वारा 22 बिन्दुओं को दुरूस्त किया गया है तथा शेष बिन्दुओ के संदर्भ में कार्रवाई नही किया गया है। विद्युत स्पर्शाघात से वन्य प्राणियो की मृत्यु के रोकथाम हेतु विगत बैठक मे दिये गये दिशा निर्देशो के आलोक में संयुक्त जाँच दल गठित करने के संबंध में विद्युत विभाग से पत्राचार करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल पूर्वी सिंहभुम/ सरायकेला खरसावाँ उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक गज परियोजना ,जमशेदपुर)

18. इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 18 के कंडिका 11 में उल्लेखित है कि *"No person shall use plastic carry bages within the Eco-sensitive Zone area and the disposal of plastic articles shall be prohibited"* उक्त के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर, संबंधित सभी अंचल अधिकारी)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

23/4/2024

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक गज परियोजना ,जमशेदपुर–सह– संयोजक, निगरानी समिति दलमा ईको सेन्सिटिव जोन, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी।

23.04.2024

प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा –सह–अध्यक्ष, निगरानी समिति दलमा ईको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी।

C:\Users\...\Desktop\Minutes 23-04-24.docx

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक– 325 दिनांक– 23.04.2024

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि–प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेपुर को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि–उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ/उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि–उप विकास आयुक्त, सरायकेला–खरसावाँ/उप विकास आयुक्त,पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अनुमण्डल पदाधिकाकरी, धालभूम, जमशेदपुर/सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

प्रतिलिपि–उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर–सह–संयोजक निगरानी समिति ईको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी अभ्रयणी/अपर उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ/अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा/जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ/पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सरायकेला –खरसावाँ/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सरायकेला–खरसावाँ/क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर/अंचल अधिकारी, चाण्डिल/नीमडीह, सरायकेला–खरसावाँ/अंचल अधिकारी, मानगो, पूर्वी सिंहभूम/बोड़ाम, पूर्वी सिंहभूम/पटमदा पूर्वी सिंहभूम/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चाण्डिल/नीमडीह, सरायकेला–खरसावाँ/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मानगो, पूर्वी सिंहभूम/बोड़ाम, पूर्वी सिंहभूम/पटमदा पूर्वी सिंहभूम/ कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम/वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी, पश्चिमी प्रक्षेत्र, चाण्डिल/पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ/कारखाना निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त के सचिव,
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल,
चाईबासा।
23/4/

Scanned with CamScanner

3130-3

(2)

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संकल्प

संचिका संख्या–06/वन्यप्राणी–24/2021–363 रांची, दिनांक– 21/03/2022

विषय:–दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी से संबद्ध पारिस्थितिकी संवेदी जोन (Eco-Sensitive Zone) के आंचलिक महायोजना (Zonal Master Plan) का निर्माण M/s XLRI, Jamshedpur से मनोनयन (Nomination) के आधार पर कराये जाने हेतु वित्त नियमावली के नियम–245 एवं नियम–235 को शिथिल करने के संबंध में।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना संख्या–S.O.No 680(E) दिनांक–29.03.2012 द्वारा दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी से संबद्ध Eco-sensitive Zone अधिसूचित है, जिसके प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु आंचलिक महायोजना (Zonal Master Plan) बनाया जाना है।

2. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्त नियमावली के नियम–245 के तहत् नियम–235 को शिथिल करते हुए दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी से संबद्ध पारिस्थितिकी संवेदी जोन (Eco-Sensitive Zone) के आंचलिक महायोजना (Zonal Master Plan) का निर्माण M/s XLRI, Jamshedpur से मनोनयन (Nomination) के आधार पर कराया जाय।

3. M/s XLRI, Jamshedpur द्वारा दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी के Zonal Master Plan का निर्माण रू0 45.00 लाख (plus GST & other taxes as applicable) पर कराया जायेगा।

4. M/s XLRI, Jamshedpur द्वारा Zonal Master Plan निर्माण कार्य आयुक्त, कोल्हान की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति के नियंत्रण एवं अनुश्रवण में किया जायेगा।

5. निर्मित Zonal Master Plan की स्वीकृति हेतु आयुक्त, कोल्हान की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति सक्षम प्राधिकार है।

6. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–24.02.2022 में मद संख्या–07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(एल० खियांग्ते)
अपर मुख्य सचिव

Page 1 of 2

Scanned with CamScanner

कार्यालय–उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सी०एम० एरिया,(नॉर्थ–वेस्ट) पारसी आतशगाह एवं साईं मंदिर के पास,
पो–रोनारी, जमशेदपुर 831011
e-mail-dfo-dirpe@gov.in , dcffdisr@gmail.com ; ☎-0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक 1143 दिनांक 26.8.2022

सेवा में,

प्रमण्डलीय आयुक्त,
सिंहभूम, (कोल्हान) प्रमण्डल,
चाईबासा।

विषय : दिनांक 21.06.2022 को सम्पन्न निगरानी समिति की बैठक में नियत बिंदु 13 के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 813 व०प० राँची दिनांक 21.03.2022 को उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक 769 दिनांक 04.07.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भवदीय की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2022 को सम्पन्न निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही में वर्णित बिंदुवार निर्देशों के अनुपालन के क्रम में बिंदु 13 में वर्णित Zonal Master Plan की गठन से संबंधित राज्य सरकार की संकल्प संख्या भवदीय को उपलब्ध कराई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी से संबंधित ESZ के Zonal Master Plan का निर्माण M/s XLRI Jamshedpur से मनोनयन के आधार पर कराया जाएगा तथा उक्त कार्य भवदीय {प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम, (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा} की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा एवं इस संबंध में निगरानी समिति सक्षम प्राधिकार है।

अनुलग्नोक्त।

आपका विश्वासी
06/8/2022
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

F:\Pen drive mpassan\LC Folder\Court Section\2949 Comm.doc

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक–06/वन्यप्राणी–24/2021– रांची, दिनांक–

प्रतिलिपि–अधिकारी, वन्यप्राणि मुख्यालय, जोनल ऑफिस, रांची को आवश्यक अंकन हेतु प्रेषित।

ह0/-
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–06/वन्यप्राणी–24/2021– रांची, दिनांक–

प्रतिलिपि–कार्यकारी पदाधिकारी सह सदस्य सचिव/प्रबंध समिति, मुख्यालयी अधिवासित/मुख्य सचिव, झारखण्ड के उप सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–06/वन्यप्राणी–24/2021– रांची, दिनांक–

प्रतिलिपि–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग अतिरिक्त, नई दिल्ली–110003/उप महानिदेशक (वन्यप्राणी) क्षेत्रीय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग अतिरिक्त, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–06/वन्यप्राणी–24/2021–863 रांची, दिनांक–23/03/2022

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/मुख्य मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–पदेन मुख्य निदेशक सेंट्रल झारखण्ड, रांची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर/वन निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटनगंज/वन निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनी झारखण्ड, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 596 दिनांक 23/05/2022

प्रतिलिपि : मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, राँची।

कार्यालय :– मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– 729 दिनांक :– 23/05/2022

प्रतिलिपि: उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर /वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग एवं राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची।

Scanned with CamScanner

कार्यालय–उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सी०एच० एरिया (नॉर्थ–वेस्ट) पारसी आरामगाह एवं साईं मंदिर के पास,
पो–सोनारी, जमशेदपुर 831011
e-mail-dfo-dirpe@gov.in , dcffdjsr@gmail.com ; Tele No.0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक दिनांक

सेवा में,

प्रधान सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

विषय– दलमा Eco Sensitive Zone का Zonal Master Plan के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि दलमा Eco Sensitive Zone का Zonal Master Plan के निर्माण हेतु विभागीय संकल्प संख्या –06/वन्यप्राणी–24/2021–863 व०प०, राँची, दिनांक 21.03.2022 की कंडिका 3 में M/S XLRI, Jsr द्वारा Zonal Master Plan के निर्माण हेतु रू० 45.00 लाख (GST & other taxes as applicable to paid extra) निर्धारित किया गया है जिसके आलोक में M/S XLRI, JSR द्वारा दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी के अधिसूचित Eco Sensitive Zone के प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु Zonal Master Plan के निर्माण हेतु रू० 45.00 लाख + GST & other taxes as applicable to paid extra अर्थात् रू० 55.00 लाख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

चुंकि इस कार्य के आरम्भ में काफी Man Power एवं तकनिकी विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी फलस्वरूप दिनांक 23.04.2024 को निगरानी समिति के बैठक के दौरान XLRI के प्रतिनिधि द्वारा कार्य प्रारंभ करने हेतु 20% अग्रिम की माँग की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण योजना के तहत् Zonal Master Plan के निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में रू० 15.31192 लाख वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित किया गया है जो अभी तक अप्राप्त है।

इस संबंध में प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा–सह–अध्यक्ष निगरानी समिति, दलमा Eco Sensitive Zone द्वारा Zonal Master Plan के निर्माण हेतु कुल आवश्यक राशि 45.00 लाख+GST & other taxes on applicable कुल 55.00 लाख रू० की राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेश दिया गया है। उक्त निदेश के आलोक में दलमा Eco Sensitive Zone का Zonal Master Plan के निर्माण हेतु "जमा शीर्ष–8782 (Deposit Fund)" के अन्तर्गत कुल आवश्यक राशि 45.00 लाख+GST & other taxes on applicable कुल 55.00 लाख रू० की आवंटन की आवश्यकता है ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि के प्रत्यार्पण की आवश्यकता नहीं पड़े एवं Zonal Master Plan के निर्माण में आवश्यकता अनुसार एवं कार्य की प्रगति के अनुरूप किस्तवार राशि M/S XLRI, Jsr को उपलब्ध कराया जा सके। ज्ञातव्य हो कि उक्त मामला माननीय NGT में लम्बित है।

अनुरोध है कि Zonal Master Plan के निर्माण हेतु कुल आवश्यक राशि 45.00 लाख+GST & other taxes on applicable कुल लगभग 55.00 लाख रू० की राशि उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

अनुलग्नक:यथोक्त।

आपका विश्वासी
ह०/–
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
गज परियोजना, जमशेदपुर।

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
गज परियोजना, जमशेदपुर।

E-mail

ज्ञापांक 971 दिनांक 18.06.2024

प्रतिलिपि प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/24

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
गज परियोजना, जमशेदपुर।

E:\Account Section-I\Demand for 45Lkh Zonal Master plan.doc

18/6/24

Scanned with CamScanner

3130-4

दिनांक 27-06-2023 को प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोलान) प्रमण्डल, चाईबासा की अध्यक्षता में दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- यथा पंजी संधारित।

उपस्थित पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

सर्वप्रथम दिनांक 21.06.2022 को सम्पन्न निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही की अनुपालन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में संबंधित पदाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार पक्ष रखा गया :-

1. ईको सेन्सेटिव जोन की सीमा पर वन विभाग की ओर से ईको सेन्सेटिव जोन एवं प्रतिबंधित कार्यों की सूचना अंकित करते हुए उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर द्वारा बोर्ड स्थापित कर दिया गया है।
2. ईको सेन्सेटिव जोन में अवैध तरीके से खरीद बिक्री कर Gyan Ganga Public School के नाम पर तीन मंजिला पक्की ईमारत के निर्माण किये जाने के मामले में अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा बताया गया कि भूमि-सुधार उप समाहर्ता, घाटशिला के न्यायालय में S.A.R Case No. 6/2021-22 में सुनवाई की जा रही है। उक्त वाद का शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को निदेशित किया गया। (अनुपालन- अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर)
3. इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत मौजा गढ़ालाखा में वर्षों से बंद पड़े क्रशर प्लांट को हटाने की गई कार्रवाई के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। 10 दिनों के अंदर उक्त क्रशर को हटाते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को निदेशित किया गया।

(अनुपालन- जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ)

4. अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसाँवा द्वारा दलमा ईको सेन्सेटिव जोन में 10 वर्ष में 100 से अधिक अवैध फैक्ट्री, होटल रिसॉर्ट की सूची चिह्नित कर उपलब्ध करायी गई थी, उक्त के आलोक में क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि 10 होटलों को प्रदुषण नियंत्रण पर्षद से अनापत्ति प्राप्त हो चुका है। 09 होटल स्वामी को नोटिस निर्गत किया गया। 15 दिनों के अंदर ठोस कार्रवाई करते हुए संयोजक के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर एवं उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर)

5. जलपान एग्रो फुड (जलपान चनाचुर) के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर द्वारा बताया गया कि स्थलीय जाँच किया गया जिसमें पाया गया कि यह Green Category में आता है। जो ईको सेन्सिटिव जोन के अधिसूचना के आलोक में विनियमित श्रेणी अन्तर्गत है। Green Category से संबंधित विभागीय दिशा निर्देश से निगरानी समिति को अवगत कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,जमशेदपुर को निदेशित किया गया।

(अनुपालन- क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर)

6. दिनांक 24.03.2022 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के इको सेंसिटिव जोन में अवैध रूप से मिट्टी कटाई एवं पहाड़ के खनन के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा बताया गया कि अवैध मिट्टी कटाई एवं खनन के मामले में घोड़ाझर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसका थाना कांड संख्या 36/2022 है। आरोपी फरार है। उक्त कांड का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त करने के लिए पत्राचार करने हेतु उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर को निदेशित किया गया।

(अनुपालन - उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

7. आश्रयणी के ईको सेन्सेटिव जोन में स्थापित मेसर्स STP Limited, अलकतरा फैक्ट्री के विरुद्ध अबतक की गई कार्रवाई के संबंध में पुछे जाने पर क्षेत्रीय पदाधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर द्वारा बताया गया कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची में दिनांक 11.04.2023 को सुनवाई हुई है। उक्त मामले में मुख्यालय स्तर पर भी सुनवाई चल रही है। मजबूती के साथ विभाग का पक्ष रखने हेतु महाधिवक्ता, झारखण्ड, रांची / से पत्राचार करने हेतु उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर को निदेशित किया गया।

(अनुपालन – उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर)

8. आश्रयणी की परिधि तथा ईको सेन्सेटिव जोन में अधिष्ठापित विद्युत खंभों में लगे हुए विद्युत संचारण तारों का झुका हुआ होना (Sagged Electric wire) तथा टुटी हुई विद्युत तारें (Worn/broken electric wire) एवं नंगी विद्युत तारें (Uncovered/uninsulated electric wire) के कारण विद्युत स्पर्शाघात से जंगली हाथियों तथा वन्यप्राणियों के साथ होनेवाली दुर्घटना की संभावना को देखते हुए में आश्रयणी के ईको सेन्सेटिव जोन क्षेत्र में Covered/insulated electric wire के प्रयोग के मामले में अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग, चाईबासा द्वारा बताया गया कि Covered/insulated electric wire लगाने में काफी राशि खर्च होने की संभावना है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा सुझाव दिया गया कि जगह–जगह बिजली खम्भों की उँचाई को बढ़ा देने से कुछ हद तक इस समस्या का समाधान हो जायेगा। प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग, चाईबासा एवं उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर को आपस में समन्वय स्थापित कर जंगली हाथियों तथा वन्यप्राणियों के आवागमन के रास्ते में आनेवाले बिजली खम्भों का सर्वेक्षण हेतु जांच दल गठित करने एवं 10 दिनों के अंदर समिति को मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन – उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर एवं अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग, चाईबासा)

9. ईको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत आनेवाले ग्रामों/निगम क्षेत्र में भवन निर्माण का नक्शा पारित करने से पहले उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर से अनापत्ति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

(अनुपालन – उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसावाँ कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम)

पूर्व में शिकायत प्राप्त होने पर Monitoring Committee द्वारा कार्रवाई किये जाने का प्रचलन थी जिसे क्रियाशील बनाने हेतु ईको सेन्सिटिव जोन से संबंध अंचल अधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम अपने–अपने क्षेत्र में नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर ईको सेन्सिटिव जोन के अधिसूचना के अन्तर्गत कार्यकलापों एवं आश्रयणी के 300 मीटर के अन्तर्गत अवैध निर्माण पर रोक लगायेंगे। ईको सेन्सिटिव जोन से संबंधित नक्शा पूर्व में ही सभी संबंधित एजेंसी को उपलब्ध कराया जा चुका है।

(अनुपालन – कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम, अंचल अधिकारी, मानगो, बोड़ाम, पटमदा, चाण्डिल, निमडीह)

10. मानगो नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अवैध निर्माण के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बिना सूचना के कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम के अनुपस्थित रहने के कारण उक्त मामले की समीक्षा नहीं हो सकी। आयुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन– आयुक्त के सचिव, सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा)

11. ईको सेन्सिटिव जोन अन्तर्गत क्षेत्र भ्रमण एवं वर्तमान स्थिति से संबंधित Status report उपलब्ध कराने हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल होंगे। गठित समिति दिनांक: 08.07.2023 को क्षेत्र भ्रमण करेगी।

I. उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
II. उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम /सरायकेला–खरसावाँ
III. अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम /सरायकेला–खरसावाँ
IV. अनुमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर एवं चाण्डिल

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

V. अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग, जमशेदपुर /चाईबासा
VI. जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम /सरायकेला–खरसाँवाँ
VII. जिला उद्योग समन्वयक, पूर्वी सिंहभूम
VIII. अंचल अधिकारी, मानगो/गोविन्दपुर/पटमदा/घाटशिला/नीलडीह
IX. वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर/दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र, घाटशिला
X. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर
XI. बारूदखाना निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसाँवाँ

12. उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक द्वारा बतलाया गया कि सरकार के स्तर से इको सेन्सिटिव जोन अन्तर्गत वन भूमि/सरकारी जमीन के खरीद–फरोख्त पर रोक लगाने हेतु निर्देश प्राप्त है। तद्आलोक में कार्रवाई हेतु अध्यक्ष द्वारा उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसाँवाँ का संयुक्त समिति गठित किया जाता है जो तीन माह के अन्दर विस्तृत रिपोर्ट देंगे। वे अपने अधीनस्थ को समन्वय स्थापित कर कार्य के निष्पादन का निर्देश देंगे।

(अनुपालन – कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम, अंचलाधिकारी, मानगो/ गोविन्दपुर/पटमदा/घाटशिला/नीलडीह)

13. Swarna Rekha Multipurpose Project के प्रशासक के प्रतिनिधि को Elephant Corridor हेतु मार्गों के भटकाव को रोकने हेतु तालाब का निर्माण, हाथियों के रूचिकर भोजन जैसे घास, कटहल, केला इत्यादि प्रजातियों के पौधों का रोपण करने हेतु निदेश दिया गया उक्त कार्य के लिए पौधों की आपूर्ति हेतु उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक गज परियोजना, जमशेदपुर का सहयोग प्राप्त करेंगे।

(अनुपालन – प्रशासक के प्रतिनिधि, स्वर्णरेखा, बहुद्देशीय परियोजना, जमशेदपुर)

14. टाटा कम्पनी के Vendor/Sub-Vendor द्वारा Slag/fly ash dump करने पर "Environmental Impact Assessment" Pollution Control Board द्वारा कर कर संबंधित कम्पनी को दण्ड अधिरोपित कर Monitoring Committee को सूचित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर)

15. इको सेन्सिटिव जोन से संबंधित नक्शा का Soft Copy को जिला के Website पर प्रकाशित करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन – उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जमशेदपुर)

समिति द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को दिये गए निदेश के अनुपालन हेतु समन्वय स्थापित करने एवं मंतव्य सहित प्रतिवेदन उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर–सह– संयोजक, निगरानी समिति, इको सेंसिटिव जोन, दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

प्रमण्डलीय आयुक्त,
सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा
–सह–अध्यक्ष, निगरानी समिति दलमा
ईको सेन्सिटिव जोन
दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक– III-10/2020-837 दिनांक– 04.07.2023

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि–उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि–उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि–उप विकास आयुक्त, सरायकेला–खरसावाँ/उप विकास आयुक्त,पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर–सह–संयोजक निगरानी समिति ईको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी अभ्रणी/अपर उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ/अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर अधीक्षण, अभियंता, विद्युत, पूर्वी सिंहभूम/अधीक्षण, अभियंता, विद्युत, पश्चिम सिंहभूम/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा/जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ /पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सरायकेला–खरसावाँ /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जमशेदपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी,पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला–खरसावाँ/ क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर/सचिव(प्रा०), प्रशासक सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/अंचल अधिकारी, चाण्डिल/नीलडीह, सरायकेला–खरसावाँ/अंचल अधिकारी, मानगो, पूर्वी सिंहभूम/घोड़ाझर, पूर्वी सिंहभूम/पटमदा पूर्वी सिंहभूम/कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम/जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी, पश्चिमी प्रक्षेत्र/पूर्वी प्रक्षेत्र, चाण्डिल/जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/जिला मृदा संरक्षण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम/जिला मृदा संरक्षण पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जमशेदपुर कारखाना निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/07/2023

आयुक्त के सचिव,
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल,
चाईबासा।

3/7/23

Scanned with CamScanner

3130-4A

दिनांक 27-06-2023 को प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा की अध्यक्षता में दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- यथा पंजी संधारित।

उपस्थित पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

सर्वप्रथम दिनांक 21.06.2022 को सम्पन्न निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही की अनुपालन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में संबंधित पदाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार पक्ष रखा गया :-

1. ईको सेन्सेटिव जोन की सीमा पर वन विभाग की ओर से ईको सेन्सेटिव जोन एवं प्रतिबंधित कार्यों की सूचना अंकित करते हुए उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर द्वारा बोर्ड स्थापित कर दिया गया है।
2. ईको सेन्सेटिव जोन में अवैध तरीके से खरीद बिक्री कर Gyan Ganga Public School के नाम पर तीन मंजिला पक्की ईमारत के निर्माण किये जाने के मामले में अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा बताया गया कि भूमि-सुधार उप समाहर्त्ता, बालसून के न्यायालय में S.A.R Case No. 6/2021-22 में सुनवाई की जा रही है। उक्त वाद का शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को निदेशित किया गया। (अनुपालन- अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर)
3. इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत मौजा बड़ालाखा में वर्षों से बंद पड़े क्रशर प्लांट को हटाने की गई कार्रवाई के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। 10 दिनों के अंदर उक्त क्रशर को हटाते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को निदेशित किया गया।

(अनुपालन- जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ)

4. अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसाँवा द्वारा दलमा ईको सेन्सेटिव जोन में 10 वर्ष में 100 से अधिक अवैध फैक्ट्री, होटल रिसॉर्ट की सूची चिह्नित कर उपलब्ध करायी गई थी, उक्त के आलोक में क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि 10 होटलों को प्रदुषण नियंत्रण पर्षद से अनापत्ति प्राप्त हो चुका है। 09 होटल स्वामी को नोटिस निर्गत किया गया। 15 दिनों के अंदर ठोस कार्रवाई करते हुए संयोजक के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषन नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर एवं उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर)

5. जलपान एग्रो फुड (जलपान चनाचुर) के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर द्वारा बताया गया कि स्थलीय जाँच किया गया जिसमें पाया गया कि यह Green Category में आता है। जो ईको सेन्सिटिव जोन के अधिसूचना के आलोक में विनियमित श्रेणी अन्तर्गत है। Green Category से संबंधित विभागीय दिशा निर्देश से निगरानी समिति को अवगत कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,जमशेदपुर को निदेशित किया गया।

(अनुपालन- क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषन नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर)

6. दिनांक 24.03.2022 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के इको सेंसिटिव जोन में अवैध रूप से मिट्टी कटाई एवं पहाड़ के खनन के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा बताया गया कि अवैध मिट्टी कटाई एवं खनन के मामले में घोड़ाम थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसका थाना कांड संख्या: 36/2022 है। आरोपी फरार है। उक्त कांड का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त करने के लिए पत्राचार करने हेतु उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर को निदेशित किया गया।

(अनुपालन – उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

7. आश्रयणी के ईको सेन्सेटिव जोन में स्थापित मेसर्स STP Limited, अलकतरा फैक्ट्री के विरुद्ध अबतक की गई कार्रवाई के संबंध में पुछे जाने पर क्षेत्रीय पदाधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर द्वारा बताया गया कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची में दिनांक 11.04.2023 को सुनवाई हुई है। उक्त मामले में मुख्यालय स्तर पर भी सुनवाई चल रही है।

मजबूती के साथ विभाग का पक्ष रखने हेतु महाधिवक्ता, झारखण्ड, रांची को पत्राचार करने हेतु उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर को निदेशित किया गया।

(अनुपालन – उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर)

8. आश्रयणी की परिधि तथा इको सेन्सेटिव जोन में अधिष्ठापित विद्युत खंभों में लगे हुए विद्युत संचारण तारों का झुका हुआ होना (Sagged Electric wire) तथा टुटी हुई विद्युत तारें (Worn/broken electric wire) एवं नंगी विद्युत तारों (Uncovered/uninsulated electric wire) के कारण विद्युत स्पर्शाघात से जंगली हाथियों तथा वन्यप्राणियों के साथ होनेवाली दुर्घटना की संभावना को देखते हुए में आश्रयणी के इको सेन्सेटिव जोन क्षेत्र में Covered/insulated electric wire के प्रयोग के मामले में अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग, चाईबासा द्वारा बताया गया कि Covered/insulated electric wire लगाने में काफी राशि खर्च होने की संभावना है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा सुझाव दिया गया कि जगह–जगह बिजली खम्भों की उँचाई को बढ़ा देने से कुछ हद तक इस समस्या का समाधान हो जायेगा। प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग, चाईबासा एवं उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर को आपस में समन्वय स्थापित कर जंगली हाथियों तथा वन्यप्राणियों के आवागमन के रास्ते में आनेवाले बिजली खम्भों का सर्वेक्षन हेतु जांच दल गठित करने एवं 10 दिनों के अंदर समिति को मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन – उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर एवं अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग, चाईबासा)

9. इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत आनेवाले ग्रामों/निगम क्षेत्र में भवन निर्माण का नक्शा पारित करने से पहले उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर से अनापत्ति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

(अनुपालन – उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसाँवा कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम)

पूर्व में शिकायत प्राप्त होने पर Monitoring Committee द्वारा कार्रवाई किये जाने का प्रचलन थी जिसे क्रियाशील बनाने हेतु इको सेन्सिटिव जोन से संबंध अंचल अधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम अपने–अपने क्षेत्र में नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर इको सेन्सिटिव जोन के अधिसूचना के अन्तर्गत कार्यकलापों एवं आश्रयणी के 300 मीटर के अन्तर्गत अवैध निर्माण पर रोक लगायेंगे। इको सेन्सिटिव जोन से संबंधित नक्शा पूर्व में ही सभी संबंधित एजेंसी को उपलब्ध कराया जा चुका है।

(अनुपालन – कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम, अंचल अधिकारी, मानगो, बोड़ाम, पटमदा, घाटशिला, निमडीह)

10. मानगो नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अवैध निर्माण के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बिना सूचना के कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम के अनुपस्थित रहने के कारण उक्त मामले की समीक्षा नहीं हो सकी। आयुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन– आयुक्त के सचिव, सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा)

11. इको सेन्सिटिव जोन अन्तर्गत क्षेत्र भ्रमण एवं वर्तमान स्थिति से संबंधित Status report उपलब्ध कराने हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल होंगे। गठित समिति दिनांक 08.07.2023 को क्षेत्र भ्रमण करेगी।

I. उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
II. उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम /सरायकेला–खरसाँवाँ
III. अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम /सरायकेला–खरसाँवाँ
IV. अनुमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर एवं घाटशिला

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

V. अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग, जमशेदपुर /चाईबासा
VI. जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम /सरायकेला–खरसाँवाँ
VII. जिला उद्योग समन्वयक, पूर्वी सिंहभूम
VIII. अंचल अधिकारी, मानगो/बोड़ाम/पटमदा/चाण्डिल/नीमडीह
IX. वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर/दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र, चाण्डिल
X. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर
XI. कारखाना निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसाँवाँ

12. उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक द्वारा बतलाया गया कि सरकार के स्तर से इको सेन्सिटिव जोन अन्तर्गत वन भूमि/सरकारी जमीन के खरीद–फरोख्त पर रोक लगाने हेतु निर्देश प्राप्त है। सद्आलोक में कार्रवाई हेतु अध्यक्ष द्वारा उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसाँवाँ का संयुक्त समिति गठित किया जाता है जो तीन माह के अन्दर विस्तृत रिपोर्ट देंगे। वे अपने अधीनस्थ को समन्वय स्थापित कर कार्य के निष्पादन का निर्देश देंगे।

(अनुपालन – कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम, अंचलाधिकारी, मानगो/ बोड़ाम/पटमदा/चाण्डिल/निमडीह)

13. Swarna Rekha Multipurpose Project के प्रशासक के प्रतिनिधि को Elephant Corridor हेतु मार्गों के भटकाव को रोकने हेतु तालाब का निर्माण, हाथियों के रूचिकर भोजन जैसे घास, कटहल, केला इत्यादि प्रजातियों के पौधों का रोपण करने हेतु निदेश दिया गया उक्त कार्य के लिए पौधों की आपूर्ति हेतु उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक गज परियोजना, जमशेदपुर का सहयोग प्राप्त करेंगे।

(अनुपालन – प्रशासक के प्रतिनिधि, स्वर्णरेखा, बहुद्देशीय परियोजना, जमशेदपुर)

14. टाटा कम्पनी के Vendor/Sub-Vendor द्वारा Slag/fly ash dump करने पर "Environmental Impact Assessment" Pollution Control Board द्वारा कड़ा कर संबंधित कम्पनी को दण्ड अधिरोपित कर Monitoring Committee को सूचित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर)

15. इको सेन्सिटिव जोन से संबंधित नक्शा का Soft Copy को जिला के Website पर प्रकाशित करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन – उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जमशेदपुर)

समिति द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को दिये गए निदेश के अनुपालन हेतु समन्वय स्थापित करने एवं मंतव्य सहित प्रतिवेदन उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर–सह– संयोजक, निगरानी समिति, इको सेंसिटिव जोन, दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/–

प्रमण्डलीय आयुक्त,
सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा
–सह–अध्यक्ष, निगरानी समिति दलमा
ईको सेन्सिटिव जोन
दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक– III-10/2020 837 दिनांक– 04.07.2023

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि–क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि–उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि–उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि–उप विकास आयुक्त, सरायकेला–खरसावाँ/उप विकास आयुक्त,पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर–सह–संयोजक निगरानी समिति ईको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी अभ्रयणी/अपर उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ/अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर अधीक्षण, अभियंता, विद्युत, पूर्वी सिंहभूम/अधीक्षण, अभियंता, विद्युत, पश्चिम सिंहभूम/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा/जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ /पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सरायकेला–खरसावाँ /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जमशेदपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी,पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला–खरसावाँ/ क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर/सचिव(प्रा०), प्रशासक सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/अंचल अधिकारी, चाण्डिल/नीमडीह, सरायकेला–खरसावाँ/अंचल अधिकारी, मानगो, पूर्वी सिंहभूम/घोड़ाम, पूर्वी सिंहभूम/पटमदा पूर्वी सिंहभूम/कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम/जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी, पश्चिमी प्रक्षेत्र/पूर्वी प्रक्षेत्र, चाण्डिल/जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/जिला मृदा संरक्षण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम/जिला मृदा संरक्षण पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जमशेदपुर कारखाना निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/07/2023
आयुक्त के निमित्त,
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल,
चाईबासा।
3/7/23

Scanned with CamScanner

3130-5

कार्यालय–उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सीएचच एरिया(नॉर्थ–वेस्ट) जरसी आरामगाह एवं सांई मंदिर के पास,
पो–सोनारी, जमशेदपुर 831011
e-mail-dfo-dirpc@gov.in , dcffdjsr@gmail.com ; ☎-0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक 1082 दिनांक 02.8.2022

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
मानगो नगर निगम, जमशेदपुर।

विषय : आपके कार्यालय के स्तर से आश्रयणी के Eco Sensitive Zone से सटे भूमि का नक्शा पारित करने के क्रम में उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करने के संबंध में।

प्रसंग : दिनांक 21.06.2022 को सम्पन्न निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही की बिंदु 12

महाशय,

उपरोक्त विषयक पत्र के संबंध में आपको सूचित करना है कि विषयांकित समस्या के निराकरण के संबंध में इस कार्यालय पत्रांक 500 दिनांक 23.04.2022 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित आश्रयणी की अधिसूचना की पृष्ठ संख्या 16 की कंडिका 5 एवं पृष्ठ संख्या 17 के कंडिका 3 का क्रमशः संदर्भ लिया जाय। उक्त अधिसूचना के कंडिका 5 में वर्णित है:–

"चाय बागानी, बागवानी क्षेत्रों, कृषि पार्कों आदि का हरित उपयोग से गैर हरित उपयोग में परिवर्तन नहीं किया जायेगा परन्तु इस अधिसूचना की तारीख को विद्यमान स्थानीय निवासियों और प्राकृतिक वृद्धि की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उद्देश्य के साथ उसका उपयोग कृषि योग्य जमीन को स्थानीय आबादी को रहने के लिए दिया जा सकता है तो यो भी इस शर्त के साथ कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर कोई भी कंक्रीट का निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।" विस्तृत दिशा निर्देश हेतु Eco Sensitive Zone notification no. 680(अ) के प्रावधानानुसार नक्शा अनुज्ञात किया जा सकता है।

विषयांकित समस्या के प्रभावी निराकरण हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त आश्रयणी के ईको सेंसेटिव जोन की अधिसूचना की पृष्ठ संख्या 18 के बिंदु 8 के शीर्षक "Ground water" में अंकित कथनों का संदर्भ लिया जाय। उक्त कथन में वर्णित है कि औद्योगिक, वाणिज्यीक उपयोग हेतु भूमिगत जल का निष्कासन के लिए निगरानी समिति की पूर्वानुमति अपेक्षित है। भूमिगत जल का वाणिज्यीकरण (क्रय) निगरानी समिति के अनुमोदन के बिना प्रतिषिद्ध है। इसके अलावे अधिसूचना की पृष्ठ संख्या 18 की बिंदु 9 का भी संदर्भ लिया जाय। जिसके अनुसार ESZ में स्थित पहाड़ी ढलानों पर कोई भी निर्माण कार्य (Construction work) अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

E:\Pen drive mousami\C Folder\Court Section\ESZ Maps Mango nagar nigam.doc

Scanned with CamScanner

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के पत्रांक 500 दिनांक 23.04.2022 के द्वारा आश्रयणी की अधिसूचना के साथ आश्रयणी के ESZ की नक्शा जो की आश्रयणी के ESZ के सीमांकन के संबंध में एक प्रमाणिक नक्शा है तथा उक्त नक्शा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.03.2012 को निर्गत दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य की ESZ की अधिसूचना की पृष्ठ संख्या 8 एवं 21 में अंकित नक्शा के अनुरूप है, जिसे आपके कार्यालय को इस कार्यालय के पत्रांक 500 दिनांक 23.04.2022 उपलब्ध कराया गया है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकःयथोक्त।

आपका विश्वासी

ह0/-

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

ज्ञापांकः- दिनांकः-

प्रतिलिपिः- अंचलाधिकारी बोड़ाम/अंचलाधिकारी, मानगो/पटमदा एवं चाण्डिल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

ज्ञापांकः- दिनांकः-

प्रतिलिपिः- अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/ अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसाँवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

ज्ञापांकः- दिनांकः-

प्रतिलिपिः- उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/ उप विकास आयुक्त, सरायकेला-खरसाँवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

ज्ञापांकः- 1082 दिनांकः- 02.8.22

प्रतिलिपिः प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/8/2022

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

E:\Pen drive mousami\C Folder\Court Section\ESZ Maps Mango nagar nigam.doc

Scanned with CamScanner

3130-6

दिनांक 11.07.2023 को निगरानी समिति के द्वारा दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी इको सेन्सिटिव जोन की क्षेत्र भ्रमण की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– उपस्थिति–पंजी के अनुसार।

दिनांक 27.06.2023 को सम्पन्न निगरानी समिति की बैठक में नियत कार्यवाही की बिन्दु 11 में उल्लेखित अनुपालन के संदर्भ में इको सेन्सिटिव जोन के क्षेत्र भ्रमण हेतु दिनांक 11.07.2023 को तिथि तय किया गया, जिसकी विधिवत् सूचना इस कार्यालय का पत्रांक 1040 दिनांक 07.07.2023 द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को संसूचित किया गया।

निर्धारित तिथि को संबंधित पदाधिकारीगण मकुलाकोचा स्थित (दलमा) Education & Research Centre में उपस्थित हुए। तत्पश्चात् सभी पदाधिकारियों को दलमा इको सेन्सिटिव जोन के वैधानिक एवं भौगोलिक स्थिति के संबंध में अवगत कराया गया तथा इसी कम में संबंधित पदाधिकारियों को इको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की मानचित्र एवं अधिसूचना उपलब्ध कराया गया। Orentation Programme के तौर पर सभी आगंतुकों को ESZ के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। तदोपरान्त क्षेत्र भ्रमण की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

सर्वप्रथम संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मकुलाकोचा (दलमा) से प्रस्थान करते हुए NH-33 संलग्न इको सेन्सिटिव जोन (ESZ) का Visual Survey किया गया। इसी कम में इको सेन्सिटिव जोन (ESZ) में अवस्थित कतिपय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, भंडार गृह, ढाबा, होटल, मकानों आदि का अवलोकन किया गया। पूछ–ताछ के कम में यह ज्ञात हुआ कि कई निर्माण वर्ष–2012 से पूर्व का है, जबकि कुछ उसके बाद का है। ज्यादातर निर्माण रैयती भूमि में अवस्थित है। भ्रमण प्रकिया को जारी रखते हुए अनुसंधान दल इसी यात्रा श्रृखंला में मौजा पातीपानी होते हुए जाँच दल गेरूआ से डिमना चौक होते हुए देवधर – भिलाईपहाड़ी तक भ्रमण किया गया तथा उनके द्वारा भ्रमण पथ के संलग्न (ESZ) में व्याप्त मानवीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यकलापों एवं विनिर्माणों को संज्ञान में लिया गया। निर्णय हुआ कि संबंधित अंचल अधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी एक विस्तृत प्रतिवेदन निगरानी समिति को उपलब्ध करायेंगे। पातीपानी एवं गेरूआ के तरफ से नये निर्माणों को यथासंभव हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाय। साथ ही इको सेन्सिटिव जोन में कोई भी निर्माण कार्य का नक्शा पारित करने से पहले वन–विभाग से अनापत्ति लेना अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया।

उक्त भ्रमण की कार्यवाही में अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग, चाईबासा एवं जमशेदपुर भी उपस्थित हुए। उनके साथ हुए विमर्श में सभी प्रासंगिक अधिनस्थों के साथ अनुश्रवण हेतु WhatsApp ग्रुप बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि जमीनी कार्य सुचारू एवं समयबद्ध रूप से हो सके।

सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसकी प्रति भेजी जा रही है।

ह0/–

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
गज परियोजना, जमशेदपुर
–सह–संयोजक निगरानी समिति
इको सेन्सिटिव जोन
दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपिः–
1. उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
2. उप विकास आयुक्त, सरायकेला खरसांवां
3. अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर
4. अपर उपायुक्त, सरायकेला –खरसांवां
5. अनुमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर
6. अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल
7. जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
8. जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला खरसांवां
9. अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग, जमशेदपुर
10. अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग, सरायकेला खरसांवां
11. जिला उद्योग समन्वयक, पूर्वी सिंहभूम
12. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर
13. कारखाना निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम
14. कारखाना निरीक्षक, सरायकेला खरसांवां
15. कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम
16. अंचल अधिकारी, मानगो/बोड़ाम/पटमदा/चाण्डिल/नीमडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

sd/–
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
गज परियोजना, जमशेदपुर
–सह–संयोजक निगरानी समिति
इको सेन्सिटिव जोन
दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी

E. mail

ज्ञापांक 1123 दिनांक 20.7.2023

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/2023
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
गज परियोजना, जमशेदपुर
–सह–संयोजक निगरानी समिति
इको सेन्सिटिव जोन
दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी

Scanned with CamScanner

3130-7

दिनांक 05-06-2024 को निगरानी समिति के द्वारा दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी इको सेन्सिटिव जोन की क्षेत्र भ्रमण एवं बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :– यथा पंजी संधारित।

उपस्थित पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

निर्धारित तिथि को संबंधित पदाधिकारीगण C.H. Area, सोनारी, जमशेदपुर स्थित वन भवन के सभागार में उपस्थित हुए। तत्पश्चात् सभी पदाधिकारियों को दलमा इको सेन्सिटिव जोन के मानचित्र के द्वारा भौगोलिक स्थिति के संबंध में अवगत कराया गया तथा इसी क्रम में संबंधित पदाधिकारियों को इको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की अधिसूचना उपलब्ध कराया गया। O.A. No. 145/2023 में माननीय NGT द्वारा दिनांक 26.04.2024 को निर्गत न्यायादेश के आलोक में सभी पदाधिकारियों को ESZ के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। तदोपरान्त क्षेत्र भ्रमण के लिए प्रस्थान किया गया।

सर्वप्रथम इको सेन्सिटिव जोन (ESZ) का Visual Survey किया गया। इसी क्रम में इको सेन्सिटिव जोन (ESZ) में अवस्थित कतिपय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, भंडार गृह, ढाबा, होटल, मकानों आदि का अवलोकन किया गया। पूछ–ताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि कई निर्माण वर्ष 2012 से पूर्व का है जबकि कुछ उसके बाद का है।

क्षेत्र भ्रमण के दौरान ESZ के अन्तर्गत अलकतरा फैक्ट्री STP Limited का निरीक्षण किया गया जहाँ कम्पनी के प्रबंधक द्वारा बताया गया कि कम्पनी द्वारा Coaltar, enamel, epoxy primer, sealing compound एवं HDLC (Anti corrosive Product) का निर्माण किया जाता है। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त Industrial परिसर का क्षेत्रफल लगभग 4.91 एकड़ है। परिसर के अवलोकन के क्रम में STP Limited को संचालित पाया गया एवं इस क्रम में निगरानी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि STP Limited के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर, निगरानी समिति को नियमानुसार कृत कार्रवाई के साथ समर्पित करेंगे।

तत्पश्चात क्षेत्र भ्रमण के दौरान SRG Iron & Steel (P) Ltd. का निरीक्षण किया गया जिसमे समिति द्वारा SRG के परिसर में Slag Screening Point आंशिक रूप से dismantle पाया गया।

Scanned with CamScanner

SRG Iron & Steel (P) Ltd. के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन महाप्रबंधक, DIC, चाईबासा एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर से मांगा गया, जो तीन दिनों के अंदर कृत कार्रवाई सहित समर्पित करेंगे।

तत्पश्चात Balajee Steel Udyog Ltd परिसर का भ्रमण किया गया जहाँ कई Slag Screening मशीन भी पाया गया जिससे प्रतीत होता है कि इस Unit के द्वारा कार्य किया जाता है परन्तु निरीक्षण के समय Unit संचालित नही थी। संचालनकर्त्ता से जब कागजातों की माँग की गयी तो उनके द्वारा Consent to establish, consent to operate Certificate एवं अन्य वांछित कागजात उपस्थापित नही किया गया। Balajee Steel Udyog Ltd की जाँच एवं नियमानुसार कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, DIC चाईबासा एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर को निर्देश दिया गया।

दिनांक 23.04.2024 को प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा की अध्यक्षता में दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 6 के आलोक में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा को अध्यक्ष बनाया गया है उन्हें नियमानुसार जाँच एवं कृत कार्रवाई प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर (Action Taken Report) के साथ समर्पित करने का निदेश दिया गया ताकि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके। इस प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसकी प्रति भेजी जा रही है।

07/6/2024

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर
–सह– संयोजक निगरानी समिति
इको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्य
प्राणी आश्रयणी, जमशेदपुर।

7/6/24

अपर प्रधान मुख्य वन
संरक्षक, सिंहभूम रीजन,
जमशेदपुर

प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम
(कोल्हान) प्रमण्डल,
चाईबासा–सह–अध्यक्ष, निगरानी
समिति दलमा ईको सेन्सिटिव जोन
दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी।

C:\Users\acer.HH-NI\Downloads\Dalma_Proceeding_05.06.2024_meeting.doc

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक :– दिनांक :–

प्रतिलिपिः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, कोलकाता/अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला खरसावाँ/अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा/जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला खरसावाँ/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला खरसावाँ/कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जमशेदपुर/सरायकेला खरसावाँ/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जमशेदपुर/सरायकेला खरसावाँ/कारखाना निरीक्षक, जमशेदपुर/सरायकेला खरसावाँ/क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर/वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर/दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र, चाण्डिल को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

80/–

उप वन संरक्षक एंव क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर –सह–
संयोजन निगरानी समिति
इको सेन्सिटिव जोन
दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी, जमशेदपुर।

ज्ञापांक :– 915 दिनांक :– 07.06.2024

प्रतिलिपिः प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/6/2024

उप वन संरक्षक एंव क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर –सह–
संयोजन निगरानी समिति
इको सेन्सिटिव जोन
दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी, जमशेदपुर।

Scanned with CamScanner

3130-8

संयुक्त जाँच समिति द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन

दिनांक 23.04.2024 को प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान)–प्रमंडल, चाईबासा की अध्यक्षता में दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी ईको सेंसिटिव जोन (ESZ) की निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 325, दिनांक 23.04.2024 की कंडिका 08 के आलोक में गठित समिति के द्वारा माननीय NGT, पूर्वी क्षेत्र बेंच कोलकत्ता द्वारा O.A. No. 145/2023 में दिनांक 26.04.2024 को निर्गत न्यायादेश की कंडिका 04, 05, 06, 07 एवं 08 के अनुपालन के निमित ESZ में अवस्थित इकाई सर्वश्री एस.टी.पी. लिमिटेड, मिर्जाडीह, डिमना, जमशेदपुर एवं सर्वश्री एस. आर.जी. आयरन एण्ड स्टील प्रा.लि., मिर्जाडीह, गेरूआ, पो. घटमदा, जमशेदपुर एवं अन्य सम्बंधित मौजों का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 11.06.2024 को किया गया, जिसमे निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थें:–

01) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा।

02) सहायक पर्यावरण अभियन्ता, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, आदित्यपुर, सरायकेला–खरसावाँ ।

03) कारखाना निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला खरसावाँ ।

04) सहायक विद्युत अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मानगो, जमशेदपुर।

05) वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्य प्राणी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

समिति के द्वारा उक्त दोनों इकाईयों के भौतिक निरीक्षण एवं निदेश के क्रम में इकाईयों द्वारा समर्पित कागजातों के आलोक में वस्तुस्थिति निम्नवत् है–

01– सर्वश्री एस.टी.पी. लिमिटेड, मिर्जाडीह, डिमना, जमशेदपुर:–

i)	भूमि	:–	4.91 एकड़ (रैयती) ESZ अधिसूचना के तहत इकाई ESZ के अन्दर कार्यरत है।
ii)	स्थापना	:–	इकाई 1988 से स्थापित है।
iii)	उत्पाद	:–	Coal Tar (Coal Tar based Anti-corrosive products and Binding Pitch)
iv)	रोजगार	:–	80 (स्थानीय एवं बाहरी)
v)	विद्युत भार	:–	210 KVA, Electric Supply Circle, Jamshedpur.
vi)	उद्योग आधार	:–	JH06C0017047
vii)	फैक्ट्री लाईसेंस	:–	FCA1535716410201, सर्किल–02, जमशेदपुर, वैधता 31.12.2023
viii)	FIRE NOC	:–	वैधता 31.03.2025
ix)	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण अधिष्ठापन:–		

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

a) Water Cooled Condenser to convert smoke and vapour into liquid oil.

b) 9 chimney

c) ETP @ 5 KL/day with zero discharge facility.

d) Rain Water Harvesting plan.

x) GST Paid (2023-24) :– Rs. 13.65 Cr.

xi) गुणवत्ता प्रमाण पत्र :– ISO 9001, ISO 1400, ISO 45001

xii) इकाई के द्वारा JSPCB Certified Lab for Environmental Pollution Maintaining and Analysis के दिनांक 24.02.2024 को निर्गत Atmospheric Pollution, Discipline: Chemical से सम्बंधित टेस्ट रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें Particulate Matter (PM 10), SO_2, Ni, As, C_6H_6 इत्यादि को "Well Within Regulatory Limit" पाया गया है।

उक्त टेस्ट रिपोर्ट में Water Discharge को निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है। साथ ही, Stack Height from Ground Level 30.0 मीटर दर्शाया गया है, जो Standard है।

xiii) इकाई के द्वारा इस आशय का शपथनामा समर्पित किया गया है कि इकाई वर्त्तमान प्लांट को आगामी 3–4 वर्षों के भीतर उपयुक्त भूमि मिलने पर स्थानांतरित कर लेगी।

xiv) इकाई के द्वारा समर्पित शपथनामा में यह स्पष्ट किया गया है कि इकाई वर्ष 2012 से ESZ के अन्तर्गत है तथा वर्ष 2012 तक JSPCB के द्वारा निर्गत CTO के तहत् कार्यरत थी। वर्त्तमान में इकाई के पक्ष में कोई CTO & Authorization to Hazardous & Waste Disposal, JSPCB के द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

xv) इकाई W.P.(C) No. 7340/2012 में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के दिनांक 05, दिनांक 08.07.2013 के क्रम में पारित न्यायादेश "no coercive step shall be taken against the petitioner" के तहत् वर्त्तमान में कार्यरत है।

➢ <u>इकाई के सम्बंध में निम्न तथ्य महत्त्वपूर्ण है:–</u>

01– इकाई के द्वारा इस आशय का शपथनामा दिया गया है कि इकाई आगामी 3–4 वर्षों के अन्दर Suitable Land मिलने पर ESZ से शिफ्ट कर लेगी।

02– वर्त्तमान में इकाई के द्वारा 80 (स्थानीय एवं बाहरी) व्यक्तियों को नियोजन प्रदान किया जा रहा हैं, जिसमें ज्यादातर स्थानीय ग्रामीण है।

03– इकाई के द्वारा उत्पादित सामग्री के Clients मुख्यतः सरकारी उपक्रम है।

04– इकाई द्वारा CSR मद में वर्ष 2020 में ग्रामीण महिलाओं में सिलाई मशीन का वितरण, वर्ष 2021 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जगमोहनपुर, मिर्जाडीह, जमशेदपुर के नवीनीकरण (Renovation), वर्ष 2022 में प्राथमिक विद्यालय, गेरूआ, प्रखण्ड बोड़ाम, पूर्वी सिंहभूम के नवीनीकरण (Renovation) एवं वर्ष 2024 में रेड क्रॉस सोसाईटी, जमशेदपुर के सहयोग से

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

नेत्र शल्य चिकित्सा उपकरणो एवं लामुको के पौष्टिक भोजन पर रू. 12.88 लाख का व्यय किया गया।

➢ <u>उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में इकाई को पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप कार्य करने हेतु निम्न निदेश दिया गया है :–</u>

01– इकाई को 15 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार औद्योगिक क्षेत्र की भुमि के लिए MD JIADA से आदित्यपुर प्रक्षेत्र के अन्तर्गत Vacant Land/बंद पड़ी इकाई की भूमि को प्राधिकार के प्रचलित दर पर नियम के तहत् उपलब्ध कराने हेतु आवेदन देने का निदेश दिया गया।

02– साथ ही इकाई को स्वयं उपयुक्त भूमि तलाशने हेतु निदेश दिया गया, जिसमें सम्बंधित जिले के उपायुक्त से आवश्यकतानुसार GM Land/CNT Land को Land Pooling के निमित सम्बंधित मौजा के प्रचलित सरकारी दर पर लीज बंदोबस्ती कराने हेतु अनुरोध करने का भी निदेश दिया गया है।

03– वर्त्तमान में इकाई में कच्चा माल लाने एवं तैयार माल को बाहर भेजने हेतु उपयोग में आने वाले भारी वाहनों के आवागमन हेतु इकाई के चारो ओर Haul Road का निर्माण करने का निदेश दिया गया है।

04– इकाई में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों के नवीनीकरण यथा बड़े व्यास (Diameter) के Water Pipe Nozzle, Hoist आदि लगाने हेतु इकाई को निदेशित किया गया है।

(Exhibits & Documents attached attached as annexure-A Page No. 1-5)

02– <u>सर्वश्री एस.आर.जी. आयरन एण्ड स्टील प्रा.लि., गिर्जाडीह, गेरूआ, पो. पटमदा, जमशेदपुर</u>

➢ इकाई के स्थलीय निरीक्षण के क्रम में निम्न तथ्य स्पष्ट है :–

i) इकाई लगभग 5.00 एकड़ में वर्ष 1998 में स्थापित है एवं वर्ष 2012 से ESZ के भीतर अवस्थित है।

ii) इकाई के मुख्य प्रवेश द्वार के बाएं तरफ CEAT Tyre के Warehousing का कार्य किया जा रहा है।

iii) Warehousing से सटी खुली भूमि में Bottom Flyash/Slag Boiler का स्क्रीनिंग यूनिट स्थापित है, जो Dismantle अवस्था में है।

iv) प्रवेश द्वार के ठीक सामने शेड दो भागों में विभाजित है, जिसके एक भाग में Flyash Brick निर्माण का Dismantled एवं Defunct Plant स्थापित है। दुसरे भाग में Slag Screening Plant है, जो वर्त्तमान में अकार्यरत अवस्था में है।

v) उक्त शेड के पीछे, इकाई की मुख्य योजना Crowbar, Octgonal Bar, Pickaxe इत्यादि स्थापित है, जो वर्त्तमान में पूर्णतः Defunct प्रतीत होती है।

vi) इकाई प्रबंधन द्वारा समर्पित शपथनामा में स्पष्ट किया गया है कि इकाई द्वारा Production Facility को आगामी 3–4 वर्षों में ESZ से बाहर उपयुक्त भूमि मिलने पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

vii) इकाई को झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर के पत्रांक 99, दिनांक 30.01.2024 के द्वारा Slag Screening Plant को बन्द करने तथा Dismantle करने का निदेश दिया

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

गया, जिसके क्रम में इकाई के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में W.P.(C) No. 732 of 2024 दायर किया गया है।

viii) इकाई के पक्ष में अन्तिम CTO वर्ष 2011 में निर्गत किया गया, जिसकी वैधता 31.03.2012 थी। वर्त्तमान में किसी प्रकार की अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति निर्गत नहीं है।

➢ इकाई को तत्काल पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप कार्य करने हेतु निम्न निदेश दिया गया है :–

i) मुख्य मार्ग से इकाई तक भारी वाहनों के आवागमन के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु पक्की सडक का निर्माण।

ii) इकाई के आस–पास वायु में धुल कणों को उड़ने से रोकने हेतु अविलम्ब Water Sprinkler अधिष्ठापन।

iii) इकाई की खाली पड़ी भूमि पर आगामी वर्षा ऋतु में अधिकाधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण।

iv) इकाई को अविलम्ब ESZ से बाहर पुर्नस्थापित करने हेतु स्वयं उपयुक्त भूमि तलाश करने हेतु निदेश दिया गया है।

(Exhibits & Documents attached attached as annexure-B Page No. 1-28)

माननीय NGT के न्यायादेश की कंडिका 04 एवं 05 के क्रम में समिति के द्वारा दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी तथा ESZ के विभिन्न मौजा यथा शहरबेड़ा, मिर्जाडीह, आसनबनी, पारडीह आदि का भौतिक सर्वेक्षण किया गया है, वस्तुस्थिति निम्नवत् हैं :–

i) राष्ट्रीय राजमार्ग 33 की दाहिनी ओर (राँची से टाटा की ओर जाने पर) अधिकांश भाग में मानव बस्तियां, होटल, मोटेल, झोपड़ी, आवासीय कॉलोनी तथा कई बड़ी कंपनियों के Warehouse/Logistic Support Units स्थापित है। 2–3 फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण की इकाईयाँ स्थापित हैं, जो प्रदूषण की श्वेत श्रेणी (White Category) में आती है।

ii) राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के बायें तरफ (राँची से टाटा की ओर जाने पर) शहरबेड़ा मौजा में 5 लाल ईंट निर्माण की इकाईयाँ एवं विमनियाँ स्थापित हैं जिनमें से एक लाल ईंट निर्माण इकाई सर्वश्री विश्वास ब्रिक्स को JSPCB के द्वारा CTO प्रदान किया गया है तथा 4 लाल ईंट निर्माण की इकाईयाँ बंद पायी गयी है।

iii) साथ ही उक्त मौजा में सर्वश्री भवानी शंकर स्टोन क्रेशर इकाई स्थापित है, जिसे JSPCB द्वारा CTO प्रदान किया गया है। जबकि उसी इकाई के ठीक सामने खुली भूमि पर एक क्रेशर प्लांट पाया गया है, जो कार्यरत अवस्था में है। इस सम्बंध में जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ एवं JSPCB से आवश्यक कार्यवाई करने का निदेश दिया गया है।

<u>दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी एवं ESZ की परिधि के अन्तर्गत पर्यावरण की सुरक्षा जन जागरूकता, जन सहभागिता एवं नियामक उपायों के तहत सुनिश्चित किया जा सकता है। इस निमित्त निम्न पहल की जा-सकती है।</u>

i) ESZ की परिधि के अन्तर्गत GM/CNT भूमि की व्यावसायिक कार्यों हेतु लीज बंदोबस्ती पर पूर्ण प्रतिबन्ध।

ii) आवासीय कॉलोनियों, होटल, मोटेल आदि के द्वारा उत्सर्जित कचरा के Disposal पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप किये जाने के निमित अभिप्रेरित किया जाना। इस कार्य हेतु स्थानीय निकायों को सम्मिलित किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

iii) दलमा Foothills तथा आश्रयणी की भूमि को अतिक्रमित होने से बचाने के लिए आवश्यकतानुसार Fencing, Boundary Pillar Demarcation किया जा सकता है।

iv) समस्त ESZ में वन्य प्राणी की सुरक्षा, मानव जीवन की सुरक्षा, जंगल आग से बचाव के उपाय, गजराज के भटकाव आदि की स्थिति में सुरक्षित वन्य क्षेत्रों में भेजने तथा ESZ Boundary से सम्बंधित विषयों के प्रचार–प्रसार हेतु Hoarding, Poster, Banner आदि लगाया जा सकता है। उक्त के सम्बंध में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग से अनुरोध किया गया है।

वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर।	*सहायक विद्युत अभियन्ता,* विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मानगो जमशेदपुर।	*कारखाना निरीक्षक,* पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	*सहायक पर्यावरण अभियन्ता* झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, सरायकेला–खरसावाँ	*महाप्रबंधक,* जिला उद्योग केन्द्र, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कारखाना निरीक्षक
सरायकेला–खरसावाँ

ज्ञापांक:–202 /चाईबासा, दिनांक:–25/6/ /2024

प्रतिलिपि:– आयुक्त के सचिव, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा /सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

3730-8A

STP Limited
Mirzapur, Dimna Road, P.O. MGM Medical College
Mango, Jamshedpur - 832110, Jharkhand, India
Phone: +91 90312 01468
Email: itcjsr@stpltd.com
Website: www.stpltd.com
CIN: U23109WB1939PLC008433

Date: 11.06.2024

To
The General Manager
DIC,
Jamshedpur / Chaibasa Office

Sir,

Sub.: DC Visit Report

This refers to your visit dated 11.06.2024 at our factory located at Dimna, Jamshedpur. The required points are given as follows:

1. Name of the Company: **STP Limited**
2. Year of establishment: 1986
3. Electric Load (Contract Demand) : 210 KVA
4. Pollution Control Device Installed:
   a) Water cooled Condenser installed to condensate the vapour into liquid phase, thereby reduces the air pollution
   b) ETP installed @ 5 KL/day to reduce water pollution with Zero discharge facility. The treated water is used for cooling tower and heat exchanger.
   c) Nine Chimneys installed to reduce air pollution
   d) Three DG sets are installed with acoustic enclosure system to reduce sound pollution.
   e) Power Factor meter is installed to increase power factor (0.98) for energy conservation.
   f) Rain water Harvesting Plant installed to make up ground water level.
5. Product Manufactured : Coal Tar (Coal Tar Based Anti Corrosive Products and Binder Pitch)
6. Production Capacity: 500 MT per Month
7. Plan to Shift Factory to Industrial area: We are searching for suitable land to shift the factory
8. Affidavit Letter stating the plan for shifting the factory (attached)
9. Number of Employee, Local and outside : 80
10. List of Client: NTPC/IOCL/HINDALCO/L&T/BHEL/JSW/BIRLA CARBON/SHINE CARBON/VESUVIUS INDIA LTD./MES
11. Certificates : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EIL (Enclosed)
12. Revenue (GST) paid to Govt. during 2023-24: Rs. 13,65,20,769.00

Regards,

STP LIMITED

Authorised Signatory

Encl.: ISO Certificates, EIL Certificate, High Court Stay order, Affidavit letter

Scanned with CamScanner

EMAIL- WHATSAPP- CELL-

Ref.no.- IRCS/CSR-2023-24-STP-UT/HS/180/2023-24 Date - 23rd February 2024

Mr S Ravindra Nath
Plant Head
STP LIMITED
Mirzadih, Dimna Road,
P.O.: MGM Medical College,
Jamshedpur-831018

Dear Sir,

Sub: Utilization Certificate for the grant extended by you for the year 2023-24

At the outset, we are immensely thankful to you for extending your generous and kind support to a few of our humanitarian activities. Your contribution has indeed played a significant role in alleviating the suffering of the populace coming from the marginalized sections of the society.

We would like to inform you that the contribution made by your esteemed organization has been utilized in the following programmes conducted by us:

1. For sponsoring Surgical Opthalmic Operating Microscope - Rs. 4,48,000.00

2. For sponsoring 100 Cataract operations with Lens implantation per unit @6000/-x 100 (3 day lodging and fooding with 1 Attainder) Rs. 6,00,000.00

3. For sponsoring 2 months quota of nutritional Food packets & multivitamin tablets @ 100 nos each For TB patients under PM TB Free India Campaign. Per unit @1200/- X 200 pkts Rs. 2,40,000.00

It may not be out of place to mention that at all these events your august presence has enthused our members and volunteers to undertake our efforts vigorously.

We earnestly expect your continual patronage in our future endeavors.

Thanking you,

Yours Faithfully,

23-02-24

(Vijay Kumar Singh)
Hon'ble Secretary
Indian Red Cross Society
Singhbhum Branch
Jamshedpur

Scanned with CamScanner

Under STP Limited Corporate Social Responsibility Scheme
(CSR) for 2023-2024

STP Limited

Enhancing Structures' Life

A BERGER GROUP COMPANY

Donated 1 latest Eye Operating Microscope &
Launch of 100 Eye Operation Campaign

(Free Cataract Operation & Lens Implant)

Indian Red Cross Society, East Singhbhum
@ Ram Manohar Lohia Netralaya, Bagbera

Scanned with CamScanner

Red Cross Jamshedpur NEWS

स्मिता पारिख के संयोजन में 711वां नेत्र शिविर

STP Ltd ने दिया माइक्रोस्कोप, करायेगी 100 नेत्र रोगियों का ऑपरेशन

जमशेदपुर, 17 फरवरी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाईटी नेत्र रोगियों के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है और यहां नेत्र रोगियों की संख्या से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग कितने विश्वास के साथ यहां आते हैं, उक्त विचार आज यहां एसटीपी लिमिटेड के सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम नेत्र ऑपरेशन के लिए एक माईक्रोस्कोप तथा 100 नेत्र रोगियों के ऑपरेशन अभियान की शुरुआत पर कम्पनी के जमशेदपुर प्लांट हेड एस. रवीन्द्रनाथ ने व्यक्त किया। इस अवसर पर रेड क्रॉस की पेट्रन व 711वें नेत्र शिविर की संयोजक श्रीमती स्मिता पारिख ने कहा कि पिछले 25 वर्षो से अधिक समय से वे रेड क्रॉस के अंधापन निवारण अभियान से जडी

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Red Cross Jamshedpur NEWS

रेड क्रॉस पूर्वी सिंहभूम की मानवसेवी गतिविधियां सराहनीय - उपायुक्त

पी.एम. टी.बी. फ्री इंडिया में 19वें माह का राशन दिया गया

जमशेदपुर, 20 फरवरी। रेड क्रॉस सोसाईटी, पूर्वी सिंहभूम आज राज्य ही नही राज्य के बाहर भी अपने कार्यों से अपनी पहचान रखती है। मानवसेवी गतिविधियों के कार्यान्वयन के मामले में रेड क्रॉस सोसाईटी, पूर्वी सिंहभूम सभी जिलों के लिए एक उदाहरण है। उक्त विचार जिला के सवपदस्थापित उपायुक्त सह अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाईटी, पूर्वी सिंहभूम श्री अन्नय मित्तल ने साकची स्थित रेड क्रॉस भवन में पीएम टी. बी. फ्री इंडिया कार्यक्रम के 19वें सत्र में जरूरतमंद टी.बी. मरीजों को पौष्टिक आहार व विटामिन के एक माह का पैकेट प्रदान करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाईटी, पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा के कार्यों में और तेजी लायेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित जिला के उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने कहा कि रोगी के प्रति जागरूकता रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, उन्होंने कहा कि आज सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है और रेड क्रॉस जैसी मानव सेवा कार्यों की करने वाली संस्थाएं इन कार्यों में संवेदनशीलता के साथ लगी हुई है, उन्होंने टी. बी. फ्री इंडिया के साथ जुड़ने वाली निजी कम्पनियों को सराहा तथा कहा कि सभी के सहयोग से ही अपने उच्च लक्ष्य को पा सकते है। इस माह के नियत मित्र के रूप में सहयोगी एसटीपी लिमिटेड के प्लान्ट हेड एस. रवीन्द्रनाथ ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से रेड क्रॉस की गतिविधियों को बहुत ही करीब से देख रहा हूं संस्था द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा के अनेकों आयाम पर कार्य किया जा रहा है, और संस्था के सभी कार्य इस क्षेत्र के ऐसे उत्कृष्ट कार्य है, जिससे सीधे किसी न किसी जरूरतमंद के जीवन में बदलाव आता है, उन्हे लाभ होता है। उन्होंने कहा कि अपने सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से इस वर्ष रेड क्रॉस के साथ जो साझीदारी की है वह बेहतरीन है और समाज के हितों को पूरा करने में सहायक है। इससे पूर्व रेड क्रॉस सोसाईटी, पूर्वी सिंहभूम के ओर से उपायुक्त श्री अन्नय मित्तल को पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया गया, इस कड़ी में डीडीसी श्री मनीष कुमार एवं एसटीपी के प्लान्ट हेड एस. रवीन्द्रनाथ का स्वागत भी पुष्प गुच्छ प्रदान कर किया गया, कार्यक्रम में सारवाही गहिसा मंच की मंजू मुसरी वीणा अग्रवाल एवं अजय मुसरी तथा लॉयन्स क्लब की श्रीमती पुरबी घोष ने भाग लिया। रेड क्रॉस सोसाईटी, पूर्वी सिंहभूम ने पिछले 19 माह से लगातार प्रत्येक माह जरूरतमंद टी.बी. मरीजों को एक महीने का पौष्टिक राशन एवं विटामिन की खुराक आज पुनः अतिथियों के माध्यम से प्रदान किया गया।

Scanned with CamScanner

Red Cross Jamshedpur NEWS

पीएम टी.बी. फ्री इंडिया का पोषण सहयोग 20 फरवरी को

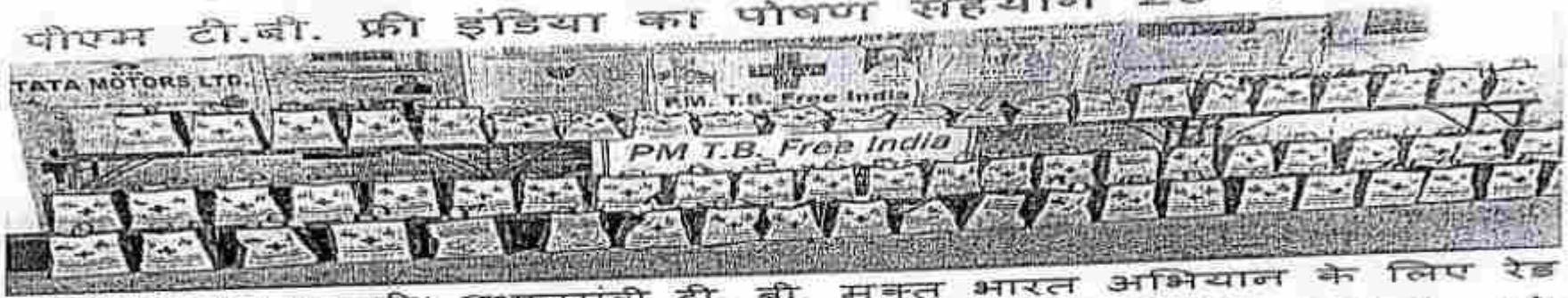

जमशेदपुर, 19 फरवरी। प्रधानमंत्री टी. बी. मुक्त भारत अभियान के लिए रेड क्रॉस सोसाईटी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा जरूरतमंद टी.बी. मरीजों को स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक एक महीने की राशन सामग्री के साथ एक महीने का विटामिन नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है. इस कड़ी में 20 फरवरी को रेड क्रॉस भवन, साकची में हमेशा की तरह पौष्टिक सामग्री एवं विटामिन टी. बी. मरीजों को प्रदान किया जायेगा, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला के उपायुक्त सह अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाईटी, पूर्वी सिंहभूम श्री अनन्य मित्तल, उपविकास आयुक्त मनीष कुमार तथा अन्य वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी तथा एसटीपी लिमिडेट के प्लांट हेड एस. रवीन्द्र नाथ, सुभाष भट्टाचार्यजी एवं अन्य पदाधिकारी सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इस माह तथा मार्च 2024 के लिए निक्षय मित्र के रूप में अपने सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के तहत एसटीपी लिमिडेट जो कि बर्जर समुह की कम्पनी है, के द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर टी. बी. फ्री इंडिया अभियान में रेड क्रॉस के नियमित सहयोगी भी अतिथि के रूप में भाग लेंगे तथा टी. बी. मरीजों को राशन एवं दवा वितरित करेंगे। उक्त जानकारी रेड क्रॉस सोसाईटी, पूर्वी सिंहभूम के मानद सचिव विजय कुमार सिंह ने प्रदान किया।

Scanned with CamScanner

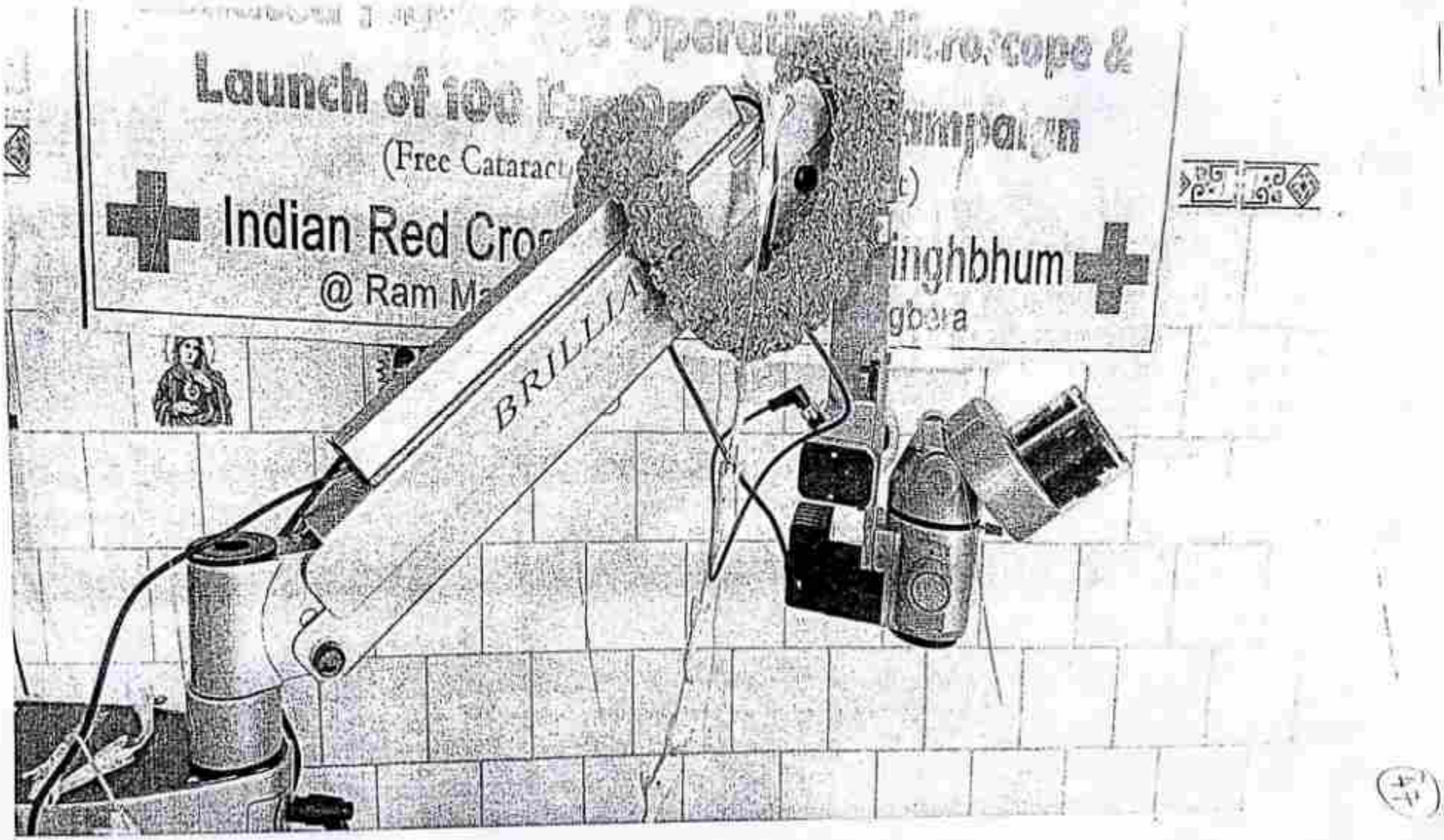

Scanned with CamScanner

Red Cross Jamshedpur NEWS

711वां नेत्र शिविर में नेत्र रोगियों का ऑपरेशन सम्पन्न

एसटीपी लिमिटेड के सहयोग से फरवरी-मार्च में 100 ऑपरेशन

जमशेदपुर, 18 फरवरी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाईटी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा राम मनोहर लोहिया नेत्रालय के सहयोग से चलाये जा रहे अंधापन निवारण अभियान का कार्य काफी सराहनीय है और ऐसे कार्य सीधे जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने वाले हैं उक्त विचार जमशेदपुर में बर्जर समुह की कम्पनी एसटीपी लिमिटेड के प्लान्ट हेड एस. रबीन्द्र नाथ ने समाजसेवी एवं रोटेरियन श्रीमती स्मिता पारिख एवं राज पारिख के संयोजन में आयोजित 711वें नेत्र शिविर का उद्घाटन करते हुए व्यक्त किया। श्री रबीन्द्र नाथ ने कहा कि रेड क्रॉस के साथ सामाजिक गतिविधियों के कार्यक्रमों से जुड़कर कम्पनी को खुशी है उन्होने कहा कि इस अच्छे कार्य में एक माइक्रोस्कोप प्रदान करने की

Scanned with CamScanner

STP Limited

Mirzadih, Dimna Road, MGM Medical College
Mango, Jamshedpur - 831018
Jharkhand.

Photographs of Recipients of Sewing Machines – CSR FY 20

Sl No. 39 : Mrs. Pushpa Kisku	*Sl No. 23 : Mrs. Namita Mondal*
Sl No. 29 : Mrs. Kaushalya Devi	*Sl No. 40 : Mrs.*

Scanned with CamScanner

STP Limited

Mirzadih, Dimna Road, MGM Medical College
Mango, Jamshedpur - 831018
Jharkhand.

Photographs of Recipients of Sewing Machines – CSR FY 20

Sl No. 30 : Mrs. Purnima Tantubai

Sl No. 31 : Mrs. Sunita Hansda

Sl No. 32 : Mrs. Pinki Bankira

Sl No. 33 : Mrs. Fulmati Devi

Scanned with CamScanner

STP Limited

Mirzadih, Dimna Road, MGM Medical College
Mango, Jamshedpur - 831018
Jharkhand.

Photographs of Recipients of Sewing Machines – CSR FY 20

Sl No. 22 : Mrs. Sarla Das

Sl No. 27 : Mrs. Kuntiwala Mahato

Sl No. 24 : Mrs. Fuljhari Devi

Sl No. 25 : Mrs. Lalita Devi

Scanned with CamScanner

STP Limited

Mirzadih, Dimna Road, MGM Medical College
Mango, Jamshedpur - 831018
Jharkhand.

Photographs of Recipients of Sewing Machines – CSR FY 20

Sl No. 20 : Daughter of Mrs. Nanika Devi

Sl No. 06 : Mrs. Meera Devi

Sl No. 07 : Mrs. Lalita Tantubai

Sl No. 12 : Mrs. Josna Das

Scanned with CamScanner

STP Limited

Mirzadih, Dimna Road, MGM Medical College
Mango, Jamshedpur - 831018
Jharkhand.

Photographs of Recipients of Sewing Machines – CSR FY 20

Sl No. 16 : Mrs. Churamani Sahis	*Sl No.04 : Mrs. Yashoda Gorai*
Sl No. 10 : Mrs. Sheli Devi	*Sl No. 21 : Mrs. Lilavati Devi*

Scanned with CamScanner

(40)

Initial Status (before renovation) Final Status (After rengvation)

Utkramit Madhya Vidyalaya, Jagmohanpur, Mirzadih, Jamshedpur (Jharkhand)

Corporate Social Responsibility FY 21 – Jamshedpur

STP Limited

Jamshedpur

Scanned with CamScanner

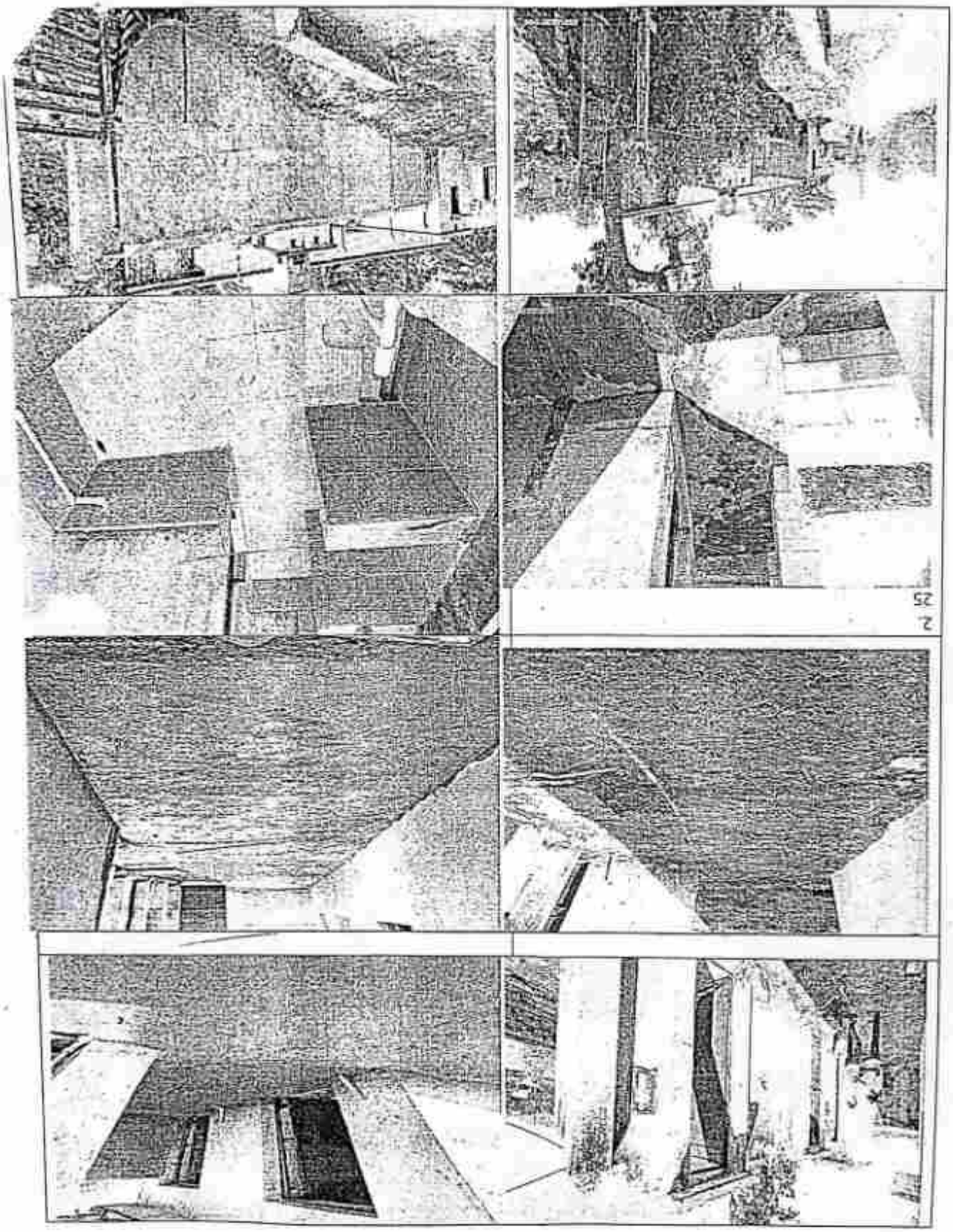

Scanned with CamScanner

Initial Status (before renovation)

Final Status (After renovation)

Prthamik Vidyalaya, Gerua, Block - Boram , East Singhbhum Jamshedpur (Jharkhand)

Corporate Social Responsibility FY 2022 – Jamshedpur

STP Limited

Jamshedpur

Scanned with CamScanner

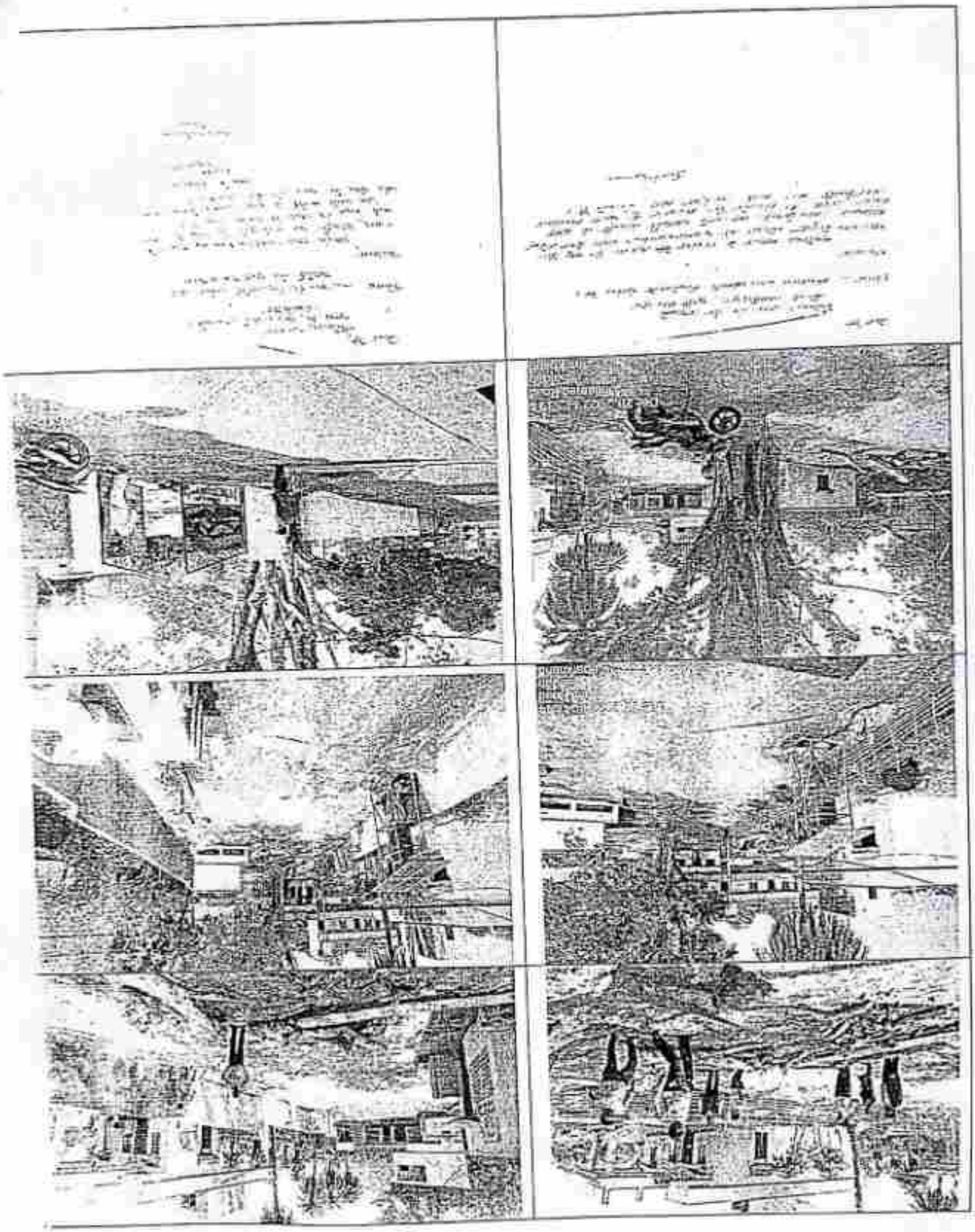

Scanned with CamScanner

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

W. P. (C) No. 7340 of 2012

[illegible] Limited, a registered company
under the Indian Companies Act, 1956 ..... Petitioner

Versus

The Union of India & others ..... Respondents

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE APARESH KUMAR SINGH

For the Petitioner : Mr. H. K. Shikarwar, Adv.
For the Respondents : J. C. to A.G.

5/8.7.2013 Two weeks' time by way of last indulgence is granted to the learned counsel for the State to seek instruction and file counter affidavit in the matter, for which earlier time has also been granted.

List this case under the heading for admission as has been ordered by order dated 24th January, 2013 itself.

Till then, no coercive steps shall be taken against the petitioner.

[illegible]

Scanned with CamScanner

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
ENGINEERS INDIA LIMITED

Procurement Development Department

M/s [illegible] Limited
[illegible]
[illegible]

Subject: Revalidation of Enlistment with EIL

Dear Sirs,

We refer to your application on subject matter and are pleased to inform that your enlistment with EIL has been revalidated for the items as described below:

Item Description	Material / Range
Coating Matl.	CTL/Primer
Coal Tar Coating Tapes	Upto 4mm thickness

(This enlistment is valid for your works located at Mirzadih Umna Road, SAGM Post Office, Medical College, Jamshedpur, Jharkhand – 831018)

Kindly note enlistment with EIL does not guarantee any regular flow of enquiries. For information on enquiries issued by EIL, kindly refer our Tender Website (https://tenders.eil.co.in/) / CPP portal (https://eprocure.gov.in/cppp/). In the event of direct / indirect orders for the projects executed by EIL, supplier shall quote / submit offer and supply material strictly as per the material / range / works as stated above including agreed responsibility matrix, as applicable. Secondly, kindly keep on submitting your regular quotes for EIL RFQ's failing which, EIL shall be entitled to declare you as Dormant supplier as per the Terms and Conditions for enlistment.

Any change in the product range, location of Works/Sales Office, Management/ Organization structure etc., shall be intimated to us immediately along with relevant document for our necessary action. Further, kindly update your contact details on regular basis so that you may keep on receiving EIL communications. Also, kindly ensure submission of your Audited Annual Report on yearly basis to enable us update your latest financial data.

Please note that this enlistment is subject to satisfactory execution of orders in delivery and quality of above items which ordered for various projects of EIL/our clients. You are expected to adopt ethics of highest standard and a very high degree of integrity, commitment & sincerity towards the work undertaken for projects under EIL execution, failing which, EIL shall be entitled to initiate actions as specified in EIL procedure for Suspension/Banning of business dealings, displayed on EIL website.

The validity of this ENLISTMENT is upto 31st May, 2025. You are advised to apply for revalidation "on-line", 6 months before expiry of the enlistment. Detailed procedures for revalidation can be seen on our website https://enlist.eil.co.in/sesma/

Kindly acknowledge unconditional acceptance of this letter and send us a signed and stamped copy of this letter for our records.

Thanking you.

Very truly yours,

Neeraj Mathur
Chief GM & HOD (PDD)

नीरज माथुर / NEERAJ MATHUR
मुख्य महाप्रबंधक एवं प्रमुख
Chief G.M. & HOD (PDD)
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड / ENGINEERS INDIA LIMITED
(भारत सरकार का उद्यम / A Govt. Of India Undertaking)
नई दिल्ली / New Delhi-110066

Scanned with CamScanner

TÜV NORD

CERTIFICATE

Management system as per

ISO 14001 : 2015

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

STP LIMITED
Dimna Road, P.O. MGM Medical College,
Mirjadih, Jamshedpur - 831 018,
Jharkhand,
India

STP Limited

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 14001 : 2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope -

Manufacture of Coal Tar Products, Coal Tar Pitch, Coal Tar Based Road Sealer, Sealant, Epoxy & Pipe Protection Material.

Certificate Registration No. 44 104 21393293
Audit Report No. 2.5-10451/2021

Valid from 08.05.2023
Valid until 05.04.2025
Initial certification 06.04.2020

Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Mumbai, 08.05.2023

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com
TÜV India Pvt. Ltd., 601, Raheja Plaza – 1, L.B.S. Marg, Ghatkopar (W), Mumbai - 400 086, India www.tuvindia.com

DAkkS

Scanned with CamScanner

TÜV NORD

CERTIFICATE

Management system as per

ISO 45001 : 2018

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

STP LIMITED
Dimna Road, P.O. MGM Medical College,
Mirjadih, Jamshedpur - 831 018,
Jharkhand,
India

STP Limited

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 45001 : 2018 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope -

Manufacture of Coal Tar Products, Coal Tar Pitch, Coal Tar Based Road Sealer, Sealant, Epoxy & Pipe Protection Material.

Certificate Registration No. **44 126 21393293**
Audit Report No. **2.5-10451/2021**

Valid from **08.05.2023**
Valid until **05.04.2026**
Initial certification **06.04.2020**

Certification Body
at TUV NORD CERT GmbH

Mumbai, **08.05.2023**

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-11001-01-00

Scanned with CamScanner

32

TÜV NORD

CERTIFICATE

Management system as per

ISO 9001 : 2015

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

STP LIMITED
Dimna Road, P.O. MGM Medical College,
Mirjadih, Jamshedpur - 831 018,
Jharkhand,
India

STP Limited

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001 : 2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope -

Manufacture of Coal Tar Products, Coal Tar Pitch, Coal Tar Based Road Sealer, Sealant, Epoxy & Pipe Protection Material.

Certificate Registration No. **44 100 21393293**
Audit Report No. **2.5-10451/2021**

Valid from **08.05.2023**
Valid until **05.04.2025**
Initial certification **06.04.2020**

Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Mumbai, **08.05.2023**

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

Scanned with CamScanner

GST 31

Summary of Sale 2023-24

Month	Our GSTIN	Total Sale	IGST	CGST	SGST	GST Liability
April-23	20AAECS6339M1Z7	4,25,75,378	73,03,365	1,80,102	1,80,102	76,63,569
May-23	20AAECS6339M1Z7	6,95,14,097	1,09,26,534	4,92,330	4,92,330	1,19,11,194
June-23	20AAECS6339M1Z7	6,71,69,308	1,16,94,546	1,97,965	1,97,965	1,20,90,476
July-23	20AAECS6339M1Z7	6,75,29,962	1,13,12,878	2,57,782	2,57,782	1,18,28,441
Aug-23	20AAECS6339M1Z7	7,04,17,124	1,16,29,101	3,52,423	3,52,423	1,23,33,947
Sept.-23	20AAECS6339M1Z7	5,99,69,072	1,03,91,778	2,01,328	2,01,328	1,07,94,434
Oct-23	20AAECS6339M1Z7	6,00,80,998	1,03,19,058	2,37,577	2,37,577	1,07,94,212
Nov-23	20AAECS6339M1Z7	5,60,52,887	96,05,681	2,41,920	2,41,920	1,00,89,521
Dec.-23	20AAECS6339M1Z7	5,37,07,151	89,10,058	2,15,327	2,16,327	93,41,712
Jan-24	20AAECS6339M1Z7	6,60,07,051	1,14,44,483	2,18,393	2,18,393	1,18,81,269
Feb-24	20AAECS6339M1Z7	8,24,57,107	1,42,79,145	1,19,402	1,19,402	1,45,17,949
Marc.-24	20AAECS6339M1Z7	7,55,44,377	1,30,17,489	1,28,278	1,28,278	1,32,74,045
						-
	Total =	77,10,24,512	13,08,34,116	28,42,827	28,43,827	13,65,20,769

Scanned with CamScanner

For STP LIMITED
Authorised Signatory

Identified by me and Signed
Adv. Sunil Kumar Singh
Advocate
Jamshedpur

SEAL OF NOTARY
NOTARY
JAMSHEDPUR
EAST SINGHBHUM
SUNIL KUMAR SINGH

13/6/24

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : cf9cbab1c2fb88bafff9
Receipt Date : 13-Jun-2024 09:53:42 am
Receipt Amount : 100/-
Amount In Words : One Hundred Rupees Only
Document Type : Affidavit
District Name : EastSinghbhum
Stamp Duty Paid By : S T P LTD JAMSHEDPUR
Purpose of stamp duty paid : AFFIDAVIT
First Party Name : S T P LTD JAMSHEDPUR
Second Party Name : NA
GRN Number : 2402526794

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-

This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document.The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint,photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act,1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Scanned with CamScanner

Date: 11.06.2024

AFFIDAVIT

TO WHOM IT MAY CONCERN

THIS IS TO INFORM OUR FACTORY, M/S **STP LIMITED** IS ESTABLISHED IN 1986 AT MIRZADIH, DIMNA ROAD, P.O. MGM MEDICAL COLLEGE, JAMSHEDPUR -831018, JHARKHAND.

OUR FACTORY IS FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE SINCE 2012. WE ARE RUNNING THE PLANT WITH CONSENT TO OPERATE TILL 2012 AND THEREAFTER, THE PLANT IS RUNNING CONTINUOUSLY TILL DATE VIDE STAY ORDER {W.P.(C)NO.: 7340 OF 2012} GRANTED BY THE HON'BLE HIGH COURT OF JHARKHAND. THE CASE IS STILL UNDER ADJUDICATION.

WE HAVE PROPOSED FOR SHIFTING OF THE PLANT BEFORE THE MANAGEMENT. HOWEVER, WE INTEND TO SHIFT OUR PLANT SUBJECT TO ALLOCATION OF THE SUITABLE LAND BY THE GOVERNMENT OR COMPENSATION IN LIUE THEREOF.

AS SOON AS THE SUITABLE LAND OR COMPESATION IS PROVIDED BY THE GOVERNMENT IT WILL MINIMUM 3-4 YEARS PERIOD TO SHIFT THE PLANT.

THIS IS FOR KIND INFORMATION AND CO-OPERATION.

FOR STP LIMITED

STP LIMITED

AUTHORISED SIGNATORY

SEAL OF NOTARY
NOTARY
JAMSHEDPUR
EAST SINGHBHUM
SUNIL KUMAR SINGH

Identified by me and Signed
For STP Ltd.
Advocate
Jamshedpur
13/6/24

Sunil Kumar Singh
NOTARY
JAMSHEDPUR
East Singhbhum
REG. NO. 'A' NOT-LAW
10/2002/25854
13/6/24

Scanned with CamScanner

DBA/AF-G/JSR/04/2024/ DU - 09688

AFFIDAVIT

This is a part of Affidavit

For STP LIMITED

Authorised Signatory

Identified by me and signed
for S.T.P. in my presence

13/6/24

Advocate
Jamshedpur

13/6/24

Scanned with CamScanner

27

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

MSME

C	Type of Enterprise	Micro	Small	Medium
	Manufacturing	A	B	C
	Services	D	E	F
	UAN	JH06D0017047		

Udyog Aadhaar Memorandum

1. Aadhaar Number: 748863642877
2. PAN Number: AABCS9339M
3. Name of Entrepreneur: S RAVINDRA NATH
4. Social Category of Entrepreneur: GENERAL
5. Gender: Male
6. Physically Handicapped: No
7. Name of Enterprise: STP LIMITED
8. Type of Organization: Public Limited Company
9. Location of Plant Details

SN	Flat/Door/Block No.	Name of Premises/Building	Road/Street/ Lane	Area/Locality	City	Pin	State	District
1	1091	MIRZADIH	MIRZADIH DIMNA ROAD	MGM MEDICAL COLLEGE	JAMSHEDPUR	831018	JHARKHAND	EAST SINGHBHUM

10. Official Address of Enterprise: MIRZADIH, DIMNA ROAD POST - MGM MEDICAL COLLEGE JAMSHEDPUR -831018
    District: EAST SINGHBHUM | State: JHARKHAND | Pin: 831018
    Mobile No: 9234601188 | Email: sn@stpltd.com
11. Date of commencement: 03/05/1995
12. Previous Registration details-if any: -
13. Bank Details: IFS Code: CORP0000425 | Bank Account: 582101000000670
14. Major Activity: MANUFACTURING

15.

SN	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit Code	Activity Type
1	23 - Manufacture of other non-metallic mineral products	2399 - Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.	23999 - Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (includes asbestos yarn and fabric, and articles of asbestos yarn and fabric such as clothing, headgear, footwear, cord, string, paper o felt; friction material with a basis of asbestos or other mineral substances or of cellulose including unmounted articles such as friction material; mineral insulating material (slag wool, rockwool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays and similar insulating material); products of glass wool for heat-insulating; articles of asphalt or of similar material (e.g. coal tar pitch), gypsum and articles of other mineral substances)	Manufacturing

17. Persons employed: 75
18. Investment (Plant & Machinery / Equipment's): 506(Rs. In Lakhs)
19. District Industry Centre: EAST SINGHBHUM

Declaration
I hereby declare that information given above is true to the best of my knowledge. Any information, that may be required to be verified, shall be provided immediately before the concerned authority.

MyMsme Mobile App (Beta Version) is available now for download. https://play.google.com/store/apps/details?id=msme.mymsme

Scanned with CamScanner

26

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

C	Type of Enterprise	Micro	Small	Medium
	Manufacturing	A	B	C
	Services	D	E	F
	UAN	JH06C0017047		

Udyog Aadhaar Memorandum

1.	Aadhaar Number	749863642877
2.	PAN Number	AAECS6339M
3.	Name of Entrepreneur	S RAVINDRA NATH
4.	Social Category of Entrepreneur	GENERAL
5.	Gender	Male
6.	Physically Handicapped	No
7.	Name of Enterprise	STP LIMITED
8.	Type of Organization	Public Limited Company
9.	Location of Plant Details	

SN	Flat/Door/Block No.	Name of Premises/Building Village	Road/Street/ Lane	Area/Locality	City	Pin	State	District
1	1091	MIRZADIH	MIRZADIH DIMNA ROAD	MGM MEDICAL COLLEGE	JAMSHEDPUR	831018	JHARKHAND	EAST SINGHBHUM

10.	Official Address of Enterprise	MIRZADIH, DIMNA ROAD POST - MGM MEDICAL COLLEGE JAMSHEDPUR -831018					
		District	EAST SINGHBHUM	State	JHARKHAND	PIN	831018
		Mobile No:	9234801169	Email:	sm@stpltd.com		
11.	Date of commencement	03/02/1996					
12.	Previous Registration details-if any	-					
13.	Bank Details	IFS Code		CORP0000435			
		Bank Account		56010100009870			
14.	Major Activity	MANUFACTURING					

SN	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit Code	Activity Type
16. 1	23 - Manufacture of other non-metallic mineral products	2399 - Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.	23999 - Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (includes asbestos yarn and fabric, and articles of asbestos yarn and fabric such as clothing, headgear, footwear, cord, string, paper o felt; friction material with a basis of asbestos or other mineral substances or of cellulose including unmounted articles such as friction material; mineral insulating material (slag wool, rockwool and similar mineral wools, exfoliated vermiculite, expanded clays and similar insulating material); products of glass wool for heat-insulating; articles of asphalt or of similar material (e.g. coal tar pitch), gypsum and articles of other mineral substances)	Manufacturing

17.	Persons employed	75
18.	Investment (Plant & Machinery / Equipment's)	500(Rs. In Lakhs)
19.	District Industry Centre	EAST SINGHBHUM

Declaration
I hereby declare that information given above is true to the best of my knowledge. Any information, that may be required to be verified, shall be provided immediately before the concerned authority.
MyMsme Mobile App (Beta Version) is available now for download. http://play.google.com/store/apps/details?id=msme.mymsme

Scanned with CamScanner

POLLUTION CONTROL EQUIPMENT

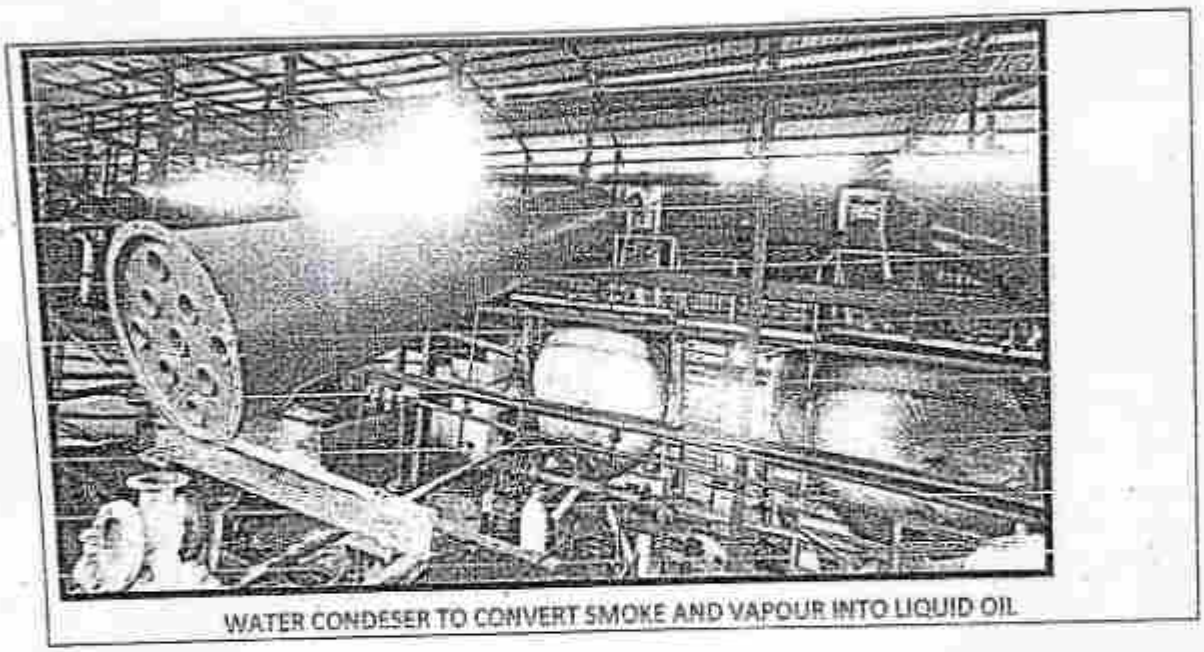

WATER CONDESER TO CONVERT SMOKE AND VAPOUR INTO LIQUID OIL

Scanned with CamScanner

POLLUTION CONTROL EQUIPMENT

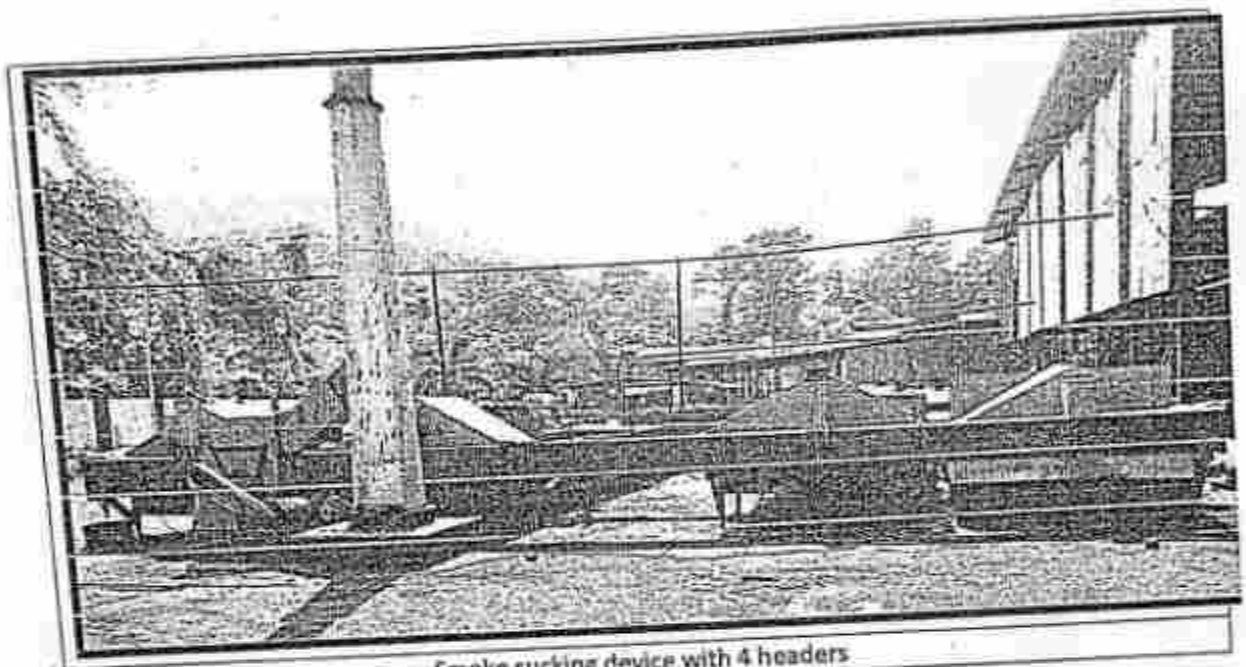

Smoke sucking device with 4 headers

Scanned with CamScanner

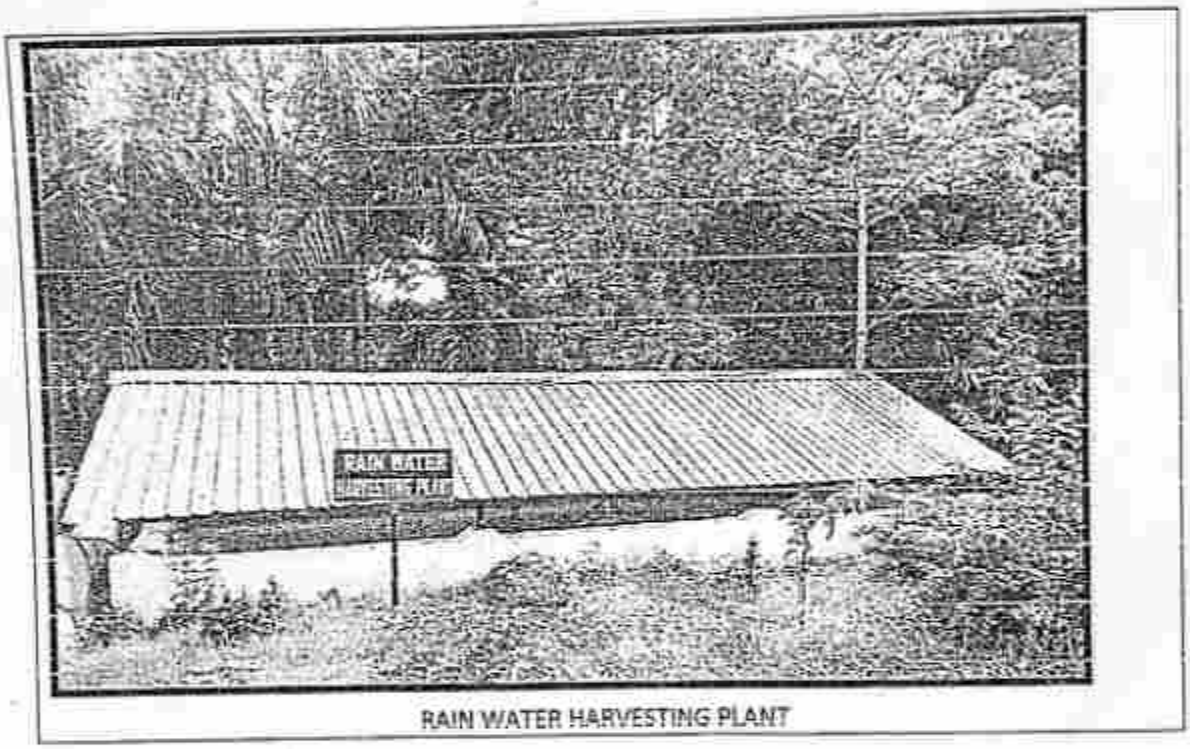

RAIN WATER HARVESTING PLANT

Scanned with CamScanner

22

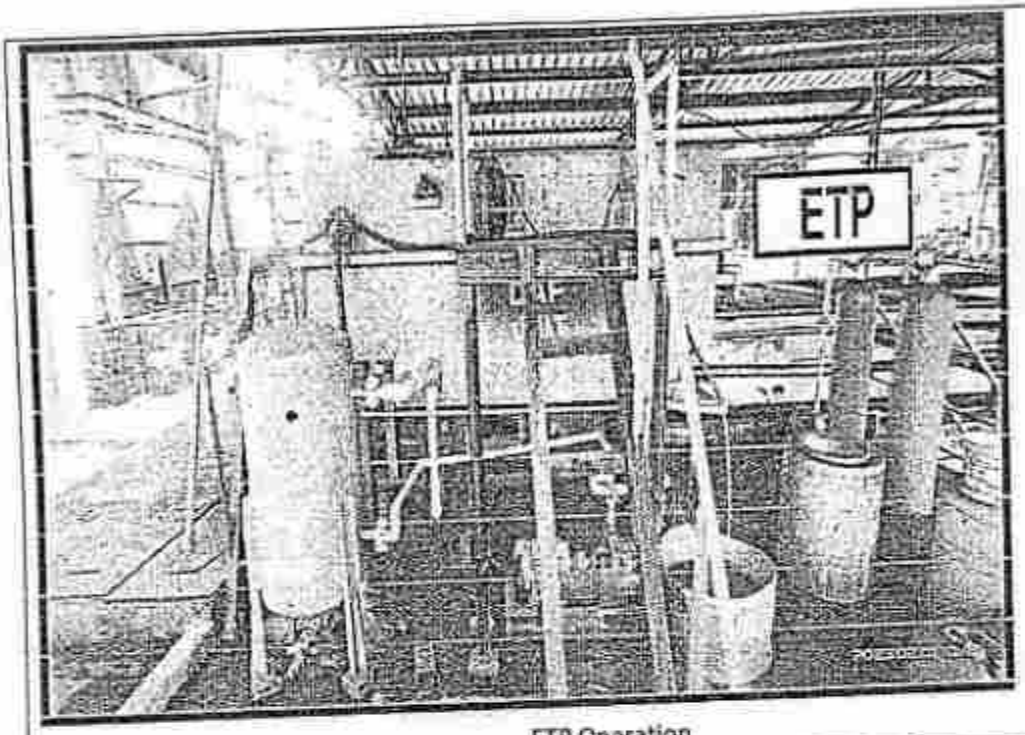

ETP Operation

Scanned with CamScanner

2/

JHARKHAND BULI VITRAN NIGAM LIMITED

(A Govt. of Jharkhand undertaking)

website: www.jbvnl.co.in PAN No.AADCJ3148A

ELECTRICITY BILL FOR HT CONSUMER

Name : S.T.P. LTD.				CIN NO :		Metering Side	LT
Son/Wife/Daughter :				Book No		Supply Volt/Phase	11000 V
Address : Mirzadih,Dimna Road 0				Consumer NO	7003/HTM1	Bill Month	May-24
Email : Mobile :0				K NO	140142000013	Bill Period	1
				Bill NO	9244020143687430608	Issue Date	05/06/2024
Circle	JAMSHEDPUR	Tariff Code	6001	Case Date		Due Date	20/06/2024
Division	MANGO	Contract Demand	210.00 KVA	Disc Date	-	Service Status	R
SubDivision	MANGO-I	Category	HTS 11KV	Court Case	-	Meter Status/Bill Basis	OK/R
Section	MANGO-I	Consumer Type	PVT	Type of Load	KVA		

Readings	Present Reading	Past Reading	Difference Unit	Mult.Fact.	Add 3% For LT Side	Units Consumed
Date	01/06/2024	01/05/2024				
KWH	1586948.0000	1378741.0000	8207.0000	3.0	0	25359.6300
KVAH	1497325.0000	1488954.0000	8371.0000	3.0	753.3900	25866.3900
KVA	32.6000		32.6000	3.0	2.9340	100.7240

HRS OF SUPPLY 756:0 Power Factor 98.00% Load Factor 17.69%

APPLICABLE FOR TOD

PERIOD		Unit Difference	Mult.Fact.	LT Side 3%	Consumed Units
10PM-6AM	OFF PEAK				
6 AM TO 10 AM/6 PM TO 10 PM	Peak Hours				
10 AM TO 6 PM	Normal Hours				

Arrear Details (Rs.)			Details of Meter		Security Deposit Details		
Particular	Upto MM/YY	Total	Meter Make		Amount	Receipt no	Date
Electricity Charge	05/24	-250.34	Sl No	/SE34712			
Electricity Duty	05/24	0.00	Meter Type				
Delay Payment Sur	05/24	0.00	Owner	JBVNL			
			Inst date				
			Box Seal No				
Total		-250.34	Body Seal No				

Bill Details(Rs.)		MM/YYYY	Unit Consumption Pattern Unit in KWH	(+/-)%	Previous Bill Payment Details Date	Receipt No	Amount(Rs.)
Energy Charge	151718.36						
Demand Charge	42381.60						
Electricity Duty	12103.47	05/2024	25359.6300	-6.01%	08/05/24	[illegible]	123597.00
Meter Rent	0.00	04/2024	26981.8800	-2.77%			
Transformer Rent	0.00	03/2024	27751.2900	6.46%			
Postal Charges	0.00	02/2024	26067.2400	-3.30%			
FPPA Surcharge	-2327.98	01/2024	26957.1600	3.27%			
Shunt Capacitor Charge	0.00	12/2023	26106.2200	0%			
ELCB/MCB Surcharges	0.00						
Pf Surcharge/Rebate	0.00						
Penalty for exceeding C.D	0.00						
Current DPS	0.00						
LT Rebate	0.00						
Voltage Rebate	0.00						
Adjustment in Last Bill	0.00				Interest Earned On Security		
Miscellaneous	0.00				Upto MM/YY	Amount	
Total Assessment for Current Month (A)	223477.36						
Correction If Any (+/-)					Security Deposit Details		
E Charges			0.00		Upto MM/YY	Amount	
E Duty			0.00				
DPS			0.00	Amount Kept in Abeyance			0.00
Total (B)			0.00	IMPORTANT INFORMATION:			
Arrear Carried Over (C)			-250.34	Consumers are requested to pay the bill on or before due date as specified in the bill. Service connection may be disconnected due to non payment of bill by due date. Consumer can pay bill either in Cash or through CHEQUE/DD/NEFT/RTGS payable in favour of 'JHARKHAND BULI VITRAN NIGAM LIMITED'.		
EC/FC Subsidy (D)			0.00				
Online Payment Rebate(E)			-250.00				
Prompt Payment Rebate(F)			-4274.00				
Net Payable Within 5 Days of Issue Dt (Offline Mode)			Rs. 2,18,953.00				
Net Payable After 5th-Day & On/Before Due Date (Digital Mode)			Rs. 2,21,977.00				
Net Payable Within 5 Days of Issue Date (Digital Mode)			Rs. 2,18,703.00				
Total Demand (A+B+C+D)			Rs. 2,31,227.00				

Electrical Executive Engineer
(Commercial & Revenue)
Electric Supply Circle, JAMSHEDPUR

NEFT/RTGS Details

Beneficiary Name:JHARKHAND BULI VITRAN NIGAM LIMITED.

A/c No:38917305150341/0006,IFSC Code:ICIC0000104;

ICICI Bank,Branch CNS Mumbai.

Scanned with CamScanner

42

Government of Jharkhand
FACTORY INSPECTION DEPARTMENT
(Department of Labour, Employment, Training & Skill Development)

LICENCE

Under Rule 4 to 10 of the Jharkhand Factories Rule 1950 and Section 6(1) of the Factories Act, 1948

Application ID - FCA15122300715 | Licence No - FCA1535716410201

1. Name of the Factory: STP LTD.
2. Licence valid up to : 31st December 2030
3. Full Address of Factory

Address:	AT- MIRZADIH, DIMNA ROAD	Landmark:	
Post Office:	MGSI, MANGO	Police Station:	MGSI
Block:	MANGO(NA)	District:	PURBI SINGHBHUM
State:	JHARKHAND	PIN Code:	831018

4. Name of Occupier: RAJESH KANHAIYALAL JOSHI

4a. Type of organising body : PUBLIC LIMITED COMPANY/FIRM/BOARD

5. Maximum number of persons to be employed on any day : 100 Fee Deposited : Rs 126000 only/-

6. Total installed capacity (Not to exceeding)
(a.) In Horse Power [Other than (b)] : 250 H.P.
(b.) In case of Electricity generating
Generating and Transforming Station : D.G SET: 415 K.W Transformer: 210 K.W

INSPECTOR OF FACTORIES
CIRCLE-3, JAMSHEDPUR
Recorded On : 24/03/2023

Note:
1. This licence will expire on 31st December, 2030.
2. Nature of Manufacturing process of this Licence is : COAL TAR(COAL TAR BASED ANTI CORROSIVE PRODUCTS & BLENDE PITCH).
3. This is a computer generated certificate, does not require any seal or signature.
4. This certificate has been generated on the basis of the information given by the applicant and is valid for the purpose of this act only.

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक–2391/Tech./2024

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–03.04.2024

सेवा में,

श्री एस0 रविन्द नाथ,
एस0टी0पी0 लिमिटेड, मिर्जाडीह, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर।

विषयः– **STP LIMITED, MIRZADIH, DIMNA ROAD, MGM MEDICAL COLLEGE, EAST SINGHBHUM, JAMSHEDPUR फैक्ट्री भवन का अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीकरण।**

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित फैक्ट्री भवन के लिए अग्नि–सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, मानगो, जमशेदपुर से कराई गई। उनके ज्ञापांक–105 दिनांक–02.04.2024 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र नवीकरण किया जाता है कि :–

1. Set–Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. फैक्ट्री भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ–साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. फैक्ट्री भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीको की जानकारी का रहना आवश्यक है।
8. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रील में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
9. समय–समय पर सभी हाईड्रैण्ट को फ्लश आउट किये जाने की व्यवस्था की जाय।
10. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
11. First Aid Fire Fighting and डाउन कमर सिस्टम को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
12. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
15. संबंधित फैक्ट्री भवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित फैक्ट्री भवन को दिये गये अग्नि–सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीकरण को स्वतः रद्द समझा जायेगा।
16. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीकरण दिनांक–31.03.2025 तक के लिये मान्य है।

JITENDRA TIWARY

Digitally signed by JITENDRA TIWARY
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=9053, 2.5.4.20=8804d6e7a632114dbced3c01fc90083f4b2887f8b9da96ddb7a5438ea0bd, postalCode=834004, st=[illegible], serialNumber=c2ef3f40d1c86af2be3efeb120bb7360caeb2bbd0128172fc3d88661d7e6d816, cn=JITENDRA TIWARY
Date: 2024.04.03 22:03:25 +05'30'

(जितेन्द्र तिवारी)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

Scanned with CamScanner

Sch XIV- F.No. 180v
रसीद मालगुजारी
नाम रकबा । नाम मौजा मय
थाना नं. । नं थाना नम्बर

V

फरद मतारी / फरद रैयती
नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी
थी सतुन्नत नम्बर।

Page No. : 125
Vol. No. : 1
Receipt No. : 0254562044

बोहाम । मिजोडीह । 20 । मेसर्स सतीमार कम्पनीवर प्रोडक्सन ,मनेजिंग एजेंट वरन्वर मारीकन एड ,कम्पनी नं० 6 लाइन मरेज कलकाता		
खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
125	1091,1092,1093,1094	4 एकड़ 91 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	हाफसील हिसाब लगान भावली

जोत का सालाना माल मय तफसील (रकमात दो हात) मौजूदा साल का।

माल बाबत		सालाना	बकाया				हाल (2024-2025)
			तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष	
माल	(नकदी)	63.80					63.80
गुजारी	(भावली)	15.95					15.95
सेस	....	31.90					31.90
सूद	....	31.90					31.90
मुतफरकात	....	12.76					12.76
मौजान		156.31					156.31

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत		बकाया				मोतालबा हाल (2024-2025)	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष		
माल	(नकदी)					63.80	
गुजारी	(भावली)					15.95	
सेस	....					31.90	
सूद	....					31.90	
मुतफरकात	....					12.76	
मौजान अदायकारी						156.31	

(१) मौजान कुल (तरकों में) : One Hundred Fifty Six Rupees and Thirty One Paise
(२) नाम दोहिया -
(३) कुल बकाया- 156.31

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 04-04-2024

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (किसान ऐसे बकायों पर जिन पर कि सार्टीफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान।

Print

Scanned with CamScanner

প্রথম পক্ষের পিতা ও বাবা গোপীনাথ মিশ্র ঐক্য সুখে স্বর্গবাসী হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর প্রথম পক্ষ ওমানাথ শ্রেষ্ঠী পুত্র বিনীয় প্রথম পক্ষের বংশের কুল প্রথানুযায়ী আইনোজনের মতে স্বত্ববান হয় আমল ও প্রকাশকর্মী হইয়া দুখলীকার আছেন সেমতে নিম্ন লিখিত জমী প্রথম পক্ষ বন্দোবস্তের খোরপোষ হেতুবাম দ্বিতীয় পক্ষ ঐ তমীন বন্দোবস্ত লইতে সম্মত হইলে দ্বিতীয় পক্ষের ভাবি অবস্থা বিবেচনা করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের নিকট হইতে ২৮৭৪/- টাকা দুই হাজার আট শত চুয়াত্তর টাকা এগার আনা ছোপ মেসামীল গ্রহণে অনতি আছেনা ৬৪৭ টাকা ও ২৭৩ টাকা মোট ৩৬১৫ টাকা তিনশত টাকা চারি আনা এক পয়সা মাত্র মোট আছেনাতে নিম্ন লিখিত তমীন দুর মোকদ্দমা অন্তে দ্বিতীয় পক্ষকে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন দ্বিতীয় পক্ষ মাসে ওওয়াসিকাদী ও খুশখাতাইক গণ প্রথম পক্ষ মাতা ওওয়াসিকাদী ও খুশখাতাইক গণ বরাবর সন সন ওক্ত আছনায় ৮ আনায় দিয়া প্রথম পক্ষের ঔরসে স্থান প্রাপ্তিক ৮ চক মাসিকা লইয়া বন্দোবস্তীয় জমীন আসে না প্রকাশকর্মী বন্দোবস্ত আদিতে স্থান বাদে প্রকৃতি সর্বপ্রকারে হস্তান্তর করণের মালিক হইয়া মনেচ্ছা চাষে বাস পুত্রে পৌত্রাদি ও ওয়ারিশান ধনপ্রাপ্তে পরমসুখে ভোগদখল করিতে থাকিবেন বিনা দ্বিধাবিনায় ওক্ত আছনায় টাকা দ্বিতীয় পক্ষ আদায় ওস্ত রেহ আপত্তি করিলে আদায় হইতে বর্ষনাত করিলে আইন হয়ে মুক্তি দিবে

Attested
SARNA

Scanned with CamScanner

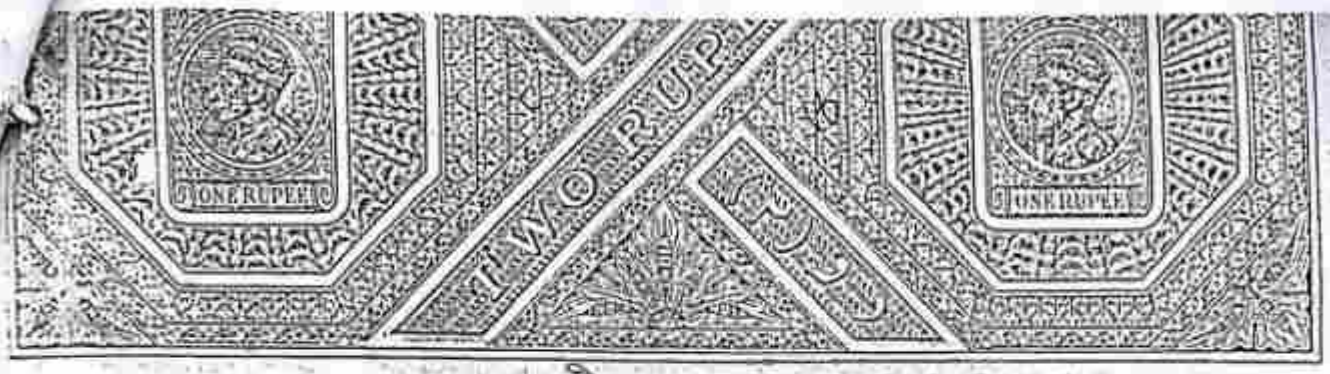

দুই রুপিয়া

গভর্নমেন্ট কর্তৃক নোন সময় অর্থ দীর্ঘ হইলে তাহা জমা দেওয়ায় দ্বিতীয়— পক্ষ পুথক আদায় দিবেন। বেদখলীয় ভূমির সীমা সরহদ্দ রীতি মত— দ্বিতীয় পক্ষ কায়েম রাখিবেন। দ্বিতীয় পক্ষ চৌহদ্দীর বা আপেক্ষ— অতিরিক্ত কোন জমিজমা দখল করিতে পারিবেন না বা করিলেও তাহা দখল গণ্য হইবে না। বাদাবস্ত ভূমির নিম্নস্থ বাঁধ বা মূল্যায়ন প্রভৃতি প্রথম পক্ষের থাকিল। তাহার সহিত দ্বিতীয় পক্ষের কোন এলাকা নাই বা রহিল না। ঐরূপ বন্দোবস্তীয় ভূমির দরুণ আমি কোনপ্রকার আবওয়াব বা খাদ আদায় করিব এরূপ তাহা হইলে উক্ত খাদ আদায়ের জন্য— যে তদন্তপত্র আবশ্যকীয় জিনিষ আমি যাচিবার জন্য বা খুব তৈয়ার করিবার জন্য যে পরিমাণ জমির আবশ্যক হইবে তাহা দ্বিতীয় পক্ষ— ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। এবং যে পরিমাণ আবাদ ভূমি ছাড়িয়া দিবেন সেবার প্রাপ্য খাজনা ও হার হারে মাঠ আবওয়াব আমি মিনাহ পাইবেন তদ্ভিন্ন উক্ত খণ্ড অমুহে উক্তরূপ সম্পূর্ণ বাধ্য থাকিবে আমি হইতে কোন দাবী করিবেন না। ইতি সন ১৯৫২ ইংরেজি তারিখ মাহে ফাল্গুন ১৩৫৮ বাং তারিখ ৩ রা তৈশাখ ভূমি ২৩ শে চৈত্র মাহে ভূমিকাটে আদায় তারিখ ১৭ ভূমিকে আদায়।

উপরোক্ত বন্দোবস্তীয় ভূমির চৌহদ্দী তোলা থাকিবে আমি যে— অতিরিক্ত বলিয়া দখল করিব তাহা পাইলে আমিল করা হইবে এবং তাহার— উপর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইবে। ১৩৭ নং খানা খুঃ ইনডেন্টি দ্বিতীয় প্রথম পক্ষের নৈসর্গিক মোকররী স্বত্বের চৌহদ্দীর। উক্ত মৌজা মাঝী ৩ নং হেওহটের অন্তর্গত ৩৫ নং খারাজাত আতা খুঃ নিম্ন স্বত্বের জমির

Scanned with CamScanner

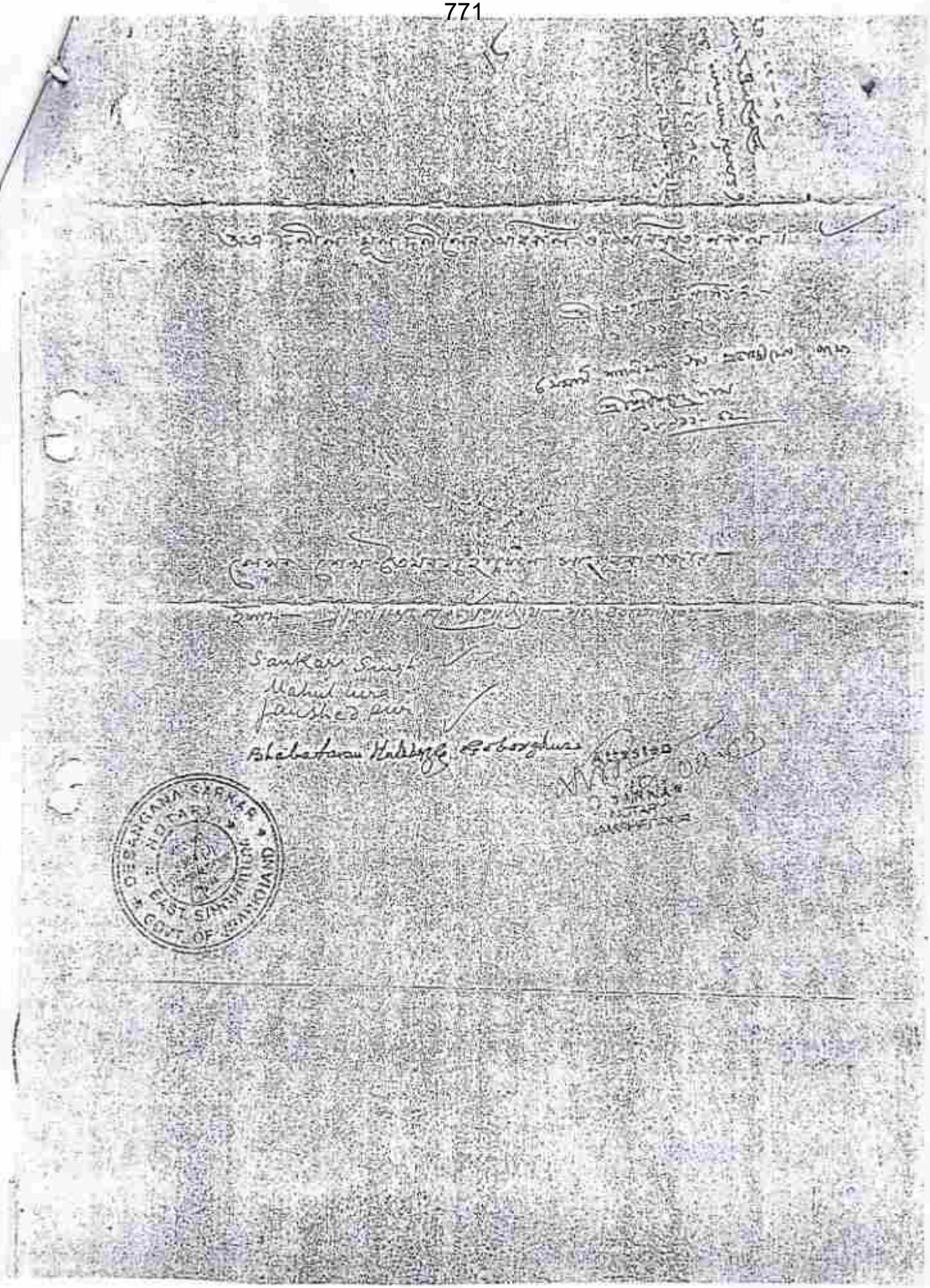

Sankara Singh
Madhurai
Purchased per
Bhebhavan Building Coimbatore

Scanned with CamScanner

SIXTY RUPEES

Admissible under rule 1 of the Chota Nagpur Encumbered Estates Act, 1876 ... Schedule (A), Art. 35(a)

Jeypore
A(3)(c) 18-5
N(a) 2-1
N(c) -7
20-13

18.12.17 18/11

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নারায়ণ সিংহ দিগপতি রাজা বাহাদুর মহিমার্ণবেষু

আপনার চরণাশ্রিত পেশাওনীমদার আমিন সাং মোকনডাঙ্গা পং বনবাড়ুম থানা পটমদা জেলা মানভূম।

প্রথম পক্ষ।

শ্রীযুক্ত মেসার্স শালিমার টার প্রডাক্টস্ ল্যানোডিং এসোসিয়েটেড টীমার সার্ভিস এণ্ড কোং লিমিটেড। ৩ নং লায়ন্স রেঞ্জ কলিকাতা।

দ্বিতীয় পক্ষ।

দলিল ইস্তেফাদ

পেশামী ২৮-৭৪/- টাকা

খাজনা ৩৬।৫ পরগণা খাস তৌজ

পরিমাণ ১৭।১।৩ কিস্তা

DEBANGANA SARKAR NOTARY EAST SINGHBHUM GOVT. OF JHARKHAND

Attested

কস্যা ইস্তেফাদ দলিল পুরু মিদং কার্য্যবরাণে এই মে মিসুমিদং থানাভুক্ত আবাদযোগ্য আকাশ বনজঙ্গলযুক্ত খানা ৮৮ মানা পরিমিত নিষ্কর ভূমি পরগণায় অন্তর্গত উক্ত মহালের আমিনী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যে খানা ভূমি নিম্নলিখিত চৌহদ্দী মধ্যে প্রথমপক্ষের নিকট হইতে

Scanned with CamScanner

ENVIRONMENTAL LABORATORIES & ENGINEERING SERVICES PVT. LTD.

PLOT NO-30, MANSAROVAR ENCLAVE, TUPUDANA HATIA, RANCHI-834003 (JHARKHAND)
Email: info@elespl.com ; eles.ranchi@gmail.com
GST NO:- 20AAECE9713D1Z4 Phone no : 0651-2290103

ISO 9001:2015CERTIFIED,OHSAS 18001:2007 CERTIFIED
JSPCB Certified Lab. for
Environmental Pollution Monitoring & Analysis

CIN: U74999JH2018PTC011125

TEST REPORT

Test Report No.	: ELES/RNC/2024/1202	Report Release Date	: 24.02.2024
Application No.	: 18451597	Application Date	: 13.02.2024

CUSTOMER DETAILS		SAMPLE DETAILS	
Customer Name	: STP Limited	Sample Ref. No.	: ELES/RNC/2024/AA/1109
Address	: Mirzadih, Dimna Road, P.O.- M.G.M. Medical Collage, Jamshedpur, Dist- East Singhbum.	Location	: Near Main Gate
		Sampling Date	: 14.02.2024 to 15.02.2024
		Sample Received Date	: 16.02.2024
		Type of Sample	: Ambient Air
		Sampling Procedure	: ELES/DOC/SMPL/02
Plant Status	: Operational	Sampling Done By	: ELES Pvt. Ltd.
Period of Analysis	: 16.02.2024 to 24.02.2024	Sample Condition	: Sealed & Preserved

METEOROLOGICAL INFORMATION					
1	Average Temperature (°C)	: 24	2	Barometric Pressure (mmHg)	: 745
3	Relative Humidity (%)	: 58	4	Weather Condition	: Clear

Discipline : Chemical — **Group : Atmospheric Pollution**

Parameter	Unit	Test Protocol	Result							Regulatory Limit
			Duration						24hrs. Avg.	
Particulate Matter (PM10)	µg/m³	IS 5182 (Part-23):2006; RA2022	09:18 - 17:10		17:15 - 01:09		01:16 - 09:07		63	100 (24hrs)
			69		55		64			
Sulphur Di-Oxide (SO_2)	µg/m³	IS 5182 (Part-2): 2001; RA2022	Duration						24hrs. Avg.	80 (24hrs)
			09:18-13:23	13:23-17:10	17:15-21:16	21:16-01:09	01:16 - 05:18	05:18-09:07	9.1	
			9.9	12.5	8.7	<5.0	7.5	10.9		
Nitrogen Di-Oxide (NO_2)	µg/m³	IS 5182 (Part-6): 2006; RA2022	Duration						24hrs. Avg.	80 (24hrs)
			09:18-13:23	13:23-17:10	17:15-21:16	21:16-01:09	01:16 - 05:18	05:18-09:07	22.2	
			24.8	26.5	21.3	17.7	19.4	23.7		

The Document stated as Test Report, is issued by the Laboratory under General Terms and Conditions, only on Company letter head in pre-approved format. The results shown in the Test Report refer or relates only to the job/analysis done by the Laboratory only. The information stated on the Test Report reflects the findings done by the Laboratory at the time of involvement only and within the limits of client's instructions. The Laboratory is responsible for all the information or data provided on the report, except the information which is provided by the client. The Report cannot be reproduced except in full and any part of the report is not taken out of context, without prior written approval of the Laboratory. The Report in full or in part shall not be published, advertise, used for any legal actions unless prior permission has been received from the Management of the Laboratory. Attention is drawn to the limitation of liability, compensation and jurisdiction issues. Any unauthorized alteration & falsification of the content or appearance of the Test Report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. All the samples are retained for 30days from the Date of release/issue of the Test Report. The samples from Regulatory bodies are to be retained as specified. Any type of Observations or Complaints regarding the Reports shall be done within 15days from the Date of Test Report released/issued. After the time period stated before, no complaints will be accepted. The entire Time schedule mentioned in Test Report is in 24hours format. Abbreviation used: N/A (Not Applicable); BDL (Below Detection Limit); LDL (Lowest Detection Limit)

"Saving Environment, Save Future"

Scanned with CamScanner

ENVIRONMENTAL LABORATORIES & ENGINEERING SERVICES PVT. LTD.

PLOT NO-30, MANSAROVAR ENCLAVE, TUPUDANA HATIA, RANCHI-834003 (JHARKHAND)
Email: info@elespl.com ; eles.ranchi@gmail.com
GST NO:- 20AAECE9713Q1ZA Phone no : 0651-2290103

ISO 9001:2015CERTIFIED,OHSAS 18001:2007 CERTIFIED
JSPCB Certified Lab. for
Environmental Pollution Monitoring & Analysis

CIN: U74999JH2018PTC011133

TEST REPORT

Test Report No.	: ELES/RNC/2024/1202	Report Release Date	: 24.02.2024
Application No.	: 18451597	Application Date	: 13.02.2024

Discipline : Chemical — **Group : Atmospheric Pollution**

Parameter	Unit	Test Protocol	Result							Regulatory Limit
			Duration						24hrs. Avg.	
Ozone (O_3)	µg/m³	IS 5182 (Part-9):1974; RA2019	09:18 - 17:10	17:15 - 01:09	01:16 - 09:07				<20.0	100 (8hrs)
			<20.0	<20.0	<20.0					
Ammonia (NH_3)	µg/m³	IS 5182 (Part-25): 2018	Duration						24hrs. Avg.	400 (24hrs)
			09:18-13:23	13:23-17:10	17:15-21:16	21:16-01:09	01:16-05:18	05:18-09:07	<10.0	
			<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0		

Discipline : Chemical — **Group : Atmospheric Pollution**

Parameter	Unit	Test Protocol	Result	Regulatory Limit
Particulate Matter (PM2.5)	µg/m³	IS 5182 (Part-24):2019	37	60 (24hrs)
Carbon Monoxide (CO)	mg/m³	IS 5182 (Part-10):1999;RA2019 (NDIR Method)	<1.0	2 (8hrs)
Lead (Pb)	µg/m³	IS 5182 (Part-22):2004; RA2019	<0.002	1(24 hrs)
Nickel (Ni)	ng/m³	IS 5182 (Part-26):2020	<6.0	20 (Annual)
Arsenic (As)	ng/m³	ELES/AIR/SOP/01	<2.0	6 (Annual)

Environmental Laboratories & Engineering Services Pvt. Ltd.
Reviewed by

****End of Report****

Authorised Signatory
Dr. Deependra Kumar Sinha
Ph. D Environmental Engg.
ELES Pvt. Ltd. Technical Manager

The Document stated as Test Report, is issued by the Laboratory under General Terms and Conditions, only on Company letter head in pre-approved format. The results shown in the Test Report refer or relates only to the job/analysis done by the Laboratory only. The information stated on the Test Report reflects the findings done by the Laboratory at the time of involvement only and within the limits of client's instructions. The Laboratory is responsible for all the information or data provided on the report, except the information which is provided by the client. The Report cannot be reproduced except in full and any part of the report is not taken out of context, without prior written approval of the Laboratory. The Report in full or in part shall not be published, advertise, used for any legal actions unless prior permission has been secured from the Management of the Laboratory. Attention is drawn to the limitation of liability, compensation and jurisdiction issues. Any unauthorized alteration & falsification of the content or appearance of the Test Report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. All the samples are retained for 30days from the Date of release/issue of the Test Report. The samples from Regulatory bodies are to be retained as specified. Any type of Observations or Complaints regarding the Reports shall be done within 15days from the Date of Test Report released/issued. After the time period stated before, no complaints will be accepted. The entire Time schedule mentioned in Test Report is in 24hours format. Abbreviation used: NA (Not Applicable); BDL (Below Detection Limit); LDL (Lower Detection Limit).

"Saving Environment, Save Future"

Scanned with CamScanner

ENVIRONMENTAL LABORATORIES & ENGINEERING SERVICES PVT. LTD.

PLOT NO-30, MANSAROVAR ENCLAVE, TUPUDANA
HATIA, RANCHI-834003 (JHARKHAND)
GST NO:- 20AAECE9713D1Z4

Email: info@elespl.co.in , eles.ranchi@gmail.com
Phone no.: 0651-2290103
Website : www.elespl.co.in

CIN: U74999JH2018PTC011125

TEST REPORT

Test Report No.	: ELES/RNC/2024/1202	Report Release Date	: 24.02.2024
Application No.	: 18451597	Application Date	: 13.02.2024

CUSTOMER DETAILS		SAMPLE DETAILS	
Customer Name	: STP Limited	Sample Ref. No.	: ELES/RNC/2024/AA/1109
Address	: Mirzadih, Dimna Road, P.O.- M.G.M. Medical Collage, Jamshedpur, Dist- East Singhbum.	Location	: Near Main Gate
		Sampling Date	: 14.02.2024 to 15.02.2024
		Sample Received Date	: 16.02.2024
		Type of Sample	: Ambient Air
		Sampling Procedure	: ELES/DOC/SMPL/02
Plant Status	: Operational	Sampling Done By	: ELES Pvt. Ltd.
Period of Analysis	: 16.02.2024 to 24.02.2024	Sample Condition	: Sealed & Preserved

METEOROLOGICAL INFORMATION					
1	Average Temperature (°C)	: 24	2	Barometric Pressure (mmHg)	: 745
3	Relative Humidity (%)	: 58	4	Weather Condition	: Clear

Discipline : Chemical — **Group : Atmospheric Pollution**

Parameter	Unit	Test Protocol	Result	Regulatory Limit
Benzene (C_6H_6)*	$\mu g/m^3$	IS 5182 (Part-11): 2006; RA2022	<1.0	05(Annual)
Benzo-(a)-Pyrene*	ng/m^3	IS 5182 (Part-12): 2004; RA2019	<0.5	01(Annual)

Remarks: 1. (*) - Parameters are outsourced to other Lab.

Environmental Laboratories & Engineering Services Pvt. Ltd. — Reviewed by

****End of Report****

Authorised Signatory
Dr. Deependra Kumar Sinha
Ph. D Environmental Engg.
ELES Pvt. Ltd. Technical Manager

The Document stated as Test Report, is issued by the Laboratory under General Terms and Conditions, only on Company letter head in pre-approved format. The results shown in the Test Report refer or relates only to the job/analysis done by the Laboratory only. The information stated on the Test Report reflects the findings done by the Laboratory at the time of involvement only and within the limits of client's instructions. The Laboratory is responsible for all the information or data provided on the report, except the information which is provided by the client. The Report cannot be reproduced except in full and any part of the report is not taken out of context, without prior written approval of the Laboratory. The Report in full or in part shall not be published, advertise, used for any legal actions unless prior permission has been secured from the Management of the Laboratory. Attention is drawn to the limitation of liability, compensation and jurisdiction issues. Any unauthorized alteration & falsification of the content or appearance of the Test Report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. All the samples are retained for 30days from the Date of release/issue of the Test Report. The samples from Regulatory bodies are to be retained as specified. Any type of Observations or Complaints regarding the Reports shall be done within 15days from the Date of Test Report released/issued. After the time period stated before, no complaints will be accepted. The entire Time schedule mentioned in Test Report is in 24hours format. Abbreviation used: N/A (Not Applicable); BDL (Below Detection Limit); LDL (Lower Detection Limit).

Scanned with CamScanner

ENVIRONMENTAL LABORATORIES & ENGINEERING SERVICES PVT. LTD.

PLOT NO-30, MANSAROVAR ENCLAVE, TUPUDANA
HATIA, RANCHI-834003 (JHARKHAND)
Email: info@elespl.com ; eles.ranchi@gmail.com
GST NO:- 20AAECE9713D1Z4 Phone no : 0651-2290103

ISO 9001:2015CERTIFIED, OHSAS 18001:2007 CERTIFIED
JSPCB Certified Lab. for
Environmental Pollution Monitoring & Analysis

CIN: U74999JH2018PTC011125

TEST REPORT

Test Report No.	: ELES/RNC/2024/1203	Report Release Date	: 24.02.2024
Application No.	: 18451597	Application Date	: 13.02.2024

CUSTOMER DETAILS		SAMPLE DETAILS	
Customer Name	: STP Limited	Sample Ref. No.	: ELES/RNC/2024/AA/1110
		Location	: Near ETP Plant
Address	: Mirzadih, Dimna Road, P.O.- M.G.M. Medical Collage, Jamshedpur, Dist- East Singhbum.	Sampling Date	: 14.02.2024 to 15.02.2024
		Sample Received Date	: 16.02.2024
		Type of Sample	: Ambient Air
		Sampling Procedure	: ELES/DOC/SMPL/02
Plant Status	: Operational	Sampling Done By	: ELES Pvt. Ltd.
Period of Analysis	: 16.02.2024 to 24.02.2024	Sample Condition	: Sealed & Preserved

METEOROLOGICAL INFORMATION					
1	Average Temperature (°C)	: 24	2	Barometric Pressure (mmHg)	: 745
3	Relative Humidity (%)	: 58	4	Weather Condition	: Clear

Discipline : Chemical — **Group : Atmospheric Pollution**

Parameter	Unit	Test Protocol	Result							Regulatory Limit
Particulate Matter (PM10)	µg/m³	IS 5182 (Part-23):2006; RA2022	Duration						24hrs. Avg.	100 (24hrs)
			09:34 - 17:25		17:31 - 01:28		01:35 - 09:24		65	
			71		57		68			
Sulphur Di-Oxide (SO_2)	µg/m³	IS 5182 (Part-2): 2001; RA2022	Duration						24hrs. Avg.	80 (24hrs)
			09:34-13:36	13:36-17:25	17:31-21:35	21:35-01:28	01:35-05:38	05:38-09:24	11.2	
			10.4	15.1	12.7	8.9	6.5	13.6		
Nitrogen Di-Oxide (NO_2)	µg/m³	IS 5182 (Part-6): 2006; RA2022	Duration						24hrs. Avg.	80 (24hrs)
			09:34-13:36	13:36-17:25	17:31-21:35	21:35-01:28	01:35-05:38	05:38-09:24	24.5	
			28.1	25.6	22.4	20.7	23.2	26.9		

The Document stated as Test Report, is issued by the Laboratory under General Terms and Conditions, only on Company letter head in pre-approved format. The results shown in the Test Report refer or relates only to the job/analysis done by the Laboratory only. The information stated on the Test Report reflects the findings done by the Laboratory at the time of involvement only and within the limits of client's instructions. The Laboratory is responsible for all the information or data provided on the report, except the information which is provided by the client. The Report cannot be reproduced except in full and any part of the report is not taken out of context, without prior written approval of the Laboratory. The Report in full or in part shall not be published, advertise, used for any legal actions unless prior permission has been secured from the Management of the Laboratory. Attention is drawn to the limitation of liability, compensation and jurisdiction issues. Any unauthorized alteration & falsification of the content or appearance of the Test Report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. All the samples are retained for 30days from the Date of release/issue of the Test Report. The samples from Regulatory bodies are to be retained as specified. Any type of Observations or Complaints regarding the Reports shall be done within 15days from the Date of Test Report released/issued. After the time period stated before, no complaints will be accepted. The entire Time schedule mentioned in Test Report is in 24hours format. Abbreviation used: NA (Not Applicable); BDL (Below Detection Limit); LTR (Lower Detection Limit).

"Saving Environment, Save Future"

Scanned with CamScanner

ENVIRONMENTAL LABORATORIES & ENGINEERING SERVICES PVT. LTD.

PLOT NO-30, MANSAROVAR ENCLAVE, TUPUDANA HATIA, RANCHI-834003 (JHARKHAND)
Email: info@elespl.com ; eles.ranchi@gmail.com
GST NO:- 20AAECE9713D1Z4 Phone no : 0651-2290103

ISO 9001:2015CERTIFIED,OHSAS 18001:2007 CERTIFIED
JSPCB Certified Lab. for
Environmental Pollution Monitoring & Analysis

CIN: U74999JH2018PTC011125

TEST REPORT

Test Report No.	**: ELES/RNC/2024/1203**	**Report Release Date**	**: 24.02.2024**
Application No.	**: 18451597**	**Application Date**	**: 13.02.2024**

Discipline : Chemical — **Group : Atmospheric Pollution**

Parameter	Unit	Test Protocol	Result							Regulatory Limit
			Duration						24hrs. Avg.	
Ozone (O_3)	µg/m³	IS 5182 (Part-9):1974; RA2019	09:34 - 17:25		17:31 - 01:28		01:35 - 09:24		<20.0	100 (8hrs)
			<20.0		<20.0		<20.0			
			Duration						24hrs. Avg.	
Ammonia (NH_3)	µg/m³	IS 5182 (Part-25): 2018	09:34-13:36	13:36-17:25	17:31-21:35	21:35-01:28	01:35-05:38	05:38-09:24	<10.0	400 (24hrs)
			<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0		

Discipline : Chemical — **Group : Atmospheric Pollution**

Parameter	Unit	Test Protocol	Result	Regulatory Limit
Particulate Matter (PM2.5)	µg/m³	IS 5182 (Part-24):2019	40	60 (24hrs)
Carbon Monoxide (CO)	mg/m³	IS 5182 (Part-10):1999;RA2019 (NDIR Method)	1.08	2 (8hrs)
Lead (Pb)	µg/m³	IS 5182 (Part-22):2004; RA2019	0.015	1(24 hrs)
Nickel (Ni)	ng/m³	IS 5182 (Part-26):2020	<6.0	20 (Annual)
Arsenic (As)	ng/m³	ELES/AIR/SOP/01	<2.0	6 (Annual)

Environmental Laboratories & Engineering Services Pvt. Ltd. — Reviewed by

****End of Report****

Authorised Signatory
Dr. Deependra Kumar Sinha
Ph. D Environmental Engg.
ELES Pvt. Ltd. Technical Manager

The Document stated as Test Report, is issued by the Laboratory under General Terms and Conditions, only on Company letter head in pre-approved format. The results shown in the Test Report refer or relates only to the Job/analysis done by the Laboratory only. The information stated on the Test Report reflects the findings done by the Laboratory at the time of involvement only and within the limits of client's instructions. The Laboratory is responsible for all the information or data provided on the report, except the information which is provided by the client. The Report cannot be reproduced except in full and any part of the report is not taken out of context, without prior written approval of the Laboratory. The Report in full or in part shall not be published, advertise, used for any legal actions unless prior permission has been secured from the Management of the Laboratory. Attention is drawn to the limitation of liability, compensation and jurisdiction issues. Any unauthorized alteration & falsification of the contents or appearance of the Test Report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. All the samples are retained for 30days from the Date of release/issue of the Test Report. The samples from Regulatory bodies are to be retained as specified. Any type of Observations or Complaints regarding the Reports shall be done within 15days from the Date of Test Report released/issued. After the time period stated before, no complaints will be accepted. The entire Time schedule mentioned in Test Report is in 24hours format. Abbreviation used, N/A (Not Applicable); BDL (Below Detection Limit); LDL (Lower Detection Limit).

Scanned with CamScanner

ENVIRONMENTAL LABORATORIES & ENGINEERING SERVICES PVT. LTD.

PLOT NO-30, MANSAROVAR ENCLAVE, TUPUDANA HATIA, RANCHI-834003 (JHARKHAND)
GST NO:- 20AAECE9711012Z

Email: info@elespl.co.in , eles.ranchi@gmail.com
Phone no.: 0651-2290103
Website : www.elespl.co.in

CIN: U74999JH2018PTC011135

TEST REPORT

Test Report No.	: ELES/RNC/2024/1203	Report Release Date	: 24.02.2024
Application No.	: 18451597	Application Date	: 13.02.2024

CUSTOMER DETAILS		SAMPLE DETAILS	
Customer Name	: STP Limited	Sample Ref. No.	: ELES/RNC/2024/AA/1110
Address	: Mirzadih, Dimna Road, P.O.- M.G.M. Medical College, Jamshedpur, Dist- East Singhbum.	Location	: Near ETP Plant
		Sampling Date	: 14.02.2024 to 15.02.2024
		Sample Received Date	: 16.02.2024
		Type of Sample	: Ambient Air
		Sampling Procedure	: ELES/DOC/SMPL/02
		Sampling Done By	: ELES Pvt. Ltd.
Plant Status	: Operational	Sample Condition	: Sealed & Preserved
Period of Analysis	: 16.02.2024 to 24.02.2024		

METEOROLOGICAL INFORMATION					
1	Average Temperature (°C)	: 24	2	Barometric Pressure (mmHg)	: 745
3	Relative Humidity (%)	: 58	4	Weather Condition	: Clear

Discipline : Chemical — **Group : Atmospheric Pollution**

Parameter	Unit	Test Protocol	Result	Regulatory Limit
Benzene (C_6H_6)*	$\mu g/m^3$	IS 5182 (Part-11): 2006; RA2022	<1.0	05(Annual)
Benzo-(a)-Pyrene*	ng/m^3	IS 5182 (Part-12): 2004; RA2019	<0.5	01(Annual)

Remarks: 1. (*) - Parameters are outsourced to other Lab.

Environmental Laboratories & Engineering Services Pvt. Ltd. — Reviewed by

****End of Report****

Authorised Signatory
Dr. Deependra Kumar Sinha
Ph. D Environmental Engg.
ELES Pvt. Ltd. Technical Manager

The Document stated as Test Report, is issued by the Laboratory under General Terms and Conditions, only on Company letter head in pre-approved format. The results shown in the Test Report refer or relates only to the job/analysis done by the Laboratory only. The information stated on the Test Report reflects the findings done by the Laboratory at the time of involvement only and within the limits of client's instructions. The Laboratory is responsible for all the information or data provided on the report, except the information which is provided by the client. The Report cannot be reproduced except in full and any part of the report is not taken out of context, without prior written approval of the Laboratory. The Report in full or in part shall not be published, advertise, used for any legal actions unless prior permission has been secured from the Management of the Laboratory. Attention is drawn to the limitation of liability, compensation and jurisdiction issues. Any unauthorized alteration & falsification of the content or appearance of the Test Report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. All the samples are retained for 30days from the Date of release/issue of the Test Report. The samples from Regulatory bodies are to be retained as specified. Any type of Observations or Complaints regarding the Reports shall be done within 15days from the Date of Test Report released/issued. After the time period stated before, no complaints will be accepted. The entire Time schedule mentioned in Test Report is in 24hours format. Abbreviation used: N/A (Not Applicable); BDL (Below Detection Limit); LDL (Lower Detection Limit).

Scanned with CamScanner

ENVIRONMENTAL LABORATORIES & ENGINEERING SERVICES PVT. LTD.

PLOT NO-30, MANSAROVAR ENCLAVE, TUPUDANA HATIA, RANCHI-834003 (JHARKHAND)
Email: info@elespl.com ; eles.ranchi@gmail.com
GST NO:- 20AAECE9713D1Z4 Phone no : 0651-2290103

ISO 9001:2015CERTIFIED,OHSAS 18001:2007 CERTIFIED
JSPCB Certified Lab. for Environmental Pollution Monitoring & Analysis

CIN- U74999JH2018PTC011125

TEST REPORT

Test Report No.	: ELES/RNC/2024/1204	Report Release Date	: 24.02.2024
Application No.	: 18451597	Application Date	: 13.02.2024

CUSTOMER DETAILS		SAMPLE DETAILS	
Customer Name	: STP Limited	Sample Ref. No.	: ELES/RNC/2024/AA/1111
		Location	: Near Assembly Point
Address	: Mirzadih, Dimna Road, P.O.- M.G.M. Medical Collage, Jamshedpur, Dist- East Singhbum.	Sampling Date	: 14.02.2024 to 15.02.2024
		Sample Received Date	: 16.02.2024
		Type of Sample	: Ambient Air
		Sampling Procedure	: ELES/DOC/SMPL/02
Plant Status	: Operational	Sampling Done By	: ELES Pvt. Ltd.
Period of Analysis	: 16.02.2024 to 24.02.2024	Sample Condition	: Sealed & Preserved

METEOROLOGICAL INFORMATION					
1	Average Temperature (°C)	: 24	2	Barometric Pressure (mmHg)	: 745
3	Relative Humidity (%)	: 58	4	Weather Condition	: Clear

Discipline : Chemical — **Group : Atmospheric Pollution**

Parameter	Unit	Test Protocol	Result							Regulatory Limit
Particulate Matter (PM10)	µg/m³	IS 5182 (Part-23):2006; RA2022	Duration						24hrs. Avg.	100 (24hrs)
			09:46 - 17:39		17:44 - 01:36		01:42 - 09:35		59	
			69		47		62			
Sulphur Di-Oxide (SO_2)	µg/m³	IS 5182 (Part-2): 2001; RA2022	Duration						24hrs. Avg.	80 (24hrs)
			09:46-13:45	13:45-17:39	17:44-21:48	21:48-01:36	01:42 - 05:41	05:41-09:35	8.1	
			11.5	8.8	6.3	<5.0	7.9	9.4		
Nitrogen Di-Oxide (NO_2)	µg/m³	IS 5182 (Part-6): 2006; RA2022	Duration						24hrs. Avg.	80 (24hrs)
			09:46-13:45	13:45-17:39	17:44-21:48	21:48-01:36	01:42 - 05:41	05:41-09:35	21.4	
			25.1	23.7	18.3	15.8	20.4	24.9		

The Document stated as Test Report, is issued by the Laboratory under General Terms and Conditions, only on Company letter head in pre-approved format. The results shown in the Test Report refer or relates only to the job/analysis done by the Laboratory only. The information stated on the Test Report reflects the findings done by the Laboratory at the time of involvement only and within the limits of client's instructions. The Laboratory is responsible for all the information or data provided on the report, except the information which is provided by the client. The Report cannot be reproduced except in full and any part of the report is not taken out of context, without prior written approval of the Laboratory. The Report in full or in part shall not be published, advertise, used for any legal actions unless prior permission has been secured from the Management of the Laboratory. Attention is drawn to the limitation of liability, compensation and jurisdiction issues. Any unauthorised alteration & falsification of the content or appearance of the Test Report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. All the samples are retained for 30days from the Date of release/issue of the Test Report. The samples from Regulatory bodies are to be retained as specified. Any type of Observations or Complaints regarding the Reports shall be done within 15days from the Date of Test Report released/issued. After the time period stated before, no complaints will be accepted. The entire Time schedule mentioned in Test Report is in 24hours format. Abbreviation used; NA (Not Applicable); BDL (Below Detection Limit); LDL (Lower Detection Limit)

Scanned with CamScanner

(6)

ENVIRONMENTAL LABORATORIES & ENGINEERING SERVICES PVT. LTD.

PLOT NO-30, MANSAROVAR ENCLAVE, TUPUDANA HATIA, RANCHI-834003 (JHARKHAND)
GST NO:- 20AAECE9713D1Z4

Email: info@elespl.co.in , eles.ranchi@gmail.com
Phone no.: 0651-2290103
Website : www.elespl.co.in

CIN: U74999JH2018PTC011125

TEST REPORT

Test Report No.	: ELES/RNC/2024/1204	Report Release Date	: 24.02.2024
Application No.	: 18451597	Application Date	: 13.02.2024

CUSTOMER DETAILS		SAMPLE DETAILS	
Customer Name	: STP Limited	Sample Ref. No.	: ELES/RNC/2024/AA/1111
Address	: Mirzadih, Dimna Road, P.O.- M.G.M. Medical Collage, Jamshedpur, Dist- East Singhbum.	Location	: Near Assembly Point
		Sampling Date	: 14.02.2024 to 15.02.2024
		Sample Received Date	: 16.02.2024
		Type of Sample	: Ambient Air
		Sampling Procedure	: ELES/DOC/SMPL/02
Plant Status	: Operational	Sampling Done By	: ELES Pvt. Ltd.
Period of Analysis	: 16.02.2024 to 24.02.2024	Sample Condition	: Sealed & Preserved

METEOROLOGICAL INFORMATION					
1	Average Temperature (°C)	: 24	2	Barometric Pressure (mmHg)	: 745
3	Relative Humidity (%)	: 58	4	Weather Condition	: Clear

Discipline : Chemical — **Group : Atmospheric Pollution**

Parameter	Unit	Test Protocol	Result	Regulatory Limit
Benzene (C_6H_6)*	$\mu g/m^3$	IS 5182 (Part-11): 2006; RA2022	<1.0	05(Annual)
Benzo-(a)-Pyrene*	ng/m^3	IS 5182 (Part-12): 2004; RA2019	<0.5	01(Annual)

Remarks: 1. (*) - Parameters are outsourced to other Lab.

Reviewed by

****End of Report****

Authorised Signatory
Dr. Deependra Kumar Sinha
Ph. D Environmental Engg.
ELES Pvt. Ltd. Technical Manager

The Document stated as Test Report, is issued by the Laboratory under General Terms and Conditions, only on Company letter head in pre-approved format. The results shown in the Test Report refer or relates only to the job/analysis done by the Laboratory only. The information stated on the Test Report reflects the findings done by the Laboratory at the time of involvement only and within the limits of client's instructions. The Laboratory is responsible for all the information or data provided on the report, except the information which is provided by the client. The Report cannot be reproduced except in full and any part of the report is not taken out of context, without prior written approval of the Laboratory. The Report in full or in part shall not be published, advertise, used for any legal actions unless prior permission has been secured from the Management of the Laboratory. Attention is drawn to the limitation of liability, compensation and jurisdiction issues. Any unauthorized alteration & falsification of the content or appearance of the Test Report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. All the samples are retained for 30days from the Date of release/issue of the Test Report. The samples from Regulatory bodies are to be retained as specified. Any type of Observations or Complaints regarding the Reports shall be done within 15days from the Date of Test Report released/issued. After the time period stated before, no complaints will be accepted. The entire Time schedule mentioned in Test Report is in 24hours format. Abbreviation used: N/A (Not Applicable); BDL (Below Detection Limit); LDL (Lower Detection Limit).

Scanned with CamScanner

ENVIRONMENTAL LABORATORIES & ENGINEERING SERVICES PVT. LTD.

PLOT NO-30, MANSAROVAR ENCLAVE, TUPUDANA
HATIA, RANCHI-834003 (JHARKHAND)
Email: info@elespl.com ; eles.ranchi@gmail.com
GST NO:- 20AAECE9713012A Phone no : 0651-2290103

ISO 9001:2015CERTIFIED,OHSAS 18001:2007 CERTIFIED
JSPCB Certified Lab. for
Environmental Pollution Monitoring & Analysis

CIN: U74999JH2018PTC011125

TEST REPORT

Test Report No.	: ELES/RNC/2024/1204	Report Release Date	: 24.02.2024
Application No.	: 18451597	Application Date	: 13.02.2024

Discipline : Chemical — **Group : Atmospheric Pollution**

Parameter	Unit	Test Protocol	Result							Regulatory Limit
Ozone (O_3)	$\mu g/m^3$	IS 5182 (Part-9):1974; RA2019	Duration						24hrs. Avg.	100 (8hrs)
			09:46 - 17:39		17:44 - 01:36		01:42 - 09:35		<20.0	
			<20.0		<20.0		<20.0			
Ammonia (NH_3)	$\mu g/m^3$	IS 5182 (Part-25): 2018	Duration						24hrs. Avg.	400 (24hrs)
			09:46-13:45	13:45-17:39	17:44-21:48	21:48-01:36	01:42 - 05:41	05:41-09:35	<10.0	
			<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0		

Discipline : Chemical — **Group : Atmospheric Pollution**

Parameter	Unit	Test Protocol	Result	Regulatory Limit
Particulate Matter (PM2.5)	$\mu g/m^3$	IS 5182 (Part-24):2019	34	60 (24hrs)
Carbon Monoxide (CO)	mg/m^3	IS 5182 (Part-10):1999;RA2019 (NDIR Method)	<1.0	2 (8hrs)
Lead (Pb)	$\mu g/m^3$	IS 5182 (Part-22):2004; RA2019	<0.002	1(24 hrs)
Nickel (Ni)	ng/m^3	IS 5182 (Part-26):2020	<6.0	20 (Annual)
Arsenic (As)	ng/m^3	ELES/AIR/SOP/01	<2.0	6 (Annual)

Environmental Laboratories & Engineering Services Pvt. Ltd.
Reviewed by

****End of Report****

Authorised Signatory
Dr. Deependra Kumar Sinha
Ph. D Environmental Engg.
ELES Pvt. Ltd. Technical Manager

The Document stated as Test Report, is issued by the Laboratory under General Terms and Conditions, only on Company letter head in pre-approved format. The results shown in the Test Report refer or relates only to the job/analysis done by the Laboratory only. The information stated on the Test Report reflects the findings done by the Laboratory at the time of involvement only and within the limits of client's instructions. The Laboratory is responsible for all the information or data provided on the report, except the information which is provided by the client. The Report cannot be reproduced except in full and any part of the report is not taken out of context, without prior written approval of the Laboratory. The Report in full or in part shall not be published, advertise, used for any legal actions unless prior permission has been secured from the Management of the Laboratory. Attention is drawn to the limitation of liability, compensation and jurisdiction issues. Any unauthorised alteration & falsification of the content or appearance of the Test Report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. All the samples are retained for 30days from the Date of release/issue of the Test Report. The samples from Regulatory bodies are to be retained as specified. Any type of Observations or Complaints regarding the Reports shall be done within 15days from the Date of Test Report released/issued. After the time period stated before, no complaints will be accepted. The entire Time schedule mentioned in Test Report is in 24hours format. Abbreviation used: N/A (Not Applicable); BDL (Below Detection Limit); LDL (Lower Detection Limit).

Scanned with CamScanner

(3)

ENVIRONMENTAL LABORATORIES & ENGINEERING SERVICES PVT. LTD.

PLOT NO-30, MANSAROVAR ENCLAVE, TUPUDANA
HATIA, RANCHI-834003 (JHARKHAND)
Email: info@elespl.com ; eles.ranchi@gmail.com
GST NO:- 20AAECE9713D1Z4 Phone no : 0651-2290103

ISO 9001:2015CERTIFIED, OHSAS 18001:2007 CERTIFIED
ISPCB Certified Lab. for
Environmental Pollution Monitoring & Analysis

CIN: U74999JH2018PTC011225

TEST REPORT

Test Report No.	: ELES/RNC/2024/1205	Report Release Date	: 24.02.2024
Application No.	: 18451597	Application Date	: 13.02.2024

CUSTOMER DETAILS		SAMPLE DETAILS	
Customer Name	: STP Limited	Sampling Date	: 14.02.2024 to 15.02.2024
		Sample Received Date	: 16.02.2024
Address	: Mirzadih, Dimna Road, P.O.- M.G.M. Medical Collage, Jamshedpur, Dist- East Singhbum.	Type of Sample	: Ambient Noise
		Sampling Procedure	: ELES/DOC/SMPL/03
		Sampling Done By	: ELES Pvt. Ltd.
Plant Status	: Operational	Period of Analysis	: 16.02.2024 to 24.02.2024

METEOROLOGICAL INFORMATION					
1	Average Temperature (°C)	: 24	2	Barometric Pressure (mmHg)	: 745
3	Relative Humidity (%)	: 58	4	Weather Condition	: Clear

Location	Unit	Test Protocol	Result			Regulatory Limit
			L_{Max}	L_{Min}	L_{eq}	
Near Main Gate	dB(A)	IS 9989:1981, RA 2020	72.6	40.9	62	75 dB(A) Day Time & 70 dB(A) Night Time
Sample ID: ELES/RNC/2024/AN/1112						
			L_{Max}	L_{Min}	L_{eq}	
Near ETP Plant	dB(A)	IS 9989:1981, RA 2020	73.4	40.2	65	
Sample ID: ELES/RNC/2024/AN/1113						
			L_{Max}	L_{Min}	L_{eq}	
Near Assembly Point	dB(A)	IS 9989:1981, RA 2020	67.6	39.8	59	
Sample ID: ELES/RNC/2024/AN/1114						

Environmental Laboratories & Engineering Services Pvt. Ltd. Reviewed by

****End of Report****

Authorised Signatory
Dr. Deependra Kumar Sinha
Ph. D Environmental Engg.
ELES Pvt. Ltd. Technical Manager

The Document stated as Test Report, is issued by the Laboratory under General Terms and Conditions, only on Company letter head in pre-approved format. The results shown in the Test Report refer or relates only to the job/analysis done by the Laboratory only. The information stated on the Test Report reflects the findings done by the Laboratory at the time of involvement only and within the limits of client's instructions. The Laboratory is responsible for all the information or data provided on the report, except the information which is provided by the client. The Report cannot be reproduced except in full and any part of the report is not taken out of context, without prior written approval of the Laboratory. The Report in full or in part shall not be published, advertise, used for any legal actions unless prior permission has been secured from the Management of the Laboratory. Attention is drawn to the limitation of liability, compensation and jurisdiction issues. Any unauthorized alteration & falsification of the content or appearance of the Test Report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. All the samples are retained for 30days from the Date of release/issue of the Test Report. The samples from Regulatory bodies are to be retained as specified. Any type of Observations or Complaints regarding the Reports shall be done within 15days from the Date of Test Report released/issued. After the time period stated before, no complaints will be accepted. The entire Time schedule mentioned in Test Report is in 24hours format. Abbreviation used: N/A (Not Applicable); BDL (Below Detection Limit); LDL (Lower Detection Limit).

"Saving Environment, Save Future"

Scanned with CamScanner

ENVIRONMENTAL LABORATORIES & ENGINEERING SERVICES PVT. LTD.

PLOT NO-30, MANSAROVAR ENCLAVE, TUPUDANA
HATIA, RANCHI-834003 (JHARKHAND)
Email: info@elespl.com ; eles.ranchi@gmail.com
GST NO:- 20AAECE9713D1Z4 Phone no : 0651-2290103

ISO 9001:2015CERTIFIED,OHSAS 18001:2007 CERTIFIED
JSPCB Certified Lab. for
Environmental Pollution Monitoring & Analysis

CIN: U74999JH2018PTC011125

TEST REPORT

Test Report No.	: ELES/RNC/2024/1206	Report Release Date	: 24.02.2024
Application No.	: 18451597	Application Date	: 13.02.2024

CUSTOMER DETAILS		SAMPLE DETAILS	
Customer Name	: STP Limited	Sample Ref. No.	: ELES/RNC/2024/SM/1115
Address	: Mirzadih, Dimna Road, P.O.- M.G.M. Medical Collage, Jamshedpur, Dist- East Singhbum.	Location	: PL- 1&2
		Sampling Date	: 15.02.2024
		Sample Received Date	: 16.02.2024
		Type of Sample	: Flue Gas
		Sampling Procedure	: ELES/DOC/SMPL/02(A)
Plant Status	: Operational	Sampling Done By	: ELES Pvt. Ltd.
Period of Analysis	: 16.02.2024 to 24.02.2024	Sample Condition	: Sealed & Preserved

GENERAL INFORMATION		
1	Particular of the Plant	: Coal Tar Enemel & Coal Tar Pitch Mfg. Unit
2	Emission Due to	: Burning of HCO
3	Stack Connected to	: PL- 1&2
4	Material of Construction of Stack	: M.S
5	Stack Height from Ground Level (m)	: 30.0
6	Height of Sampling Port from Ground Level (m)	: 18.2
7	Inner Diameter of Stack at Sampling Point (m)	: 0.45
8	Shape of the Stack	: Circular
9	Working Load of the Stack	: N/A
10	Pollution Control System	: N/A
11	Ladder & Platform	: Permanent

FUEL CHARACTERISTICS DETAILS		
1	Type of Fuel Used	: Heavy Creosote Oil
2	Fuel Consumption	: 38 Kg/Hr
3	Calorific Value of Fuel (Kcal/Kg)	: N/A

The Document stated as Test Report, is issued by the Laboratory under General Terms and Conditions, only on Company letter head in pre-approved format. The results shown in the Test Report refer or relates only to the job/analysis done by the Laboratory only. The information stated on the Test Report reflects the findings done by the Laboratory at the time of involvement only and within the limits of client's instructions. The Laboratory is responsible for all the information or data provided on the report, except the information which is provided by the client. The Report cannot be reproduced except in full and any part of the report is not taken out of context, without prior written approval of the Laboratory. The Report in full or in part shall not be published, advertise, used for any legal actions unless prior permission has been secured from the Management of the Laboratory. Attention is drawn to the limitation of liability, compensation and jurisdiction issues. Any unauthorized alteration & falsification of the content or appearance of the Test Report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. All the samples are retained for 30days from the Date of release/issue of the Test Report. The samples from Regulatory bodies are to be retained as specified. Any type of Observations or Complaints regarding the Reports shall be done within 15days from the Date of Test Report released/issued. After the time period stated before, no complaints will be accepted. The entire Time schedule mentioned in Test Report is in 24hours format. Abbreviation used: N/A (Not Applicable); BDL (Below Detection Limit); LDL (Lower Detection Limit)

Scanned with CamScanner

ENVIRONMENTAL LABORATORIES & ENGINEERING SERVICES PVT. LTD.

PLOT NO-30, MANSAROVAR ENCLAVE, TUPUDANA HATIA, RANCHI-834003 (JHARKHAND)
Email: info@elespl.com ; eles.ranchi@gmail.com Phone no : 0651-2290103
GST NO:- 20AAECE9713D1Z4

ISO 9001:2015CERTIFIED,ONSAS 18001:2007 CERTIFIED
JSPCB Certified Lab. for
Environmental Pollution Monitoring & Analysis

CIN: U74999JH2018PTC011123

TEST REPORT

Test Report No.	**: ELES/RNC/2024/1206**	**Report Release Date**	**: 24.02.2024**
Application No.	**: 18451597**	**Application Date**	**: 13.02.2024**

Parameter	Unit	Test Protocol	Result
Particulate Matter (PM)	mg/Nm^3	IS 11255(Part 1):1985; RA 2019	78
Sulphur Di-Oxide (SO_2)	mg/Nm^3	USEPA 6C : 2017	57
Oxides of Nitrogen (NO_x)	mg/Nm^3	USEPA 7E : 2020	91
Flue Gas Temperature	°C	IS 11255 (Part 3): 2008; RA 2018	478
Barometric Pressure	mmHg	IS 11255 (Part 3): 2008; RA 2018	744
Velocity of Flue Gas	m/sec	IS 11255 (Part 3): 2008; RA 2018	7.52
Quantity of Gas Flow	Nm^3/hr	IS 11255 (Part 3): 2008; RA 2018	1673

Environmental Laboratories & Engineering Services Pvt. Ltd. Reviewed by

****End of Report****

Authorised Signatory
Dr. Deependra Kumar Sinha
Ph. D Environmental Engg.
ELES Pvt. Ltd. Technical Manager

The Document stated as Test Report, is issued by the Laboratory under General Terms and Conditions, only on Company letter head in pre-approved format. The results shown in the Test Report refer or relates only to the job/analysis done by the Laboratory only. The information stated on the Test Report reflects the findings done by the Laboratory at the time of involvement only and within the limits of client's instructions. The Laboratory is responsible for all the information or data provided on the report, except the information which is provided by the client. The Report cannot be reproduced except in full and any part of the report is not taken out of context, without prior written approval of the Laboratory. The Report in full or in part shall not be published, advertise, used for any legal actions unless prior permission has been secured from the Management of the Laboratory. Attention is drawn to the limitation of liability, compensation and jurisdiction issues. Any unauthorized alteration & falsification of the content or appearance of the Test Report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. All the samples are retained for 30days from the Date of release/issue of the Test Report. The samples from Regulatory bodies are to be retained as specified. Any type of Observations or Complaints regarding the Reports shall be done within 15days from the Date of Test Report released/issued. After the time period stated before, no complaints will be accepted. The entire Time schedule mentioned in Test Report is in 24hours format. Abbreviation used: N/A (Not Applicable); BDL (Below Detection Limit); DL (Lower Detection Limit)

Scanned with CamScanner

ENVIRONMENTAL LABORATORIES & ENGINEERING SERVICES PVT. LTD.

PLOT NO-30, MANSAROVAR ENCLAVE, TUPUDANA
HATIA, RANCHI-834003 (JHARKHAND)
Email: info@elespl.com ; eles.ranchi@gmail.com
GST NO:- 20AAECE9713D1Z4 Phone no : 0651-2280103

ISO 9001:2015CERTIFIED,OHSAS 18001:2007 CERTIFIED
JSPCB Certified Lab. for
Environmental Pollution Monitoring & Analysis

CIN: U74999JH2018PTC011125

TEST REPORT

Test Report No.	: ELES/RNC/2024/1207	Report Release Date	: 24.02.2024
Application No.	: 18451597	Application Date	: 13.02.2024

CUSTOMER DETAILS		SAMPLE DETAILS	
Customer Name	: STP Limited	Sample Ref. No.	: ELES/RNC/2024/EF/1116
Address	: Mirzadih, Dimna Road, P.O.- M.G.M. Medical College, Jamshedpur, Dist- East Singhbum	Sampling Date	: 15.02.2024
		Sample Received Date	: 16.02.2024
		Type of Sample	: Effluent Water
Plant Status	: Operational	Source of Sample	: ETP Outlet
		Sampling Procedure	: ELES/DOC/SMPL/01
		Sampling Done By	: ELES Pvt. Ltd.
Period of Analysis	: 16.02.2024 to 24.02.2024	Sample Condition	: Sealed & Preserved

Discipline : Chemical		Group : Pollution & Environment		Discharge Limits – CPCB EPR, 1986 Schedule VI	
Parameter	Unit	Test Protocol	Result	Inland Surface Water	Land for Irrigation
pH (at 24.7 °C)	-	APHA 23rd Ed.2017, 4500 H+B	6.80	5.5-9.0	5.5-9.0
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	IS 3025 (Part 16): 1984 RA 2017	396	--	--
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	IS 3025 (Part 17):2022	4.3	100	200
Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	IS 3025 (Part-58):2006; RA2022	71.8	250	--
Biochemical Oxygen Demand (BOD) (@ 27°C for 3days)	mg/L	IS 3025(Part-44):1993; RA2019	7.2	30	100
Sulphate (as SO_4)	mg/L	APHA 23rd Ed.2017, 4500 SO_4^{-2} E	36.8	--	--
Chloride (as Cl)	mg/L	IS 3025 (Part-32):1988; RA2019	128	--	--
Oil & Grease	mg/L	IS 3025(Part 39): 2021	1.2	10	10
Total Alkalinity (as $CaCO_3$)	mg/L	IS 3025(Part-23):1986; RA2019	184	--	--
Nitrate-Nitrogen (as NO_3-N)	mg/L	APHA 23rd Ed.2017, 4500 NO_3-B	9.5	10	--

Remarks: 1. ETP Treated Effluent

Reviewed by

Authorised Signatory
Dr. Deependra Kumar Sinha
Ph. D Environmental Engg.

****End of Report****

The Document issued as Test Report is issued by the Laboratory under General Terms and Conditions, only on Complete Test basis. The results shown in the Test Report relate only to the job/analysis done by the Laboratory only. The information stated on the Test Report reflects the findings done by the Laboratory at the time of involvement only and within the limits of client's instructions. The Laboratory is responsible for all the information or data provided on the report, except the information which is provided by the client. The Report cannot be reproduced except in full and any part of the report is not taken out of context, without prior written approval of the Laboratory. The Report in full or in part shall not be published, advertise, used for any legal actions unless prior permission has been secured from the Management of the Laboratory. Attention is drawn to the limitation of liability, compensation and jurisdiction issues. Any unauthorized alterations & falsification of the contents or appearance of the Test Report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. All the samples are retained for 30days from the Date of release/issue of the Test Report. The samples from Regulatory bodies are to be retained as specified. Any type of Observations or Complaints regarding the Reports shall be done within 15days from the Date of Test Report released/issued. After the time period stated before, no complaints will be accepted. The entire Time schedule mentioned in Test Report is in 24hours format. Abbreviation used: NA (Not Applicable); BDL (Below Detection Limit); LDL (Lower Detection Limit)

"Saving Environment, Save Future"

Scanned with CamScanner

SRG IRON & STEEL (P) LTD.

Date – 12.06.2024

To
The General Manager
DIC
Jamshedpur

Sir,

Sub: DC Visit Report

This refers to your visit dated 11.06.2024 at our factory located at Dimna Jamshedpur. The Required points are given as follows:

1. Name of the Company: SRG RON & STEEL (P) LTD
2. Year of establishment: 1998
3. Electric Load (Contract Demand): 400 KVA
4. Pollution Control Device Installed
   a) Power Factor Meter is installed to increase power factor (0.98) for energy conservation.
   b) Rain water Harvesting Plant installed to make up ground water level
5. Product manufactured: Crowbar, Flat, Octagonal Bar, Angle, Pick Axe,
6. Production Capacity: 200 MT per Month
7. Plan to Shift Factory to Industrial Area: We are searching for suitable land to shift the factory.
8. Affidavit Letter stating the plan for shifting the factory (attach)
9. Number of Employee, Local and outside: 20
10. List of Client: Govt. of AP, Akshay Hardware Assam, Dutta Brothers(WB), Karnani trading (WB), Parvati Hardware, Assam, Harihar Traders (Odisha), V K Balasubramanium (TN)
11. Revenue (GST) : Paid to Govt. average : Rs 5,00,00,000.00 per year

Regards

SRG IRON & STEEL (P) LTD

SRG IRON & STEEL (P) LTD. Jharkhand JAMSHEDPUR

Office : 36, Humepipe Basti, Sakchi, Jamshedpur
Works : Vill. Gerua, Patamda, Jamshedpur
Phone : 0657-2222222 2222222 Email : srg_skp@rediffmail.com Website : www.srgindiaagrico.com

Scanned with CamScanner

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 6bc0728b7b87cf340e65
Receipt Date : 19-Jun-2024 10:15:48 am
Receipt Amount : 100/-
Amount In Words : One Hundred Rupees Only
Document Type : Affidavit
District Name : EastSinghbhum
Stamp Duty Paid By : SRG IRON AND STEEL PVT LTD
Purpose of stamp duty paid : AFFIDAVIT
First Party Name : SRG IRON AND STEEL PVT LTD
Second Party Name : NA
GRN Number : 2402616559

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-

This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document.The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint,photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act,1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

NOTARY BHOLA NATH PANJA JAMSHEDPUR East Singhbhum Reg No 73/2016 GOVT. OF JHARKHAND

ADVOCATE, Jamshedpur

Scanned with CamScanner

NOTARY BHOLA NATH PANDA JAMSHEDPUR East Singhbhum Reg. No. 73/2010 GOVT. OF JHARKHAND

AFFIDAVIT

Date-15.06.2024

WE HEREBY CERTIFY THAT OUR PLANT (COMPANY) M/S M/S SRG IRON & STEEL (P) LTD IS ESTABLISHED IN THE YEAR 1998 AT MIRZADIH, GERUA, DIMN A ROAD, PO- PATAMDA, JAMSHEDPUR-832105, JHARKHAND.

OUR PLANT HAS BEEN MANUFACTURING AGRICULTURES ITEMS & FLY ASH BRICKS

WE HAVE INVESTED HUGE AMOUNT BY PROMOTERS CONTRIBUTION AND BANK LOAN IN RUNNING THE PLANT.

VARIOUS STAKEHOLDER ARE DEPENDED ON THIS PLANT. THEY ARE LABOURS, BANK, STATE TAX AUTHORITY, ELECTRICITY DEPARTMENT, CENTRAL GOVERNMENT AS WELL AS LOCAL CIRCLE OFFICE.

WE HAD OBTAINED ALL THE LICENSE FROM VARIOUS DEPARTMENTS TO STARTS & OPERATE THE PLANT IN THE YEAR 1998.

IN THE YEAR 2012 AREA WAS DECLARED ECO SENSITIVE ZONE (WHERE OUR PLANT HAS BEEN RUNNING.

AND IN JANUARY 2024, POLLUTION DEPARTMENT DIRECTED TO SHUT DOWN THE PLANT AND CLOSE THE PRODUCTION ACTIVITY.

AND WE HAD FILED AN APPEAL WITH HONORABLE HIGH COURT JHARKHAND RANCHI VIDE CASE NO WPC/1204/2024 AND CASE IS STILL PENDING.

WE ARE READY TO SHIFT OUR PLANT IN OTHER AREA SUBJECT TO LAND ALLOTMENT BY LAND DEPARTMENT OF JHARKHAND GOVERNMENT AND COMPENSATION PAID FOR SHIFTING THE PLANT IN ANOTHER PLACE

AS SOON AS LAND IS BEING ALLOTTED TO US BY THE LAND DEPARTMENT OF JHARKHAND GOVERNMENT AND COMPENSATION PAID BY JHARKHAND GOVERNMENT THAN WE SHALL SHIFT OUR PLANT ,BUT IT WILL TAKE MINIMUM 3-4 YEARS TIME FOR SHIFTING & PRODUCTION IN THE NEW PLANT.

FOR SRG IRON & STEEL (P) LIMITED

AUTORIZED SIGNATORY

NOTARY BHOLA NATH PANDA JAMSHEDPUR East Singhbhum Reg. No. 73/2010 GOVT. OF JHARKHAND

BHOLA NATH PANDA District Court Jamshedpur NOTARY PUBLIC 15.6.2024

KNOWN TO ME AND SIGN BEFORE ME ADVOCATE, Jamshedpur 15/6/2024

Scanned with CamScanner

DBA/AF-GJS-004/2024/ DV - 92602

NOTARY BHOLA NATH PANDA JAMSHEDPUR Regd. No. 735/JH/16 GOVT. OF JHARKHAND

FIVE RUPEES

25

AFFIDAVIT

This is part of Affidavit

NOTARY BHOLA NATH PANDA JAMSHEDPUR Regd. No. 735/JH/16 GOVT. OF JHARKHAND

BHOLA NATH PANDA
District Court, Jamshedpur
NOTARY PUBLIC

KNOWN TO ME AND SIGN BEFORE ME
ADVOCATE, Jamshedpur

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम०बी० / 15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

(24)

पत्रांक : 99 दिनांक : 30-01-2024

प्रेषक,

राम प्रवेश कुमार,
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
जमशेदपुर।

सेवा में,

M/s S.R.G. Iron & Steel Ltd,
ग्राम–गैरूआ, पटमदा,
जिला–पूर्वी सिंहभूम।

विषय :– इकाई में स्लैग स्क्रीनिंग के संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि माननीय NGT में दायर वाद O.A. No.- 567 / 2023 में पारित आदेश के आलोक में दिनांक–27.01.2024 को केन्द्रीय टीम एवं गठित समिति Advance Preliminary Survey Team 1 एवं 2 के सभी सदस्यों की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में आपके इकाई में Slag Screening का कार्य होते हुए पाया गया, स्क्रीनिंग के दौरान भारी मात्रा में डस्ट उत्सर्जन हो रहा था। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रीनिंग सेक्सन ढंका हुआ एवं जल छिड़काव की व्यवस्था नहीं पायी गयी।

ज्ञातव्य हो कि पूर्व में आपकी इकाई में फावड़ा का उत्पादन करती थी जो स्थल निरीक्षण के दौरान बन्द पायी गयी। विदित हो कि पर्षद पत्रांक–1886 दिनांक–13.09.2022, पर्षद पत्रांक–975 दिनांक–07.11.2022 द्वारा इकाई दलमा Eco Sensetive zone में पड़ने के कारण बन्दी आदेश निर्गत किया गया था, साथ ही आपके द्वारा दिनांक–14.11.2022 को इकाई बन्द करने की सूचना पर्षद में समर्पित किया था। परन्तु निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने इकाई में मूल वस्तु की उत्पादन को बदल कर स्लैग स्क्रीनिंग करते पाया गया। इस परिवर्तन के लिए आपने पर्षद से वांछित सहमति भी प्राप्त नहीं की है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि अविलंब Slag Screening Plant को बन्द कर dismental करे एवं डिस्मेन्टल करने की सूचना पर्षद को अतिशीघ्र समर्पित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

30/01/24

(राम प्रवेश कुमार)
क्षेत्रीय पदाधिकारी, जमशेदपुर।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

[Constituted under section 4 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974]

T A Division Building, HEC Complex, Dhurwa, Ranchi-834 004

Phone: (0651)2400852/2400851/2400902/2400979, Fax: 0651 -2400850, Web: www.jspcb.org

Ref. No._____/ Date _____/

CONSENT TO OPERATE

With reference to the applications dated **11-06-2011** of **M/s SRG Iron & Steel (P) Ltd., Vill- Gerua, PO- Patamda** for consent under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and that under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, he(they) is (are) granted consent to bring into use his(their) new / altered / existing outlet(s) for discharge of trade effluent and (or) domestic sewage and to operate his (their) industrial plant having installed production capacity to produce Pawrah & Kudali – 1200 MT/Y , **At- Vill- Gerua, PO- Patamda,** for the period from 01.04.2011 to 31.03.2012 with the following conditions:

1. That, he (they) shall not make any alteration, addition, deletion or modification in the plant without the prior clearance from the Board.
2. That, he (they) shall abide by the obligations provided under sections 24, 31 and 33A of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and shall extend co-operation to the Board in performing its functions entrusted under sections 20, 21 23, 30 and 32 of the Act.
3. That, he (they) shall comply with the requirements of the Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977 read with the Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Rules, 1978
4. That, he (they) shall abide by the obligations provided under sections 22, 23 and 31A of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and shall extend co-operation to the Board in performing its functions entrusted under sections 24, 25 and 26 of the Act.
5. That, he (they) shall abide by the obligations provided under sections 5, 7, 8 and 9 of the Environment (Protection) Act, 1986 and shall extend co-operation in performing the functions entrusted under sections 3, 10 and 11 of the Act.
6. That, he (they) shall abide by the applicable provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986; the Hazardous Wastes (Management, Handling & Transboundry Movement) Rules 2008; the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989; the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998; the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 and the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001.
7. That, he (they) shall maintain the quality of discharge and (or) emission and (or) noise level of environmental poliutants in conformity with the standards as laid under rule 3 of the Environment (Protection) Rules, 1986.
8. That, he (they) shall monitor his (their) effluent (s), emission (s) and the ambient air, noise level regularly and shall submit the report to the Board in compliance of the condition laid in paragraph 7.
9. That, *he (they) shall establish well equipped environmental laboratory with the facilities of system (s) of continuous monitoring of effluent (s), emission (s), ambient water quality (ies), ambient air quality (ies) and ambient noise level (s) and transferring them (monitoring results) to his (their) website (s) and to the e-mail address (es) of the key persons of Jharkhand State Pollution Control Board; Central Pollution

2919

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

Control Board, Zonal Office, Kolkata and Ministry of Environment & Forests, Regional Office, Bhubaneswar with simultaneous displaying at prominent locations in front of the his (their) premises. [* Unit (s) of medium and large scale under 17 categories of polluting industries of category A of E I A Notification, 2006.]

10. That, he (they) shall submit the environmental statement by 30th September every year and shall harvest all rainwater precipitating in the premises and do three tier tree plantation as air barrier.

11. That, he (they) shall submit applications for consent under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and that under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 again 120 days before the expiration of the consent i.e. 31-03-2012 or within 120 days from the date of receipt of this order, whichever is earlier.

12. That, he (they) shall Submit stack(s) monitoring report within consent period;

13. That, he (they) shall submit Ambient air quality monitoring report within consent period;

14. That, he (they) shall continue tree plantation and shall maintain;

Board Analyst

Memo. No. 2402 Ranchi, Dated 27.8.11

Copy forwarded to Sri P D Pandey, M/s SRG Iron & Steel (P) Ltd., Vill- Gerua, PO- Patamda, Jamshedpur / Regional Officer, R O-Cum-Laboratory, *Jamshedpur* for information and necessary action.

27/8/11

Board Analyst

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner

(21)

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

W.P.(C) No. 732 of 2024

SRG Iron & Steel Private Ltd. & Anr. ------ Petitioner(s)

Versus

The State of Jharkhand & Ors. ------ Respondent(s)

CORAM : SRI ANANDA SEN, J.

For the Petitioner(s) : Mr. Mahesh Tewari, Advocate
For the State : Mr. Kunal Chandra Suman, AC to G.P.-II
For JSPCB (R- 2 &3) : M/s Riya Narain, AC to
Mrs. Richa Sanchita, Advocate

.....

04/ 25.04.2024: List this case in the next week under the heading "For Orders" when the learned counsel for the respondents- Jharkhand State Pollution Control Board will inform by what time they will take an appropriate decision, either way on the application of the petitioners.

(ANANDA SEN, J.)

R.S.

Scanned with CamScanner

1:12 PM

(20)

Daily Status
Principal Bench Jharkhand
In The Court Of :Justice
CNR Number :JHHC010047382024
Case Number :WPC/0000732/2024
SRG IRON AND STEEL PRIVATE LTD REPRESENTED BY ONE OF ITS DIRECTOR SRI SHYAMDHAR PANDEY **Versus** THE STATE OF JHARKHAND
Date : 09-05-2024

Business : IMMEDIATELY AFTER VACATION
Next Purpose : Orders
Next Hearing Date : --

Justice

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner

(19)

Government of India

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

UDYAM REGISTRATION CERTIFICATE

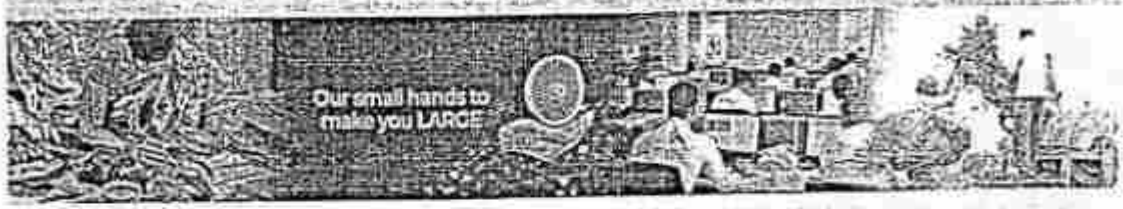

TYPE OF ENTERPRISE	SMALL — MANUFACTURING
UDYAM REGISTRATION NUMBER	UDYAM-JH-06-0002154
NAME OF ENTERPRISE	M/S SRG IRON & STEEL PRIVATE LIMITED
SOCIAL CATEGORY OF ENTREPRENEUR	General

NAME OF UNITS

S.No.	Udyog Aadhaar Memorandum	Unit Name
1	[illegible]	SRG IRON & STEEL PRIVATE LIMITED

OFFICAL ADDRESS OF ENTERPRISE

Flat/Door/Block No.	36, BUNTE PIPE BASTI	Name of Premises/ Building	NIL
Village/Town	RANCHI	Block	JAMSHEDPUR
Road/Street/Lane	NIL	City	JAMSHEDPUR
State	JHARKHAND	District	EAST SINGHBHUM, Pin 831001
Mobile	9334022389	Email	srg_ykp@rediffmail.com

DATE OF INCORPORATION / REGISTRATION OF ENTERPRISE	01/04/2000
DATE OF COMMENCEMENT OF PRODUCTION/BUSINESS	01/04/2000

NATIONAL INDUSTRY CLASSIFICATION CODE(S)

S.No.	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit	Activity
1	24 - Manufacture of basic metals	2431 - Casting of iron and steel	24311 - Manufacture of tubes, pipes and hollow profiles and of tube or pipe fittings of cast iron/ cast steel	Manufactur
2	25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	2593 - Manufacture of cutlery, hand tools and general hardware	25932 - Manufacture of hand tools (non-power driven) for agricultural/horticultural/forestry	Manufactur

DATE OF UDYAM REGISTRATION	04/11/2020

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required.
Printed from https://udyamregistration.gov.in

For any assistance, you may contact:

1. DIC — EAST SINGHBHUM
2. MSME-DI — RANCHI

Visit : www.msme.gov.in ; www.dcmsme.gov.in ; www.champions.gov.in

BE A CHAMPION with the Ministry of MSME

Scanned with CamScanner

Are you interested to get registered on TReDS Portals(one or more)	Yes
DIC	EAST SINGHBHUM
MSME-DI	RANCHI
Date of Udyam Registration	04/11/2020

Scanned with CamScanner

Government of India

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

Udyam Registration Number : UDYAM-JH-20-0005184

Type of Enterprise	SMALL	Major Activity	Manufacturing
Type of Organisation	Private Limited Company	Name of Enterprise	M/S SRG IRON & STEEL PRIVATE LIMITED
Owner Name	M/S SRG IRON & STEEL PRIVATE LIMITED	PAN	AAECS4381D
ITR for Previous Year	Yes	ITR Type	ITR - 3, 5, 6
Do you have GSTIN	Yes	Mobile No.	9204055399
Email Id	srg_skp@rediffmail.com	Social Category	General
Gender	Male	Specially Abled(DIVYANG)	No
Date of Incorporation	01/04/2000	Date of Commencement of Production/Business	01/04/2000

Bank Details

Bank Name	IDBI ADITYAPUR
IFS Code	IBKL0001359
Bank Account Number	0176511000000161

Employment Details

Male	125
Female	25
Other	0
Total	150

Investment in Plant and Machinery OR Equipment (in Rs.)

Written Down Value (WDV) as on 31st March of the Previous Year 2018-19 (A)	731287
Exclusion of cost of Pollution Control, Research & Development and Industrial Safety Devices during 2018-19	72000000
Net Investment in Plant and Machinery OR Equipment[(A)-(B)]	0
Total Turnover (A) during 2018-19	84738738
Export Turnover (B) during 2018-19	0
Net Turnover [(A)-(B)]	84738738

Unit(s) Details

SN	Unit Name	Flat	Building	Village/Town	Block	Road	City	Pin	State	District
1	SRG IRON & STEEL PRIVATE LIMITED	PLOT NO-252	VILLAGE-GERUA	PATAMDA		ROAD-PATAMDA	JAMSHEDPUR	832103	JHARKHAND	EAST SINGHBHUM

Official address of Enterprise

Flat/Door/Block No.	34, HUME PIPE BASTI	Name of Premises/ Building	NIL
Village/Town	SAKCHI	Block	JAMSHEDPUR
Road/Street/Lane	NIL	City	JAMSHEDPUR
State	JHARKHAND	District	EAST SINGHBHUM , Pin : 831001
Mobile	9204055399	Email	srg_skp@rediffmail.com

National Industry Classification Code(S)

SNo.	Nic 2 Digit	Nic 4 Digit	Nic 5 Digit	Activity
1	24 - Manufacture of basic metals	2431 - Casting of iron and steel	24311 - Manufacture of tubes, pipes and hollow profiles and of tube or pipe fittings of cast-iron/ cast-steel	Manufacturing
2	25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	2593 - Manufacture of cutlery, hand tools and general hardware	25932 - Manufacture of hand tools (non-power-driven) for agricultural/horticulture/forestry	Manufacturing

Are you interested to get registered on Government e-Market (GeM) Portal	Yes

Scanned with CamScanner

(16)

GOVT. OF JHARKHAND
GOVERNMENT OF BIHAR
FACTORY INSPECTION DEPARTMENT
(DEPARTMENT OF LABOUR AND EMPLOYMENT)

LICENCE

Under Rules 4 to 10 of the Bihar Factories Rules, 1950 and Section 6(1) d) of the Factories Act, 1948

Registration no. 67/95/SBM Fees Rs. 2900/-

Granted/Renewed for the calendar year 2000

Name of Factory M/s. S.R.G. Iron & Steel (P) Ltd.

Address and location Vill- Goenia, P.O.- Patamda, P.S.- M.G.M., Singhbhum (E)

Name (s) of Occupier (s) Sri Shyam Mar Poddar

Maximum number of workers permitted to be employed on any one day 20 (Twenty) only

Total installed capacity (not exceeding)—

(a) In Horse Power [other than (b)] 220 H.P.

(b) In case of Electricity Generating, Transforming and Transmitting Station—KWs 750 KVA

Ranchi

Dated 20/12/99

Inspector of Factories
Factories (Circle) No. 1

Note—This licence will expire on the 31st day of December, 19

BSPH (Fact.) 9(a)—75,000—20-7-1997—S. Munda.

Scanned with CamScanner

प्ररूप ओ - 2
FORM O-2

सत्यमेव जयते

बौद्धिक सम्पदा, भारत
Intellectual Property, India

(15)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
TRADE MARKS REGISTRY

क्रमांक
No. 787269

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999
Trade Marks Act, 1999

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, धारा 23 (2) नियम 62 (I)
Certificate of Registration of Trade Mark, Section 23 (2), Rule 62 (1)

व्यापार चिन्ह संख्या/ Trade Mark No. 1534916 दिनांक/ Date 27-02-2007 ज.संख्या/ J.No. 1,400

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिस प्रकार चिन्ह की समाकृति इसके साथ संलग्न है, वह .....

के बारे में दिनांक ..... नाम से रजिस्ट्रीकृत हो चुका है।

Certified that the Trade Mark / a representation is annexed hereto, has been registered in the name(s) of

S.R.G. IRON & STEEL (P) LTD. TRADING AS S.R.G. IRON & STEEL (P) LTD., VILL.GERUA,PATANDA,EAST SINGHBHUM,MANGO,JAMSHEDPUR,JHARKHAND. .

In Class 8 Under No. 1534916 as of the Date 27-Feb-2007 in respect of

POWRAH, KUDALI ROUND, CROWBAR, ANGLE, T.M.T BAR,SHOVEL, CULTIVATOR

मेरे निदेश पर आज ....वे दिन को इस पर मुद्रा लगायी गई।

Sealed at my direction, this March 20, day of 2009

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री, मुम्बई ।
Trade Marks Registry, Mumbai

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार
Registrar of Trade Marks

रजिस्ट्रीकरण आवेदन की तारीख से १० वर्ष के लिए है और तदुपरान्त यह १० वर्ष की कालावधि के लिए और प्रत्येक १० वर्ष की कालावधि के अवसान पर भी नवीनीकृत किया जा सकेगा।
Registration is for 10 years from the date of application and may then be renewed for a period of 10 years and also at the expiration of each period of 10 years.

यह प्रमाणपत्र विधि कार्यवाहियों में प्रयोग के लिये या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिये नहीं है।
This certificate is not for use in Legal proceedings or for obtaining Registration abroad.

टिप्पणी – इस व्यापार चिन्ह के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने पर, या तारीखार के मुख्य स्थान के पते में या भारत में सम्पर्क के लिये पते में परिवर्तन होने पर परिवर्तन के लिये आवेदन तुरन्त किया जाना चाहिये।

Note : Upon any change of ownership of this Trade Mark, or change in address, of the principal place of business or address for service in India a request should AT ONCE be made to register the change.

Scanned with CamScanner

Government of Jharkhand
FACTORY INSPECTION DEPARTMENT
(Department of Labour, Employment, Training & Skill Development)

LICENCE

Under Rule 4 to 10 of the Jharkhand Factories Rule 1950 and Section 6(1) of the factories Act, 1948

(14)

Application ID - **FCA16011403130**

Licence No - **FCA1635700191002**

1. Name of the Factory: **SRG IRON & STEEL PVT LTD**
2. Licence valid up to : **31st December 2017**
3. Full Address of Factory :

Address:	GERUA PATAMDA	Landmark:	NEAR STP LTD
Post Office:	MGM	Police Station:	MGM
Block:	PATAMDA	District:	PURBI SINGHBHUM
State:	JHARKHAND	PIN Code:	831011

4. Name of Occupier: **SANTOSH KUMAR PANDEY**

4a. Type of organising body: **PRIVATE LIMITED COMPANY/FIRM/BOARD**

5. Maximum number of persons to be employed on any day: 250 Fee Details: ₹ 15850 only /-

6. Total installed capacity (Not Exceeding) -
(a.) In Horse Power [Other than (b)] : 600 H.P.
(b.) In case of Electricity generating,
Generating and Transforming Station: - D.G.SET: 150 K.W. Transformer: 630 K.W.

11-04-17

INSPECTOR OF FACTORIES
Inspector of Factories
CIRCLE-I JAMSHEDPUR
Jamshedpur Circle No.-I, Jamshedpur

Approval Date: 10/01/2017

Note:

1. This licence will expire on 31st December, 2017.
2. Nature of Manufacturing process of this Licence is : FABRICATION / MACHINING.
3. This is a computer generated certificate, does not require any seal or signature.
4. This certificate has been generated on the basis of the information given by the applicant and is valid for the purpose of this act only.

Scanned with CamScanner

(13)

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number :20AAECS4383D1ZQ

1.	Legal Name	SRG IRON & STEEL PRIVATE LIMITED				
2.	Trade Name, If any	MANUFACTURSR				
3.	Constitution of Business	Private Limited Company				
4.	Address of Principal Place of Business	GERUA, M G M, PATAMDA, East Singhbhum, Jharkhand, 832105				
5.	Date of Liability	01/07/2017				
6.	Period of Validity	From	01/07/2017	To	NA	
7.	Type of Registration	Regular				
8.	Particulars of Approving Authority					
Signature						
Name						
Designation						
Jurisdictional Office						
9. Date of issue of Certificate	25/09/2017					
Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.						

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the deemed approval of the application for registration

Scanned with CamScanner

Annexure A

(12)

GSTIN	20AAECS4383D1ZQ
Legal Name	SRG IRON & STEEL PRIVATE LIMITED
Trade Name, if any	MANUFACTURSR

Details of Additional Places of Business

Total Number of Additional Places of Business in the State 0

Scanned with CamScanner

Annexure B

(11)

GSTIN	20AAECS4383D1ZQ
Legal Name	SRG IRON & STEEL PRIVATE LIMITED
Trade Name, if any	MANUFACTURSR

Details of Managing / Whole-time Directors and Key Managerial Persons

1		Name	SANTOSH KUMAR PANDEY
		Designation/Status	DIRECTOR
		Resident of State	Jharkhand
2		Name	PREM DHAR PANDEY
		Designation/Status	director
		Resident of State	Jharkhand
3		Name	SHYAM DHAR PANDEY
		Designation/Status	DIRECTOR
		Resident of State	Jharkhand

Scanned with CamScanner

(10)

Regional Office
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
Regional Office, Jharkhand,Employees State Insurance Corporation,Namkum, Ranchi-834010

C-11 Regd. with a.d.

To
M/s.S R G IRON AND STEEL PVT LTD
36 HOMEPIPE BASTI SAKCHI JAMSHEDPUR
831001

Dated : 01/11/2016

Sub : Implementation of the E.S.I. act, 1948 and Registration of Employees of the Factories and Establishments under Section 1(3)/1(5) of the ESI Act, as amended.

Dear Sir(s),

1. It is informed that under section 1(3) of the ESI Act, 1948 is applicable to all factories covered under the Act within the area where your factory is situated.

2. It is further informed that the appropriate Government has extended the provisions of the Act to other establishments Under Section 1(5) of the Act in this area

3. Under Section 2-A of the Act such a factory/establishment is required to register itself under the Act and Chapter IV thereof casts a responsibility on the principal employer thereof to get his employees registered and pay contributions in respect of these employees covered under the Act.

4. On the basis of the particulars in respect of your factory/establishment submitted by you/ on the basis of the report of the inspection conducted by the Social Security Officer, who inspected your establishment on -NA-, your establishment falls within the purview of Section 1(5) of the Act with effect from 01/11/2016. In case, however, subsequent facts reveal that your establishment was coverable from a date prior to the date mentioned above, you shall make yourself liable to comply with the provisions of the Act from such earlier date.

5. It is requested to take immediate steps for registration of your employees by submitting declaration forms online, payment of contribution, maintenance of records etc. from the date of coverage of your factory/establishment under the act.

6. You are also requested to submit employer's registration form (form 01) on line, as required under the provisions of sec.2-A of the ESI Act , 1948 read with regulation 10-B of the ESI(General), Regulations, 1950(only in case your Code No. is alloted as a result of Survey by a Social Security Officer of ESI Corporation).

7. For the sake of convenience your factory/establishment has been allotted code No **6000156989000000** which may kindly be used in all communications sent to this office and on all forms at the place indicated for the purpose. The Branch Office of the Corporation situated at **Branch Manager, ESIC, 39, Namda Basti, Golmuri, Jamshedpu** has been instructed to render necessary assistance to you in connection with registration of your employees. In case you find any difficulty or for any other purpose which may be necessary in connection with the Scheme you are requested to contact the Manager of the above Branch Office who will render necessary help in the matter.

Scanned with CamScanner

(a)

8. A State wise list of ESI Dispensaries is available on our website www.esic.nic.in under the link Directories which can be downloaded. It is requested that publicity may be given about the Employees' State Insurance Dispensaries to enable your employees to choose their E.S.I. Dispensaries

9. The Corporation officials would be pleased to give all necessary and possible guidance to you in discharging your duties and obligations under the ESI Act, 1948 and I am confident of prompt and timely compliance under the provisions of the ESI Act and Regulations on your part.

10. All the Branches of State Bank of India are authorized to accept the ESI Contribution.

11. The brochures/leaflets containing benefits available under the scheme and obligation of the employer etc are available on our website www.esic.nic.in under the link Publications which may be downloaded for wide publicity for the smooth functioning of the Scheme

12. Please indicate your Code No. on all correspondences to avoid delay

13. **This is a computer generated letter and does not require any signature.**

Yours faithfully,

Encl. : As state above

Asstt./Dy. Director

Copy for information and necessary action to:

Name of the principal employer : SANTOSH PANDEY

No. of employees : 10

ENSURE - TO INSURE ALL ELIGIBLE WORKERS WITH ESI FOR TOTAL SOCIAL SECURITY

65

ID:- 6000156989 0000699

PW:- Bablu@65

ID- website
www.esic.nic.in
Pass Bablu@65

Scanned with CamScanner

(23)

Registered with A/D
(नियन्त्रित प्राप्ति रसीद सहित)
BR/JH/JI/13962

(8)

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER,
BIHAR

SUB-REGIONAL OFFICE

Purulia Highway Road, Mango,
Jamshedpur-832110

No. BR/Jsr/Coverage/03/1805
संख्या बी० आर०/व्याप्ति/

Dated the 5/2/03
दिनांक

To,
सेवा में,

M/s मेसर्स SRG IRON & STEEL (P) LTD
Vill - Gerua, P.O - Patamda
Dist - Singhbhum (East)

Sub : Applicability of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder to M/s. SRG IRON & STEEL (P) LTD Vill - Gerua, P.O - Patamda, Dist: Singhbhum (E)

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों का मेसर्स ..... पर लागू होना।

Sir,
महोदय,

On the basis of particulars furnished by you on ..... and on the basis of the inspection of the records of your establishment conducted by the Provident Fund Inspector on ..... it is evident that :

आपके द्वारा दिनांक ..... को प्रेषित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा ..... को किये गये निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :-

(a) Your establishment/Factory viz. M/s. SRG Iron & Steel (P) Ltd is engaged in Iron & Steel which is included in Schedule I/clauses of establishments in Employees' Provident Funds and miscellaneous Provisions Act, 1952.

(क) आपकी स्थापना / फैक्ट्री अर्थात् मेसर्स ..... जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों/अनुसूची-1 में शामिल ..... कार्य में लगी हुई है।

Scanned with CamScanner

(b) that the said establishment / factory has employed... 21 (Twenty one) persons on .....11/10/02.....

(ब) उक्त स्थापना/फैक्ट्री में दिनांक..... .....को.....व्यक्ति कार्यरत है।

(c) that it has completed the infancy period in terms of provisions of Sec. 16(1)(b) of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 of 5/3 years on.....therefore, the provisions of the E.P.F. and Misc. Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder are applicable to your above named establishment together with head office and its branches / departments whether situated at the same places or at different places with effect from... .....11/10/02..... finally/ provisionally, subject to further verification of your records for the earlier period.

(ग) इसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16(1)(ख) के उपबन्धों के अन्तर्गत 5/3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है। अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमें, उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं / विभागों पर, चाहे वे एक स्थान पर हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर..... .....तारीख से स्थाई/अस्थाई रूप से लागू है, इसके अतिरिक्त आपके पूर्व रिकार्डों की जांच अभी की जायगी।

With reference to your application No.....dated..... received for extension of E.P.F. & Misc. Provisions Act, 1952 under Section 1(4) of the said Act, on a Voluntary Basis a Code No. is hereby alloted to your establishment namely.....provisionally covering your establishment with effect from.....pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by subsection (4) of Section 1 of the E.P.F. & Misc. Provisions Act 1952.

अधिनियम की धारा 1(4)के अन्तर्गत स्वेच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन पत्र संख्या..... .....दिनांक .....के सन्दर्भ.....में आपकी स्थापना अर्थात्..... .....को कोड संख्या .....एलाट किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना को कार्य क्षेत्र में अस्थाई रूप से .....लाया जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा-1 उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी कर देती।

The Code No. JH/JP/13963 is allotted to your estt. for the purpose of making compliance with the various provisions of the E.P.F. & Misc. Provisions Act, 1952 and the Schemes framed thereunder namely, E.P.F. Scheme, 1952, Employees' Pension Scheme 1995 and deposit Linked Insurance Scheme, 1976. This code no should invariably by quoted in all the correspondences with this office.

2. आपकी स्थापना को कोड नम्बर, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों अर्थात् भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के विभिन्न उपबन्धों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

The contribution payable by the employer shall be at the rate of 10%/12% of basic wages dearness allowance(including cash value of anyfood concession) and retaining allowance, if any payable to each employee every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer.

3. नियोक्ता द्वारा देय अंशदान की दर मूल वेतन, महंगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत की नकद मूल्य सहित) और निर्वाह भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी को 10% / 12% की दर से प्रति माह देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा देय दर के समान होगी।

1. the contribution shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. payable during the whole month wheather paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.

(i) अंशदान की संगणना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि, चाहे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर की गई हो, की जाएगी।

2. each contribution shall be calculate to the nearest rupee i. e. 50 paise or more to be counted as the next higher rupee and fraction of a rupee less than 50 paise to be ignored.

(ii) अंशदान की संगणना हेतु वेतन को नजदीकी रूपये में अर्थात् 50 पैसे या अधिक को एक रूपया में तथा 50 से कम पैसे को छोड़ कर की जाएगी।

3. for the purpose of calculation of contribution, the wages may be round off to the nearest rupee i. e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.

(iii) अंशदान की संगणना हेतु वेतन को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया माना जायगा तथा 50 पैसे से कम की गणना नहीं की जाएगी।

Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contributions from his wages which together with your own contribution and administrative shall be paid within 15 days of the close of every month in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by seperated challans in the following manner:

(a) E.P.F. contribution	To be deposited in E.P.F. A/c No. 1
(b) Administrative charges	To be deposited in E.P.F. A/c No. 2
(c) Employee's Pension Scheme	To be deposited in Employee's Pension A/c No. 10.

4. सदस्य को वेतन देने से पूर्व आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से अंशदान काटें और अपने अंशदान, तथा प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक माह के 15 दिनों के भीतर भारतीय स्टेट बैंक में निधि के लेखों में सम्बन्धित चालानों द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा करायें।

(क) क०भ०नि० अंशदान	क०भ०नि० लेखा संख्या 1 में जमा कराया जाए।
(ख) प्रशासकीय प्रभार	क०भ०नि० लेखा संख्या 2 में जमा कराया जाए।
(ग) क० पेंशन अंशदान	क०भ०पे० लेखा संख्या 10 में जमा कराया जाए।

Note: (i) The rate of administrative charges is 1.10% subject to a minimum of Rs. 5/- w. e. f. 1-8-98 of pay, basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retainin allowance, if any.

टिप्पणी: (i) प्रशासकीय प्रभार की दर 1-8-99 से वेतन, मूल वेतन, महंगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल में किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई है, 1.10% जो न्यूनतम 5रूपये है।

Scanned with OKEN Sca

Scanned with CamScanner

(ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the member's wages, the employer will have to pay both the shares himself. as the recovery of arrear contributions for the back period from the subsequent wages of the employees' is prohibited except when such recovery could not be made at the appropriate time due to accidental mistake or clerical error.

(ii) कृपया इस बात को नोट किया जाय यदि सदस्य के वेतन से समय पर कटौती नहीं की जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग की राशि स्वयं जमा करनी होगी, क्योंकि कर्मचारी के बाद के वेतन से पहले के बकाया अंशदान की कटौती निषेध है केवल उन मामलों को छोड़ कर जहाँ ये वसूली समय पर अकस्मात गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण नहीं हो सकती।

(iii) The Employees' Pension Scheme will be applicable from prospective date i. e. 1st of the month of issue of this coverage notice.

(iii) कर्मचारी पेंशन स्कीम पिछली तिथि अर्थात् इस कवरेज नोटिस के जारी होने के माह की पहली तारीख से लागू होगी।

(iv) Besides making deposits in account number 1, 2 & 10 as explained above, you are also required to deposits the contributions and Adm. Charges in account No. 21 and 22 under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976, in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.

(iv) उल्लिखित लेखा संख्या 1, 2 और 10 में जमा कराने के अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा संख्या 21 और 22 में प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर निम्नलिखित रूप से जमा करायें।

(1) Deposit-Linked Insurance Fund A/c No. 21 — To this account will be deposited the contributions @ 0.5% which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance including cash value of food concession and retaing allowances if any, payable to the employees, by employer.

(1) निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा संख्या 21 — इस लेखे में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किये जाने वाले मूल वेतन, महगाई, भत्ता, जिसमें खाद्य मूल्य में खाद्य रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, की कुल राशि का 0.5% होगा।

(2) Regional insurance Fund Administrative A/c No. 22 — To this account will be deposited the administration charges @ 0.01% (subject to minimum Rs. 2) which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession and retaining allowance, if any payable to the employees, by an employer.

(2) क्षेत्रीय बीमा निधि. प्रशासकीय लेखा संख्या 22. — इस लेखा में प्रशासकीय प्रभार की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किया जाने वाला मूल वेतन, महगाई भत्ता, जिसमें खाद्य मूल्य सम्बन्धी रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, कुल राशि का 0.01% होगा तथा न्यूनतम 2/- रुपये होगा।

The deposit in the above accounts, viz, 1, 2, 10, 21 and 22 are to be made by separate challans and triplicate copies of the challans as received from the Bank, should be forwarded to this office duly attached with form No. 12A (Revised) explained below).

उपरोक्त लेखों अर्थात् 1, 2, 10, 21 और 22 में राशि विभिन्न चालानों के माध्यम से जमा कराई जायगी और बैंक से प्राप्त चालानों की तीन प्रतियां फार्म संख्या 12 (संशोधित) (नीचे उल्लिखित) के साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

You are required to maitain/forward the following returns :—

6. आपसे यह अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार/प्रेषित करें :—

(1) Form No. 9 under the E.P.F. Scheme 1952 & Form No 3 (E.P.F.) under the E.P. Scheme 1995.

There are to be submitted to this office once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date the factory/establishment is covered under the Scheme.

(1) क०भ०नि० 1952 के अन्तर्गत फार्म सं० 9 तथा क०पें० स्कीम 1995 के अन्तर्गत फार्म सं० 3 (क०पें० निधि)

ये रिटर्न केवल उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय को केवल एक बार जमा करानी होती है जिन्हें फैक्ट्री/स्थापना को स्कीम के कार्यक्षेत्र में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जाना अपेक्षित है या सदस्य बनने के पात्र हो गए हैं।

(2) Form No. 2, under the E.P.F. Scheme 1952 and also under E. P. Scheme 1995.

These are to be obtained in duplicate from every member for submission to this office.

(2) क०भ०नि० स्कीम और क०पें० निधि के अन्तर्गत फार्म सं०2 संशोधित

ये फार्म प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजे जाने होते हैं।

(3) Form No. 5-A

This to be submitted to this office in duplicate. Any subsequent changes in ownership is also to be notified to this office through this form.

(3) फार्म सं० 5-क

ये दो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिएं। मालिकों में किसी भी प्रकार का बाद में परिवर्तन आने पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।

(4) Form No. 3-A

This is to be maintained at the factory/establishment in respect of every employee who is a member in which the contribution paid to the P.F. are to be posted every month.

(4) फार्म सं० 3-क

ये फार्म प्रत्येक सदस्य/कर्मचारी सम्बन्धित फार्म है जिसे फैक्ट्री/स्थापना में ही रखा जाना चाहिए। इस फार्म में भ० नि० में किए गए अंशदान की प्रतिमाह प्रविष्टि करना होता है।

(5) Form No. 6-A

This is the annual return of contribution and is to be submitted to this office within 30 days of close of the financial year, along with form 3-A (Last contribution to be show for Feb. payable in March each year.)

फार्म सं० 6-क

यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर फार्म 3-क के साथ (फरवरी माह से सम्बन्धित अन्तिम अंशदान प्रत्येक वर्ष मार्च में अदा किया गया दिखाया जाना चाहिए।) इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner

(6) Form No. 12A — This is the monthly return of contributions and is to be submitted to this office by 25th of every following month Triplicate copies of the challans in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.

(6) फार्म संख्या 12-क — यह अंशदान का रिटर्न फार्म है, जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा की गई राशि से सम्बन्धित चालान की तीन प्रतियां इसके साथ संलग्न कराई जानी चाहिए।

(7) Form No. 5 & 10 — These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 15th of the following months.

(7) फार्म सं॰ 5 और 10 — यह उन कर्मचारियों से सम्बन्धित रिटर्न है जो माह के दौरान नए सदस्य बनाए जाते हैं या नौकरी छोड़ जाते हैं और इन्हें अगले माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

All the forms prescribed under the Employees' Provident Fund Scheme 1992, the Employees' Pension Fund Scheme, 1995 and the Deposit Linked insurance Scheme, 1976, are available in the P. F. Office and will be supplied free of cost on receipt of your indent. The specimen of forms are enclosed.

7. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी पेंशन निधि स्कीम, 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 से सम्बन्धित सभी निर्धारित फार्म भविष्य निधि कार्यालय मे उपलब्ध है और इन्हें निशुल्क आपकी मांगपत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न है।

Regarding Employees' Pension Fund contributions, it should be separated from the Employees' Provident Fund Contributions and shown separately in the respective Forms and remitted separately in A/c. No. 10, from the month of 02+02 only.

8. कर्मचारी पेंशन निधि अंशदान के सम्बन्ध में इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और सम्बन्धित फार्म में अलग से दिखाकर ..... केवल इस माह से लेखा संख्या 10 में जमा कराया जाना होता है।

As regards E.P.F. and E.D.L.I. dues for the period from 1/11/02 to 28/2/03 the arrears should be remitted on or before 15/3/03

9. कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से सम्बन्धित ..... से ..... तक की बकाया राशि ..... को या इससे पूर्व जमा कराना होता है।

In case, the employees shown in Form 9 were the members of the establishment's private Provident Fund at the commencement of the Scheme, the accumulations in the Provident Fund standing to their credit should be remitted into the State Bank of India to the credit of the E.P.F. Account No. 1 through the prescribed challans and the triplicate copy of the challans sent to this office. All the amount relating to

Scanned with CamScanner

the Provident Fund accumulations laying invested in securities should be transferred to the E.P.F. within four months by having the securities transferred to and endorsed in favour of the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund and the securities thus transferred should be sent to this Office. A note containing the instructions in the matter or transfer to these accumulations is enclosed. Cash on hand in relation to the Accounts of the Private Provident Fund should be remitted within 30 days from the date of receipt of this communication, failing which damages at the prescribed rates will have to be paid by you on the delayed remittances made in cash after the due date.

10. यदि इस स्कीम को लागू करते समय कार्य से 9 में दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा संख्या 1 में निर्धारित चालानों में जमा कराई जाय और चालान की तीन प्रतियां इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। भविष्य निधि में निवेश की गई समस्त राशि से सम्बंधित समस्त प्रतिभूतियों को चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तांतरण कर दिया जाना चाहिए और हस्तांतरित की गई इन प्रतिभूतियों की इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए। राशि के अन्तरण के सम्बन्ध में दिये गए निर्देशों से सम्बंधित नोट संलग्न किया जारहा है। निजी भविष्य के लेखों में उपलब्ध रोकड़ को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अन्तरण कर दिया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद से रोकड़ अन्तरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्तिक नुकसान अदा करनी होगी।

The recipt of this letter alongwith its inclousures may kindly be acknowledged.

कृपया पत्र व अनुलग्नकों की प्राप्ति रसीद भेजवाने की व्यवस्था करें।

M/S SRG IRON & STEEL (P) LTD.
W4-Genda, P.O. Patmda
Sakchi (E)

(S. K. [illegible])
Regional Provident Fund Commissioner
Bihar. Jamshedpur
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार
जमशेदपुर

Encl :
अनुलग्नक :

1. Instructions regarding implementation of the Employees' Provident Fund Scheme, Employees' Pension Scheme and Empoyees' Deposit Linked Insurance Scheme.

1. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, कर्मचारी पेंशन स्कीम, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम को लागू करने सम्बन्धी निर्देश।

2. Instructions regarding allotment of Account Nos.

2. लेखा संख्या अलाट करने सम्बन्धी निर्देश।

3. Instructions regarding transfer of previous Provident Fund accumulatio and transfer of securities.

3. पूर्व भविष्य निधि राशि और प्रस्तुतियों को हस्तांतरित करने सम्बन्धित निर्देश।

Scanned with CamScanner

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
SRG IRON & STEEL PRIVATE LIMITED
02/09/1998
Permanent Account Number
AAECS4363D

Scanned with CamScanner

3130-9

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0 / 16, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone- 0657-2383241/ Fax- 0657-2383985

पत्रांक : .....

दिनांक : .....

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद सिंह,
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

सेवा में,

Sri Sanjay Gupta (Prop)
M/s ASG Steel,
Bhilaipahari, Thana- M.G.M., Jamshedpur.
Dist- East Singhbhum.

विषय :– बिना CTE / CTO के इकाई के संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके इकाई का निरीक्षण दिनांक–15.10.2022 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आपकी इकाई द्वारा पर्षद से बिना स्थापना सहमति / संचालन सहमति प्राप्त किए ही स्क्रैप का गलाना किया जा रहा है जो वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि तुरन्त प्रभाव से इकाई को बन्द कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदित करें।

विश्वासभाजन

ह0 /–
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 681 / आदित्यपुर, दिनांक : 20.10.2022

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20.10.2022
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0वी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone- 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : ..... दिनांक : .....

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद सिंह,
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री राजीव अग्रवाल (मालिक)
M/s Kailash Steel Traders Pvt. Ltd.,
Mukhia Danoga, P.S.- MGM, P.O.- M.G.M.,
Jamshedpur, East Singhbhum.

विषय :– बिना CTE/CTO के इकाई के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके इकाई का निरीक्षण दिनांक–15.10.2022 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आपकी इकाई द्वारा पर्षद से बिना स्थापना सहमति/संचालन सहमति प्राप्त किए ही स्टील का गलती किया जा जा रहा है जो वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि तुरन्त प्रभाव से इकाई को बन्द कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदित करें।

विश्वासभाजन

ह0/–
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 492 / आदित्यपुर, दिनांक : 20-10-2022

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/10/2022
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

Scanned with CamScanner

31730-10

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ

पत्रांक ..317../एम०, दिनांक ..22/04/2024.....

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर ।

विषय :- दिनांक 27/06/2023 को सम्पन्न निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही की कण्डिका 3 के अनुपालन के संबंध में ।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 559 दिनांक 10.04.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंग में सादर पूर्वक सूचित करना है कि मौजा – बडालाखा के Co-ordinate – Latitude 22° 55' 4" N, Longitute 86° 4'41" E पर स्थापित क्रशर मशीन के विरूद्ध कार्यालय पत्रांक 531/एम०, दिनांक 18.06.2022 के द्वारा कारखाना निरीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ को नियमानुसार कार्रवाई हेतु पत्र भेजी गयी थी (छायाप्रति संलग्न)। पुनः अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 21.04.2024 को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान मौजा – बडालाखा के Co-ordinate – Latitude 22° 55' 4" N, Longitute 86° 4'41" E पर क्रशर मशीन स्थापित नहीं पाया गया और न ही उक्त स्थल पर कोई भी खनिज का भण्डारण पाया गया (फोटो की प्रति संलग्न)।

भवदीय को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन,

22.04.2024

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

22/04/24

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

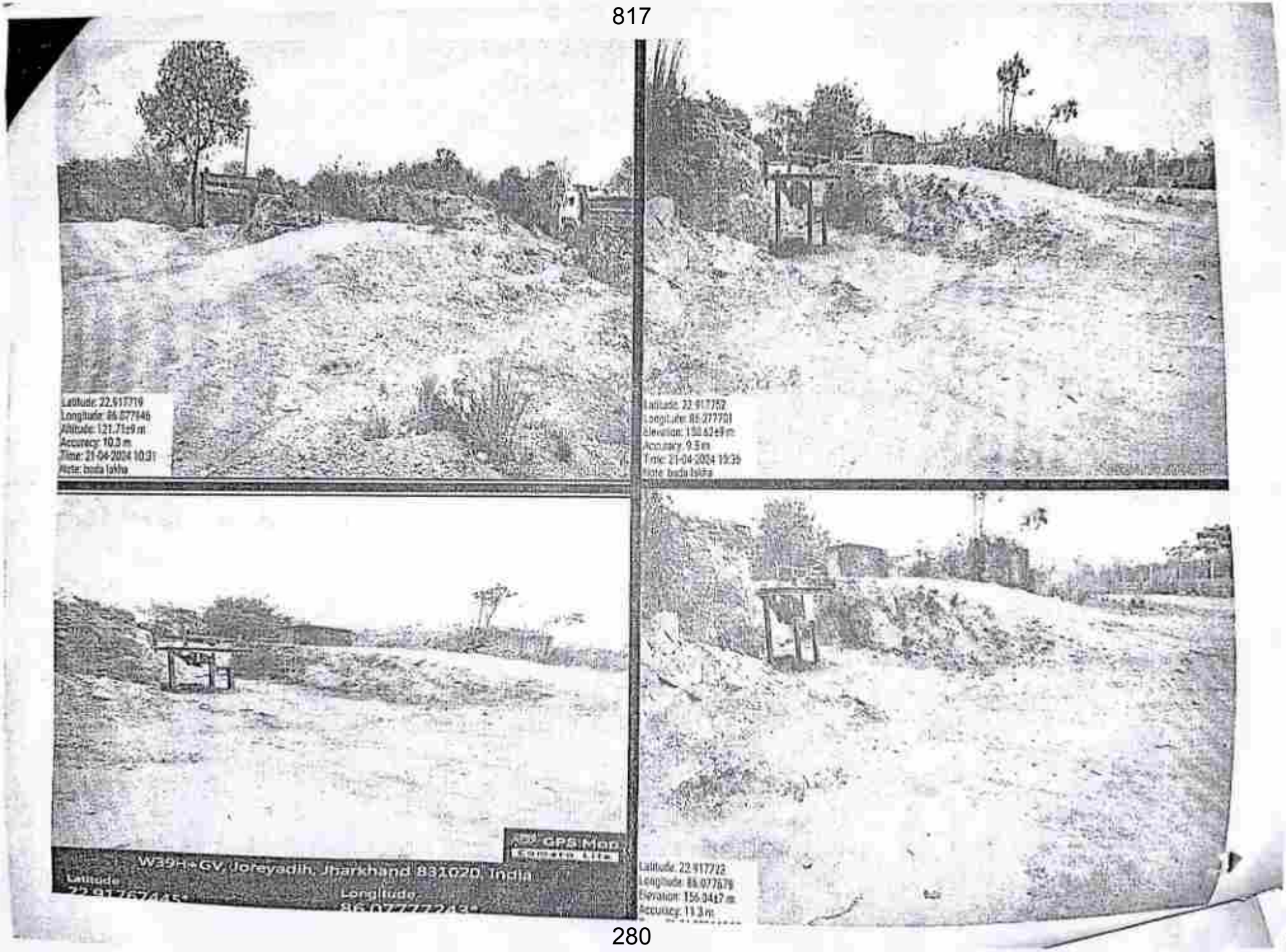

Scanned with CamScanner

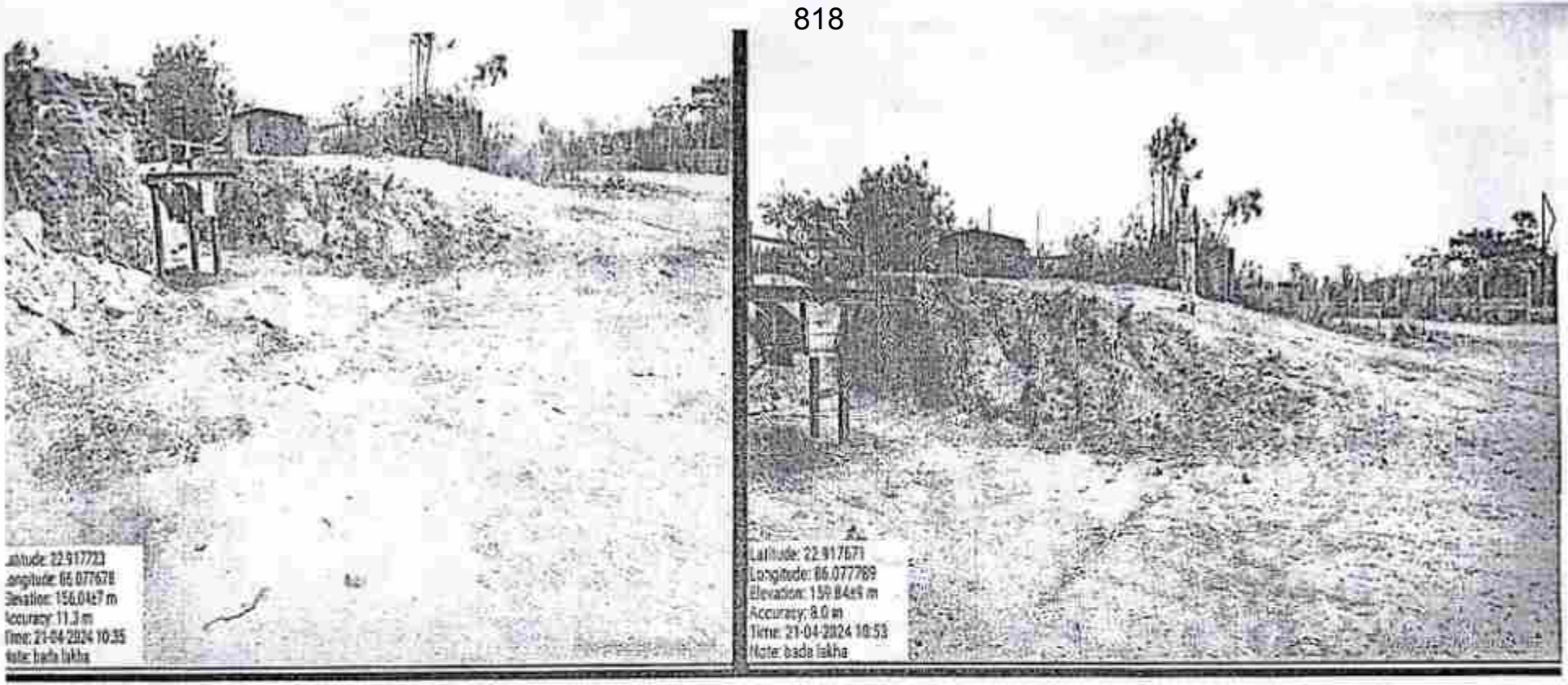

Scanned with CamScanner

3150-11

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15 न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से श्री मनजीत कुमार मिश्रा अध्यक्ष, जन सत्याग्रह से प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में निरीक्षण प्रतिवेदन।

उपर्युक्त विषय के संबंध में श्री मनजीत कुमार मिश्रा अध्यक्ष, जन सत्याग्रह से प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में दिनांक–15.10.2022 को श्री सत्य प्रकाश, सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी एवं श्री एस0ए0 खाँ, न0स0 द्वारा निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित तथ्य पाये गये। दलमा वन्य प्राणी अभ्यारण में मिथिला मोटर मुखिया डांगा में स्थापित है, यह इकाई हरी श्रेणी में आती है साथ ही 20,000 Sq. mtr. से अधिक क्षेत्र के अपार्टमेन्ट के निर्माण हेतु SEIAA से Env. Clearance प्राप्त कर ही अपार्टमेन्ट का निर्माण कराने के प्रावधान है। पार्किंग, स्कूल, कॉलेज तथा जहाँ–तहाँ शहर के कचड़ों को इस क्षेत्र में गिराने संबंधी शिकायत नगर निगम से संबंधित है। निरीक्षण के क्रम में मिलाईपहाड़ी तथा मुखिया डांगा में मेसर्स टाटा स्टील से स्लैग लेकर मैग्नेटिक सेपरेटर से चलनी करते हुए कुल तीन इकाई पाया गया। इन इकाईयों को तुरन्त प्रभाव से बन्द करने हेतु पत्र निर्गत किया जा सकता है।

सूचनार्थ।

19.10.2022
(एस0ए0 खान)
न0स0।

19.10.2022
(सत्य प्रकाश)
ए0एस0ओ0।

ज्ञापांक :——————/ आदित्यपुर, दिनांक :——————

प्रतिलिपि :– अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को निरीक्षण प्रतिवेदन एवं इकाईयों को दी गयी निदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 679 / आदित्यपुर, दिनांक : 20-10-2022

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.10.2022
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

June,Hindi,22/Page 100

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0वी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : ..... दिनांक : .....

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद सिंह,
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

सेवा में,

Sri Sanjay Singh
M/s Kali Charan Mahato,
Bhilaipahari, Thana- M.G.M., Jamshedpur,
Dist- East Singhbhum.

विषय :– बिना CTE/CTO के इकाई के संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके इकाई का निरीक्षण दिनांक– 15.10.2022 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आपकी इकाई द्वारा पर्षद से बिना स्थापना सहमति/संचालन सहमति प्राप्त किए ही स्लैग का बनाना किया जा रहा है जो वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि तुरन्त प्रभाव से इकाई को बन्द कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदित करें।

विश्वासभाजन

ह0/–
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 880 / आदित्यपुर, दिनांक – 20-10-2022

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.10.2022
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0सी0 / 16, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone- 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : ..... दिनांक : .....

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद सिंह,
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

सेवा में,

Sri Sanjay Gupta (Prop)
M/s ASG Steel,
Bhilaipahari, Thana- M.G.M., Jamshedpur,
Dist- East Singhbhum.

विषय :– बिना CTE / CTO के इकाई के संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके इकाई का निरीक्षण दिनांक–15.10.2022 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आपकी इकाई द्वारा पर्षद से बिना स्थापना सहमति / संचालन सहमति प्राप्त किए ही स्टील का उत्पादन किया जा रहा है जो वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि तुरन्त प्रभाव से इकाई को बन्द कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदित करें।

विश्वासभाजन

ह0 /–
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 681 / आदित्यपुर, दिनांक : 20.10.2022

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20.10.2022
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–राह–प्रयोगशाला, एम0बी0 / 16, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone- 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : ..... दिनांक : .....

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद सिंह,
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री राजीव चमरा (मालिक)
M/s Kalash Steel Traders Pvt. Ltd,
Mukhia Dalaga, P.S.- MGM, P.O.- M.G.M.,
Jamshedpur, East Singhbhum.

विषय :– बिना CTE/CTO के इकाई के संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके इकाई का निरीक्षण दिनांक–15.10.2022 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आपकी इकाई द्वारा पर्षद से बिना स्थापना सहमति / संचालन सहमति प्राप्त किए ही उत्पादन का कार्य किया जा रहा है जो वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि तुरन्त प्रभाव से इकाई को बन्द कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदित करें।

विश्वासभाजन

ह0 /–
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 892 / आदित्यपुर, दिनांक :– 20-10-2022
प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : ..... दिनांक : .....

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद सिंह
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

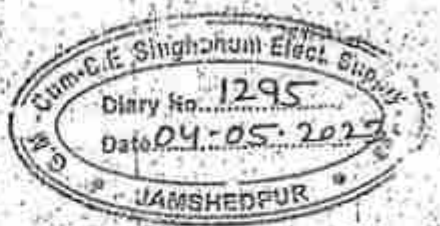

सेवा में,

श्री राजीव चंचरा (मालिक)
सर्वश्री कलश स्टील ट्रेडर्स प्रा0 लि0,
मुखीयाडंगा, थाना–एम0जी0एम0 कॉलेज,
जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

विषय :– स्लैग स्क्रीनिंग कार्य बंद करने के संबंध में।
प्रसंग :– पर्षदीय पत्रांक–682 दिनांक–20.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि आपके द्वारा पर्षद से बिना स्थापना सहमति/संचालन सहमति के दलमा इको सेन्सेटीव जोन में स्लैग स्क्रनिंग कार्य किया जा रहा है। यह वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का स्पष्ट उल्लंघन है। आपको पर्षदीय पत्रांक–682 दिनांक–20.10.2022 द्वारा स्लैग स्क्रीनिंग कार्य बंद करने का आदेश दिया जा चुका है।

पुनः आपको अंतिम बार स्मारित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अविलंब स्लैग स्क्रीनिंग कार्य बंद कर पर्षद को एक सप्ताह के अंदर सूचित करें। अन्यथा उपर्युक्त अधिनियम के दंडनीय प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अनु0 यथा0।

विश्वासभाजन
ह0/–
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

ज्ञापांक : _____ / आदित्यपुर, दिनांक : _____

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 413 / आदित्यपुर, दिनांक : 29-4-2023

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0, प्रथम तल, कॉ–आपरेटीव बैंक बिल्डिंग, बिस्टुपुर, जमशेदपुर–831001 को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उक्त कम्पनी का विद्युत विच्छेदन करने की कृपा की जाए।

29.4.2023
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

Jsmc Mail 22/Page 339

cc 4RM [Letter to ... to this unit also

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : ..... दिनांक : .....

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद सिंह
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

कार्यालयः उप वन संरक्षण एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना
पत्रांक 1847
दिनांक 03.10.2023
जमशेदपुर

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,
राँची।

विषय :– दलमा इकोसेन्सेटीव जोन में स्लैंग क्रशिंग–स्क्रीनिंग इकाईयों का पर्यावरणीय क्षतिपुर्ति की गणना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि दिनांक–27.06.2023 को प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में इको सेन्सेटीव जोन की बैठक में मेसर्स टाटा कम्पनी के Vendor/Subvendor द्वारा इको सेन्सेटीव जोन में Slag डम्प करने पर Environmental Compensation दण्ड अधिरोपित करने का आदेश दिया गया। इसके आलोक में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इको सेन्सेटीव जोन का भ्रमण कर स्लैग स्क्रिनिंग–क्रशिंग इकाईयों की पहचान की गई एवं उन्हे उक्त कार्य बंद करने का निर्देश दिया गया। सूची में क्रमांक 1, 2 एवं 6 पर Subvendor द्वारा Slag Screening & Magnatic Seperation कार्य बंद कर दिया गया। क्रमांक–4 एवं 5 पर अंकित Subvendor द्वारा Crushing & Screening कार्य बंद नहीं किया गया है। क्रमांक (3) पर अंकित इकाई द्वारा स्लैग क्रशिंग हेतु क्रशर स्थापित किया जा रहा है। उक्त इकाई स्थल पर स्लैग नहीं पाया गया। परन्तु CTE प्राप्ति के बगैर क्रशर स्थापना का कार्य करने के फलस्वरूप वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 Act के तहत मुकदमा दायर किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में क्रमांक 4 एवं 5 पर अंकित इकाईयों के विरूद्ध Environmental Compensation एवं क्रमांक 3 पर अंकित इकाई के विरूद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। इकाईयों की सूची एवं अन्य ब्यौरा अनु0–I पर संलग्न की गई है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

03/10/23

ज्ञापांक : 1004 / आदित्यपुर, दिनांक : 26-9-2023

प्रतिलिपि :– उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक गज परियोजना–सह–संयोजक निगरानी समिति, इको सेन्सेटीव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी, वन भवन, सी0एच0एरिया, पो0–सोनारी, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.09.2023
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

June_Hindi_22/Page 579

Scanned with CamScanner

अनु०-2

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

दिनांक–15.09.2023 को रामगढ़, कान्दरबेड़ा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ के अन्तर्गत इको सेन्सेटिव जोन में स्लैग क्रशिंग – स्क्रीनिंग एवं मैगनेटीक सेपरेशन इकाईयों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।

दिनांक–15.09.2023 को मौजा–रामगढ़, कान्दरबेड़ा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ के अन्तर्गत इको सेन्सेटीव जोन में स्लैग क्रशिंग–स्क्रीनिंग एवं मैगनेटीक सेपरेशन इकाईयों का स्थल निरीक्षण क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं स0वैज्ञा0पदा0 द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। स्थल निरीक्षण में वस्तुस्थिति निम्नवत् पायी गयी :–

1. मेसर्स विरेन्द्र सिंह स्लैग डम्प, रामगढ़, जिला–सरायकेला–खरसावाँ।

दिनांक–15.09.2023 को स्थल निरीक्षण में इकाई के कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। स्थल पर पूर्व में स्थापित स्लैग स्क्रीनिंग मशीन हटा लिया गया है। स्थल पर स्लैग डम्प नहीं पाया गया एवं जमीन समतल पाया गया। पर्षद द्वारा पूर्व में दिनांक–08.05.2023 एवं दिनांक–12.08.2023 को स्थल निरीक्षण में स्लैग का डम्प पाया गया था एवं क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक–611 दिनांक–24.06.2023 एवं पत्रांक–704 दिनांक–17.07.2023 द्वारा स्लैग डम्प हटाने का निर्देश दिया गया था। छायाप्रति संलग्न। फलस्वरूप स्लैग स्क्रीनिंग एवं डम्प हटा लिया गया है।

2. मेसर्स मालती इन्टरप्राईजेज, कान्दरबेड़ा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ।

दिनांक–15.09.2023 को स्थल निरीक्षण में पूर्व में स्थापित स्क्रीनिंग मशीन हटा लिया गया है। साथ ही स्लैग डम्प भी नहीं पाया गया। जमीन समतल कर दिया गया है। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित नहीं था। इकाई के मालिक श्री रोहित सिंह हैं। पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक–03.05.2023 को स्थल निरीक्षण में स्लैग स्क्रीनिंग कार्य होता हुआ पाया गया था जिसके आलोक में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक–614 दिनांक–24.08.2023 द्वारा स्लैग स्क्रीनिंग कार्य बंद करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक–12.08.2023 एवं दिनांक–15.09.2023 को स्थल निरीक्षण में स्लैग स्क्रीनिंग कार्य बंद पाया गया एवं स्लैग डम्प भी हटा लिया गया है। जमीन समतल कर दिया गया है।

3. मेसर्स इनोजेट प्रोजेक्ट प्रा0 लि0, कान्दरबेड़ा, थाना–घाण्डिल, जिला–सरायकेला–खरसावाँ।

दिनांक–29.06.2023, 12.08.2023 एवं दिनांक–15.09.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण में स्लैग क्रशिंग हेतु क्रशर स्थापना का कार्य होता हुआ पाया गया। स्थल पर डम्प नहीं पाया गया। विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर ली गई है। पर्षद पत्रांक–705 दिनांक–17.07.2023 द्वारा स्लैग डम्प हटाने का निर्देश दिया गया था। इकाई को स्लैग क्रशर मशीन स्थापित नहीं करने का

1460
26-9-2023

Scanned with CamScanner

निर्देश क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक–996 दिनांक–23.09.2023 द्वारा दिया गया है। इकाई के मालिक श्री विक्की भलोटिया है।

4. मेसर्स आर0आर0 ट्रेडिंग, कान्दरबेड़ा, थाना–चाण्डिल, जिला–सरायकेला–खरसावाँ।

दिनांक–15.09.2023 को स्थल निरीक्षण में स्लैग क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग मशीन पाया गया। विद्युत कनेक्शन भी पाया गया। स्थल पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। परिसर में स्लैग का Old Dump पाया गया। इकाई के मालिक श्री धर्मेन्द्र जायसवाल है।

पर्षद पत्रांक–706 दिनांक–17.07.2023 द्वारा डम्प स्लैग को हटाने का निर्देश दिया गया था। परन्तु डम्प नहीं हटाया गया। दिनांक–12.08.2023 को स्थल निरीक्षण में भी Old Slag Dump पाया गया था। इकाई को पुनः पर्षद पत्रांक–995 दिनांक–23.09.2023 द्वारा स्लैग क्रशिंग–स्क्रीनिंग मशीन एवं डम्प स्लैग को हटाने का निर्देश दिया गया है। छायाप्रति संलग्न।

5. मेसर्स राजमेन्शन, कान्दरबेड़ा, थाना–चाण्डिल, जिला–सरायकेला–खरसावाँ।

दिनांक–15.09.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण में पाया गया कि स्थल पर क्रशर एवं मैग्नेटिक सेपरेटर स्थापित है। परन्तु इकाई बंद थी। सिर्फ गार्ड मौजूद था। पुछने पर गार्ड द्वारा अपना नाम चिन्टु बताया गया। इकाई के मालिक श्री सनातन मांझी है। डीजल जेनरेटर ट्रैक्टर पर रखा हुआ था। स्लैग का वेस्ट पाया गया।

पर्षद पत्रांक–702 दिनांक–17.07.2023 एवं पत्रांक–994 दिनांक–23.09.2023 द्वारा इकाई को स्लैग एवं क्रशर मैग्नेटिक सेपरेटर हटाने का निर्देश दिया गया। छायाप्रति संलग्न।

6. मेसर्स तरूण डे, होटल गोल्डेन हिल के पीछे कान्दरबेड़ा, थाना–चाण्डिल, जिला–सरायकेला–खरसावाँ।

दिनांक–15.09.2023 को स्थल निरीक्षण में स्लैग डम्प नहीं पाया गया। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक–610 दिनांक–24.06.2023 द्वारा संचालन बंद करने का निदेश दिया गया। श्री तरूण डे द्वारा बतलाया गया कि स्लैग को जमीन भरने के लिए उपयोग कर लिया गया है। स्थल पर स्लैग डम्प नहीं पाया गया। जमीन समतल पाया गया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि भविष्य में होटल खोलने का प्लान है।

26.09.2023
(स0वै0प0पदा0)
जमशेदपुर।

26.09.2023
(क्षेत्रीय पदाधिकारी)
जमशेदपुर।

June_Hindi_22/Page 595

Scanned with CamScanner

01C

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383505

पत्रांक : .....996. दिनांक : 22-9-2023

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद सिंह
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री विक्की भलोटिया
मेसर्स इनोजेट प्रोजेक्ट प्रा0 लि0,
कान्दरबेड़ा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ।

विषय :– पर्षद से बिना स्थापना सहमति (CTE) के स्लैग क्रशिंग इकाई की स्थापना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि आपके द्वारा पर्षद से स्थापना सहमति (CTE) प्राप्त किए बिना इको सेन्सेटिव जोन में स्लैग क्रशिंग मशीन स्थापित की जा रही है जो वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक–705 दिनांक–17.07.2023 द्वारा आपको स्लैग हटाने का निर्देश दिया जा चुका है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इको सेन्सेटिव जोन में स्लैग का भण्डारण, क्रशिंग, स्क्रीनिंग या प्रोसेसिंग कार्य नहीं करें एवं क्रशर स्थापना का कार्य बंद कर दें। अन्यथा उपर्युक्त अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन
22.09.2023
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

June_Hindi_22/Page 592

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0वी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : 995 दिनांक : 22-9-2023

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद सिंह
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री धर्मेन्द्र जायसवाल
मेसर्स आर0आर0 ट्रेडिंग
कान्दरबेड़ा, थाना–चाण्डिल,
जिला–सरायकेला–खरसावाँ।

विषय :– पर्षद से बिना स्थापना सहमति (CTE) प्राप्त किए बिना स्लैग क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग इकाई स्थापित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि आपके द्वारा पर्षद से बिना स्थापना सहमति (CTE) के स्लैग क्रशिंग–स्क्रीनिंग इकाई स्थापित की गई है जो वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अविलंब क्रशिंग–स्क्रीनिंग मशीन को हटा लें। अन्यथा पर्षद द्वारा उपर्युक्त अधिनियम, के तहत् कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन
22.09.2023
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : 994 दिनांक : 22-9-2023

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद सिंह
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री सनातन मांझी
मेसर्स राज मेन्डान
कान्दरबेड़ा, थाना–चाण्डिल,
जिला–सरायकेला–खरसावाँ।

विषय :– पर्षद से बिना स्थापना सहमति (CTE) प्राप्त किए बिना स्लैग क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग इकाई स्थापित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि आपके द्वारा पर्षद से बिना स्थापना सहमति (CTE) के स्लैग क्रशिंग–स्क्रीनिंग इकाई स्थापित की गई है जो वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अविलंब क्रशिंग–स्क्रीनिंग मशीन को हटा लें। अन्यथा पर्षद द्वारा उपर्युक्त अधिनियम, के तहत् कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,
Jpsbl
22.09.2023
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : ..... दिनांक : .....

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद सिंह
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री रोहित सिंह (मालिक)
सर्वश्री मालती इन्टरप्राईजेज,
कनदरबेड़ा, मौजा–रामगढ़,
जिला–सरायकेला–खरसावाँ।

विषय :– स्लैग स्क्रीनिंग कार्य बंद करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि आपके द्वारा पर्षद से बिना स्थापना सहमति/संचालन सहमति के दलमा इको सेन्सेटीव जोन में स्लैग स्क्रनिंग कार्य किया जा रहा है। यह वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अविलंब स्लैग स्क्रीनिंग कार्य बंद कर पर्षद को एक सप्ताह के अंदर सूचित करें। अन्यथा उपर्युक्त अधिनियम के दंडनीय प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

ह0/–
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 614 /आदित्यपुर, दिनांक : 24-6-2023

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवायी हेतु प्रेषित।

24.06.2023
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

June_Hindi_23/Page 451

Scanned with CamScanner

3130-11 A

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0वी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone–0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : 611 दिनांक : 24-6-2023

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद सिंह
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री राकेश मिश्रा (जमीन मालिक)
सर्वश्री वीरेन्द्र सिंह
कन्दरबेड़ा चौक, पो0–चाण्डिल,
जिला– सरायकेला–खरसावाँ।

विषय :– इकाई के इको सेन्सेटीव जोन में होने के फलस्वरूप बंद करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि आपकी इकाई दलमा इको सेन्सेटिव जोन में आने वाले मौजा में अवस्थित है। भारत सरकार की अधिसूचना सं0–S.O.680(E) दिनांक–29.03.2012 के तहत दलमा इको सेन्सेटिव जोन घोषित किया गया है। इको सेन्सेटिव जोन में प्रदूषणकारी इकाई का संचालन निषिद्ध है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से इको सेन्सेटिव जोन में इकाई का संचालन बंद कर दें। अन्यथा पर्षद द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन
24.06.2023
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

June_Hindi_22/Page 450

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0 / 15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site-jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी इको सेन्सेटीव जोन में स्थापित विभिन्न तरह के उद्योगो का निरीक्षण प्रतिवेदन।

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में पूर्व में चिन्हित होटलों अन्य इकाईयों को स्थापना / संचालन सहमति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। पुनः स्मारित करने हेतु होटलों एवं अन्य इकाईयों का निरीक्षण दिनांक–29.06.2023 को किया गया। उन्हे सख्त निर्देश दिया गया कि अपने इकाईयों का संचालन बिना पर्षद के स्थापना / सहमति प्राप्त किए नहीं करेंगें जो निम्नत है :–

1. श्री जगरनाथ मोदक, मेसर्स न्यू सुमन होटल, डिमना चौक, मानगो, जमशेदपुर।
2. श्री भूमेश कुमार, मेसर्स श्री कृष्णा होटल, डिमना चौक, मानगो, जमशेदपुर।
3. श्री अभिषेक तिवारी, मेसर्स जालसा बार एण्ड रेस्टोरेन्ट, डिमना चौक, मानगो, जमशेदपुर।
4. श्री विवेक बागड़िया, मेसर्स गोल्डेन लीफ रिसौर्ट, काली मंदिर, पारडीह, जमशेदपुर।
5. श्री विवेक श्रीवास्तव, मेसर्स होटल माउंट व्यू, कान्दरबेड़ा, सरायकेला–खरसावाँ।
6. श्री विक्की भलोटिया, मेसर्स इनोजेट प्रोजेक्ट प्रा0 लि0, कान्दरबेड़ा, सरायकेला–खरसावाँ।
7. मेसर्स विरेन्दर सिंह (स्लैग डम्पिंग) कान्दरबेड़ा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ।

01.07.2023
(सत्य प्रकाश)
ए0ए0ओ0।

1148
17-7-2023

स्लो को नोटिस दें
01.07.2023

उपरोक्त वर्णित सभी इकाईयों को नोटिस जारी की गई है।
13.07.2023

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी इको सेन्सेटीव जोन से बाहर स्थापित विभिन्न तरह के उद्योगो का निरीक्षण प्रतिवेदन।

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में पूर्व में चिन्हित होटलों अन्य इकाईयों को स्थापना/संचालन सहमति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। पुनः स्मारित करने हेतु होटलों एवं अन्य इकाईयों का निरीक्षण दिनांक–29.06.2023 को किया गया। उन्हे सख्त निर्देश दिया गया कि अपने इकाईयों का संचालन बिना पर्षद के स्थापना/सहमति प्राप्त किए नहीं करेगें जो निम्नंत है :–

1. श्री अजय कुमार, मेसर्स रोवायल हिल्स होटल बार एण्ड रेस्टोरेन्ट, डिमना पारडीह रोड, जमशेदपुर
2. श्री विकास मंडल, मेसर्स होटल हील व्यू, कान्दरबेड़ा, सरायकेला–खरसावाँ।
3. श्री सनातन भुईया, मेसर्स राज मेन्सन, कान्दरबेड़ा, रामगढ़, सरायकेला–खरसावाँ।
4. श्री डी0के0 जायसवाल, मेसर्स आर0आर0 ट्रेडिंग, रामगढ़, कान्दरबेड़ा, सरायकेला खरसावाँ।

01.07.2023

(सत्य प्रकाश)
ए0एस0ओ।

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0वी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

आज दिनांक–12.08.2023 को क्षेत्रीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में रामगढ़ कांदरबेड़ा जिला–सरायकेला–खरसावाँ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य पाया गया।

1. सर्वश्री विरेन्द्र सिंह (स्लैग डम्पिंग) रामगढ़ कादरबेड़ा का निरीक्षण किया गया। यह पाया गया कि जमीन का समतलीकरण का कार्य 75% किया गया है परन्तु कुछ स्लैग स्थल पर पाया गया प्रतित हुआ कि उसे भी समतल अथवा हटाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था।
2. सर्वश्री विक्की भलोटिया इनोजेट प्रोजेक्ट प्र0 लि0, कांदरबेड़ा निरीक्षण के दौरान गार्ड सुबोध सिंह उपस्थित थे। इकाई बन्द पाई गई। परिसर में स्लैग क्रशर स्थापित पाया गया।
3. सर्वश्री आर0आर0 ट्रेडिंग कांदरबेड़ा, रामगढ़ इकाई बन्द थी। वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। परिसर में स्लैग का पुराना स्लैग वेस्ट डम्प पाया गया।
4. सर्वश्री राज मेन्सन, कांदरबेड़ा, रामगढ़ इकाई बन्द थी, वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। परिसर में स्लैग स्क्रीनिंग के पश्चात् वेस्ट पाया गया।
5. सर्वश्री मालती इन्टरप्राईजेज कांदरबेड़ा, रामगढ़। जमीन पुरी तरह से समतल पाया गया। वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था।

18.08.2023
(सत्य प्रकाश)
ए0एस0ओ0।

130/
18.08.2023

18.08.2023

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : ..... दिनांक : .....

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद सिंह
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री रोहित सिंह (मालिक)
सर्वश्री मालती इन्टरप्राईज़ेज,
कनदरबेड़ा, मौजा–रामगढ़,
जिला–सरायकेला–खरसावाँ।

विषय :– स्लैग स्क्रीनिंग कार्य बंद करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि आपके द्वारा पर्षद से बिना स्थापना सहमति/संचालन सहमति के दलमा इको सेन्सेटीव जोन में स्लैग स्क्रनिंग कार्य किया जा रहा है। यह वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अविलंब स्लैग स्क्रीनिंग कार्य बंद कर पर्षद को एक सप्ताह के अंदर सूचित करें। अन्यथा उपर्युक्त अधिनियम के दंडनीय प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

ह0/–
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 614 / आदित्यपुर, दिनांक : 24-06-2023

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवायी हेतु प्रेषित।

24.06.2023
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0 / 15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : ..... दिनांक : .....

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद सिंह
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

सेवा में,

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड
प्रथम तल, कॉ–ऑपरेटीव बैंक बिल्डिंग
बिस्टुपुर, जमशेदपुर–831001.

विषय :– दलमा इको सेन्सेटीव जोन में स्लैग क्रशिंग–स्क्रीनिंग–मैग्नेटीक सेपरेशन इकाईयों का विद्युत विच्छेदन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि दलमा इको सेन्सेटीव जोन में प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना एवं संचालन निषिद्ध है। पर्षद द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि दलमा इको सेन्सेटिव जोन में प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना न हो। इस क्रम में यह भी सूचित करना है कि आयुक्त सिंहभूम (कोल्हान) अध्यक्ष, दलमा इको सेन्सेटिव जोन निगरानी समिति द्वारा समय–समय पर बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए जाते है। इसी क्रम में पर्षद द्वारा दलमा इको सेन्सेटीव जोन का निरीक्षण किया गया एवं निम्न स्लैग क्रशिंग–स्क्रीनिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन इकाईयों का पता लगाया गया :–

1. श्री विक्की भलोटिया, (प्रो0) मेसर्स इनोजेट प्रोजेक्ट प्रा0 लि0, कांदरबेड़ा, थाना–चाण्डिल, जिला–सरायकेला–खरसावाँ।
2. श्री सनातन भुईयां (प्रो0), मेसर्स राज मेन्शन, कांदरबेड़ा, थाना–चाण्डिल, जिला–सरायकेला–खरसावाँ।
3. श्री डी0के0 जायसवाल, मेसर्स आर0आर0 ट्रेडिंग, रामगढ़–कांदरबेड़ा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ।

उक्त तीनों इकाईयों में क्रशिंग–स्क्रीनिंग मशीन के संचालन हेतु विद्युत संयोजन पाया गया।

अतः अनुरोध है कि उक्त तीनों इकाईयों का विद्युत विच्छेदन नियमानुसार करने की कृपा की जाए ताकि दलमा इको सेन्सेटीव जोन में स्लैग क्रशिंग–स्क्रीनिंग एवं मैग्नेटिक सेपरेशन का संचालन न

Scanned with CamScanner

साथ ही भविष्य में भी दलमा इको सेन्सेटीव जोन में उक्त कार्य हेतु विद्युत संयोजन नहीं देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

08/10/23

ज्ञापांक : 1010 / आदित्यपुर, दिनांक : 27-9-2023

05/10

प्रतिलिपि :- उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक गज परियोजना–सह–संयोजक निगरानी समिति, इको सेन्सेटीव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी, वन भवन, सी0एच0एरिया, पो0–सोनारी, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से भी विद्युत विभाग को निर्देशित करने की कृपा की जाए।

26.09.2023
(जितेन्द्र प्रसाद सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

कार्यालयः उप वन संरक्षण एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना
पत्रांक 1843
दिनांक 03.10.2023
जमशेदपुर

Scanned with CamScanner

3130-12

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : ..... दिनांक : .....

प्रेषक,

क्षेत्रीय पदाधिकारी
जमशेदपुर।

कार्यालय: उप वन संरक्षण एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना
पत्रांक 1205
दिनांक 05.07.2023
जमशेदपुर

सेवा में,

मेसर्स न्यू सुमन होटल,
डिमना चौक, मानगो, जमशेदपुर,
जिला–पूर्वी सिंहभूम।

विषय :– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत पर्षद से स्थापना सहमति एवं संचालन सहमति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग :– पर्षद पत्रांक–448 दिनांक–06.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत होटल/रेस्टोरेंट को पर्षद से स्थापना सहमति/संचालन सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। आपके द्वारा पर्षद से बिना स्थापना/संचालन सहमति के होटल/रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है जो उपर्युक्त अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको अंतिम बार नोटिश निर्गत करते हुए निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर पर्षद से स्थापना/संचालन हेतु Website: https://advantage.jharkhand.gov.in/SingleWindow/ के माध्यम से Online आवेदन उपलब्ध करा दें। अन्यथा पर्षद द्वारा उपर्युक्त अधिनियम, के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन
ह0/–
(क्षेत्रीय पदाधिकारी)
जमशेदपुर।

ज्ञापांक : _____ / आदित्यपुर, दिनांक : _____

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(क्षेत्रीय पदाधिकारी)
जमशेदपुर।

ज्ञापांक : 636 / आदित्यपुर, दिनांक : 03.07.2023

प्रतिलिपि :– उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना–सह–संयोजक निगरानी समिति इको सेन्सेटीव जोन दलमा वन प्राणी आश्रयणी, जमशेदपुर, वन भवन, सी0एस0 एरिया, साई मंदिर के पास, सोनारी जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

3.7.23
(क्षेत्रीय पदाधिकारी)
जमशेदपुर।

June_Hindi_22/Page 464

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : ..... दिनांक : .....

प्रेषक,

क्षेत्रीय पदाधिकारी
जमशेदपुर।

कार्यालय: उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना
पत्रांक 1229
दिनांक 08.07.2022
जमशेदपुर

सेवा में,

मेसर्स होटल एल0एन0 इन्टरनेशनल,
रोड नं0–1, हिल व्यू कॉलोनी, नियर अशियाना इनक्लेव,
डिमना, मानगो, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

विषय :– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत पर्षद से स्थापना सहमति एवं संचालन सहमति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग :– पर्षद पत्रांक–248 दिनांक–31.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत होटल/रेस्टोरेंट को पर्षद से स्थापना सहमति/संचालन सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। आपके द्वारा पर्षद से बिना स्थापना/संचालन सहमति के होटल/रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है जो उपर्युक्त अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको अंतिम बार नोटिश निर्गत करते हुए निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर पर्षद से स्थापना/संचालन हेतु Website: https://advantage.jharkhand.gov.in/SingleWindow/ के माध्यम से Online आवेदन उपलब्ध करा दें। अन्यथा पर्षद द्वारा उपर्युक्त अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन
ह0/–
(क्षेत्रीय पदाधिकारी)
जमशेदपुर।

ज्ञापांक : _____ / आदित्यपुर, दिनांक : _____
प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(क्षेत्रीय पदाधिकारी)
जमशेदपुर।

ज्ञापांक : 663 / आदित्यपुर, दिनांक : 7-7-2022
प्रतिलिपि :– उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना–सह–संयोजक निगरानी समिति इको सेन्सेटीव जोन दलमा वन प्राणी आश्रयणी, जमशेदपुर, वन भवन, सी0एस0 एरिया, साई मंदिर के पास, सोनारी जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(क्षेत्रीय पदाधिकारी)
जमशेदपुर।

Jam,Hindi,23/Page 444

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : ..... दिनांक : .....

प्रेषक,

क्षेत्रीय पदाधिकारी
जमशेदपुर।

सेवा में,

मेसर्स होटल हील व्यू प्वायंट,
नियर एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज,
सिरोमन नगर, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

विषय :– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत पर्षद से स्थापना सहमति एवं संचालन सहमति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत होटल/रेस्टोरेंट को पर्षद से स्थापना सहमति/संचालन सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। आपके द्वारा पर्षद से बिना स्थापना/संचालन सहमति के होटल/रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है जो उपर्युक्त अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर पर्षद से स्थापना/संचालन हेतु Website: https://advantage.jharkhand.gov.in/ SingleWindow/ के माध्यम से Online आवेदन उपलब्ध करा दें। अन्यथा पर्षद द्वारा उपर्युक्त अधिनियम, के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन
ह0/–
(क्षेत्रीय पदाधिकारी)
जमशेदपुर।

ज्ञापांक : _____/ आदित्यपुर, दिनांक : _____
प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(क्षेत्रीय पदाधिकारी)
जमशेदपुर।

ज्ञापांक : 664 /JSPCB/ आदित्यपुर, दिनांक : 7-7-2023
प्रतिलिपि :– उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना–सह–संयोजक निगरानी समिति इको सेन्सेटीव जोन दलमा वन प्राणी आश्रयणी, जमशेदपुर, वन भवन, सी0एस0 एरिया, साई मंदिर के पास, सोनारी जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

06.07.2023
(क्षेत्रीय पदाधिकारी)
जमशेदपुर।

June_Hindi_22/Page 464

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone- 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : ..... दिनांक : .....

प्रेषक,

क्षेत्रीय पदाधिकारी
जमशेदपुर।

सेवा में,

मेसर्स रोवायल हिल्स होटल बार एण्ड रेस्टोरेन्ट,
डिमना पारडीह रोड, जमशेदपुर,
जिला–पूर्वी सिंहभूम।

विषय :– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत पर्षद से स्थापना सहमति एवं संचालन सहमति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत होटल/रेस्टोरेंट को पर्षद से स्थापना सहमति/संचालन सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। आपके द्वारा पर्षद से बिना स्थापना/संचालन सहमति के होटल/रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है जो उपर्युक्त अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर पर्षद से स्थापना/संचालन हेतु Website: https://advantage.jharkhand.gov.in/ SingleWindow/ के माध्यम से Online आवेदन उपलब्ध करा दें। अन्यथा पर्षद द्वारा उपर्युक्त अधिनियम, के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन
ह0/–
(क्षेत्रीय पदाधिकारी)
जमशेदपुर।

ज्ञापांक : ——————/ आदित्यपुर, दिनांक : ——————

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(क्षेत्रीय पदाधिकारी)
जमशेदपुर।

17/07/23

ज्ञापांक : 703 /आदित्यपुर, दिनांक : 17-7-2023

प्रतिलिपि :– उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना–सह–संयोजक निगरानी समिति इको सेन्सेटीव जोन दलमा वन प्राणी आश्रयणी, जमशेदपुर, वन भवन, सी0एस0 एरिया, साई मंदिर के पास, सोनारी जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

17.07.2023
(क्षेत्रीय पदाधिकारी)
जमशेदपुर।

कार्यालयः उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना
पत्रांक.....1313.....
दिनांक....19.07.2023...
जमशेदपुर

June_Hindi_22/Page 494

Scanned with CamScanner

3130-13

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ

पत्रांक 297/एम०, दिनांक 13/5/23

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

सेवा में,

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर ।

विषय :- आश्रयणी के इको सेन्सिटिव जोन तथा वन्यप्राणी विचरण क्षेत्र में अवैध रूप से पत्थर खनन कार्य एवं दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी के इको सेन्सिटिव जोन हमसदा एवं शिकली में अवैध खनन एवं अवैध ईट भट्टा संचालन के संबंध में ।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 390 दिनांक 10.03.2023 एवं ज्ञापांक 581 दिनांक 18.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंग में कहना है कि उप निदेशक खान कोल्हान अंचल चाईबासा के ज्ञापांक 87 दिनांक 21.04.2023 के द्वारा इस कार्यालय में प्रतिनियुक्त खान निरीक्षक को कार्यालय पत्रांक 246/एम०, दिनांक 27.04.2023 के द्वारा विषयान्तर्गत क्षेत्र का क्षेत्रीय निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेशित किया गया था । जिसके अनुपालन में खान निरीक्षक द्वारा दिनांक 03.05.2023 एवं 04.05.2023 को मौजा – आसनवनी, विलगु, कान्दरबेडा, रामगढ़ एवं मौजा – हमसदा, शिकली आदि क्षेत्रों का औचक स्थलिय भ्रमण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया है । (छायाप्रति संलग्न)

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

Scanned with CamScanner

निरीक्षण प्रतिवेदन

उप निदेशक खान, कोल्हान अंचल, चाईबासा के ज्ञापांक 87, दिनांक 21.04.2023 के अनुपालन में प्रतिवेदित करना है कि जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां के पत्रांक 246, दिनांक 27.04.2023 पत्र में वर्णित कार्यालय-उप-वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गुवा परियोजना, जगन्नाथपुर के पत्रांक 390 दिनांक 10.03.2023 एवं पत्रांक 581 दिनांक 10.04.2023 के आलोक में प्रतिवेदित करना है। दिनांक 03.05.2023 एवं 04.05.2023 को उक्त पत्रों में वर्णित मौजाओं आसनबनी, चीलमु, कन्दरबेड़ा, रामगड़ एवं मौजा-हमसादा, शिकली आदि क्षेत्रों का जिला खनन कार्यालय, सरायकेला खरसावां में कार्यरत श्री बलराम गोप के साथ वर्णित क्षेत्रों का औचक स्थलीय भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान वर्णित मौजाओं का क्षेत्र का विवरणी निम्न प्रकार :-

क्र०स०	अंचल	मौजा	स्थल का विवरण
1	चांडिल	आसनबनी	मौजा-आसनबनी क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसी भी प्रकार का कोई खनिज उत्खनन होते नहीं पाया गया।
2		चीलमु	मौजा-चीलमु में पूर्व में धारित खनन पट्टा पाया। वर्तमान में मौजा-चीलमु में कोई पत्थर खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है, निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार का पत्थर खनिज का उत्खनन होते नहीं पाया गया।
3		कन्दरबेड़ा	मौजा-कंदरबेड़ा क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसी प्रकार का खनिज उत्खनन होते नहीं पाया गया।
4		रामगड़	मौजा-रामगड़ क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसी प्रकार का कोई खनिज उत्खनन होते नहीं पाया गया।
5		हमसादा	मौजा-हमसादा क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसी प्रकार का भी खनिज उत्खनन होते नहीं पाया। पूर्व में उत्खनित खनिज पत्थर का एक गड्ढा पाया। उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी पत्थर खनिज उत्खनन होते नहीं पाया।
6		शिकली	मौजा-शिकली क्षेत्र भ्रमण के दौरान 1-5 संख्या में बंगला ईंट भट्ठा पाया गया। 1) बंगला ईंट भट्ठा का मारका (BRN) संचालन कर्त्ता का नाम-कृष्णा मुण्डा, ग्राम-शिकली, थाना-चांडिल, जिला- सरायकेला-खरसावां। 2) बंगला ईंट भट्ठा का मारका (VIP) संचालन कर्त्ता का नाम-धासी राम, ग्राम-कुम्हार बस्ती, थाना-चांडिल, जिला- सरायकेला-खरसावां। 3) बंगला ईंट भट्ठा का मारका (USHA) संचालन कर्त्ता का नाम-सोमा पॉल, ग्राम-चांडिल, थाना-चांडिल, जिला- सरायकेला-खरसावां। 4) बंगला ईंट भट्ठा का मारका (ASB) संचालन कर्त्ता का नाम-मो० रिजवान आलम(छोटू), ग्राम-सिकली, थाना-चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावां। 5) बंगला ईंट भट्ठा का मारका (RR) संचालन कर्त्ता का नाम-रूपेश दा, ग्राम-चांडिल, थाना-चांडिल, जिला- सरायकेला-खरसावां। उक्त बंगला ईंट भट्ठाओं के संचालकों का नाम/पता वहाँ के ग्रामिणों के कहने के अनुसार प्राप्त हुआ।

अतः अनुरोध है कि संबंधित क्षेत्रों के पुलिस बल एवं वनरक्षियों को उपरोक्त मौजाओं क्षेत्रों पर निगरानी हेतु अनुरोध किया जाय।

सूचनार्थ।

06/05/2023

खान निरीक्षक,
जिला खनन कार्यालय,
चाईबासा।

Scanned with CamScanner

3130-14

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(विधि व्यवस्था शाखा)

पत्रांक 102 /वि0व्य0

प्रेषक,

अपर जिला दण्डाधिकारी,
विधि व्यवस्था–सह–अध्यक्ष, टास्क फोर्स,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

आयुक्त के सचिव,
सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा।

जमशेदपुर, दिनांक 19 /08/2016

विषय:–दिनांक–08/8/2016 एवं 12/08/2016 को दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी, जमशेदपुर के ईको सेंसिटिव जोन की टास्क फोर्स द्वारा ईको सेंसिटिव जोन के अन्तर्गत चल रहे(प्रतिषिद्ध कार्य) अवैध कसर एवं खनन् की स्थल निरीक्षण कर की गई कार्रवाई की प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग:–अध्यक्ष, निगरानी समिति, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, ईको सेन्सिटिव क्षेत्र, जमशेदपुर–सह–आयुक्त, सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा के ज्ञापांक–693(B) दिनांक 20/07/2016.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी, जमशेदपुर के ईको सेंसिटिव जोन के अन्तर्गत चल रहे(प्रतिषिद्ध कार्य) अवैध कसर एवं खनन् की निरीक्षण हेतु गठित टास्क फोर्स द्वारा दिनांक–08/8/2016 एवं 12/08/2016 को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

सादर समर्पित।

अनुलग्नक:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

19/8/16

अपर जिला दण्डाधिकारी,
विधि व्यवस्था–सह–अध्यक्ष,टास्क फोर्स,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 951 /वि0व्य0, जमशेदपुर, दिनांक 29 /08/2016

प्रतिलिपि:– उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर–सह–संयोजक निगरानी समिति, ईको सेन्सिटिव जोन, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी, जमशेदपुर को पत्रांक–646, दिनांक 20/08/2016 के क्रम में अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

29/8/16

अपर जिला दण्डाधिकारी,
विधि व्यवस्था–सह–अध्यक्ष,टास्क फोर्स,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Scanned with CamScanner

दिनांक–08/08/2016 को दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के ईको सेन्सिटिव जोन में अवस्थित प्रतिषिद्ध कार्यों को बन्द करने हेतु पूर्वी सिंहभूम जिला स्तरीय गठित टास्क फोर्स की स्थल निरीक्षण कर कार्रवाई प्रतिवेदनः–

(1) अध्यक्ष, निगरानी समिति, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, ईको सेन्सिटिव क्षेत्र, जमशेदपुर–सह–आयुक्त, सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल,, चाईबासा के ज्ञापांक–693(8) दिनांक 20/07/2016 द्वारा गठित टास्क फोर्स को दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के ईको सेन्सिटिव जोन में अवस्थित प्रतिषिद्ध कार्यो यथा ईट भट्ठा, कशर, खनन् कार्य इत्यादि को नियंत्रित करने, बन्द कराने एवं कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया है।

(2) उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विधि व्यवस्था एवं खनन् टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक-785/वि0व्य0, दिनांक 22/07/2016 द्वारा गठित टास्क फोर्स को अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के नेतृत्व में दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के ईको सेन्सिटिव जोन में प्रतिषिद्ध कार्यो यथा ईट भट्ठा, कशर, खनन् कार्य इत्यादि को बन्द कराने एवं कार्रवाई करने का निदेश है।

(3) उपरोक्त निदेशो के आलोक में आज दिनांक 08/08/2016 को पूर्वी सिंहभूम जिला स्तरीय गठित टास्क फोर्स द्वारा अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के नेतृत्व मे थाना–पटमदा अन्तर्गत दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के ईको सेन्सिटिव जोन में प्रतिषिद्ध कार्यो के स्थल का निरीक्षण कर कार्रवाई किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

(I) थाना पटमदा अन्तर्गत ग्राम धुसरा में कशर स्थल का निरीक्षण किया गया, पाया कि यह कशर पहले से ही ध्वस्त एवं बन्द है। कशर के मशीन, उपकरण वगैरह के उपयोग के लिए बना हुआ कमरा में ताला लगा हुआ है, जिसे सील कर दिया गया। यह यूनिट (कशर) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची में शामिल है। वहाँ उपस्थित लोगों ने बतलाया कि यह कशर श्री शिव कुमार मिश्रा का है।

(ii) पुनः ग्राम धुसरा में ही दुसरे कशर स्थल का निरीक्षण किया गया। पाया कि यह कशर पहले से ही ध्वस्त एवं बन्द है। कशर के मशीन, उपकरण वगैरह के उपयोग के लिए बना हुआ कमरा में ताला लगा हुआ है, जिसे सील किया गया। वहाँ उपस्थित लोगों ने बताया कि यह कशर श्री राम प्रवेश प्रसाद का है।

(iii) पुनः ग्राम धुसरा में ही अन्य कशर स्थल का निरीक्षण किया गया, पाया कि यह कशर बन्द है बेल्ट(फीता) एवं मशीन नहीं है। कशर के मशीन, उपकरण वगैरह के उपयोग के लिए बना हुआ कमरा में ताला लगा हुआ है, जिसे सील कर दिया गया। वहाँ उपस्थित लोगों ने बतलाया कि यह कशर बैजू रिति का है।

(iv) थाना–पटमदा अन्तर्गत ग्राम–कुँन्दुकोचा में कशर स्थल का निरीक्षण किया गया। पाया कि यह कशर बन्द है। मशीन में फीता लगा हुआ नहीं है। कशर के मशीन, उपकरण वगैरह के उपयोग के लिए बना हुआ कमरा में ताला लगा हुआ है, जिसे सील कर दिया गया। यह यूनिट (कशर) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए सूची में शामिल है। वहाँ उपस्थित लोगों ने बतलाया कि यह कशर श्री अशोक कुमार सिंह का है।

Scanned with CamScanner

(12)

V. पुनः ग्राम कुंन्दुकोचा में ही एक खदान स्थल का निरीक्षण किया। यह खदान बन्द पाया गया। वहाँ उपस्थित लोगों ने बतलाया कि यह खदान श्री विनोद कुमार पंडित का है। इनक कब्जा नहीं है। यह यूनिट(खदान) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची में शामिल है।

आज दिनांक 08/08/2016 को यह स्थल निरीक्षण एवं कार्रवाई प्रतिवेदन आयुक्त,सिंहभूम(कोल्हान)प्रमण्डल, चाईबासा एवं उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को भेजा जाय।

8.8.16
वन क्षेत्र पदाधिकारी,
दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी,
जमशेदपुर।

8.8.16
क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड
राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड,
जमशेदपुर के प्रतिनिधि।

8/8/16
खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम,
जमशेदपुर के प्रतिनिधि।

8/8/16
कारखाना निरीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

8/8/16
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र,
चाईबासा, जमशेदपुर।

8/8/16
पुलिस उपाधीक्षक,
पटमदा।

8/8/16
अपर जिला दण्डाधिकारी,
विधि व्यवस्था, पूर्वी सिंहभूम,
जमशेदपुर।

Scanned with CamScanner

दिनांक–12/08/2016 को दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के ईको सेन्सिटिव जोन में अवस्थित प्रतिषिद्ध कार्यों को बन्द करने हेतु पूर्वी सिंहभूम जिला स्तरीय गठित टास्क फोर्स की स्थल निरीक्षण कर कार्रवाई प्रतिवेदनः–

अध्यक्ष, निगरानी समिति, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, ईको सेन्सिटिव क्षेत्र, जगशेदपुर–सह–आयुक्त, सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा के ज्ञापांक–693(8) दिनांक 20/07/2016 एवं उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विधि व्यवस्था एवं खनन् टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक–785/वि0व्य0, दिनांक 22/07/2016 में दिये गये निदेशों के आलोक में आज दिनांक 12/08/2016 को पूर्वी सिंहभूम जिला स्तरीय गठित टास्क फोर्स द्वारा अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, पूर्वी सिंहभूम, जगशेदपुर के नेतृत्व में थाना–पटमदा अन्तर्गत दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के ईको सेन्सिटिव जोन में प्रतिषिद्ध कार्यों यथा कंशर एवं खनन स्थल का निरीक्षण कर कार्रवाई किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

1) थाना पटमदा अन्तर्गत ग्राम वामनी में कशर स्थल का निरीक्षण किया गया, पाया कि यह कशर पहले से ही ध्वस्त है और बन्द है। कशर के मशीन, उपकरण वगैरह के उपयोग के लिए बना हुआ कमरा में ताला लगा हुआ है, जिसे सील कर दिया गया। बगल में स्थित खदान बंद पाया गया। यह यूनिट (कशर) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची में शामिल है। वहाँ उपस्थित लोगों ने बतलाया कि यह कशर श्री संतोष कुमार सिंह का है।

2) थाना पटमदा अन्तर्गत वामनी में कशर स्थल का निरीक्षण किया गया, पाया कि यह कशर पहले से ही ध्वस्त है और बन्द है। कशर के मशीन, उपकरण तथा विद्युत संचालित बोर्ड वाले कमरा में ताला लगा हुआ है, जिसे सील कर दिया गया। बगल में स्थित खदान बंद पाया गया। यह यूनिट (कशर) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची में शामिल है। वहाँ उपस्थित लोगों ने बतलाया कि यह कशर श्री प्रभात कुमार चुड़ीवाला का है।

3) थाना पटमदा अन्तर्गत ग्राम वामनी में कशर स्थल का निरीक्षण किया गया, पाया कि यह कशर पहले से ही ध्वस्त है और बन्द है। कशर के मशीन, उपकरण वगैरह के उपयोग के लिए बना हुआ कमरा में ताला लगा हुआ है, जिसे सील कर दिया गया। बगल में स्थित खदान बंद पाया गया। यह यूनिट (कशर) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची में शामिल है। वहाँ उपस्थित लोगों ने बतलाया कि यह कशर शोहेल अहमद का है।

4) थाना पटमदा अन्तर्गत ग्राम वामनी में स्थित खदान बंद पाया गया। यह यूनिट (कशर) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची में शामिल है। वहाँ उपस्थित लोगों ने बतलाया कि यह कशर श्री नरेन्द्र सिंह का है।

5) थाना पटमदा अन्तर्गत ग्राम वामनी में कशर स्थल का निरीक्षण किया गया, पाया कि यह कशर पहले से ही ध्वस्त है और बन्द है। कशर के मशीन, उपकरण वगैरह के उपयोग के लिए बना हुआ कमरा में ताला लगा हुआ है, जिसे सील कर दिया गया। बगल में स्थित खदान बंद पाया गया जिसमे पानी जमा है। वहाँ उपस्थित लोगों ने बतलाया कि यह कशर श्री अजित मिश्रा का है।

Scanned with CamScanner

(165)

6) थाना पटमदा अन्तर्गत ग्राम वामनी में कशर स्थल का निरीक्षण किया गया, पाया कि यह कशर पहले से ही ध्वस्त है और बन्द है। कशर के मशीन, उपकरण वगैरह के उपयोग के लिए बना हुआ कमरा में ताला लगा हुआ है, जिसे सील कर दिया गया। बगल में स्थित खदान बंद पाया तथा पानी जमा है। वहाँ उपस्थित लोगों ने बतलाया कि यह कशर श्री मनोज कुमार सिन्हा का है।

7) थाना पटमदा अन्तर्गत ग्राम वामनी में कशर स्थल का निरीक्षण किया गया, पाया कि यह कशर पहले से ही ध्वस्त है और बन्द है। कशर के मशीन, उपकरण वगैरह नहीं पाया गया। बगल में स्थित खदान बंद पाया तथा उसमें पानी जमा है। वहाँ उपस्थित लोगों ने बतलाया कि यह कशर श्री मलिन्द्र सिंह का है।

8) थाना पटमदा अन्तर्गत ग्राम धुरसा में कशर स्थल का निरीक्षण किया गया, पाया कि यह कशर पहले से ही ध्वस्त है और बन्द है। कशर के मशीन, उपकरण वगैरह के उपयोग के लिए बना हुआ कमरा में ताला लगा हुआ है, जिसे सील कर दिया गया। बगल में स्थित खदान बंद पाया तथा उसमें पानी जमा है। यह यूनिट (कशर) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची में शामिल है। वहाँ उपस्थित लोगों ने बतलाया कि यह कशर श्री राजेश कुमार का है।

9) थाना प्रभारी पटमदा ने बतलाया कि ये ग्राम सुशका भ्रमण कर छानबिन किया गया है। वहाँ कोई खदान एवं कशर संचालित नही है। जबकि यह यूनिट (कशर) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची में शामिल किया गया है।

आज दिनांक 12/08/2016 का यह स्थल निरीक्षण एवं कार्रवाई प्रतिवेदन आयुक्त, सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा एवं उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को भेजा जाय।

12.8.16
वन क्षेत्र पदाधिकारी,
दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी,
जमशेदपुर।

12.8.16
क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड
राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड,
जमशेदपुर के प्रतिनिधि।

12/8/16
खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम,
जमशेदपुर के प्रतिनिधि।

12.08.16
थाना प्रभारी,
पटमदा।

12/8/16
अपर जिला दण्डाधिकारी,
विधि व्यवस्था, पूर्वी सिंहभूम,
जमशेदपुर।

Scanned with CamScanner

अनु0-15

दिनांक– 07.07.2020 को अपराह्न 01:00 बजे प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम(कोल्हान)प्रमंडल,चाईबासा –सह– अध्यक्ष, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के इको सेन्सिटिव जोन, निगरानी समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति–

1. प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा – अध्यक्ष।
2. उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर – संयोजक सदस्य।
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, – विशेष आमंत्रित सदस्य।
4. कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, जमशेदपुर – सदस्य।
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा, – सदस्य।
6. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, सरायकेला–खरसावाँ – सदस्य।
7. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, पूर्वी सिंहभूम – सदस्य।
8. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर– सदस्य।
9. अंचल अधिकारी, चाण्डिल – विशेष आमंत्रित सदस्य।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. सर्वप्रथम दिनांक– 03.08.2018 को सम्पन्न इको सेन्सिटिव जोन निगरानी समिति की बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन के संबंध में पृच्छा की गयी।

- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा द्वारा बताया गया कि पत्रांक– 625 दिनांक–14.08.2018के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है।

समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर अनुपालन हेतु उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया।

- जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के कोविड–19 से संक्रमित एवं बैठक में भाग नहीं लेने के कारण पूर्व के बैठक में दिये गये निदेश के संदर्भ में समीक्षा नहीं की जा सकी। इको सेन्सिटिव ज़ोन में चल रहे प्रतिषिद्ध कार्यों को बंद करने हेतु निदेशित किया गया। विस्तृत प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसावाँ से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया, जिसकी समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी।

2. दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के इको सेन्सिटिव जोन का जोनल मास्टर प्लॉन निर्माण हेतु विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाना है इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर यथाशीघ्र जोनल मास्टर प्लॉन तैयार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

3. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर W.P. (PIL) No-4865/2019 के आलोक में इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत होटल एवं रिसोर्ट की स्थापना की विनियमितिकरण के मामले में चर्चा की गयी । अंचल अधिकारी, चाण्डिल द्वारा बताया गया कि मौजा–बड़ातारा, थाना नं०–255, खाता नं०–144, प्लॉट नं०–46, रकबा– 1 एकड़ की बंदोबस्ती वाद संख्या– 132/1970–71 द्वारा रामु मांझी, पिता– डोमन मांझी, ग्राम– बड़ातारा के नाम पर की गयी थी। उक्त भूमि पर गीरधारी नामक होटल का संचालन किया जा रहा है। अंचल अधिकारी, चाण्डिल द्वारा बताया गया कि बंदोबस्त नियम का उल्लंघन करने कारण CNT Act की धारा 63 (बी) के तहत बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। चर्चा में यह भी बात सामने आयी कि गीरधारी होटल के अलावा मनोज होटल (स्वामी–मनोज महतो, पिता– भजोहरि महतो) भी होटल संचालन का मानदण्ड को पुरा नहीं करते हैं। उक्त दोनो होटल इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत आता है तथा वन्य प्राणी आश्रयणी भूमि से लगभग 10 से 25 मीटर की दूरी [illegible] को विनियमितिकरण करने हेतु किसी प्रकार का

Scanned with CamScanner

आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो होटल की जाँच उनके द्वारा किया गया है एवं प्रदूषण मानको के तहत उनके स्तर से कोई भी अनापत्ति प्राप्त करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

उपरोक्त उल्लेखित दोनो होटल जगल से काफी (लगभग 10 से 25 मीटर) सटे हुए रहने के कारण इसके संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया। साथ ही ईको सेन्सिटिव जोन में चल रहे अन्य होटल, रिसोर्ट एवं अन्य प्रदूषणकारी ईकाईयों के जाँच एवं सूचीबद्ध करने हेतु एक निम्न पदाधिकारियों के साथ एक समिति का गठन किया जाता है जो निम्न प्रकार है :--

(क) संबंधित प्रक्षेत्र के वन क्षेत्र पदाधिकारी
(ख) क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रक, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर।
(ग) कार्यपालक पदाधिकारी, अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो।
(घ) अंचल अधिकारी, जमशेदपुर, मानगो, बोड़ाम एवं चाण्डिल।

उक्त समिति संयुक्त प्रतिवेदन यथाशीघ्र संयोजक दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के ईको सेंसिटिव जोन निगरानी समिति-सह-उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर को समर्पित करेंगे। प्रतिवेदन की एक प्रति आयुक्त कोल्हान प्रमण्डल को भी देंगे। अगली बैठक में प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित ईकाईयों पर विस्तृत विमर्शोपरान्त समुचित निर्णय लिया गया।

4. ईको सेन्सिटिव जोन में ठोस अपशिष्ट (यथा Fly Ash) निष्पादन के मामले भी चर्चा की गयी एवं निर्णय लिया गया कि ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना की कंडिका-14/A के अनुसार ईको सेन्सिटिव जोन में ठोस अपशिष्ट का व्यगन (Dump) नहीं किया जायेगा। इस संबंध में जमशेदपुर एवं सरायकेला जिला में अवस्थित ठोस अपशिष्ट विशेष रूप से Fly Ash उत्पादक कारखानों को दलमा ईको सेन्सिटिव जोन अन्तर्गत अवस्थित Fly Ash Bricks उत्पादक ईकाईयों को Fly Ash आपूर्ति नहीं करने एवं Fly Ash का निष्पादन ईको सेन्सिटिव जोन में नहीं करने हेतु निर्देश देने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, पूर्वी सिंहभूम	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, सरायकेला-खरसावाँ	महाप्रबंधक (मिलों) उद्योग केन्द्र, आदित्यपुर	कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, जमशेदपुर	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल	अंचल अधिकारी, चाण्डिल

07/07/2020
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, संयोजक निगरानी समिति दलमा ईको सेन्सिटिव जोन

07/07/2020
प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा-सह-अध्यक्ष निगरानी समिति दलमा ईको सेन्सिटिव जोन

Scanned with CamScanner

3130-16

Annex-3130-10

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : 459 दिनांक : 8-5-2023

प्रेषक,

क्षेत्रीय पदाधिकारी
जमशेदपुर।

कार्यालयः उप वन संरक्षण एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना
पत्रांक...829.....
दिनांक 09.05.2023....
जमशेदपुर

सेवा में,

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
गज परियोजना,
वन भवन, सी0एच0एरिया, पो0–सोनारी,
जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

09/05/23 Ghosh

09/5

विषय :– दिनांक–21.06.2022 को प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा की अध्यक्षता में दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी इको सेन्सेटीव जोन की निगरानी समिति की बैठक में दिए गए निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।

प्रसंग :– प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय का पत्रांक–1317 दिनांक–11.11.2022 एवं पत्रांक–1019, जमशेदपुर, दिनांक–18.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक–21.06.2022 को सम्पन्न दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी इको सेन्सेटीव जोन की निगरानी समिति की बैठक में दिए गये निर्देश का अनुपालन प्रतिवेदन अनु0–I पर संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–यथो0।

विश्वासभाजन
08.05.2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
जमशेदपुर।

June,Hindi,22/Page 362

Scanned with CamScanner

दिनांक–21.06.2022 को सम्पन्न इको सेन्सेटीव जोन की निगरानी समिति की कार्यवाही का पर्षद से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन :–

3. बड़ालखा में स्थापित क्रशर वर्षों से बंद है एवं जर्जर हालत में है। क्रशर चलने लायक नहीं है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्लांट को बंद कराने का प्रावधान है।

4. दलमा इको सेंसटीव जोन में संचालित मेसर्स RSPL (घड़ी डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली कम्पनी) भिलाई पहाड़ी, मानगो बंद हो गयी है। मेसर्स यमुना ऑटो को आवश्यक जांचोपरांत पर्षद द्वारा संचालन सहमति प्रदान किया है। मेसर्स एस0आर0जी0 आयरन एण्ड स्टील प्रा0 लि0, गेरूआ, पो0–पटामदा, जिला–पूर्वी सिंहभूम को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक–463 दिनांक–09.06.2022 द्वारा इकाई को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच इकाई से संचालन सहमति हेतु पर्षद में आवेदन उपलब्ध कराया गया है। दिनांक–17.06.2022 को इकाई का स्थल निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि इकाई का अन्य सेक्शन सहित रॉलिंग सेक्शन बंद है। इकाई का संचालन सहमति आवेदन पर्षद पत्रांक–1886 दिनांक–13.09.2022 द्वारा रदद् कर दिया है। इकाई ने अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–14.11.2022 द्वारा सूचित किया है कि पर्षद के निर्देशानुसार इकाई को बंद कर दिया गया है। छायाप्रति संलग्न।

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना जमशेदपुर के पत्रांक–461 दिनांक–20.04.2022 एवं इको सेन्सेटिव जोन से संबंधित अधिसूचना संख्या–680(अ0) दिनांक–29.03.2012 के पृष्ठ संख्या–25 पर दिए गए अनुसूची–3 में अंकित तालिका के क्रमांक 5 में होटल, रिसोर्ट से संबंधित मामले को विनियमित (Regulated) श्रेणी में रखा गया है।

पर्षद द्वारा 20 कमरे तक वाले होटल को हरी श्रेणी में, 20 कमरे से अधिक परन्तु 100 कमरे से कम या तीन स्टार होटल से कम स्टार वाले होटल को औरेंज श्रेणी एवं वैसे होटल जहाँ का Waste water Generation 100 कि0ली0 या उससे अधिक है को लाल श्रेणी में रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पर्षद पत्रांक–बी–966 दिनांक–18.10.2017 द्वारा होटल की स्थापना हेतु दुरी गाईडलाईन्स को शिथिल कर दिया गया है। रेस्टोरेन्ट जिनमें बैठने की क्षमता कम से कम 36 है एवं होटल को बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र स्थापित करना आवश्यक है। पर्षद द्वारा दलमा इको सेन्सेटिव जोन में स्थापित/संचालित होटल, रेस्टोरेन्ट, मोटल आदि को स्थापना सहमति/संचालन सहमति हेतु निर्देशित किया जा चुका है। इसके आलोक में इको सेन्सेटिव जोन में निम्न होटल/रेस्टोरेन्ट/मोटल को पर्षद द्वारा संचालन सहमति प्रदान कर Regulate किया जा चुका है :–

1. मेसर्स गिरधारी ढाबा, बड़ालखा, चाण्डिल, सरायकेला–खरसावाँ।
2. मेसर्स रिभर व्यू होटल, रूदीया, चाण्डिल, सरायकेला–खरसावाँ।
3. मेसर्स लेक व्यू होटल, डिमना लेक के पास, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम।
4. मेसर्स मनजीत होटल, कांदरबेड़ा, सरायकेला–खरसावाँ।
5. मेसर्स जगजीत होटल, कांदरबेड़ा, सरायकेला–खरसावाँ।
6. मेसर्स दलमांचल एन0एच0–33, मानगो, जमशेदपुर।
7. मेसर्स 10th माईल स्टोन, आसनबनी, एन0एच0–33, सरायकेला–खरसावाँ।
8. मेसर्स पंजाब होटल, आसनबनी, सरायकेला–खरसावाँ।

Scanned with CamScanner

मेसर्स मोटल हाईवे, कांदरबेड़ा, सरायकेला–खरसावाँ।
मेसर्स होटल सोहराई गार्डेन, चाण्डिल ब्रीज के पास, सरायकेला–खरसावाँ।

पर्षद द्वारा अन्य निम्न होटल की पहचान की गई है एवं उन्हें स्थापना/संचालन सहमति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. मेसर्स न्यू सुमन होटल, डिमना चौक, मानगो, जमशेदपुर।
2. मेसर्स सिल्वर सेन्ड रिसोर्ट, चाण्डिल, कान्दरबेड़ा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ।
3. मेसर्स दिग्विजय होटल, चाण्डिल, आसनबनी, जिला–सरायकेला–खरसावाँ।
4. मेसर्स आकाश होटल, आसनबनी, जिला–सरायकेला–खरसावाँ।
5. मेसर्स कृष्णा होटल, नियर डिमना चौक, मानगो, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम।
6. मेसर्स कुबेर ढाबा, फ्लैट नं0–ब–40, कदमा वर्कर्स फ्लैट, भाटिया बस्ती, जमशेदपुर।
7. मेसर्स होटल माउन्ट व्यू, चाण्डिल, कान्दरबेड़ा, सरायकेला–खरसावाँ।
8. मेसर्स गोल्डेन लिफ रिसोर्ट, काली मंदिर, पारडीह रोड, आशियानावुड लैंड के पास, एन0एच0–33, मानगो, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम।
9. मेसर्स हिल व्यू होलीडे रिसोर्ट, आसनबनी, सरायकेला–खरसावाँ।

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यह लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इको सेन्सेटिव जोन में होटल/रिसोर्ट/मोटल/रेस्टोरेन्ट को Regulate किया जा सके। साथ ही पर्षद द्वारा निम्न हरी श्रेणी/कम प्रदूषण कारी उद्योगों को संचालन सहमति प्रदान किया गया है :–

1. मेसर्स सितारा कंडक्टर, भिलाई पहाड़ी, पूर्वी सिंहभूम।
2. मेसर्स N.P.L. Blue Sky Automotive Pvt. Ltd, Bhilaipahari, East Singhbhum
3. मेसर्स धर्म भगवती, पलासबनी, पूर्वी सिंहभूम।
4. मेसर्स मिथिला मोटर्स प्रा0 लि0, मुखियाडांगा, एन0एच0–33, देवघर, पूर्वी सिंहभूम।
5. मेसर्स इन्फ्रा ब्लू प्रा0 लि0, मौजा–आसनबनी, सरायकेला–खरसावाँ।

पर्षद द्वारा दिनांक–15.10.2022 को निरीक्षण के क्रम में तीन स्लैग स्क्रीनिंग इकाई कार्यरत पाए गए थे जिन्हे पर्षद द्वारा बंदी आदेश निर्गत किया गया है। छायाप्रति संलग्न।

5. जलपान एग्रो फुड, हरी श्रेणी की इकाई है एवं प्रदूषणकारी नहीं है। पर्षद द्वारा इकाई को स्थापना/संचालन सहमति प्रदान किया गया है। छायाप्रति संलग्न।

7. मेसर्स STP Ltd, अलकतरा फैक्ट्री द्वारा पर्षद से निर्गत बंदी आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है जिसका मॉनिटॉरिंग पर्षद मुख्यालय राँची द्वारा किया जा रहा है। अंतिम सुनवाई 11.04.2023 को सम्पन्न हुई है। छायाप्रति संलग्न।

11. पर्षद द्वारा इको सेन्सेटीव जोन में किसी भी प्रकार का प्रदूषणकारी इकाईयों को निषिद्ध किए जाने संबंधी नोटिस पर्षद मुख्यालय, राँची द्वारा सभी मुख्य समाचार पत्रों में दिनांक–17.09.2022 को प्रकाशित कराये जाने की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। छायाप्रति संलग्न।

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा मेसर्स टाटा स्टील लॉंग प्रोडक्ट, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ। मेसर्स टाटा स्टील लि0, मेन प्लांट, जमशेदपुर। मेसर्स टाटा पावर लि0, जोजोबेड़ा, जमशेदपुर। मेसर्स आधुनिक पावर एण्ड नेचुरल रिर्सोसेस, पदमपुर, कान्द्रा, सरायकेला–खरसावाँ को इको सेन्सेटिव जोन में स्लैग/फ्लाई ऐश अपूर्ति नहीं करने का निर्देश दिया गया है। छायाप्रति संलग्न।

Scanned with CamScanner

पर्षद द्वारा मुखियाडंगा, थाना–एम0जी0एम0 कॉलेज में 3 जगहों पर स्लैग स्क्रीनिंग कार्य मजदुरों से होता हुआ पाया गया। वहाँ पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित नहीं थे। पुछताछ के आधार पर तीन मालिक को कार्य बंद करने का निर्देश दिया गया। पर्षद द्वारा भेजा गया पत्र वापस लौट गया है। झारखण्ड बिजली विघुत वितरण निगम लि0 को विघुत विच्छेदन हेतु पत्र की प्रतिलिपि दिया गया है। छायाप्रति संलग्न।

08.05.2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
जमशेदपुर।

Scanned with CamScanner

3130-9 3130-17

कार्यालय–उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सीएसएम एरिया,(नॉर्थ-वेस्ट) पारसी आवासगाछ एवं साईं मंदिर के पास,
पो–तोलारी, जमशेदपुर 831011
e-mail-dfo-dirpe@gov.in , dcffdisr@gmail.com ; ☎-0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक 964 दिनांक 09.07.2022

E-mail

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर।

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र, घाण्डिल।

विषय : दिनांक 21.06.2022 को सम्पन्न निगरानी समिति के बैठक के कार्यवाही के बिंदु 1 में वर्णित निदेशों के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग : दिनांक 21.06.2022 को सम्पन्न निगरानी समिति के बैठक के कार्यवाही के संबंध में आयुक्त के सचिव का ज्ञापांक 769 दिनांक 04.07.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक पत्र के संबंध में आपको निदेशित किया जाता है कि दिनांक 21.06.2022 को सम्पन्न निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से बैठक की कार्यवाही के बिंदु 1 के अनुपालन हेतु प्राप्त निदेशों के क्रम में आप ESZ में प्रतिबंधित कार्यों की सूचना अंकित कर ESZ की सीमा में तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में आश्रयणी की अधिसूचना की "दलमा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास ईको सेन्सिटिव क्षेत्र में प्रतिषिद्ध, विनियमित अथवा अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलाप" के शीर्षक के अन्तर्गत पृष्ठ संख्या 12 एवं 13 में ESZ में प्रतिबंधित (प्रतिषिद्ध) कार्यकलापों की सूची अंकित है। (छायाप्रति संलग्न) साथ ही उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजें ताकि निगरानी समिति को उक्त की सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकोक्त

आपका विश्वासी

09/7

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

H:\Mountain\Court Section\ESZ Meeting 21.06.2022 Range.doc

Scanned with CamScanner

दिनांक 21.06.2022 को प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा की अध्यक्षता में दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की बैठक एवं जोनल मास्टर प्लॉन बनाने हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :-

1)	प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा	– अध्यक्ष
2)	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	– संयोजक सदस्य
3)	उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	– आमंत्रित सदस्य
4)	अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर	– सदस्य
5)	अपर उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ	– सदस्य
6)	कार्यपालक पदाधिकारी, नागपो नगर निगम	– आमंत्रित सदस्य
7)	कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	– आमंत्रित सदस्य
8)	जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	– सदस्य
9)	जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ	– सदस्य
10)	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमशेदपुर	– आमंत्रित सदस्य
11)	क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर	– सदस्य
12)	जिला बागवानी पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	– आमंत्रित सदस्य
13)	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	– आमंत्रित सदस्य
14)	अंचल अधिकारी, बोड़ाम	– आमंत्रित सदस्य
15)	कारखाना निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम	– आमंत्रित सदस्य
16)	कारखाना निरीक्षक, सरायकेला–खरसावाँ	– आमंत्रित सदस्य
17)	वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी परियोजना प्रक्षेत्र, घाटशिला	– आमंत्रित सदस्य

उपस्थित पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. सर्वप्रथम दिनांक 20.12.2021 को सम्पन्न निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही की अनुपालन के संबंध में पृच्छा की गई। इको सेन्सेटिव जोन की सीमा पर वन विभाग की ओर से इको सेन्सेटिव जोन एवं प्रतिबंधित कार्यों की सूचना अंकित कर बोर्ड लगवाए जाने हेतु उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर को निर्देशित किया गया।

(अनुपालन– उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर)

2. इको सेन्सेटिव जोन में अवैध तरीके से खरीद बिक्री कर Gyan Ganga Public School के नाम पर 3 मंजिला पक्की ईमारत के निर्माण किये जाने के मामले में अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर द्वारा बताया गया कि Gyan Ganga Public School के संबंध में SAR Case दायर किया गया है। जिसका Case No. 6/2021-22 है। संबंधित न्यायालय द्वारा इसकी सुनवाई की जा रही है।

3. जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा बताया गया कि मौजा बड़ाबाखा में एक क्रशर प्लांट स्थापित पाया गया, जो वर्षों से बंद है एवं इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत है। उक्त प्लांट के स्वामी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहने के कारण कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है। अपर उपायुक्त, निगरानी समिति द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में दावा संबंधी सूचना प्रकाशित कर विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन– जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ / कारखाना निरीक्षक, सरायकेला–खरसावाँ, क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर)

4. अपर उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा दलमा इको सेन्सेटिव जोन में 10 वर्ष से 100 से अधिक अवैध फैक्ट्री, होटल रिसॉर्ट की सूची चिह्नित कर उपलब्ध करायी गई है क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए 10 दिनों के अंदर संयोजक के माध्यम से निगरानी समिति को प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर के पत्रांक: 277 दिनांक: 05.04.2022 द्वारा अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को होटल रिसॉर्ट को संबंध में सूची समर्पित किया गया है। उक्त सूची अपूर्ण रहने के कारण क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर को अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। तदनुसार होटल एवं रिसॉर्टों पर नियमानुसार कार्रवाई कर संयोजक के माध्यम से निगरानी समिति को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन– क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर)

बैठक में कुछ क्षेत्रों को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने के निमित्त निर्णय लेने हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त महोदय, सिंहभूम (जोहार) प्रमण्डल, चाईबासा की अध्यक्षता में एक समिति गठन करने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति में निम्न पदाधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया :–

1. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर 2. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला 3. वरीय पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर 4. पुलिस अधीक्षक, सरायकेला 5. उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर 6. अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसावाँ 7. अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि–व्यवस्था, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

इस निमित्त अलग से बैठक का आयोजन करने हेतु तिथि निर्धारण आदि हेतु समन्वय स्थापित करने हेतु उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर को निदेशित किया गया।

(अनुपालन– उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर) ✓

5. क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर द्वारा बताया गया कि जलपान एग्रो फूड (जलपान चनाचुर) का स्थलीय जाँच किया गया जिसमें पाया गया कि यह Green Category में आता है। जो ईको सेन्सिटिव जोन के अधिसूचना के आलोक में विनियमित श्रेणी अन्तर्गत है।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर को लिखित प्रतिवेदन संयोजक के माध्यम से समर्पित करने का निदेश दिया गया। संयोजक संलग्न सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन – उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर)

6. दिनांक 24.03.2022 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के इको सेंसिटिव जोन में अवैध रूप से मिट्टी कटाई एवं पहाड़ के खनन के संबंध में चर्चा की गई। विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि यह निजी जमीन पर निही खुदाई का मामला है। जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को निदेशित किया गया कि अविलम्ब स्थल निरीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें एवं फोटोग्राफ के साथ कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन संयोजक, निगरानी समिति के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करें।

(अनुपालन – जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसावाँ)

7. आश्रयणी के ईको सेन्सेटिव जोन में स्थापित मेसर्स STP Limited, अलकतरा फैक्ट्री तथा अवैध रूप से चल रहे अन्य प्रदूषणकारी ईकाईयों के द्वारा नियमों का उल्लंघन किये जाने के मामले में विस्तृत विचार विमर्श किया गया । प्रदूषणकारी ईकाईयों को रोकथाम के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा सूचित किया गया कि मेसर्स STP Limited, अलकतरा फैक्ट्री ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व से स्थापित है इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा "No coercive action का आदेश पारित किया गया है"। यह आदेश वर्ष 2012 में पारित किया गया है। क्षेत्रीय पदाधिकारी,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर को निदेश दिया गया कि मेसर्स STP Limited, अलकतरा फैक्ट्री) एवं प्रदूषणकारी ईकाईयार अद्यतन प्रतिवेदन एवं कृत कार्रवाई से संबंधित स्पष्ट एवं साक्ष्य सहित प्रतिवेदन निगरानी समिति को उचित माध्यम द्वारा एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।

(अनुपालन– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर, कारखाना निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसावाँ)

8. WP(PIL) No. 268 of 2022 Suresh Hansda Vs State of Jharkhand वाद में उल्लेखित मौजा–जरियाडीह, थाना नं– 272 वाद भूमि के संबंध में विचार विमर्श किया गया। कारखाना निरीक्षक, सरायकेला–खरसावाँ, अंचल नं० 02 द्वारा बताया गया कि मेसर्स Crystal Matfoam Private ltd को उपरोक्त थाना नं० 272 की भूमि का लीज बन्दोबस्ती की गई है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त कारखाना दलमा इको सेन्सिटिव जोन क्षेत्र में स्थापित नहीं है। अपर उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ को एक सप्ताह के अंदर संपूर्ण प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अपर उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ)

9. आश्रयणी की परिधि तथा इको सेन्सेटिव जोन में अधिष्ठापित विद्युत खंभों में लगे हुए विद्युत संचारण तारों का झुका हुआ होना (Sagged Electric wire) तथा टुटी हुई विद्युत तारों (Worn/broken electric wire) एवं नंगी विद्युत तारों (Uncovered/uninsulated electric wire) के कारण विद्युत स्पर्शाघात से जंगली हाथियों तथा वन्यप्राणियों के साथ बड़ी दुर्घटना घटित होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उपरोक्त के आलोक में आश्रयणी के इको सेन्सेटिव जोन क्षेत्र में Covered/insulated electric wire के प्रयोग एवं उपरोक्त अन्य विद्युत संचालन संबंधी खामियाँ जो वन्यप्राणियों के लिए हानिकारक हो सकती है उन्हें चिह्नित कर उनके प्रभावी निष्पादन हेतु उप वन संरक्षक को सक्षम प्राधिकार से पत्राचार करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन – उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर)

10. कारखाना निरीक्षक,पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि दलमा इको सेंसिटिव जोन में Fly ash ईंटा निर्माण का प्लान्ट स्थापित किया गया है। यह भी जानकारी दी गई कि प्लॉट के स्वामियों द्वारा लाईसेंस भी नहीं लिया गया है। इको सेंसिटिव जोन में चल रहे Fly ash ईंटा प्लान्ट को 24 घंटे के अंदर हटाने एवं कृत कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अधीक्षण अभियंता, विद्युत, जमशेदपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध रूप से चल रहे Fly ash ईंटा प्लान्ट को विद्युत आपूर्ति नहीं किया जाय। यदि पूर्व से उक्त प्लांट में विद्युत कनेक्शन है तो उन्हें विच्छेद करने की कार्रवाई की जाय। साथ ही साथ फ्लाई एश उत्पादन फैक्ट्री को अवैध रूप से चलाये जा रहे Fly ash ईंटा प्लान्ट को फ्लाई एश की आपूर्ति नहीं करने का निदेश दिया जाय।

(अनुपालन– कारखाना निरीक्षक, जमशेदपुर/सरायकेला–खरसावाँ, अधीक्षण अभियंता, विद्युत, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसावाँ)

11. ईको सेन्सिटिव जोन में किसी भी प्रकार का प्रदूषणकारी ईकाईयों को निषिद्ध किए जाने संबंधी नोटिस निर्गत करने का निदेश दिया गया साथ ही पाँच दिनों के अन्दर प्रदूषणकारी ईकाईयों के Infrastructure को बन्द/स्थानान्तरण कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी इस आशय की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित कर विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन – क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर, जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसावाँ)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

12. कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम द्वारा बताया गया कि इनके क्षेत्राधिन कोल से सटे भूमि का समतल करने में उन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में उनके द्वारा उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गम्हरिया परियोजना, जमशेदपुर को पत्राचार किया गया है। उक्त मांग संबंधित एवं क्षेत्र निदेशक, गम्हरिया परियोजना, जमशेदपुर को कार्यालय स्तर पर कार्यवाही हेतु निदेश दिया गया।

13. उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गम्हरिया परियोजना, जमशेदपुर द्वारा बताया गया कि सुवर्णरेखा आयोजना का प्रोजेक्ट मानव घटित का निर्माण हेतु गया, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार से संबंधित संयुक्त सचिव श्री दिनांक 21.03.2022 द्वारा XLRI, Jamshedpur को एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। उक्त द्वारा उक्त परियोजना की प्रति उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया कि संबंधी द्वारा चयनित परामर्श से निर्माण के विभिन्न भाग वाले खदानों को समाप्त उपरांत पुनर्वासित करने।

(अनुपालन – उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गम्हरिया परियोजना, जमशेदपुर)

समिति द्वारा पदाधिकारियों को दिए गए निदेश के अनुपालन हेतु समयबद्ध कार्यवाही करते एवं प्रतिवेदन संलग्न सहित आवश्यक, निगरानी समिति, झारखंड को सेन्क्शनिंग ऑफिस, सुवर्णरेखा आयोजना, जमशेदपुर–सह– सचिव, निगरानी समिति, झारखंड को सेन्क्शनिंग ऑफिस, सुवर्णरेखा आयोजना को उपलब्ध कराने हेतु उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गम्हरिया परियोजना, जमशेदपुर–सह– सचिव, निगरानी समिति, झारखंड को सेन्क्शनिंग ऑफिस, सुवर्णरेखा आयोजना को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रमण्डलीय आयुक्त,
सिंहभूम(कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा
–सह–अध्यक्ष, निगरानी समिति झारखंड
ईको सेन्सिटिव जोन
सुवर्णरेखा आयोजना।

ज्ञापांक– 769 दिनांक– 04.07.2022

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि– उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि– उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि– वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि– उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गम्ह परियोजना, जमशेदपुर–सह–संयोजक निगरानी समिति ईको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी अंचल/अपर उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ/अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा/जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/अधीक्षण अभियंता, विद्युत, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसावाँ/जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला खरसावां/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सरायकेला खरसावां/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमशेदपुर/क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर/जिला खनिज पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/City Manager, Mango Municipal Corporation/ अंचल अधिकारी, चाण्डिल, सरायकेला–खरसावाँ/ अंचल अधिकारी, मानगो, पूर्वी सिंहभूम/अंचल अधिकारी, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम/ वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी, पश्चिमी प्रक्षेत्र, चाण्डिल/जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/कारखाना निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05/07/22
769/दल

05/7

04/07/2022
आयुक्त के सचिव,
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा।

4/7/22

कार्यालय: उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गम्ह परियोजना
पत्रांक 1137
दिनांक 05/07/2022
जमशेदपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

313-12

कार्यालय–वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र, चाण्डिल
e-mail-dalmawestrfo@gmail.com

पत्रांक 635 दिनांक 15.12.2022

सेवा में,

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

विषय :– इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित कार्यों की सूचना अंकित कर बोर्ड लगाने के संबंध में।

प्रसंग:– आपके कार्यालय का पत्रांक 966 दिनांक 09.07.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित कार्यों की सूचना बोर्ड में अंकित कर उपयुक्त स्थानों पर बोर्ड लगा दिया गया है। जिसकी विवरणी निम्नवत है–

क्र०सं०	स्थल का नाम	जी०पी०एस० कोर्डिनेट	
1	आसनबनी (काली मंदिर के समीप)	N- 22°51'49.11"	E- 086°12'07.38"
2	शहरबेड़ा	N- 22°53'30.28"	E- 086°06'51.11"
3	पाटा	N- 22°55'49"	E- 086°04'04"

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक :– उपरोक्त स्थल का फोटो।

कार्यालयः उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना
पत्रांक 2315
दिनांक 15.12.2022
जमशेदपुर

आपका विश्वासी
15.12.2022
वन क्षेत्र पदाधिकारी
दलमा वन्य प्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र,
चाण्डिल।

Scanned with CamScanner

Asanbani (near Kalimandir)
GPS :-N- 22°51'49.11"E- 086°12'07.38"

Scanned with CamScanner

कार्यालय–वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर।
e-mail-rfodalmawl@gmail.com

पत्रांक:–749 दिनांक:–14.12.2022

कार्यालय: उप वन संरक्षण एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना
पत्रांक 2319
दिनांक 15.12.2022
जमशेदपुर

सेवा में,

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

विषय :– इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित कार्यों की सूचना अंकित कर बोर्ड लगाने के संबंध में।

प्रसंग:– आपके कार्यालय का पत्रांक 966 दिनांक 09.07.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित कार्यों की सूचना बोर्ड में अंकित कर उपयुक्त स्थानों पर बोर्ड लगा दिया गया है। जिसकी विवरणी निम्नवत: है–

क्र0सं0	स्थल का नाम	जी0पी0एस0 कोर्डिनेट	
1	पारडीह	N- 22°51'16.98"	E- 086°12'07.62"
2	बालीगुमा	N- 22°49'52.11"	E- 086°15'00.49"
3	भिलाईपहाड़ी	N- 22°49'29.41"	E- 086°16'49.25"
4	बड़ाबांकी	N- 22°47'31.50"	E- 086°19'24.21"
5	भादुडीह	N- 22°52'29.84"	E- 086°15'26.52"

अत: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक :– उपरोक्त स्थल का फोटो।

विश्वास भाजन
Ananda.
14.12.2022
वन क्षेत्र पदाधिकारी
दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र,
जमशेदपुर।

Scanned with CamScanner

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 2012/चैत्र 9, 1934
No. 596] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2012/CHAITRA 9, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2012

का.आ. 680(अ).—दलमा वन्यजीव अभयारण्य, जमशेदपुर झारखंड के सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिले में अक्षांश 22° 46'30 और 22° 57' एन. और देशांतर 86° 3'15" और 86° 26'30" ई. के मध्य स्थित है और इसका विस्तार क्षेत्र 193.5077 वर्ग किलोमीटर है ;

और एशियाई हाथी, दलमा वन्यजीव अभयारण्य में बेहद महत्वपूर्ण प्रजाति है, लेकिन इसके अलावा भी कई लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे कि टैटल, जंगली कुत्ता, चीतल हिरण, भारतीय विशाल गिलहरी, अजगर, छिपकली, नाग, ईगल, आदि भी इस अभयारण्य में पाए जाते हैं;

और इस अभयारण्य के जंगल बारिश के पानी को बाहर जाने से रोकते हैं, और जमीन के पानी को रिचार्ज करने में मदद करते हैं साथ ही मिट्टी कटाव को रोककर कीचड़ और सिल्ट के जमाव से नदियों और झरनों की रक्षा करते हैं । अभयारण्य के अंदर 159 जलधाराओं का संजाल है जो पूरे अभयारण्य में फैला हुआ है । इसमें से 82 सदाबहार या अर्द्ध सदाबहार है बाकी 77 जलधाराएं मौसमी प्रकृति की हैं, जो सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्णरेखा नहर और डिमना झील को पानी से भरती हैं;

और यह आवश्यक है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित और संरक्षित किया जाए ;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुच्छेद (XIV) अनुच्छेद (V) के साथ पठित और उप-धारा (1) के अधीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना संख्या 691(ई) दिनांक 5 अप्रैल, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण में, जैसा कि पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों की आपत्तियां और सुझाव राजपत्र में उपर्युक्त अधिसूचना को जनसाधारण के लिए उपलब्ध होने की तिथि से साठ दिवसों के भीतर मांगे गए थे;

और उपर्युक्त अधिसूचना की राजपत्र में छपी प्रतियां जनसाधारण को 5 अप्रैल, 2011 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (V) तथा खंड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य में दलमा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा, जैसा कि निम्नलिखित उपाबद्ध रूप में दर्शायी गयी सीमा के भीतर पांच किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेन्सिटिव जोन (जिसको इसमें इसके पश्चात् इको सेन्सिटिव जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है ।

Scanned with CamScanner

1. दलमा वन्यजीव अभयारण्य के इको-सेन्सिटिव जोन की सीमाएं. - (1) दलमा वन्यजीव अभयारण्य दलबम और सरायकेला के वनों, जो कि झारखंड का वन प्रभाग है और पश्चिम बंगाल के जमशेदपुर बस्ती और चान्दील के उप प्रभागीय शहर जो दलमा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से लगभग 0-5 किमी. पर है, तक फैला हुआ है।

(2) उपरोक्त झारखंड में इको सैन्टिव जोन 522.98 वर्ग किलोमीटर के निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करता है अर्थात् :

(i) अंत क्षेत्र स्थित गांव :

गांवों की कुल संख्या - 85
इको सेन्सिटिव जोन में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र :-

गैर वन क्षेत्र	-	200.28 वर्ग किलोमीटर
वन क्षेत्र	-	198.30 वर्ग किलोमीटर
कुल	=	398.58 वर्ग किलोमीटर;

(ii) संरक्षित क्षेत्रों की सीमा के बाहर स्थित गांव :

गांव की कुल संख्या - 51
इको सेन्सिटिव जोन में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र :-

गैर वन क्षेत्र	-	80.45 वर्ग किलोमीटर
वन क्षेत्र	-	43.95 वर्ग किलोमीटर
कुल	=	124.40 वर्ग किलोमीटर है;

(iii) विकास खंड :-

पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा, जमशेदपुर और गोलमुरी जमशेदपुर खंड और सरायकेला और खरसावां जिले के चांडिल और नीमडीह खंड

(iv) जिलावार क्षेत्र :

जिले का नाम	इको-सेन्सिटिव जोन का क्षेत्र
पूर्वी सिंहभूम	377.89 वर्ग किलोमीटर
सरायकेला-खारसावं	145.09 वर्ग किलोमीटर
कुल	522.98 वर्ग किलोमीटर

(3) इको सेन्सिटिव जोन का नक्शा, **उपाबद्ध 1** में और दलमा इको सेन्सिटिव जोन में आने वाले गांवों की सूची, **उपाबद्ध 2** के रूप में इस अधिसूचना से संलग्न

Scanned with CamScanner

2. **दलमा इको-सेन्सिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान.-** (1) दलमा इको सेन्सिटिव जोन का जोनल मास्टर प्लान, राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से तैयार किया जाएगा, जो कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), राज्य में तत्समय प्रवृत्त नगर एवं ग्राम योजना से संबंधित विधि में विनिर्दिष्ट किया गया है, प्रभागीय कार्य योजनाओं और निर्देश केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे जो कि इस अधिसूचना के जारी होने के बाद एक वर्ष के भीतर केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होंगे ।

(2) जोनल मास्टर प्लान को सभी संबंधित राज्यों विभागों जैसे पर्यावरण और वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका, राजस्व और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विभागों के परामर्श से पर्यावरण और पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करने की दृष्टि से तैयार किया जाएगा ।

(3) जोनल मास्टर प्लान, वृक्षहीन क्षेत्र को प्रत्यावर्तित करने, विद्यमान जल निकायों का संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मिट्टी और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदाय और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अन्य पहलुओं की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करेगा।

(4) जोनल मास्टर प्लान, सभी विद्यमान पूजा स्थानों, गांवों, बस्तियों, वनों के प्रकारों और वनों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्रों, उद्यान क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा निर्धारित करेगा।

(5) चाय बागानी, बागवानी क्षेत्रों, कृषि पार्कों आदि का हरित उपयोग से गैर हरित उपयोग में परिवर्तन नहीं किया जायेगा परन्तु इस अधिसूचना की तारीख को विद्यमान स्थानीय निवासियों और प्राकृतिक वृद्धि की आवासीय आश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उद्देश्य के साथ उसका उपयोग कृषि योग्य जमीन को स्थानीय आबादी को रहने के लिए दिया जा सकता है वो भी इस शर्त के साथ कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर कोई भी कंक्रीट का निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(6) इको-सेन्सिटिव जोन के लिए जोनलमास्टर प्लान की तैयारी और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका अनुमोदन विचाराधीन है। सभी नए क्रियाकलाप (संलग्नक 3 में विनिर्दिष्ट) केवल प्रस्तावों को पैरा 4 में निर्दिष्ट समिति द्वारा संवीक्षित और अनुमोदित किए जाने के पश्चात अनुज्ञात किया जाएगा।

(7) कृषि क्षेत्र, हरित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को पारिणामिक रूप से कम नहीं किया जाएगा और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों को वन क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(8) जोनल मास्टर प्लान, इको सेन्सिटिव जोन की मॉनीटरी समिति के लिए एक निर्देश दस्तावेज होगा जिसे वो किसी शिथिलीकरण का विचार करने सहित उनके द्वारा किए जाने वाले विनिश्चय के लिए उपयोग कर सकेंगे।

(9) केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार अन्य उपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगी यदि इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में आवश्यक समझा जाता है ।

3. **इको सेन्सिटिव जोन में प्रतिषिद्ध, विनियमित और अनुज्ञात क्रियाकलाप.-** इस पैरा के उपबंधों के अधीन रहते हुए इको सेन्सिटिव जोन में कार्यकलाप, इस अधिसूचना के उपाबद्ध 3 के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

Scanned with CamScanner

(1) **औद्योगिक इकाइयां :**

(क) इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर या उसके पश्चात्, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को, इको सेन्सिटिव जोन के भीतर स्थापित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) किसी भी गैर प्रदूषणकारी, गैर खतरनाक, छोटे पैमाने पर या सेवा उद्योग, कृषि, फूलों की खेती, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग स्वदेशी माल से जो कि इको-सेन्सिटिव जोन से हो और पर्यावरण पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नही डालते हो, और इस प्रकार के उद्योगों को इको-सेन्सिटिव जोन में अनुमति दी जा सकेगी ।

(ग) लकड़ी पर आधारित किसी भी नए उद्योग की स्थापना को इको सेन्सिटिव जोन की सीमाओं में अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(2) **उत्खनन और खनन:**

(क) इको सेन्सिटिव जोन में स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय किसी प्रकार के खनन कार्य को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) इको सेन्सिटिव जोन में किसी क्रशिंग क्रियाकलाप को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(3) **निर्माण क्रियाकलाप :**

दलमा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से तीन सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी प्रकार के नए निर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) **पेड़ :**

पेड़ वन भूमि के लिए राज्य सरकार तथा सरकारी, राजस्व और निजी भूमि के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को राज्य सरकार द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार पूर्व अनुमति के लिए देने का अधिकार है, वन, सरकारी, राजस्व अथवा निजी भूमि पर से पेड़ों की कटाई नहीं होगी ।

(5) **पर्यटन :**

पर्यटन गतिविधियों को पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जिसमें कि इको टुरिज्म, इको एजुकेशन और इको डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर हो, उसे राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया जाने वाला, जो जोनल मास्टर प्लान का भाग भी होगा ।

(6) **प्राकृतिक विरासत स्थल :**

(क) इको सेन्सिटिव जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत स्थलों की पहचान की जाएगी विशेष रूप से रॉक संरचनाएं, झरने, पूल, स्प्रिंग्स, घाटियों, पेड़ों, गुफाएं, स्थल, सैर, सवारी आदि और उनके संरक्षण के लिए योजना प्राकृतिक सेटिंग को जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ।

(ख) विरासत स्थलों के आसपास विकास या निर्माण क्रियाकलाप प्राकृतिक और मानव निर्मित विरासत, पर्यावरण और वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की साइटों के संरक्षण के लिए मॉडल विनियम के अनुसार विनियमित किया जाएगा । ये योजनाएं जोनल मास्टर प्लान और उप-जोनल मास्टर प्लान का हिस्सा हैं।

Scanned with CamScanner

(7) **मानव निर्मित विरासत स्थल :**

(क) इको-सेन्सिटिव जोन में भवन संरचनाएं, कलाकृतियां क्षेत्र और ऐतिहासिक, वास्तुकला, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व को पहचान कर उनके संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई जायेगी, विशिष्टतया उनके अंदरूनी विशेष रूप से अपने बाहरी जहां भी उचित वहां पर क्षेत्रीय और उप-जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ।

(ख) विरासत स्थलों पर या उसके आसपास विकास या निर्माण क्रियाकलापों का उप पैरा (6) के खंड (ख) में निर्दिष्ट, प्राकृतिक और मानव निर्मित विरासत स्थलों के लिए मॉडल विनियम के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

(8) **भूजल :**

(क) भूमि के अधिभोगी को, खेती और घरेलू उपयोग के लिए भू-जल को निकालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-जल निकालने के लिए राज्य भू-जल बोर्ड और निगरानी समिति से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी जिसके अंतर्गत ऐसी मात्रा भी है जो उसमें से निकाली जा सकती है ।

(ग) भू-जल की कोई बिक्री पैरा 4 के अधीन गठित निगरानी समिति के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं की जाएगी ।

(घ) अभयारण्य और वन क्षेत्रों से भिन्न इको सेन्सिटिव जोन के भीतर विद्यमान सुविधाओं से जल के संरक्षण और उसका वितरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

(ङ) जल के संदूषण या प्रदूषण को जिसके अंतर्गत गतिविधियों से संदूषण या प्रदूषण भी है, रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे ।

(9) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण :**

(क) जोनल मास्टर प्लान पहाड़ी ढलानों पर ऐसे क्षेत्रों को उपदर्शित करेगा, जिन पर किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) खड़ी पहाड़ी ढलानों या उच्च मात्रा में कटाव वाले विद्यमान ढलानों पर किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(10) **सड़क :**

इको सेन्सिटिव जोन में विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और मजबूत बनाना तथा नई सड़कों का निर्माण अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(11) **प्लास्टिक का उपयोग :**

कोई भी व्यक्ति इको सेन्सिटिव जोन में प्लास्टिक बैग उपयोग नहीं करेगा या प्लास्टिक की वस्तुओं का व्ययन नहीं प्रतिषिद् होगा ।

(12) **ध्वनि प्रदूषण :**

राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग या वन विभाग को इको सेन्सिटिव जोन में ध्वनि-नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश और विनियम बनाने और जारी करने का प्राधिकार होगा ।

Scanned with CamScanner

(13) बहिस्रावों का निस्तारण :

इको-सेंसिटिव जोन के भीतर किसी जल निकाय या भूमि में अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव का निस्तारण किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अवचारित अपशिष्ट जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुरूप होगा।

(14) ठोस अपशिष्ट :

(क) निष्कासन को इको- सेंसिटिव जोन में ठोस अपशिष्ट व्ययन नहीं किया जाएगा; परन्तु निगरानी समिति केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908 (अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000 द्वारा अधिसूचित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार ऐसे ठोस अपशिष्टों के व्ययन के लिए स्थल की पहचान करेगी।

(ख) (i) स्थानीय प्राधिकारी बाइओडिग्रेडबल और गैर बाइओडिग्रेडबल घटकों में ठोस अपशिष्टों के पृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) बाइओडिग्रेडबल सामग्री का अधिमानी रूप से कम्पोस्टिंग और वर्मी कल्चर के माध्यम से पुनःचक्रण किया जायेगा।

(iii) अकार्बनिक सामग्री को इको सेंसिटिव जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में व्ययनित किया जा सकेगा; और

(iv) इको सेंसिटिव जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाने या जलाए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(15) प्राकृतिक झरने:

सभी झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी तथा सूख चुके झरनों को उनके प्राकृतिक रूप में संरक्षण और पुनर्जीवित करने की योजना को जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा तथा राज्य सरकार इन क्षेत्रों पर या उनके आसपास क्रियाकलाप को प्रतिबद्ध करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेंगी ।

4. निगरानी समिति (1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के अनुपालन की निगरानी के लिए दलमा इको-सेंसिटिव जोन निगरानी समिति नामक एक समिति का गठन करती है;

(2) उप पैरा (1) में निर्दिष्ट निगरानी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी; अर्थात् :-

(क) आयुक्त, कोल्हान राजस्व प्रभाग अध्यक्ष;

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(ग) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 16) की धारा 3 की उप धारा के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(घ) वन और पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

Scanned with CamScanner

(ङ.) खनन विभाग, झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(च) उद्योग विभाग, झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(छ) राजस्व विभाग, झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(ज) सिंचाई विभाग, झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(झ) लोक निर्माण विभाग, झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(ञ) पर्यावरण के क्षेत्र जिसके अंतर्गत (विरासत संरक्षण भी है में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि) जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य;

(ट) क्षेत्रीय अधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रांची - सदस्य;

(ठ) सीनियर टाउन प्लानर, झारखंड सरकार - सदस्य;

(ड) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ, जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य

(ढ) प्रभागीय वन अधिकारी, बतमा वन्यजीव अभयारण्य का भारसाधक - संयोजक

(3) निगरानी समिति की शक्तियों और कृत्य और इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन और निगरानी तक निर्बन्धित होंगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनके भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533, तारीख 14 सितंबर, 2006 के उपबंधों के अधीन पूर्व अनुमति अपेक्षित है। निगरानी समिति उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन ऐसे मामलों को पूर्व अनापत्तियों के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट करेगी।

(5) निगरानी समिति संबंधित विभागों या संगठनों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को, मुद्दे-दर-मुद्दे आधारित अपेक्षाओं के आधार पर उनके विचार-विमर्शों पर निर्भर करते हुए सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) निगरानी समिति का अध्यक्ष या संयोजक किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक अपने क्रियाकलापों को बाबत की गई कार्रवाई संबंधी वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय, समय-समय पर निगरानी समिति को ऐसे निर्देश देगी, जो वह निगरानी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

Scanned with CamScanner

अनुबंध 1

(अनुच्छेद 1(3) देखें)

दलमा इको सेन्सिटिव का मैप

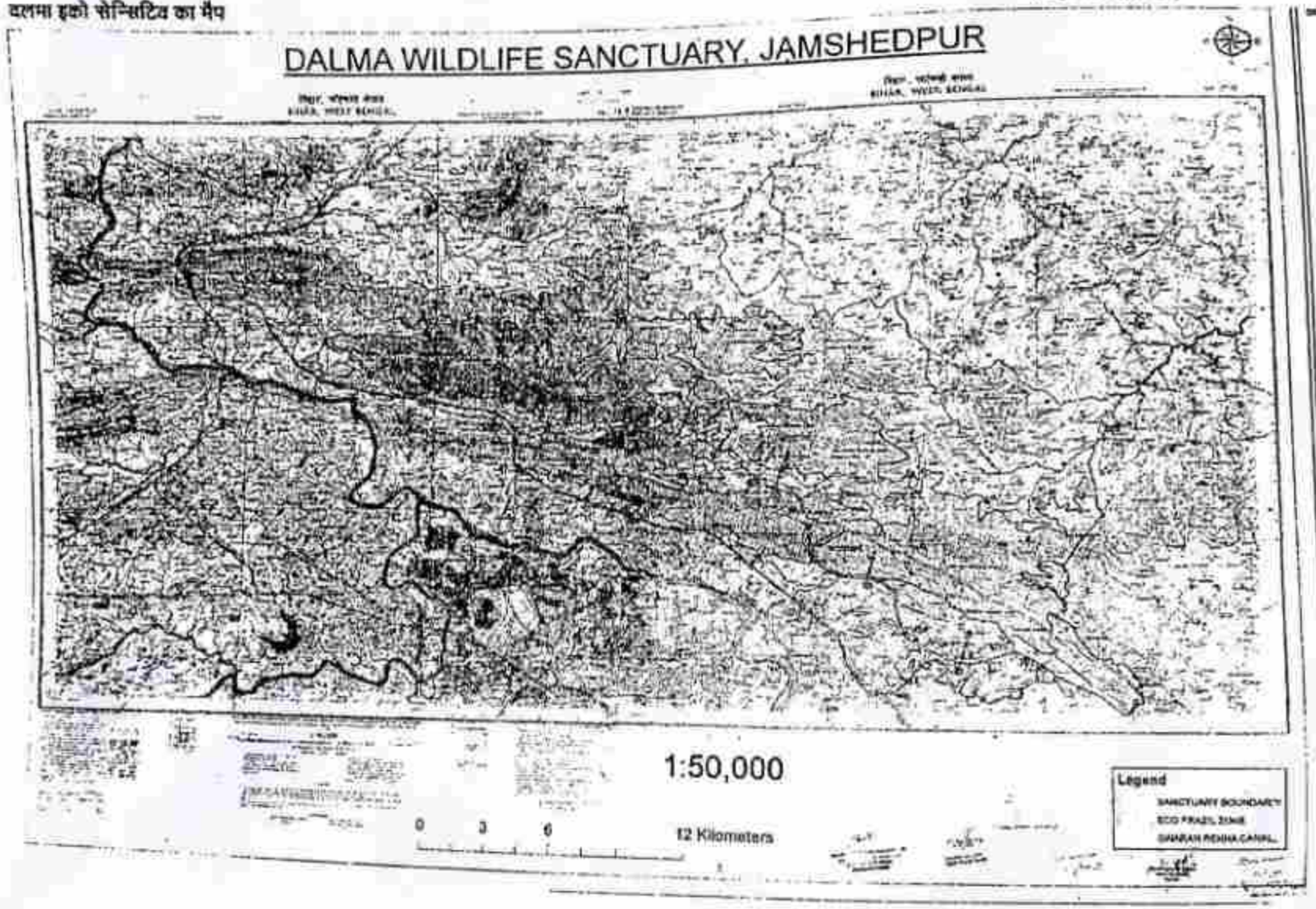

Scanned with CamScanner

उपाबद्ध 2

[अनुच्छेद 1(3)देखें]

दलमा इको सेन्सिटिव क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची

भाग I-अंतः क्षेत्र स्थित गांव

क्र.स.	गांव का नाम	प्रशासनिक ब्लॉक	थाना सं.	गांव का क्षेत्रफल (हे.में)	वन क्षेत्रफल (हे.में)	घरों की संख्या	जनसंख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	बोटा	पटमदा	119/14	1371.32	798.20	249	1266
2	कुटिमाधारी	पटमदा	120/15	180.62	65.13	40	232
3	भादुडीह	पटमदा	121/16	205.69	54.97	21	136
4	सातदोहा	पटमदा	122/17	196.29	87.12	19	118
5	अलुडबनी	पटमदा	123/18	320.68	232.37	108	504
6	पातोपानी	पटमदा	124/19	425.68	366.28	56	246
7	मिरजाडीह	पटमदा	137/20	577.70	315.80	205	991
8	गैरचा	पटमदा	138/21	484.31	350.29	129	561
9	हराजुर	पटमदा	139/22	159.91	76.23	24	115
10	पुनसा	पटमदा	140/23	302.71	136.45	116	604
11	नूतनडीह	पटमदा	141/24	808.44	437.87	215	1014
12	बुटाबुरु	पटमदा	142/25	644.31	394.32	104	527
13	अम्बाकारी	पटमदा	143/155	368.66	249.33	67	284
14	अंधो	पटमदा	144/154	859.59	428.66	219	1086
15	सारी	पटमदा	145/26	774.78	475.66	218	1114
16	लायताम	पटमदा	146/27	1057.63	550.97	273	1510
17	पाखा	पटमदा	164/45	349.92	170.23	174	883
18	कुमारी	पटमदा	166/47	266.56	152.72	132	596
19	चिमटी	पटमदा	167/48	338.55	226.97	104	459
20	बुरुकरु	पटमदा	400/156	248.52	120.91	86	440
21	पोराकोडा	पटमदा	401/157	617.99	331.19	113	565
22	जामडीह	पटमदा	402/158	615.45	509.22	130	706
23	झुमरा	पटमदा	405/162	1193.49	751.07	252	1219
24.	खोलोरी	पटमदा	524/10	914.55	766.36	98	450
25	बापरा	पटमदा	117/12	290.51	54.97	323	1204
26	कोयानी	पटमदा	118/13	947.56	664.74	443	2546
27	गोबरपत्ती	पटमदा	147/28	1042.51	683.92	291	1361
28	बांडकाकोडा	पटमदा	148/29	150.17	35.52	45	195
29	बामनी	पटमदा	149/30	534.80	166.70	213	1019
30	गांगीबुरु	पटमदा	154/35	225.02	10.15	130	690
31	बेलडीह	पटमदा	161/42	947.75	281.51	359	1865
32	बुरीडीह	पटमदा	162/32	73.00	65.14	2	22
33	पुसरा	पटमदा	163/44	430.83	181.90	186	920
34	रायता	पटमदा	165/46	222.16	82.14	81	430
35	अयारबेर	पटमदा	168/49	772.66	346.79	296	1701

1161 GI/2012—2

Scanned with CamScanner

36	हैंगडुंग	पटमदा	169/50	755.01	353.68	226	1222
37	धोबनी	पटमदा	170/51	572.70	325.06	129	801
38	तुंगबुरु	पटमदा	404/160	287.94	33.49	119	600
39	जोरिसा	पटमदा	406/161	450.57	175.44	118	515
40	डांगरडीह	पटमदा	523/09	247.76	72.63	143	685
41	काईरा	पटमदा	525/11	1170.59	723.11	203	1062
42	सोमाडीह	पटमदा	526/06	290.45	30.60	131	665
43	बाचकामकोचा	नीमडीह	254	199.85	93.85	81	426
44	तानकोचा	नीमडीह	274	341.00	212.77	78	393
45	उगडीह	नीमडीह	243	72.64	14.85	168	776
46	बनडुंगरी	नीमडीह	244	92.40	13.81	311	1426
47	तेंगाडीह	नीमडीह	275	878.16	386.38	252	1149
48	झरेडीह	नीमडीह	276	323.81	17.23	42	217
49	तेतला	नीमडीह	278	323.81	114.63	271	1024
50	लुपुंगडीह	नीमडीह	279	342.21	55.44	403	1877
51	पिटकी	नीमडीह	280	169.11	33.83	152	768
52	घेलेमा	नीमडीह	310	764.81	210.59	569	2686
53	बंधडीह	नीमडीह	312	863.78	586.08	31	159
54	दहुबेरा	नीमडीह	314	258.49	72.70	110	499
55	मकुलाकोचा	चांडिल	Ch268	344.35	238.28	70	347
56	कादमडीह	चांडिल	Ch247	72.30	14.25	101	544
57	शहरबेरा	चांडिल	Ch252	199.83	23.53	251	446
58	सिकली	चांडिल	Ch253	80.84	37.53	50	249
59	बरलखा	चांडिल	Ch255	179.75	30.79	73	391
60	पाटा	चांडिल	Ch256	350.65	129.88	242	1241
61	चिलगो	चांडिल	Ch265	216.99	56.94	341	1768
62	चकुलिया	चांडिल	Ch266	186.61	48.80	135	657
63	शरहारबेरा 2	चांडिल	Ch267	531.68	312.02	253	1253
64	तुलीन	चांडिल	Ch269	264.12	151.81	30	135
65	कटझोर	चांडिल	Ch270	446.85	153.03	275	1373
66	हम्बादा	चांडिल	Ch 271	423.83	213.39	143	701
67	हुमीद	चांडिल	Ch273	95.41	23.70	209	923
68	कादमझोर	चांडिल	Ch311	479.12	378.42	62	250
69	आसनबानी	चांडिल	Ch325	1532.27	780.09	275	1467
70	रामगढ़	चांडिल	Ch326	696.38	373.99	153	702
71	कांदरबेड़ा	चांडिल	Ch327	662.05	315.00	256	1223
72	शुक्लाहरा	गोलमुरी	Gh 1130	482.75	206.27	131	650
73	डालापानी	गोलमुरी	Gh 1133	477.79	284.24	68	378
74	झलतीपहारी	गोलमुरी	Ghll34	98.91	98.86	24	131
75	कुडलुंग	गोलमुरी	Gh 1136	321.15	142.04	105	569
76	बेको	गोलमुरी	Gh 1137	518.64	185.08	231	1070
77	कालाझोर	गोलमुरी	Ghll38	399.39	164.76	147	706
78	छोटोबंकी	गोलमुरी	Gh 1140	422.04	185.65	156	759

Scanned with CamScanner

80	पाताखनी	जमशेदपुर	Gh 1141	936.26	316.93	334	2006
81	भेलाईपहरी	जमशेदपुर	Ghil46	567.96	236.07	243	1287
82	देवघर	जमशेदपुर	Ghil47	506.21	181.86	271	1453
83	बातीगुमा	जमशेदपुर	Ghil50	216.36	140.12	1958	8898
84	पारडीह	जमशेदपुर	Gh 1641	324.65	137.26	5878	29388
85	डिमना	जमशेदपुर	Gh 1643	450.75	60.94	6004	29974
			कुल	39858.22	38585.1	40336	198974

भाग II- संरक्षित क्षेत्र की सीमा के बाहर स्थित गांव

क्र.सं.	गांव का नाम	प्रशासनिक ब्लॉक	थाना सं.	गांव का क्षेत्रफल (हे.में)	वन क्षेत्रफल (हे.में)	घरों की संख्या	जनसंख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	बघरा	पटमदा	117/12	290.51	54.97	223	1204
2	डंगडुंग	पटमदा	169/50	755.01	353.68	226	1222
3	डोमनी	पटमदा	170/51	572.70	325.06	129	801
4	डांगरडीह	पटमदा	523/09	247.76	72.63	143	685
5	बारूडीह	पटमदा	-	248.00	91.60	120	628
6	बारूबेड़ा	पटमदा	-	131.00	29.14	101	510
7	धनहरिया	पटमदा	-	774.00	70.24	400	1993
8	तोपाडीह	पटमदा	-	192.00	30.73	162	856
9	पहाड़पुर	पटमदा	-	355.00	55.02	198	1186
10	राहेरडीह	पटमदा	-	123.00	4.05	103	503
11	धामडीह	पटमदा	-	142.00	5.37	87	493
12	रायडीह	पटमदा	-	171.00	61.62	78	397
13	रूपाम	पटमदा	-	249.00	15.98	159	874
14	मुचीडीह	पटमदा	-	176.00	18.31	127	671
15	धामपीर	पटमदा	-	71.00	20.36	44	237
16	जोलिंगडुंगरी	पटमदा	-	55.00	21.86	30	148
17	जावा	पटमदा	-	204.00	76.39	109	478
18	तेजरी	पटमदा	-	210.00	19.81	67	352
19	खेरवा	पटमदा	-	816.00	336.26	373	1942
20	गोरडीह	पटमदा	-	164.00	48.63	167	917
21	झारबनी	पटमदा	-	93.00	1205.00	69	339
22	नाईगजुरी	पटमदा	-	113.00	13.15	46	217
23	सिंगदा	पटमदा	-	252.00	72.65	175	403
24	सरजुमती	पटमदा	-	69.00	11.23	37	193
25	लखीपुर	पटमदा	-	260.00	8.34	217	1016
26	बनटोरया	पटमदा	-	39.00	8.12	151	709
27	बासगढ़	पटमदा	-	262.00	0.47	149	725
28	पोखनाबेड़ा	पटमदा	-	373.00	19.53	278	1386
29	पटमदा	पटमदा	-	398.00	172.98	376	2187
30	आमझोर	पटमदा	-	397.78	-	-	128
31	सुंदरपुर	पटमदा	-	380.42	-	-	66
32	धनडीह	पटमदा	-	90.41	-	-	107
33	मुरगडीह	पटमदा		325.00	50.99	176	1020

Scanned with CamScanner

34	बरहाडीह	गोलमुरी-सह-जुगसालिया	-	197.20	318.17	80	106
35	पारसबुंगरी	गोलमुरी-सह-जुगसालिया	-	246.15	264.72	100	38
36	उगडीह	नोमडीह	-	71.00	3.70	168	776
37	जनता	नोमडीह	-	250.00	9.87	226	1101
38	कामाबुता	नोमडीह	-	49.00	8.80	39	206
39	बागरी	नोमडीह	-	205.00	10.57	134	732
40	बुरुडीह	नोमडीह	-	174.00	82.26	55	261
41	अतासीमाल	नोमडीह	-	64.00	7.13	32	171
42	मुरुडीह	नोमडीह	-	325.00	50.99	176	1020
43	रूपाडीह	नोमडीह	-	59.00	9.99	38	198
44	किसुनडीह	नोमडीह	-	166.00	5.65	120	637
45	पाथरडीह	नोमडीह	-	88.00	6.98	91	424
46	फायरोगा	नोमडीह	-	86.00	4.11	111	489
47	बांकड़ा	नोमडीह	-	214.68	-	-	73
48	सिंगाली	घाटित		190.00	45.00	227	1148
49	कासीडीह	घाटित	-	210.00	47.00	102	552
50	खुखीडीह	घाटित	-	562.00	225.32	234	1197
51	करनीडीह	घाटित	-	259.00	20.00	247	1305
	कुल			12439.62	4394.63	6800	35051

उपाबद्ध 3

[अनुच्छेद 3 देखें]

दलमा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास इको सेन्सिटिव क्षेत्र में प्रतिषिद्ध, विनियमित अथवा अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलाप

क्र.सं.	कार्यकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञात
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वाणिज्यिक खनन	हां		
2.	वृक्षों की कटाई		हां	
3.	आरा मशीनों की स्थापना	हां		
4.	प्रदूषण के कारक उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मिट्टी, शोर, आदि)	हां		
5.	होटल और रिसॉर्ट की स्थापना		हां	
6.	जलावन लकड़ी के वाणिज्यिक उपयोग	हां		

Scanned with CamScanner

7.	कृषि प्रणालियों के तीव्र परिवर्तन		हां	
8.	भूमिगत जल संचयन वाणिज्यिक जल संसाधन		हां	
9.	प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	हां		
10.	बिजली के तारों की स्थापना		हां	
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथा			हां
12.	वर्षा जल संचयन			हां
13.	होटल और लॉज परिसर में बाड़ लगाना		हां	
14.	जैविक खेती			हां
15.	दुकानदार द्वारा पॉलीथीन बैग का प्रयोग		हां	
16.	अक्षय ऊर्जा स्रोत का उपयोग			हां
17.	सड़कों को चौड़ा करना		हां	
18.	रात में वाहनों का यातायात		हां	
19.	विदेशी प्रजातियों का परिचय		हां	
20.	किसी भी खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	हां		
21.	पर्यटन से संबंधित कार्यकलाप जैसे कि नेशनल पार्क से ऊपर एयरक्राफ्ट और गर्म हवा के गुब्बारे की उड़ान	हां		
22.	पहाड़ी ढलानों और नदी के किनारों की सुरक्षा		हां	
23.	प्राकृतिक जल निकायों या स्थलीय क्षेत्र में अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट का विसर्जन	हां		
24.	हवा और वाहनों से होने वाले प्रदूषण		हां	
25.	साइन बोर्ड और होर्डिंग		हां	
26.	सभी कार्यकलापों हेतु हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना			हां

[फा. सं. झारखंड/1/2011-ईएसजेड]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

Scanned with CamScanner

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2012

S.O. 680(E).—Whereas, the Dalma Wildlife Sanctuary, Jamshedpur lies between Latitudes 22°46' 30" and 22° 57' N and Longitudes 86° 3' 15" and 86° 26' 30" E in the East Singhbhum and Saraikela-Kharsawan districts of Jharkhand and extends over an area of 193.5077 square kilometers;

AND WHEREAS, the Asian Elephant is the species of vital importance in Dalma Wildlife Sanctuary, besides, some of the most endangered species like Ratel, Wild Dog, Mouse Deer, Indian Giant Squirrel, Python, Pangolin, Serpent Eagle, etc., are also found in this Sanctuary;

AND WHEREAS, the forests of this Sanctuary intercept rainfall and help recharge ground water aquifer and protect rivers and streams against siltation by minimizing soil erosion and the Sanctuary has a well knit network of 159 streams spreading throughout the Sanctuary, out of which 82 are perennial or semi perennial and the rest 77 streams are of seasonal nature. Subarnarekha River, Subarnarekha Canal and Dimna Lake are fed by these streams;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Dalma Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, a draft notification under sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 691(E), dated the 5th April, 2011, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 5th April, 2011;

AND WHEREAS, all objections and suggestions received in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment

Scanned with CamScanner

(Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of the Dalma Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Jharkhand as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone).

1. Boundaries of Dalma Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone. – (1) Dalma Wildlife Sanctuary is bounded by the forests of Dhalbhum and Saraikela Forest Division of Jharkhand and Kansabati Forest Division of West Bengal, Jamshedpur township and Chandil sub divisional town are merely 0 -5 kilometers from the boundary of Dalma Wildlife Sanctuary.

(2)The said Eco-sensitive Zone covers an area of 522.98 square kilometer in Jharkhand, consisting of the followings, namely:-

(i) enclave villages:

Total number of villages - 85
Area to be included in the Eco-sensitive zone:
Non-forest area - 200.28 square kilometers
Forest area- 198.30 square kilometers
Total- = 398.58 square kilometers;

(ii) villages situated outside the boundary of Protected Area:

The Total number of villages - 51
Area to be included in the Eco-sensitive zone:
Non-forest area - 80.45 square kilometers
Forest area - 43.95 square kilometers
Total = 124.40 square kilometers;

(iii) development blocks:

Patamda, Jamshedpur and Golmuri blocks of East Singhbhum district and Chandil and Nimdih blocks of Saraiakela- Kharsawan district;

(iv) District wise area:

Name of District	Area of eco-sensitive zone
East Singhbhum	377.89 square kilometers
Saraikela- Kharsawan	145.09 square kilometers
Total	**522.98 square kilometers**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone is appended to this notification as **Annexure 1** and the list of the villages falling within the Dalma Eco-sensitive Zone is annexed as **Annexure 2.**

2. Zonal Master Plan for the Dalma Eco-sensitive Zone. – (1) A Zonal Master Plan for the Dalma Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government, in such manner as are specified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the law relating to town and country planning for the time being in force in the State, the divisional

Scanned with CamScanner

working plans and the guidelines issued by Central Government, within a period of one year from the date of this notification and approved by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments like Department of Environment and Forests, Urban Development, Tourism, Municipal, Revenue and the Jharkhand State Pollution Control Board with a view to include various aspects of the environment and ecology.

(3) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(5) No change of land use from green uses such as tea gardens, horticulture areas, agriculture parks, etc., to non green uses shall be permitted, provided that with a view to meet the residential needs of the local residents and the natural growth of the local populations existing on the date of this notification, the conversion of agricultural land for personal residential purposes may be allowed, subject to the restriction that no concrete construction shall be allowed within 300 meters from the boundary of the Dalma Wildlife Sanctuary.

(6) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government, all new activities (specified in Annexure 3) shall be allowed only after the proposals are scrutinised and approved by the Monitoring Committee referred to in paragraph 4.

(7) There shall be no consequential reduction in forest area, green area and agricultural area and the unused or unproductive agricultural areas may be converted into forest areas.

(8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee of the Eco-sensitive Zone for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

(9) The Central Government and the State Government may specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

3. Prohibited, regulated and permitted activities in Eco-sensitive Zone.- Subject to the provisions of this paragraph, the activities in the Eco-sensitive Zone shall be regulated in accordance with Annexure 3 to this notification.

Scanned with CamScanner

(1) Industrial Units:

(a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be setup within the Eco-sensitive Zone;

(b) any non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment, may be permitted in the Eco-sensitive Zone;

(c) no establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone.

(2) Quarrying and Mining:

(a) No mining activity except for bona-fide domestic use of the local residents shall be allowed within the of Eco- sensitive Zone.

(b) No crushing activity shall be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(3) Construction Activities:

No new construction of any kind shall be allowed in the area falling within a distance of three hundred meters from the boundary of the Dalma Wildlife Sanctuary.

(4) Trees:

There shall be no felling of trees either on forest, Government, revenue or private lands, without the prior permission of the State Government in case of forest land, and the respective District Collector in case of Government, revenue and private land, granted in such manner as may be laid down by the State Government.

(5) Tourism:

Tourism activities shall be allowed in accordance with the Tourism Master Plan, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development, to be prepared by the Department of Tourism of the State Government in consultation with the Department of Environment and Forests which shall also form a part of the Zonal Master Plan.

(6) Natural Heritage Sites:

(a) The sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone shall be identified, particularly rock formations, waterfalls, pools, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, etc., and plans for their conservation in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(b) The development or construction activities at or around the heritage sites shall be regulated in accordance with the Model Regulations for Conservation of Natural and Man-made Heritage Sites formulated by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests which shall form part of the Zonal Master Plan and Sub-zonal Master Plan.

11614/12-3

Scanned with CamScanner

(7) **Man-made heritage sites:**

(a) Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation, particularly their exteriors including, their interiors wherever deemed appropriate, shall be prepared and incorporated in the Zonal and Sub-zonal Master Plan.

(b) The development or construction activities at or around the heritage sites shall be regulated in accordance with the Model Regulations for Conservation of Natural and Manmade Heritage Sites referred in clause (b) of sub-paragraph (6).

(8) **Ground Water:**

(a) Extraction of ground water for bona-fide agricultural and domestic consumption of the occupier of land shall be allowed.

(b) Extraction of ground water for industrial, commercial use shall require prior written permission, including the amount that can be extracted, from the State Ground Water Board and the Monitoring Committee.

(c) No sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the Monitoring Committee constituted under paragraph 4.

(d) The conservation of water and its distribution, from existing facilities within the Eco-sensitive Zone, other than sanctuary and forest areas, shall be regulated in accordance to the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980).

(e) Appropriate steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water, including from agriculture activities.

(9) **Protection of Hill Slopes:**

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(10) **Road:**

Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads may be allowed in the Eco-sensitive Zone.

(11) **Use of Plastics:**

No person shall use plastic carry bags within the Eco-sensitive Zone area and the disposal of plastic articles shall be prohibited.

(12) **Noise pollution:**

The Environment Department or the Forest Department of the State Government shall be the authority to frame and issue guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

Scanned with CamScanner

(13) **Discharge of effluents:**
No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body or land within the Eco-sensitive Zone and the treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(14) **Solid Wastes:**
(a) The solid waste shall not be disposed off in the Eco-sensitive Zone:

Provided that the Monitoring Committee shall indentify a site for disposal of such solid wastes in accordance with the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests vide notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000, as amended from time to time;

(b) (i) the local authorities shall prepare plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
(ii) the biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermi culture;
(iii) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone; and
(iv) no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(15) **Natural Springs:**
The catchment area of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting, shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the State Government shall issue guidelines to prohibit the activities at or near these areas.

4. Monitoring Committee (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Dalma Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance of this notification.

(2) The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1), shall consist of the following members, namely:-

(a) the Commissioner of Kolhan Revenue Division – Chairman;
(b) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India Member;
(c) a representative of the Central Pollution Control Board, constituted under sub-section 1 of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (16 of 1974) – Member;
(d) a representative of the Department of Forests and Environment, Government of Jharkhand – Member;
(e) a representative of the Department of Mines, Government of Jharkhand – Member;

Scanned with CamScanner

(f) a representative of the Department of Industries, Government of Jharkhand – Member;
(g) a representative of the Department of Revenue, Government of Jharkhand – Member;
(h) a representative of the Department of Irrigation, Government of Jharkhand – Member;
(i) a representative of the Department of Public Works, Government of Jharkhand – Member;
(j) a representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
(k) the Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi – Member;
(l) the Senior Town Planner, Government of Jharkhand– Member;
(m) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
(n) the Divisional Forest Officer, Incharge of the Dalma Wildlife Sanctuary – Convener.

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance and monitoring of the provisions of this notification.

(4) In case of activities requiring prior permission, under the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the Monitoring Committee shall refer all such matters to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior clearances under the provisions of the said notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or the Convener of the Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities by the 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give such directions, from time to time, to the Monitoring Committee as it may consider necessary for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

Scanned with CamScanner

Annexure 1

[See paragraph 1(3)]

Map of Dalma Eco-sensitive Zone.

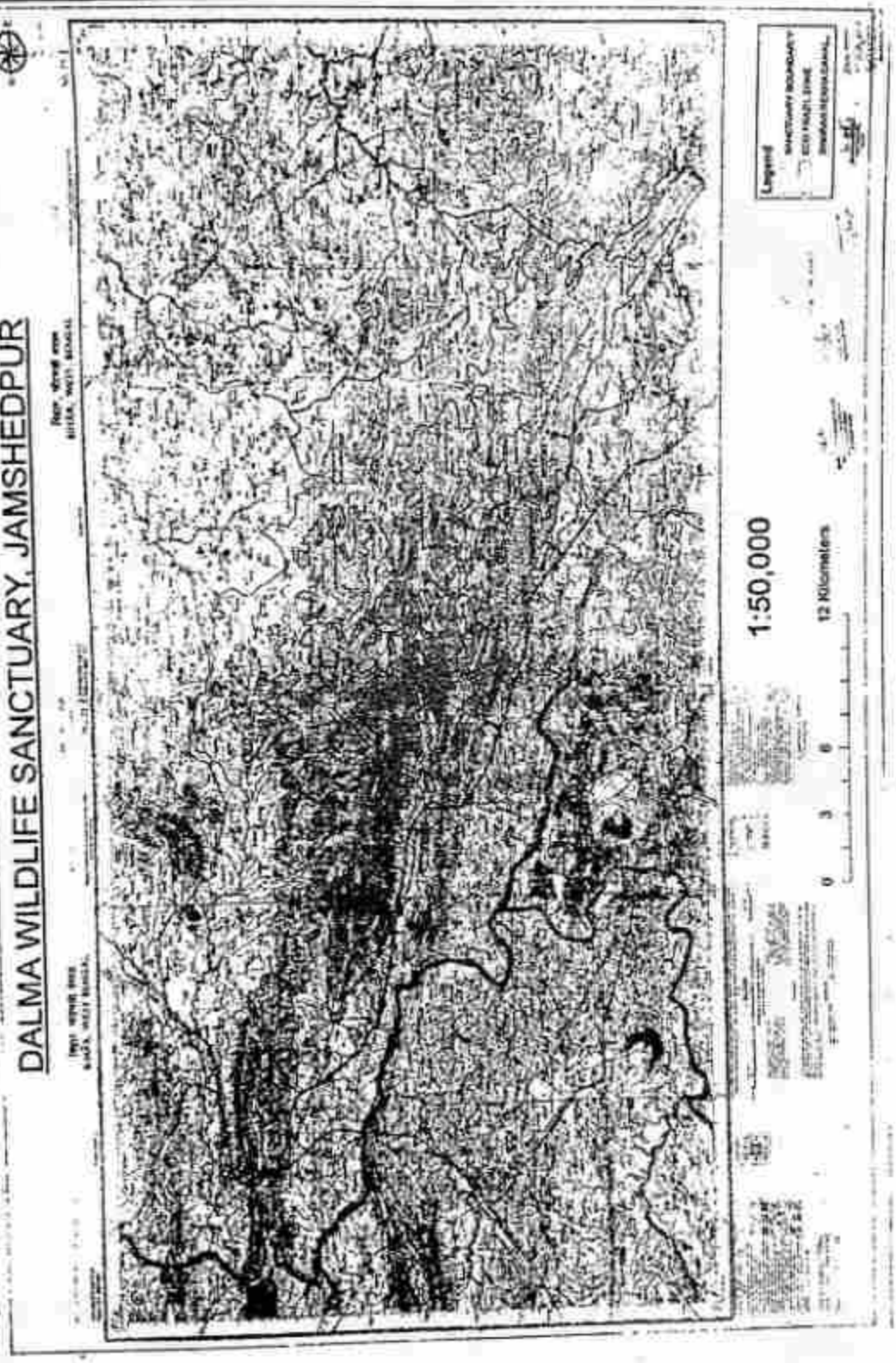

Scanned with CamScanner

Annexure 2

[See paragraph 1(3)]

List of villages falling within the areas of Dalma Eco-sensitive Zone.

Part I-Enclave Villages

S. No.	Name of Village	Administrative Block	Thana No.	Area of Village (in Ha)	Forest Area (in Ha)	No. of Houses	Population
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bonta	Patmda	119/14	1371.32	798.20	249	1286
2	Kutimakul	Patmda	120/15	180.62	65.13	40	232
3	Bhadudih	Patmda	121/16	205.69	54.97	21	136
4	Saldoha	Patmda	122/17	196.29	87.12	19	118
5	Haludbani	Patmda	123/18	320.88	232.37	108	504
6	Patipani	Patmda	124/19	425.68	366.28	56	246
7	Mirzadih	Patmda	137/20	577.70	315.80	205	991
8	Geruwa	Patmda	138/21	484.31	350.29	129	561
9	Brajpur	Patmda	139/22	155.91	76.23	24	115
10	Punsa	Patmda	140/23	302.71	138.45	116	604
11	Nutandih	Patmda	141/24	808.44	437.87	215	1014
12	Bataluka	Patmda	142/25	544.31	394.32	104	527
13	Amdaphar	Patmda	143/15	368.56	249.33	67	284
14	Apo	Patmda	144/15	859.59	428.66	219	1086
15	Sari	Patmda	145/26	774.78	475.68	218	1114
16	Laylam	Patmda	146/27	1057.63	550.97	273	1510
17	Pagda	Patmda	164/45	349.92	170.23	174	883
18	Kumari	Patmda	166/47	286.56	152.72	132	596
19	Chimti	Patmda	167/48	336.55	226.97	104	459
20	Kukru	Patmda	400/15	248.52	120.91	86	440
21	Ghoraban	Patmda	401/15	617.99	331.19	113	565
22	Jamdih	Patmda	402/15	615.45	509.22	130	708
23	Jhunjhka	Patmda	405/16	1183.49	751.07	252	1219
24.	Khokoro	Patmda	524/10	914.55	766.36	98	450
25	Baghra	Patmda	117/12	290.51	54.97	223	1204
26	Kovani	Patmda	118/13	947.56	664.74	443	2546
27	Goburghu	Patmda	147/28	1042.51	683.92	291	1361
28	Kundruko	Patmda	148/29	150.17	35.52	45	195
29	Bamni	Patmda	149/30	534.80	166.70	213	1019
30	Gagiburu	Patmda	154/35	225.02	10.15	130	690
31	Beldih	Patmda	161/42	947.75	281.51	359	1865
32	Buridih	Patmda	162/92	73.00	65.14	2	22
33	Dhusra	Patmda	163/44	430.83	181.90	186	920
34	Rapcha	Patmda	165/46	222.16	82.14	81	430
55	Andharjho	Patmda	168/49	772.66	346.79	296	1701

Scanned with CamScanner

36	Dangdung	Patmda	169/50	755.01	353.68	226	1222
37	Dhobni	Patmda	170/51	572.70	325.06	129	801
38	Tungburu	Patmda	404/16	287.94	33.49	119	600
39	Jorisa	Patmda	406/16	450.57	175.44	118	515
40	Dangardih	Patmda	523/09	247.76	72.63	143	685
41	Kaira	Patmda	525/11	1170.59	723.14	203	1062
42	Somadih	Patmda	526/06	290.45	30.60	131	665
43	Bachkamk	Nimdih	254	199.85	93.85	81	426
44	Tankocha	Nimdih	274	341.00	212.77	78	393
45	Ugdih	Nimdih	243	72.84	14.85	168	776
46	Bumdungr	Nimdih	244	92.40	13.81	311	1426
47	Tengadih	Nimdih	275	878.16	386.38	252	1149
48	Jharridih	Nimdih	276	323.81	17.23	42	217
49	Tetla	Nimdih	278	323.81	114.63	271	1024
50	Lupungdih	Nimdih	279	342.21	55.44	403	1877
51	Pitki	Nimdih	280	189.11	33.83	152	768
52	Chelema	Nimdih	310	764.81	210.59	569	2686
53	Bandhdih	Nimdih	312	863.78	586.08	31	159
54	Dahubera	Nimdih	314	258.69	72.70	110	499
55	Makulako	Chandil	Ch268	344.35	238.28	70	347
56	Kadamdih	Chandil	Ch247	72.30	14.25	101	544
57	Shaharber	Chandil	Ch252	190.83	23.53	251	446
58	Sikli	Chandil	Ch253	80.84	37.53	50	249
59	Baralakha	Chandil	Ch255	179.75	30.79	73	391
60	Pata	Chandil	Ch256	350.65	129.88	242	1241
61	Chilgo	Chandil	Ch265	216.99	56.94	341	1788
62	Chakulia	Chandil	Ch266	186.61	48.80	135	657
63	Sharharber	Chandil	Ch267	531.68	312.02	253	1253
64	Tulin	Chandil	Ch269	264.12	151.81	30	135
65	Katjhor	Chandil	Ch270	446.85	153.03	275	1373
66	Hamsda	Chandil	Ch 271	423.83	213.39	143	701
68	Humid	Chandil	Ch273	95.41	23.70	209	923
69	Kadamjho	Chandil	Ch311	479.12	378.42	62	250
70	Asanbani	Chandil	Ch325	1532.27	780.09	275	1467
71	Ramgarh	Chandil	Ch326	696.38	373.99	153	702
72	Kanderber	Chandil	Ch327	662.05	315.00	256	1223
73	Suklahra	Golmuri	Gh	482.75	208.27	131	650
74	Dalapani	Golmuri	Gh	477.79	284.24	68	378
75	Jhantipaha	Golmuri	Ghll34	98.91	98.86	24	131
76	Kudlung	Golmuri	Gh	321.15	142.04	105	569
77	Beko	Golmuri	Gh	518.64	185.08	231	1070
78	Kalajhor	Golmuri	Ghll38	399.38	164.76	147	708
79	Chhotoban	Golmuri	Gh	422.04	185.65	158	759

Scanned with CamScanner

80	Palasbani	Jamshedpur	Gh	938.26	318.93	'334	2006
81	Bhelaipah	Jamshedpur	Ghll46	567.96	236.07	243	1287
82	Deoghar	Jamshedpur	Ghll47	506.21	181.86	271	1453
83	Baliguma	Jamshedpur	Ghll50	216.36	140.12	1958	8898
84	Pardih	Jamshedpur	Gh	324.65	137.26	5878	29388
85	Dimna	Jamshedpur	Gh	450.75	60.94	6004	29974
			Total	**39858.22**	**38585.**	**40336**	**198974**

Part II- Villages situated outside the boundaries of Protected Area.

S. No.	Name of Village	Administrative Block	Thana No.	Area of Village (in Ha)	Forest Area (in Ha)	No. of Houses	Population
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Baghra	Patmda	117/12	290.51	54.97	223	1204
2	Dangdung	Patmda	169/50	755.01	353.68	226	1222
3	Dhobni	Patmda	170/51	572.70	325.06	129	801
4	Dangardih	Patmda	523/09	247.76	72.63	143	685
5	Barudih	Patmda	-	248.00	91.60	120	628
6	Barubera	Patmda	-	131.00	29.14	101	510
7	Bankucha	Patmda	-	774.00	70.24	400	1993
8	Loadih	Patmda	-	192.00	30.73	162	856
9	Paharpur	Patmda	-	355.00	55.02	198	1186
10	Raherdih	Patmda	-	123.00	4.05	103	503
11	Chamdih	Patmda	-	142.00	5.37	87	493
12	Rakhdih	Patmda	-	171.00	61.62	78	397
13	Rupsham	Patmda	-	249.00	15.98	159	874
14	Muchidhi	Patmda	-	178.00	18.31	127	671
15	Champir	Patmda	-	71.00	20.36	44	237
16	Jilingdung	Patmda	-	55.00	21.86	30	148
17	Jawa	Patmda	-	204.00	76.39	109	478
18	Lekro	Patmda	-	210.00	19.81	67	352
19	Kherwa	Patmda	-	816.00	336.26	373	1942
20	Gordih	Patmda	-	164.00	48.63	167	917
21	Jharbani	Patmda	-	93.00	1205.0	69	339
22	Naingiuri	Patmda	-	113.00	13.15	46	217
23	Sishda	Patmda	-	252.00	72.85	175	403
24	Sarjumli	Patmda	-	89.00	11.23	37	193
25	Lachhipur	Patmda	-	260.00	8.34	217	1016
26.	Bantoraya	Patmda	-	39.00	8.12	151	709
27	Bansgarh	Patmda	-	262.00	0.47	149	725
28	Poklabera	Patmda	-	373.00	19.53	278	1388
29	Patamda	Patmda	-	398.00	172.98	376	2187
30	Amihor	Patmda	-	397.78	-	-	128
31	Sundergur	Patmda	-	380.42	-	-	68
32	Bandih	Patmda	-	90.41	-	-	107
33	Murugdih	Patmda		325.00	50.99	176	1020

Scanned with CamScanner

34	Barhadih	Golmuri-cum-Jugsalia	-	197.20	318.17	80	106
35	Parasdungri	Golmuri-cum-Jugsalia	-	246.15	264.72	100	38
36	Ugdih	Nimdih	-	71.00	3.70	168	776
37	Janta	Nimdih	-	250.00	9.87	226	1101
38	Kamadula	Nimdih	-	49.00	8.80	39	206
39	Bagri	Nimdih	-	205.00	10.57	134	732
40	Burudih	Nimdih	-	174.00	82.26	55	281
41	Atasimal	Nimdih	-	64.00	7.13	32	171
42	Murugdih	Nimdih	-	325.00	50.99	176	1020
43	Rupadhi	Nimdih	-	59.00	9.99	38	198
44	Kishundih	Nimdih	-	168.00	5.65	120	637
45	Pathardih	Nimdih	-	88.00	6.98	91	424
46	Phaeranga	Nimdih	-	86.00	4.11	111	489
47	Bankada	Nimdih	-	214.68	-	-	73
48	Singati	Chandil		190.00	45.00	227	1148
49	Kashidih	Chandil	-	210.00	47.00	102	552
50	Khuchidih	Chandil	-	562.00	225.32	234	1197
51	Karnidih	Chandil	-	259.00	20.00	247	1305
Total				**12439.62**	**4394.6**	**6800**	**35051**

Annexure 3

[See paragraph 3]

Activities to be prohibited, regulated or permitted within the Eco-Sensitive Zone around Dalma Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Commercial Mining	Yes		
2.	Felling of trees		Yes	
3.	Setting of saw mills	Yes		
4.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	Yes		
5.	Establishment of hotels and resorts		Yes	
6.	Commercial use of firewood	Yes		
7.	Drastic change of agriculture systems		Yes	
8.	Commercial water resources including ground water harvesting		Yes	

Scanned with CamScanner

9.	Establishment of major hydroelectric projects	Yes		
10.	Erection of electrical cables		Yes	
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities			Yes
12.	Rain Water harvesting			Yes
13.	Fencing of premises of hotels and lodge		Yes	
14.	Organic farming			Yes
15.	Use of polythene bags by shopkeepers		Yes	
16.	Use of renewable energy source			Yes
17.	Widening of roads		Yes	
18.	Movement of vehicular traffic at night		Yes	
19.	Introduction of exotic species		Yes	
20.	Use or production of any hazardous substances	Yes		
21.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by any aircraft, hot-air balloons	Yes		
22.	Protection of hill slopes and river banks		Yes	
23.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or terrestrial area	Yes		
24.	Air and vehicular pollution		Yes	
25.	Sign boards & hoardings		Yes	
26.	Adoption of green technology for all activities			Yes

[F. No. Jharkhand/1/2011-ESZ]

DR. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Scanned with CamScanner

Annexure-3

झारखण्ड सरकार

प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, सिंहभूम(कोल्हान)प्रमण्डल, चाईबासा।

ई–मेल आईडी० — comm_cbsa@rediffmail.com

पत्रांक :– 588 दिनांक :– 14-08-2024

प्रेषक,

प्रमण्डलीय आयुक्त,
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल,
चाईबासा–सह– अध्यक्ष,
निगरानी समिति दलमा ईको सेंसेटिव जोन,
दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी।

सेवा में,

Dr. Veenu Joon
Scientist ' E'
Indira Paryavaran Bhawan, Jor bagh Road, Aligunj,
Minisitry of Enivironment, Forest and Climate Change
(ESZ- Division) Government of India
New Delhi- 110003

विषय :– O.A .No- 145 of 2023 (EZ) titled as tribunal on its own motion vs state of Jharkhand & Ors- reg.

प्रसंग :– आपका पत्रांक– 02/03/2024–ESZ दिनांक 22.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में निगरानी समिति दलमा वन्य आश्रयणी, ईको सेंसिटिव जोन के द्वारा दिनांक 05.06.2024 को किये गये स्थलीय निरीक्षण के दौरान दिये गये निदेश के आलोक में उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर –सह– संयोजक निगरानी समिति, दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी इको सेंसिटिव जोन के पत्रांक– 2060 दिनांक 08.08.2024, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र चाईबासा के पत्रांक–82 दिनांक 06.08.2024 एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् जमशेदपुर के पत्रांक–863 दिनांक 05.08.2024 द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदनों की छायाप्रति संलग्न कर अगेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वास भाजन,

14/08/2024

प्रमण्डलीय आयुक्त,
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल,
चाईबासा–सह– अध्यक्ष,
निगरानी समिति दलमा ईको सेंसेटिव जोन,
दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी।

Vijoon 20/8/24
LA(ESZ)

दिनांक 05-06-2024 को निगरानी समिति के द्वारा दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी इको सेन्सिटिव जोन की क्षेत्र भ्रमण एवं बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- यथा पंजी संधारित।

उपस्थित पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

निर्धारित तिथि को संबंधित पदाधिकारीगण C.H. Area, सोनारी, जमशेदपुर स्थित वन भवन के सभागार में उपस्थित हुए। तत्पश्चात् सभी पदाधिकारियों को दलमा इको सेन्सिटिव जोन के मानचित्र के द्वारा भौगोलिक स्थिति के संबंध में अवगत कराया गया तथा इसी क्रम में संबंधित पदाधिकारियों को इको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की अधिसूचना उपलब्ध कराया गया। O.A. No. 145/2023 में माननीय NGT द्वारा दिनांक 26.04.2024 को निर्गत न्यायादेश के आलोक में सभी पदाधिकारियों को ESZ के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। तदोपरान्त क्षेत्र भ्रमण के लिए प्रस्थान किया गया।

सर्वप्रथम इको सेन्सिटिव जोन (ESZ) का Visual Survey किया गया। इसी क्रम में इको सेन्सिटिव जोन (ESZ) में अवस्थित कतिपय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, भंडार गृह, ढाबा, होटल, मकानों आदि का अवलोकन किया गया। पूछ-ताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि कई निर्माण वर्ष 2012 से पूर्व का है जबकि कुछ उसके बाद का है।

क्षेत्र भ्रमण के दौरान ESZ के अन्तर्गत अलकतरा फैक्ट्री STP Limited का निरीक्षण किया गया जहाँ कम्पनी के प्रबंधक द्वारा बताया गया कि कम्पनी द्वारा Coaltar, enamel, epoxy primer, sealing compound एवं HDLC (Anti corosive Product) का निर्माण किया जाता है। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त Industrial परिसर का क्षेत्रफल लगभग 4.91 एकड़ है। परिसर के अवलोकन के क्रम में STP Limited को संचालित पाया गया एवं इस क्रम में निगरानी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि STP Limited के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर, निगरानी समिति को नियमानुसार कृत कार्रवाई के साथ समर्पित करेंगे।

तत्पश्चात क्षेत्र भ्रमण के दौरान SRG Iron & Steel (P) Ltd. का निरीक्षण किया गया जिसमे समिति द्वारा SRG के परिसर में Slag Screening Point आंशिक रूप से dismantle पाया गया।

C:\Users\...\Minutes Proceeding_2024-2025_...

Scanned with CamScanner

SRG Iron & Steel (P) Ltd. के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन महाप्रबंधक, DIC, चाईबासा एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर, से मांगा गया, जो तीन दिनों के अंदर गृहत कार्रवाई सहित समर्पित करेंगे।

तत्पश्चात Balajee Steel Udyog Ltd परिसर का भ्रमण किया गया जहाँ कई Slag Screening मशीन भी पाया गया जिससे प्रतीत होता है कि इस Unit के द्वारा कार्य किया जाता है परन्तु निरीक्षण के समय Unit संचालित नही थी। संचालनकर्त्ता से जब कागजातों की माँग की गयी तो उनके द्वारा Consent to establish, consent to operate Certificate एवं अन्य वांछित कागजात उपस्थापित नही किया गया। Balajee Steel Udyog Ltd की जाँच एवं नियमानुसार कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, DIC चाईबासा एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर को निर्देश दिया गया।

दिनांक 23.04.2024 को प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा की अध्यक्षता में दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी इको सेंन्सिटिव जोन की निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 6 के आलोक में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा को अध्यक्ष बनाया गया है उन्हें नियमानुसार जाँच एवं कृत कार्रवाई प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर (Action Taken Report) के साथ समर्पित करने का निवेश दिया गया ताकि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके। इस प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसकी प्रति भेजी जा रही है।

07/6/2024		
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर –सह– संयोजक निगरानी समिति इको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी, जमशेदपुर।	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम सीजन, जमशेदपुर	प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा–सह–अध्यक्ष, निगरानी समिति दलमा ईको सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी।

C:\Users\DELL-VII\Downloads\Dalma_Monitoring_05.06.2024_meeting.doc

Scanned with CamScanner

कार्यालय–उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सी०एच० एरिया,(वेस्ट–बेस्ट) पारसी डायनगढ़ एवं साईं मंदिर के पास,
पो–सोनारी, जमशेदपुर 831011
e-mail-dfo-dirpe@nov.in , dcffdjsr@gmail.com ; ☎-0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक 2060 दिनांक 08.08.2024

सेवा में,

प्रमण्डलीय आयुक्त
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल,
चाईबासा।

विषयः– O.A No.145/2023(EZ) titled as Tribunal on its Own Motion Vs State of Jharkhand & Ors-Reg.

प्रसंगः– भवदीय पत्रांक 574 दिनांक 05.08.2024 एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा का पत्रांक 82/कैम्प दिनांक 06.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा के पत्रांक 82/कैम्प दिनांक 06.08.2024 द्वारा Dr. Veenu Joon, Scientist 'E', Ministry of Environment, Forest & Climate Change (ESZ&Division) Government of India के पत्रांक 02/03/2021-ESZ दिनांक 22/07/2024 से सम्बंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया गया है (अनुलग्नक–1)

उक्त प्रतिवेदन में संलग्न संयुक्त जाँच समिति द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन में सर्वश्री STP Ltd. Mirzadih, Dimna, Jamshedpur एवं सर्वश्री SRG Iron & Steel Pvt Ltd. Mirzadih.Genua. Jamshedpur का जाँच प्रतिवेदन सम्मिलित किया गया है। उक्त दोनो ईकाईयों को इस कार्यालय के पत्रांक क्रमशः 1328 दिनांक 26.07.2024 एवं 1335 दिनांक 26.07.2024 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

E:\Govt Section\List of cases pending in ESZ\O.A No-567-2023-EZ revised 06.08.24.doc

Scanned with CamScanner

कार्यालय–उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सीएचए परिसर,(नॉर्थ–वेस्ट) पारसी अग्यारी एवं साई मंदिर के पास,
पो–सोनारी, जमशेदपुर 831011
e-mail-dfo-dirpe@gov.in ; Tele No.0657-2233041 (O), 2960039(R)

पत्रांक 1328 दिनांक 26.07.2024

नोटिस बनाम:–

S.T.P Ltd अलकतरा फैक्ट्री
निर्जाडीह, प्लॉट नं– 1091, 1092, 1093, 1094
थाना– बोड़ाम, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम

विषय:– पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान दलमा इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित प्रावधानों, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है।

दलमा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) के तहत् नोटिस देते है कि आप दिनांक 12.08.2024 को 02:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई बाध्यता होगी।

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर–सह–
संयोजक, निगरानी समिति, दलमा इको
सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी

C:\Court Section\list of contractors in ESZ\notice letter.doc

Scanned with CamScanner

कार्यालय–उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सीएच० एरिया,(नॉर्थ–वेस्ट) पासली आश्रमगाछ एवं साँई मंदिर के पास,
पो–सोनारी, जमशेदपुर 831011
e-mail-dfo-dirpe@gov.in ; Tele No.0557-2235041 (O), 2960039(R)

पत्रांक .1335 दिनांक 26.07.2024

नोटिस धनाम:–

SRG Iron and Steel (P) Ltd
गैरूआ, प्लॉट नं– 260, 261, 262
थाना– बोड़ाम, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम

विषय:– पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(बी) के अन्तर्गत नोटिस

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान दलमा इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित प्रावधानों, Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरुद्ध है।

दलमा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) के तहत् नोटिस देते है कि आप दिनांक 12.08.2024 को 02:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई बाध्यता होगी।

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर–सह–
संयोजक, निगरानी समिति, दलमा इको
सेन्सिटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी

Scanned with CamScanner

कार्यालय–उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
वन भवन, सी०एच० एरिया,(नॉर्थ-वेस्ट) पारसी आरामगाह एवं साई मंदिर के पास,
पो–सोनारी, जमशेदपुर 831011
e-mail-dfo-dirpe@gov.in , dcfdjsr@gmail.com ; ☎-0657-2233041 (O) 2960039 (R)

पत्रांक– दिनांक–

सेवा में,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय:– माननीय NGT में दायर वाद O.A No. 567/2023/EZ renumbered as O.A No. 145/2023/EZ में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ:– झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर का ज्ञापांक 844 दिनांक 31.07.2024

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में माननीय NGT में दायर वाद O.A No. 567/2023/EZ renumbered as O.A No. 145/2023/EZ में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 23.07.2024 को मेसर्स बालाजी स्टील उद्योग, जमशेदपुर की स्थलीय निरीक्षण क्रम में उक्त ईकाई चालू अवस्था में पाया गया। (छायांप्रतिं संलग्न)

विदित हो कि उक्त ईकाई दलमा ईको सेंसिटिव जोन संचालित है एवं 'पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या– 598 दिनांक 29.03.2012 दलमा अभ्यारण्य की कंडिका संख्या–3(1)(क) के अनुसार इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन या उसके पश्चात् प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ईको सेन्सिटिव जोन के भीतर स्थापित किया जाना अनुज्ञात नहीं है।'

अनुरोध है कि उक्त संचालित ईकाई को पूर्ण रूप से बंद कराने की दिशा में यथोचित कार्रवाई करना चाहेंगे।

अनुलग्नक:यथोक्त।।

विश्वासभाजन

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
गज परियोजना, जमशेदपुर।

ज्ञापांक:– 2059 दिनांक:– 08.08.2024

प्रतिलिपि:– प्रमण्डलीय आयुक्त,सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा

पत्रांक 82 / कैम्प जमशेदपुर, दिनांक 06 / 08 /2024

सेवा में,

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा।

उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर–सह–
संयोजक निगरानी समिति, दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी,
ईको सेंसिटिव जोन।

विषय– O-A No– 14 / 2023(EZ) titled as Tribunal on its Own Motion V/s Jharkhand & Ors-reg.

संदर्भ– प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान प्रमण्डल), चाईबासा का पत्रांक 574 / चाईबासा, दिनांक 05 / 08 / 2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि Dr. Veenu Joon, Scientist 'E', Ministry of Environment, Forest & Climate Change (ESZ-Division), Government of India के पत्रांक 02 / 03 / 2021–ESZ दिनांक 22 / 07 / 2024 से सम्बंधित प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

धन्यवाद।

विश्वासभाजन,
for. 06/08/24
महाप्रबंधक
जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा।

Scanned with CamScanner

संयुक्त जाँच समिति द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन

दिनांक 23.04.2024 को प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान)-प्रमंडल, चाईबासा की अध्यक्षता में दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी ईको सेंसिटिव जोन (ESZ) की निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 325, दिनांक 23.04.2024 की कंडिका 06 के आलोक में गठित समिति के द्वारा माननीय NGT, पूर्वी क्षेत्र बेंच कोलकत्ता द्वारा O.A. No. 145/2023 में दिनांक 26.04.2024 को निर्गत न्यायादेश की कंडिका 04, 05, 06, 07 एवं 08 के अनुपालन के निमित्त ESZ में अवस्थित इकाई सर्वश्री एस.टी.पी. लिमिटेड, मिर्जाडीह, डिमना, जमशेदपुर एवं सर्वश्री एस. आर.जी. आयरन एण्ड स्टील प्रा.लि., मिर्जाडीह, गैरुआ, पो. पटमदा, जमशेदपुर एवं अन्य सम्बंधित मौजों का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 11.06.2024 को किया गया, जिसमे निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थें:-

01) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा।

02) सहायक पर्यावरण अभियन्ता, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, आदित्यपुर, तरायकोला-खरसावाँ ।

03) कारखाना निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/~~गम्हरिया खरसावाँ~~ ।

04) सहायक विद्युत अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, भानगो, जमशेदपुर।

05) वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलमा वन्य प्राणी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

समिति के द्वारा उक्त दोनों इकाईयों के भौतिक निरीक्षण एवं निदेश के क्रम में इकाईयों द्वारा समर्पित कागजातों के आलोक में वस्तुस्थिति निम्नवत् है-

01- सर्वश्री एस.टी.पी. लिमिटेड, मिर्जाडीह, डिमना, जमशेदपुर-

i)	भूमि	:-	4.91 एकड़ (रैयती) ESZ अधिसूचना के तहत इकाई ESZ के अन्दर कार्यरत है।
ii)	स्थापना	:-	इकाई 1986 से स्थापित है।
iii)	उत्पाद	:-	Coal Tar (Coal Tar based Anti-corrosive products and Binding Pitch)
iv)	रोजगार	:-	80 (स्थानीय एवं बाहरी)
v)	विद्युत भार	:-	210 KVA, Electric Supply Circle, Jamshedpur.
vi)	उद्योग आधार	:-	JH06C0017047
vii)	फैक्ट्री लाईसेंस	:-	FCA15357 16410201, सर्किल-02, जमशेदपुर, वैधता 31.12.2023
viii)	FIRE NOC	:-	वैधता 31.03.2025
ix)	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण अधिष्ठापन:-		

Scanned with CamScanner

a) Water Cooled Condenser to convert smoke and vapour into liquid oil.

b) 9 chimney

c) ETP @ 5 KL/day with zero discharge facility.

d) Rain Water Harvesting plan.

x) GST Paid (2023-24) :– Rs. 13.65 Cr.

xi) गुणवत्ता प्रमाण पत्र :– ISO 9001, ISO 1400, ISO 45001

xii) इकाई के द्वारा JSPCB Certified Lab for Environmental Pollution Maintaining and Analysis के दिनांक 24.02.2024 को निर्गत Atmospheric Pollution, Discipline: Chemical से सम्बंधित टेस्ट रिर्पोट की प्रति उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें Particulate Matter (PM 10), SO_2, Ni, As, C_6H_6 इत्यादि को "Well Within Regulatory Limit" पाया गया है।

उक्त टेस्ट रिर्पोट में Water Discharge को निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है। साथ ही, Stack Height from Ground Level 30.0 मीटर दर्शाया गया है, जो Standard हैं।

xiii) इकाई के द्वारा इस आशय का शपथनामा समर्पित किया गया है कि इकाई वर्त्तमान प्लांट को आगामी 3–4 वर्षो के भीतर उपयुक्त भूमि मिलने पर स्थानांतरित कर लेगी।

xiv) इकाई के द्वारा समर्पित शपथनामा में यह स्पष्ट किया गया हैं कि इकाई वर्ष 2012 से ESZ के अन्तर्गत है तथा वर्ष 2012 तक JSPCB के द्वारा निर्गत CTO के तहत् कार्यरत थी। वर्त्तमान में इकाई के पक्ष में कोई CTO & Authorization to Hazardous & Waste Disposal, JSPCB के द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

xv) इकाई W.P.(C) No. 7340/2012 में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के दिनांक 05, दिनांक 08.07.2013 के क्रम में पारित न्यायादेश "no coercive step shall be taken against the petitioner" के तहत् वर्त्तमान में कार्यरत है।

➢ इकाई के सम्बंध में निम्न तथ्य महत्वपूर्ण है:–

01– इकाई के द्वारा इस आशय का शपथनामा दिया गया है कि इकाई आगामी 3–4 वर्षो के अन्दर Suitable Land मिलने पर ESZ से शिफ्ट कर लेगी।

02– वर्त्तमान में इकाई के द्वारा 80 (स्थानीय एवं बाहरी) व्यक्तियों को नियोजन प्रदान किया जा रहा हैं, जिसमें ज्यादातर स्थानीय ग्रामीण है।

03– इकाई के द्वारा उत्पादित सामग्री के Clients मुख्यतः सरकारी उपक्रम है।

04– इकाई द्वारा CSR मद में वर्ष 2020 में ग्रामीण महिलाओं में सिलाई मशीन का वितरण, वर्ष 2021 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जगमोहनपुर, मिर्जाडीह, जमशेदपुर के नवीनीकरण (Renovation), वर्ष 2022 में प्राथमिक विद्यालय, गेरूआ, प्रखण्ड बोड़ाम, पूर्वी सिंहभूम के नवीनीकरण (Renovation) एवं वर्ष 2024 में रेड क्रॉस सोसाईटी, जमशेदपुर के सहयोग से

Scanned with CamScanner

नेत्र शल्य चिकित्सा उपकरणो एवं लाभुकों के पौष्टिक भोजन पर रू. 12.88 लाख का व्यय किया गया।

➢ उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में इकाई को पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप कार्य करने हेतु निम्न निदेश दिया गया है :–

01– इकाई को 15 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार औद्योगिक क्षेत्र की भुमि के लिए MD JIADA से आदित्यपुर प्रक्षेत्र के अन्तर्गत Vacant Land/खंद पड़ी इकाई की भूमि को प्राधिकार के प्रचलित दर पर नियम के तहत् उपलब्ध कराने हेतु आवेदन देने का निदेश दिया गया।

02– साथ ही इकाई को स्वयं उपयुक्त भूमि तलाशने हेतु निदेश दिया गया, जिसमें सम्बंधित जिले के उपायुक्त से आवश्यकतानुसार GM Land/CNT Land को Land Pooling के निमित सम्बंधित मौजा के प्रचलित सरकारी दर पर लीज बंदोबस्ती कराने हेतु अनुरोध करने का भी निदेश दिया गया है।

03– वर्त्तमान में इकाई में कच्चा माल लाने एवं तैयार माल को बाहर भेजने हेतु उपयोग में आने वाले भारी वाहनों के आवागमन हेतु इकाई के चारो ओर Haul Road का निर्माण करने का निदेश दिया गया हैं।

04– इकाई में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों के नवीनीकरण यथा बड़े व्यास (Diameter) के Water Pipe Nozzle, Hoist आदि लगाने हेतु इकाई को निदेशित किया गया है।

(Exhibits & Documents attached attached as annexure-A Page No 1-44)

02– सर्वश्री एसआरजी आयरन एण्ड स्टील प्रा.लि., निर्जाडीह, सेल्आ, पो. पटमदा, जमशेदपुर

➢ इकाई के स्थलीय निरीक्षण के क्रम में निम्न तथ्य स्पष्ट हैं :–

i) इकाई लगभग 5.00 एकड़ में वर्ष 1998 में स्थापित हैं एवं वर्ष 2012 से ESZ के भीतर अवस्थित है।

ii) इकाई के मुख्य प्रवेश द्वार के बाएं तरफ CEAT Tyre के Warehousing का कार्य किया जा रहा है।

iii) Warehousing से सटी खुली भूमि में Bottom Flyash/Slag Boiler का स्क्रीनिंग यूनिट स्थापित हैं, जो Diamantle अवस्था में है।

iv) प्रवेश द्वार के ठीक सामने शेड दो भागों में विभाजित हैं, जिसके एक भाग में Flyash Brick निर्माण का Dismantled एवं Defunct Plant स्थापित है। दुसरे भाग में Slag Screening Plant हैं, जो वर्त्तमान में अकार्यरत अवस्था में है।

v) उक्त शेड के पीछे, इकाई की मुख्य योजना Crowbar, Octgonal Bar, Riekaxe इत्यादि स्थापित हैं, जो वर्त्तमान में पूर्णतः Defunct प्रतीत होती है।

vi) इकाई प्रबंधन द्वारा समर्पित शपथनामा में स्पष्ट किया गया है कि इकाई द्वारा Production Facility को आगामी 3–4 वर्षों में ESZ से बाहर उपयुक्त भूमि मिलने पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव हैं।

vii) इकाई को झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जमशेदपुर के पत्रांक 99, दिनांक 30.01.2024 के द्वारा Slag Screening Plant को बन्द करने तथा Dismantle करने का निदेश दिया

Scanned with CamScanner

गया, जिसके क्रम में इकाई के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में W.P.(C) No. 732 of 2024 दायर किया गया है।

viii) इकाई के पक्ष में अन्तिम CTO वर्ष 2011 में निर्गत किया गया, जिसकी वैधता 31.03.2012 थी। वर्त्तमान में किसी प्रकार की अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति निर्गत नहीं है।

➢ इकाई को तत्काल पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप कार्य करने हेतु निम्न निदेश दिया गया है :–

i) मुख्य मार्ग से इकाई तक भारी वाहनों के आवागमन के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु पक्की सड़क का निर्माण।

ii) इकाई के आस–पास वायु में धुल कणों को उड़ने से रोकने हेतु अविलम्ब Water Sprinkler अधिष्ठापन।

iii) इकाई की खाली पड़ी भूमि पर आगामी वर्षा ऋतु में अधिकाधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण।

iv) इकाई को अविलम्ब ESZ से बाहर पुर्नस्थापित करने हेतु स्वयं उपयुक्त भूमि तलाश करने हेतु निदेश दिया गया है।

(Exhibits & Documents attached attached as annexure-B Page No. 1-28)

माननीय NGT के न्यायादेश की कंडिका 04 एवं 05 के क्रम में समिति के द्वारा दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी तथा ESZ के विभिन्न मौजा यथा शहरगेड़ा, मिर्जाडीह, आसनबनी, पारडीह आदि का भौतिक सर्वेक्षण किया गया है, वस्तुस्थिति निम्नवत् हैं :–

i) राष्ट्रीय राजमार्ग 33 की दाहिनी ओर (राँची से टाटा की ओर जाने पर) अधिकांश भाग में मानव बस्तियां, होटल, मोटेल, झोपड़ी, आवासीय कॉलोनी तथा कई बड़ी कंपनियों के Warehouse/Logistic Support Units स्थापित है। 2–3 फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण की इकाईयाँ स्थापित हैं, जो प्रदूषण की श्वेत श्रेणी (White Category) में आती है।

ii) राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के बायें तरफ (राँची से टाटा की ओर जाने पर) शहरगेड़ा मौजा में 5 लाल ईंट निर्माण की इकाईयाँ एवं चिमनियाँ स्थापित हैं जिनमें से एक लाल ईंट निर्माण इकाई सर्वश्री विश्वास ब्रिक्स को JSPCB के द्वारा CTO प्रदान किया गया है तथा 4 लाल ईंट निर्माण की इकाईयाँ बंद पायी गयी है।

iii) साथ ही उक्त मौजा में सर्वश्री भवानी शंकर स्टोन क्रेशर इकाई स्थापित हैं, जिसे JSPCB द्वारा CTO प्रदान किया गया है। जबकि उसी इकाई के ठीक सामने खुली भूमि पर एक क्रेशर प्लांट पाया गया है, जो कार्यरत अवस्था में है। इस सम्बंध में जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ एवं JSPCB से आवश्यक कार्यवाई करने का निदेश दिया गया है।

दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी एवं ESZ की परिधि के अन्तर्गत पर्यावरण की सुरक्षा जन जागरूकता, जन सहभागिता एवं नियामक उपायों के तहत सुनिश्चित किया जा सकता है। इस निमित निम्न पहल की जा सकती है।

i) ESZ की परिधि के अन्तर्गत GM/GNT भूमि की व्यावसायिक कार्यों हेतु लीज बंदोबस्ती पर पूर्ण प्रतिबन्ध।

ii) आवासीय कॉलोनियों, होटल, मोटेल आदि के द्वारा उत्सर्जित कचरा के Disposal पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप किये जाने के निमित अभिप्रेरित किया जाना। इस कार्य हेतु स्थानीय निकायों को सम्मिलित किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

III) दलमा Foothills तथा आश्रयणी की भूमि को अतिक्रमित होने से बचाने के लिए आवश्यकतानुसार Fencing, Boundary Pillar Demarcation किया जा सकता है।

IV) समस्त ESZ में वन्य प्राणी की सुरक्षा, मानव जीवन की सुरक्षा, जंगल आग से बचाव के उपाय, गजराज के भटकाव आदि की स्थिति में सुरक्षित वन्य क्षेत्रों में भेजने तथा ESZ Boundary से सम्बंधित विषयों के प्रचार–प्रसार हेतु Hoarding, Poster, Banner आदि लगाया जा सकता है। उक्त के सम्बंध में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग से अनुरोध किया गया है।

24.06.24
वन क्षेत्र पदाधिकारी,
दलमा वन्यप्राणी पूर्वी
प्रक्षेत्र, जमशेदपुर।

24/6/24
सहायक विद्युत अभियन्ता,
विद्युत आपूर्ति प्रमंडल,
मानगो जमशेदपुर।

24.06.24
कारखाना निरीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम,
जमशेदपुर।

24/6/24
सहायक पर्यावरण
अभिकर्ता
झारखण्ड प्रदूषण
नियंत्रण पर्षद,
सरायकेला–खरसावाँ

24.06.24
महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
पश्चिमी सिंहभूम,
चाईबासा।

24/06/24
कारखाना निरीक्षक
सरायकेला–खरसावाँ

ज्ञापांक:–202 /चाईबासा, दिनांक:–25/6/ /2024

प्रतिलिपि:– आयुक्त के सचिव, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा /सभी सम्बंधित पदाधिकारियो को सूचनार्थ प्रेषित।

25.06.2024
महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा।

Scanned with CamScanner

कार्यालय महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा।

पत्रांक 162 /चाईबासा, दिनांक 24 / 05 /2024

प्रेषक,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा।

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,
सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड,
मिड ईस्टर्न रीजन,
पटना, बिहार-800001

विषय :- दलमा ईको सेंसिटिव जोन में भूजल सम्बन्धी क्रियाकलापों को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- 596/नयी दिल्ली, दिनांक 29/03/2012 के प्रावधानुसार लागू करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग. - प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा का ज्ञापांक-325, दिनांक-23/04/2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक, प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि दिनांक-23/04/2024 को प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा की अध्यक्षता में अक्षुण्ण दलमा वन्य प्राणी अभयारण्य, ईको सेंसिटिव जोन निगरानी समिति की बैठक में ईको सेंसिटिव जोन में भूजल सम्बन्धी क्रियाकलापों को उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के प्रावधानुसार लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है (प्रति संलग्न)।

ज्ञातव्य हो कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की उक्त अधिसूचना की कंडिका (6) में निम्नवत प्रावधान किये गए है:-

(क) भूमि के अतिभोगी को, खेती और घरेलू उपयोग के लिए भू जल को निकालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोगहेतु भू जल निकालने के लिए राज्य भू जल बोर्ड और निगरानी समिति से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी जिसके अंतर्गत ऐसी मात्रा भी है, जो उससे से निकाली जा सकती है।

(ग) भूजल की कोई बिक्री पैरा 4 के अधीन गठित निगरानी समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जायेगी।

(घ) अभयारण्य और वन क्षेत्रों से भिन्न ईको सेंसिटिव जोन के भीतर विद्यमान सुविधाओं से जल का संरक्षण और उसका वितरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंधों के अनुसार विनियमन किया जाएगा।

(ङ) जल के संदूषण या प्रदूषण को इसके अंतर्गत गतिविधियों से संदूषण या प्रदूषण भी है, रोकने के लिए समुचित उपाय किये जायेंगे।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि दलमा ईको सेंसिटिव जोन में भू-जल सम्बन्धी क्रियाकलापों को उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लागू करने की कृपा की जाय एवं सुलह कार्यवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वजीत मुखर्जी
24.05.24
भहाप्रबंधक,
जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा।

Scanned with CamScanner

कार्यालय महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा

पत्रांक _____/ कैम्प जमशेदपुर, दिनांक____/____/2024

प्रेषक,

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा।

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,
सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड,
मिड ईस्टर्न रीजन,
पटना बिहार–800001

विषय :– दलमा ईको सेंसिटिव जोन में भू–जल सम्बंधित क्रिया कलापों को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना स०–595/नयी दिल्ली, दिनांक 29/03/2012 के प्रावधानानुसार लागू करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– कार्यालय पत्रांक 162/चाईबासा, दिनांक 24/05/2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी, ईको सेंसिटिव जोन की निगरानी समिति की बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में उक्त क्षेत्र में भू–जल से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना स.– 595/नयी दिल्ली, दिनांक 29/03/2012 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लागू करने का अनुरोध किया गया है।

संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न करते हुए पुनः अनुरोध है कि दलमा ईको सेंसिटिव जोन में भू–जल से सम्बंधित क्रियाकलापों को अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लागू करते हुए कृत कारवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा किया जाए।

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
महाप्रबंधक
जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा।

ज्ञापांक 79 /कैम्प जमशेदपुर, दिनांक 02 / 08 /2024
प्रतिलिपि – प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान प्रमण्डल), चाईबासा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा।

Scanned with CamScanner

कार्यालय महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा

पत्रांक _____/ कैम्प जमशेदपुर, दिनांक____/____/2024

प्रेषक,

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा।

सेवा में,

निदेशक,
सर्वश्री एस.आर.जी. आयरन एंड स्टील प्रा. लि.,
गेरुआ, पटमदा, पूर्वी सिंहभूम।

विषय - आपकी इकाई को विखण्डित (Dismantle) करने अथवा दलमा ईको सेंसिटिव जोन से बाहर स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि दिनांक 11/06/2024 को दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी, ईको सेंसिटिव जोन की निगरानी के निदेश के आलोक में गठित समिति के स्थल निरीक्षण के क्रम में आपकी इकाई द्वारा Slag Screening Plant को बंद करने एवं विखंडित (Dismantle) करने का निदेश दिया गया था। साथ ही, आपके द्वारा दिए गए शपथनामा में इकाई को दलमा ईको सेंसिटिव जोन से बाहर स्थानांतरित करने की बात कही गयी है। उक्त के सम्बन्ध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अवगत कराया जाना है।

उक्त के आलोक में निदेश है कि आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अब तक की गयी कारवाई से शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराने की कृपा किया जाए।

विश्वासभाजन
ह0/-
महाप्रबंधक
जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा।

ज्ञापांक 80 /कैम्प जमशेदपुर, दिनांक 02 / 08 /2024
प्रतिलिपि – प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान प्रमण्डल), चाईबासा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02/08/24
महाप्रबंधक
जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा।

Scanned with CamScanner

कार्यालय महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा

पत्रांक _____/ कैम्प जमशेदपुर, दिनांक____/____/2024

प्रेषक,

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा।

सेवा में,

निदेशक,
सर्वश्री एस. टी. पी.,
गिर्जाडीह, डिमना रोड,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय :– सर्वश्री एस. टी. पी. को दलमा ईको सेंसिटिव जोन से स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिनांक 11/06/2024 को दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी, ईको सेंसिटिव जोन की निगरानी समिति के निदेश के आलोक में गठित समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की क्रम में 15 दिनों के अंदर आपकी इकाई को जियाडा आदित्यपुर क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु आवेदन करने एवं अन्यत्र भूमि तलाश करने का निदेश दिया गया था। साथ ही आपके द्वारा गए गए शपथनामा में इकाई को दलमा ईको सेंसिटिव जोन से बाहर स्थानांतरित करने की बात कही गयी है। उक्त के सम्बन्ध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अवगत कराया जाना है।

उक्त के आलोक में निदेश है कि आपके द्वारा इकाई के स्थानांतरण से सम्बंधित की गयी कारवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा करें।

विश्वासभाजन
ह0/–
महाप्रबंधक
जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा।

ज्ञापांक 81 /कैम्प जमशेदपुर, दिनांक 02/08/2024
प्रतिलिपि: – प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान प्रमण्डल), चाईबासा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02/08/24
महाप्रबंधक
जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा।

Scanned with CamScanner

Action Taken Report GM DIC Chaibasa

- दिनांक 11/08/2024 को दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी, ईको सेंसिटिव जोन के निर्देश के [illegible] गठित समिति द्वारा सर्वश्री एस. टी. पी., निर्जाडीह, डिमना रोड, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर और सर्वश्री [illegible] आर.जी. आयरन एंड स्टील प्रा. लि., नेरुआ, पटमदा, पूर्वी सिंहभूम सहित अन्य इकाइयों का [illegible] निरीक्षण किया गया।
- सर्वश्री एस.आर.जी. आयरन एंड स्टील प्रा. लि. द्वारा Slag Screening Plant को बंद करने एवं विस्थापित (Dismantle) करने एवं इकाई को दलमा ईको सेंसिटिव जोन से बाहर स्थानांतरित करने का निदेश दिया गया।
- पुन. पत्रांक 80/कैम्प जमशेदपुर, दिनांक 02/08/2024 के माध्यम से सर्वश्री एस.आर.जी. आयरन एंड स्टील प्रा. लि को अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु स्मार कराया गया है।
- सर्वश्री एस टी. पी. को जियाडा आदित्यपुर क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु आवेदन करने एवं अन्यत्र भूमि तलाश करने का निदेश दिया गया।
- पुन. पत्रांक 81/कैम्प जमशेदपुर, दिनांक 02/08/2024 के माध्यम से सर्वश्री एस. टी. पी को अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु स्मार कराया गया है।
- पत्रांक 162/चाईबासा, दिनांक 24/05/2024 के माध्यम से क्षेत्रीय निदेशक, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मिड ईस्टर्न रीजन, पटना, बिहार को दलमा ईको सेंसिटिव जोन में भू-जल से सम्बोधित क्रियाकलापों को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं- 596/नयी दिल्ली, दिनांक 29/03/2012 के प्रावधानों के अनुरूप लागु कराने हेतु पत्राचार किया गया। (प्रतिवेदन अप्राप्त)
- पत्रांक 79/कैम्प जमशेदपुर, दिनांक 02/08/2024 के माध्यम से क्षेत्रीय निदेशक, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिड ईस्टर्न रीजन, पटना, बिहार को स्मार कराया गया।
- पत्रांक 154/चाईबासा, दिनांक 17/04/2024 को सर्वश्री टाटा स्टील, बिस्टुपुर, जमशेदपुर स इकाई के वैसे वेंडर्स, जिन्होंने ईको सेंसिटिव जोन में अपना उद्योग स्थापित किया है अथवा उस क्षेत्र में [illegible] ऐश/स्लैग डंप कर रहे हैं, उन्हें रोकने के निमित्त आवश्यक कारवाई करने हेतु पत्राचार किया गया है। (पत्र एवं सर्वश्री टाटा स्टील का उत्तर संलग्न)
- दिनांक 03/08/2024 को झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, आदित्यपुर के साथ संयुक्त जांच समिति द्वारा कुल 78 इकाइयों का स्थलीय निरीक्षण किया गया (जांच प्रतिवेदन संलग्न)

Scanned with CamScanner

झारखण्ड सरकार

प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, सिंहभूम(कोल्हान)प्रमण्डल, चाईबासा।

ई-मेल आईडी० — comm_cbsa@rediffmail.com

पत्रांक :– ५९९ दिनांक :– 14-08-2024

प्रेषक,

प्रमण्डलीय आयुक्त,
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल,
चाईबासा–सह– अध्यक्ष,
निगरानी समिति दलमा ईको सेंसेटिव जोन,
दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी।

सेवा में,

Dr. Veenu Joon
Scientist ' E'
Indira Paryavaran Bhawan, Jor bagh Road, Aligunj,
Minisitry of Enivironment, Forest and Climate Change
(ESZ- Division) Government of India
New Delhi- 110003

विषय :– O.A .No- 145 of 2023 (EZ) titled as tribunal on its own motion vs state of Jharkhand & Ors- reg.

प्रसंग :– आपका पत्रांक– 02/03/2024–ESZ दिनांक 22.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में निगरानी समिति दलमा वन्य आश्रयणी, ईको सेंसिटिव जोन के द्वारा दिनांक 06.08.2024 को किये गये स्थलीय निरीक्षण के दौरान दिये गये निदेश के आलोक में उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर –सह– संयोजक निगरानी समिति, दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी इको सेंसिटिव जोन के पत्रांक– 2060 दिनांक 08.08.2024, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र चाईबासा के पत्रांक–82 दिनांक 06.08.2024 एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् जमशेदपुर के पत्रांक–863 दिनांक 05.08.2024 द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदनों की छायाप्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

17/8/2024

प्रमण्डलीय आयुक्त,
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल,
चाईबासा–सह– अध्यक्ष,
निगरानी समिति दलमा ईको सेंसेटिव जोन,
दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी।

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

पत्रांक : 863 दिनांक : 05/8/2024

मेमफै.

राम प्रवेश कुमार,
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
जमशेदपुर।

सेवा में,

प्रमण्डलीय आयुक्त,
सह–अध्यक्ष मॉनिटरिंग समिति दलमा इको सेन्सेटिव जोन,
चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम।

विषय :– **O.A. No.–145/2023 (EZ) titled as Tribunal on its own Motion Vs State of Jharkhand & 075** के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय के पत्रांक–574 चाईबासा, दिनांक–05.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि O.A. No.-145/2023 (EZ) से संबंधित दिनांक–22.07.2024 को सम्पन्न बैठक में दिए निदेश के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–846 दिनांक–01.08.2024 द्वारा भवदीय को मेल द्वारा भेजी जा चुकी है। पुनः उक्त कार्रवाई की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0–यथो0।

विश्वासभाजन
05/08/24
(राम प्रवेश कुमार)
क्षेत्रीय पदाधिकारी, जमशेदपुर।

Saraw_for_Hindi_24/Page 230

Scanned with CamScanner

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE-CUM-LABORATORY, MB/15 NEW HOUSING COLONY
ADITYAPUR, JAMSHEDPUR.
Web Site- jspcb.org/ Phone– 0657-2383241/ Fax- 0657-2383985

By-Email
Hon'ble NGT matter – Time Bound (Urgent)

पत्रांक
प्रेषक,

दिनांक : .....

राम प्रवेश कुमार,
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
जमशेदपुर।

सेवा में,

उप श्रम संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
भज ,पदियोजना–सह–संयोजक, निगरानी समिति, इको सेन्सेटिव जोन,
दलमा, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम।

विषय :– दिनांक - 05.06.2024 को निगरानी समिति के द्वारा वन्यप्राणी आश्रयणी ईको सेन्सिटिव जोन की क्षेत्र भ्रमण एवं बैठक के कार्यवाही के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रसंग भवदीय पत्रांक 1495 दिनांक 27.07.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक मे दिनांक 05.06.2024 को निगरानी समिति के द्वारा वन्यप्राणी आश्रयणी ईको सेन्सिटिव जोन की क्षेत्र भ्रमण एवं बैठक की कार्यवाही के आलोक मे प्रमण्डलीय आयुक्त सिंहभूम,कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा-सह-अध्यक्ष, मॉनिटरिंग समिति, दलमा ईको सेन्सिटिव जोन के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है:-

1. M/s STP Limited का निरीक्षण संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 11.06.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान इकाई संचालित पाई गई। इकाई को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने हेतु पूर्व मे भी दिशा निर्देश दिए गए थे। पुनः स्थानांतरित करने की समय सीमा से पर्षद को अवगत कराने हेतु पत्रांक – 730 दिनांक– 05.07.2024 द्वारा स्मार पत्र निर्गत किया गया है। (छाया प्रति संलग्न)
2. M/s SRG Iron Limited का निरीक्षण संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 11.06.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान इकाई बंद पाई गई परंतु इकाई को अभी तक डिसमेंटल नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में इकाई को पूर्व मे भी दिशा निर्देश दिए गए थे तथा अनुपालन हेतु पत्रांक 719 दिनांक 05.07.2024 द्वारा स्मार पत्र निर्गत किया गया है। (छाया प्रति संलग्न)
3. M/s Balajee Steel Udyog Ltd का निरीक्षण दिनांक 23.07.2024 को पर्षद की टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान इकाई आंशिक रूप से चालू अवस्था में पाई गई। उक्त के आलोक मे इकाई को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या - 596 दिनांक - 29.03.2012, दलमा वन्य जीव अभयारण्य की अधिसूचना संख्या- 3 (1)क० के अनुसार " इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ईको सेन्सिटिव जोन के भीतर स्थापित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । " का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया है। (छाया प्रति संलग्न)।

सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्यवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

ह0/–
(राम प्रवेश कुमार)
क्षेत्रीय पदाधिकारी, जमशेदपुर।

ज्ञापांक - 846 /, आदित्यपुर, दिनांक :- 01-8-2024

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, कोल्हान –सह अध्यक्ष, मॉनिटरिंग समिति, इको सेन्सिटिव जोन, दलमा को सूचनार्थ प्रेषित।

(राम प्रवेश कुमार) 01/08/24
क्षेत्रीय पदाधिकारी, जमशेदपुर।

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0 / 15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone- 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

स्मार पत्र

दिनांक : 5.7.2024

पत्रांक 730

प्रेषक,

राम प्रवेश कुमार,
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
जमशेदपुर।

सेवा में,

M/s STP Ltd.
ग्राम–मिर्जाडीह, डिमना रोड, मानगो,
जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम।

विषय :– इकाई में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर संचालन सहमति एवं हजार्डस वेस्ट प्राधिकरण के संबंध में।

प्रसंग – पत्रांक–100 जमशेदपुर दिनांक–30.01.2024

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगाधीन पत्र द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि इकाई में स्थापित चिमनी में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की समुचित जानकारी तथा H/W का प्राधिकरण पत्र समर्पित करें। साथ ही इकाई कब से बन्द है एवं इकाई को किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने की समय सीमा से पर्षद को अवगत करावें।

आपको सूचित करना है कि संयुक्त जाँच समिति द्वारा दिनांक–11.06.2024 को आपके इकाई का स्थल निरीक्षण के दौरान आपकी इकाई संचालित पायी गयी। परन्तु आपके द्वारा अभी तक उपरोक्त पत्र का समुचित अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र के अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करते हुए इकाई को किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने की समय सीमा से पर्षद को अवगत करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

(राम प्रवेश कुमार) 05/07/24
क्षेत्रीय पदाधिकारी, जमशेदपुर।

Surveillance/Hindi/24/Page 163

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0बी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone- 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

स्मार पत्र

पत्रांक 729

दिनांक : 5.7.2024

प्रेषक,

राम प्रवेश कुमार,
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
जमशेदपुर।

सेवा में

M/s S.R.G. Iron & Steel Ltd.
ग्राम–गैरूआ, पटमदा,
जिला–पूर्वी सिंहभूम।

विषय :– इकाई में स्लैग स्क्रीनिंग के संचालन के संबंध में।

प्रसंग – पत्रांक–99 जमशेदपुर दिनांक–30.01.2024

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगाधीन पत्र द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आपको द्वारा इकाई में स्थापित Slag Screening Plant को अविलंब बन्द कर dismental करे एवं डिस्मेन्टल करने की सूचना पर्षद को अतिशीघ्र समर्पित करें।

आपको सूचित करना है कि संयुक्त जाँच समिति द्वारा दिनांक–11.06.2024 को आपके इकाई का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्लैग क्रशिंग इकाई का संचालन बंद है, परन्तु उक्त इकाई को अभी तक dismental नहीं किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्रों का अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब इस कार्यालय में समर्पित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

(राम प्रवेश कुमार) 05/07/24
क्षेत्रीय पदाधिकारी, जमशेदपुर।

Naveen_Jsr_Misc 24/Page 164

Scanned with CamScanner

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

क्षेत्रीय कार्यालय–सह–प्रयोगशाला, एम0वी0/15, न्यू हाउसिंग कॉलोनी
आदित्यपुर, जमशेदपुर।
Web Site- jspcb.nic.in/ Phone- 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

दिनांक : .....

[illegible]
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
[illegible]।

प्रबंधक,
मेसर्स कलाजी स्टील उद्योग,
बालीगुमा, मिर्जाडीह, जमशेदपुर,
जिला–पूर्वी सिंहभूम।

विषय :– दलमा इको सेंसेटिव जोन के अंदर इकाई का संचालन नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के प्रसंग में सूचित करना है कि दिनांक–23.07.2024 को आपकी इकाई का स्थल निरीक्षण श्री प्रवीण कुमार (कनीय पर्यावरण अभियंता) एवं श्री आसिफ आलम, परानर्शी कार्यकारी के द्वारा इकाई के कर्मी श्री शम्भु मिश्रा, लेखापाल के उपस्थित में किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा उक्त इकाई में गैती, कुदाल, खुदाई पार, फावड़ा, ब्रो–बार इत्यादि का उत्पादन किया जाता है तथा इकाई के कर्मी श्री शम्भु मिश्रा के द्वारा बताया गया कि एक महीने से इकाई कार्य बंद है।

[illegible] के दौरान इकाई प्रांगण में मरम्मति/रख–रखाव का कार्य करते हुए लगभग 6 से 7 मजदूर [illegible] में बनी गैती, कुदाल, खुदाई पार, फावड़ा एवं ब्रो–बार को Manual painting करते हुए पाया गया। [illegible] Iron Scrap सामग्री, Iron Slag एवं Slag Crushing dust भारी मात्रा में एकत्रित पाया गया। इकाई प्रांगण में Slag Crushing का कार्य स्थल निरीक्षण वाले अवस्था में प्रतीत होता है।

आपकी इकाई को पर्षद द्वारा स्थापना अथवा संचालन सहमति प्राप्त नहीं है तथा आपकी इकाई दलमा इको सेंसेटिव जोन के अन्तर्गत आती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–596 दिनांक–29.03.2012 दलमा वन्य जीव अभयारण्य की कंडिका संख्या–3 (1)(क) के अनुसार " इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर या उसके पश्चात, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को, इको सेन्सिटिव जोन के भीतर स्थापित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
ह0/–
(राम प्रवेश कुमार)
क्षेत्रीय पदाधिकारी, जमशेदपुर।

ज्ञापांक : ——————/ आदित्यपुर, दिनांक :——————

प्रतिलिपि :– उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, राज परियोजना–सह–संयोजक, निगरानी समिति, इको सेन्सेटिव जोन, दलमा, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(राम प्रवेश कुमार)
क्षेत्रीय पदाधिकारी, जमशेदपुर।

ज्ञापांक : 844 /आदित्यपुर, दिनांक : 31-7-2024

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राम प्रवेश कुमार) 31/7/24
क्षेत्रीय पदाधिकारी, जमशेदपुर।

Jamshedpur/Jharkhand/24/Page 115

Scanned with CamScanner

Annexure-4

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 2012/चैत्र 9, 1934

No. 596] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2012/CHAITRA 9, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2012

का.आ. 680(अ).—दलमा वन्यजीव अभयारण्य, जमशेदपुर झारखंड के सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिले में ..... 22° 46'30" और 22° 57' एन. और देशांतर 86° 3'15" और 86° 26'30" ई. के मध्य स्थित है और इसका विस्तार क्षेत्र 193.5077 वर्ग किलोमीटर है ;

और एशियाई हाथी, दलमा वन्यजीव अभयारण्य में बेहद महत्वपूर्ण प्रजाति है, लेकिन इसके अलावा भी कई लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे कि रीसस, जंगली कुत्ता, मालबार हिरण, भारतीय विशाल गिलहरी, अजगर, छिपकली, नाग, ईगल, आदि भी इस अभयारण्य में पाए जाते हैं;

और इस अभयारण्य के जंगल बारिश के पानी को बाहर जाने से रोकते हैं, और जमीन के पानी को रिचार्ज करने में मदद करते हैं साथ ही मिट्टी कटाव को रोककर कीचड़ और सिल्ट के जमाव से नदियों और झरनों की रक्षा करते हैं । अभयारण्य के अंदर 159 जलधाराओं का संजाल है जो पूरे अभयारण्य में फैला हुआ है । इसमें से 82 सदाबहार या अर्द्ध सदाबहार है बाकी 77 जलधाराएं मौसमी प्रकृति की हैं, जो खुरमी नदी, सुवर्णरेखा नदी और डिमना झील को पानी से भरती हैं;

और यह आवश्यक है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय बिंदु से सुरक्षित और संरक्षित किया जाए ;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुच्छेद (XIV) अनुच्छेद (V) के साथ पठित और उप-धारा (1) के अधीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना संख्या 691(ई) दिनांक 5 अप्रैल, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण में, जैसा कि पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रकाशित होने वाले संभावित व्यक्तियों की आपत्तियों और सुझाव राजपत्र में उपयुक्त अधिसूचना को जनसाधारण के लिए उपलब्ध होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर मांगे गए थे;

और उपर्युक्त अधिसूचना की राजपत्र में छपी प्रतियां जनसाधारण को 5 अप्रैल, 2011 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (V) तथा खंड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य में दलमा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र को सेंयेा, जैसा कि निम्नलिखित उपाबद्ध रूप में दर्शायी गयी सीमा के भीतर पांच किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेन्सिटिव जोन (जिसको इसमें इसके पश्चात् इको सेन्सिटिव जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है ।

1. **दलमा वन्यजीव अभयारण्य के इको-सेन्सिटिव जोन की सीमाएं.** - (1) दलमा वन्यजीव अभयारण्य दलबम और सरायकेला के वनों, जो कि झारखंड का वन प्रभाग है और पश्चिम बंगाल के जमशेदपुर बस्ती और चान्दील के उप प्रभागीय शहर जो दलमा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से लगभग 0-5 किमी. पर है, तक फैला हुआ है।

(2) उपरोक्त झारखंड में इको सेंसिटिव जोन 522.98 वर्ग किलोमीटर के निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करता है अर्थात :

(i) अंत क्षेत्र स्थित गांव :

गावों की कुल संख्या: - 95
इको सेन्सिटिव जोन में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र :-

गैर वन क्षेत्र	-	200.28 वर्ग किलोमीटर
वन क्षेत्र	-	198.30 वर्ग किलोमीटर
कुल	=	**398.58 वर्ग किलोमीटर;**

(ii) संरक्षित क्षेत्रों की सीमा के बाहर स्थित गांव :

गांव की कुल संख्या - 51
इको सेन्सिटिव जोन मे सम्मिलित होने वाले क्षेत्र :-

गैर वन क्षेत्र	-	80.45 वर्ग किलोमीटर
वन क्षेत्र	-	43.95 वर्ग किलोमीटर
कुल	=	**124.40 वर्ग किलोमीटर है;**

(iii) विकास खंड :-

पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा, जमशेदपुर और गोलमुरी जमशेदपुर खंड और सरायकेला और खरसावां जिले के सांडिल और नीमडीह खंड

(iv) जिलावार क्षेत्र :

जिले का नाम	इको-सेन्सिटिव जोन का क्षेत्र
पूर्वी सिंहभूम	377.89 वर्ग किलोमीटर
सरायकेला-खारसावां	145.09 वर्ग किलोमीटर
कुल	**522.98 वर्ग किलोमीटर**

(3) इको सेन्सिटिव जोन का नक्शा, **उपाबद्ध 1** में और दलमा इको सेन्सिटिव जोन में आने वाले गांवों की सूची, **उपाबद्ध 2** के रूप में इस अधिसूचना से संलग्न

2. **दलमा इको-सेन्सिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान.**- (1) दलमा इको सेन्सिटिव जोन का जोनल मास्टर प्लान, राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से तैयार किया जाएगा, जो कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), राज्य में तत्समय प्रवृत्त नगर एवं ग्राम योजना से संबंधित विधि में विनिर्दिष्ट किया गया है, प्रभागीय कार्य योजनाओं और निर्देश केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे जो कि इस अधिसूचना के जारी होने के बाद एक वर्ष के भीतर केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होंगे ।

(2) जोनल मास्टर प्लान को सभी संबंधित राज्यो विभागों जैसे पर्यावरण और वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका, राजस्व और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विभागों के परामर्श से पर्यावरण और पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करने की दृष्टि से तैयार किया जाएगा ।

(3) जोनल मास्टर प्लान, वृक्षहीन क्षेत्र को प्रत्यावर्तित करने, विद्यमान जल निकायों का संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मिट्टी और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदाय और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अन्य पहलुओं की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करेगा।

(4) जोनल मास्टर प्लान, सभी विद्यमान पूजा स्थानों, गांवों, बस्तियों, वनों के प्रकारों और वनों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्रों, उद्यान क्षेत्रो, बगीचो, झीलो और अन्य जल निकायों की सीमा निर्धारित करेगा।

(5) चाय बागानी, बागवानी क्षेत्रों, कृषि फार्मों आदि का हरित उपयोग से गैर हरित उपयोग मे परिवर्तन नहीं किया जायेगा परन्तु इस अधिसूचना की तारीख को विद्यमान स्थानीय निवासियों और प्राकृतिक वृद्धि की आवासीय आश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उद्देश्य के साथ उनका उपयोग कृषि योग्य जमीन को स्थानीय आबादी को रहने के लिए दिया जा सकता है तो भी इस शर्त के साथ कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर कोई भी कंक्रीट का निर्माण अनुज्ञात नही किया जाएगा।

(6) इको-सेन्सिटिव जोन के लिए जोनलमास्टर प्लान की तैयारी और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका अनुमोदन विधाराधीन है। सभी नए क्रियाकलाप (संलग्नक 3 में विनिर्दिष्ट) केवल प्रस्तावों को पैरा 4 मे निर्दिष्ट समिति द्वारा संवीक्षित और अनुमोदित किए जाने के पश्चात अनुज्ञात किया जाएगा।

(7) कृषि क्षेत्र, हरित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को पारिणामिक रूप से कम नही किया जाएगा और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों को वन क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(8) जोनल मास्टर प्लान, इको सेन्सिटिव जोन की मॉनीटरी समिति के लिए एक निर्देश दस्तावेज होगा। जिसे वो किसी शिथिलीकरण का विचार करने सहित उनके द्वारा किए जाने वाले विनिश्चय के लिए उपयोग कर सकेंगे।

(9) केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार अन्य उपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगी यदि इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में आवश्यक समझा जाता है ।

3. इको सेन्सिटिव जोन में प्रतिषिद्ध, विनियमित और अनुज्ञात क्रियाकलाप.- इस पैरा के उपबंधो के अधीन रहते हुए इको सेन्सिटिव जोन में कार्यकलाप, इस अधिसूचना के उपाबद्ध 3 के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

(1) औद्योगिक इकाइयां :

(क) इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर या उसके पश्चात्, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को, इको सेन्सिटिव ज़ोन के भीतर स्थापित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) किसी भी गैर प्रदूषणकारी, गैर खतरनाक, छोटे पैमाने पर या सेवा उद्योग, कृषि, फूलों की खेती, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग स्वदेशी माल से जो कि इको-सेन्सिटिव ज़ोन से हो और पर्यावरण पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हो, और इस प्रकार के उद्योगों को इको-सेन्सिटिव ज़ोन में अनुमति दी जा सकेगी ।

(ग) लकड़ी पर आधारित किसी भी नए उद्योग की स्थापना को इको सेन्सिटिव ज़ोन की सीमाओं में अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(2) उत्खनन और खनन:

(क) इको सेन्सिटिव ज़ोन मे स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय किसी प्रकार के खनन कार्य को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) इको सेन्सिटिव ज़ोन में किसी क्रशिंग कियाकलाप को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(3) निर्माण क्रियाकलाप :

दलमा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से तीन सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी प्रकार के नए निर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) पेड़ :

पेड़ वन भूमि के लिए राज्य सरकार तथा सरकारी, राजस्व और निजी भूमि के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को राज्य सरकार द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार पूर्व अनुमति के लिए देने का अधिकार है, वन, सरकारी, राजस्व अथवा निजी भूमि पर से पेड़ों की कटाई नहीं होगी ।

(5) पर्यटन :

पर्यटन गतिविधियों को पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जिसमें कि इको टुरिज्म, इको एजुकेशन और इको डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर हो, उसे राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया जाने वाला, जो ज़ोनल मास्टर प्लान का भाग भी होगा ।

(6) प्राकृतिक विरासत स्थल :

(क) इको सेन्सिटिव ज़ोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत स्थलों की पहचान की जाएगी विशेष रूप से रॉक संरचनाएं, झरने, चूत, स्प्रिंग्स, घाटियों, पेड़ो, गुफाएं, स्थल, सैर, सवारी आदि और उनके संरक्षण के लिए योजना प्राकृतिक सेटिंग को ज़ोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ।

(ख) विरासत स्थलों के आसपास विकास या निर्माण क्रियाकलाप प्राकृतिक और मानव निर्मित विरासत, पर्यावरण और वन मंत्रालय मे केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की साइटों के संरक्षण के लिए मॉडल [illegible] के अनुसार विनियमित किया जाएगा । ये योजनाएं ज़ोनल मास्टर प्लान और उप-ज़ोनल मास्टर प्लान का हिस्सा है।

(7) मानव निर्मित विरासत स्थल :

(क) इको-सेन्सिटिव जोन में भवन संरचनाएं, कलाकृतियां क्षेत्र और ऐतिहासिक, वास्तुकला, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व को पहचान कर उनके संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई जायेगी, विशिष्टतया उनके अंदरूनी विशेष रूप से अपने बाहरी जहां भी उचित वहां पर क्षेत्रीय और उप-जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ।

(ख) विरासत स्थलों पर या उसके आसपास विकास या निर्माण क्रियाकलापों का उप पैरा (6) के खंड (ख) में निर्दिष्ट, प्राकृतिक और मानव निर्मित विरासत स्थलों के लिए मॉडल विनियम के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

(8) भूजल :

(क) भूमि के अधिभोगी को, खेती और घरेलू उपयोग के लिए भू-जल को निकालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-जल निकालने के लिए राज्य भू-जल बोर्ड और निगरानी समिति से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी जिसके अंतर्गत ऐसी मात्रा भी है जो उसमे से निकाली जा सकती है ।

(ग) भू-जल की कोई बिक्री पैरा 4 के अधीन गठित निगरानी समिति के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं की जाएगी ।

(घ) अभयारण्य और वन क्षेत्रों से भिन्न इको सेन्सिटिव जोन के भीतर विद्यमान सुविधाओं से जल के संरक्षण और उसका वितरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

(ङ) जल के संदूषण या प्रदूषण को जिसके अंतर्गत गतिविधियों से संदूषण या प्रदूषण भी है, रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे ।

(9) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण :

(क) जोनल मास्टर प्लान पहाड़ी ढलानों पर ऐसे क्षेत्रों को उपदर्शित करेगा, जिन पर किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) खड़ी पहाड़ी ढलानों या उच्च मात्रा में कटाव वाले विद्यमान ढलानों पर किसी तरह के निर्माण की अनुमति नही दी जाएगी ।

(10) सड़क :

इको सेन्सिटिव जोन में विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और मजबूत बनाना तथा नई सड़कों का निर्माण अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(11) प्लास्टिक का उपयोग :

कोई भी व्यक्ति इको सेन्सिटिव जोन में प्लास्टिक बैग उपयोग नहीं करेगा या प्लास्टिक की वस्तुओं का व्ययन नहीं प्रतिषिद्ध होगा ।

(12) ध्वनि प्रदूषण :

राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग या वन विभाग को इको सेन्सिटिव जोन में ध्वनि-नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश और विनियम बनाने और जारी करने का प्राधिकार होगा ।

(13) बहिस्रावों का निस्तारण :

इको-सेंसिटिव जोन के भीतर किसी जल निकाय या भूमि में अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव का निस्तारण किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अवचारित अपशिष्ट जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुरूप होगा।

(14) ठोस अपशिष्ट :

(क) निष्कासन को इको- सेंसिटिव जोन में ठोस अपशिष्ट व्ययन नहीं किया जाएगा; परन्तु निगरानी समिति केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना स. का.आ. 908 (अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000 द्वारा अधिसूचित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार ऐसे ठोस अपशिष्टों के व्ययन के लिए स्थल की पहचान करेगी।

(ख) (i) स्थानीय प्राधिकारी बाइओडिग्रेडबल और गैर बाइओडिग्रेडहबल घटकों में ठोस अपशिष्टों के पृथक्करण के लिए योजनाए तैयार करेंगे ।

(ii) बाइओडिग्रेडबल सामग्री का अधिमानी रूप से कम्पोस्टिंग और वर्मी कल्चर के माध्यम से पुनःचक्रण किया जायेगा।

(iii) अकार्बनिक सामग्री को इको सेंसिटिव जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में व्ययनित किया जा सकेगा; और

(iv) इको सेंसिटिव जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाने या जलाए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(15) प्राकृतिक झरने:

सभी झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी तथा सूख चुके झरनों को उनके प्राकृतिक रूप में संरक्षण और पुनर्जीवित करने की योजना को जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा तथा राज्य सरकार इन क्षेत्रों पर या उनके आसपास क्रियाकलाप को प्रतिबद्ध करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगी ।

4. **निगरानी समिति** (1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के अनुपालन की निगरानी के लिए दलमा इको-सेंसिटिव जोन निगरानी समिति नामक एक समिति का गठन करती है;

(2) उप पैरा (1) में निर्दिष्ट निगरानी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी; अर्थात् :-

(क) आयुक्त, कोल्हान राजस्व प्रभाग अध्यक्ष;

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(ग) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 16) की धारा 3 की उप धारा के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(घ) वन और पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(ङ) खनन विभाग, झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(च) उद्योग विभाग, झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(छ) राजस्व विभाग, झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(ज) सिंचाई विभाग, झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(झ) लोक निर्माण विभाग, झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य.

(ञ) पर्यावरण के क्षेत्र जिसके अंतर्गत (विरासत संरक्षण भी है में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि) जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य;

(ट) क्षेत्रीय अधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रांची - सदस्य,

(ठ) सीनियर टाउन प्लानर झारखंड संरकार - सदस्य;

(ड) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ, जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य

(ढ) प्रभागीय वन अधिकारी, दलमा वन्यजीव अभयारण्य का भारसाधक - संयोजक

(3) निगरानी समिति की शक्तियों और कृत्य और इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन और निगरानी तक निर्बन्धित होगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनके भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533, तारीख 14 सितंबर, 2006 के उपबंधों के अधीन पूर्व अनुमति अपेक्षित है। निगरानी समिति उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन ऐसे मामलों को पूर्व अनापत्तियो के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट करेगी।

(5) निगरानी समिति संबंधित विभागों या संगठनों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियो को, मुद्दे-दर-मुद्दे आधारित अपेक्षाओं के आधार पर उनके विचार-विमर्शों पर निर्भर करते हुए सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) निगरानी समिति का अध्यक्ष या संयोजक किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक अपने क्रियाकलापो को ध्यान में गई कार्रवाई संबंधी वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय, समय-समय पर निगरानी समिति को ऐसे निर्देश देगी, जो वह निगरानी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

उपाबद्ध 1

(अनुच्छेद 1(3) देखें)

दलमा इको सेन्सिटिव का मैप

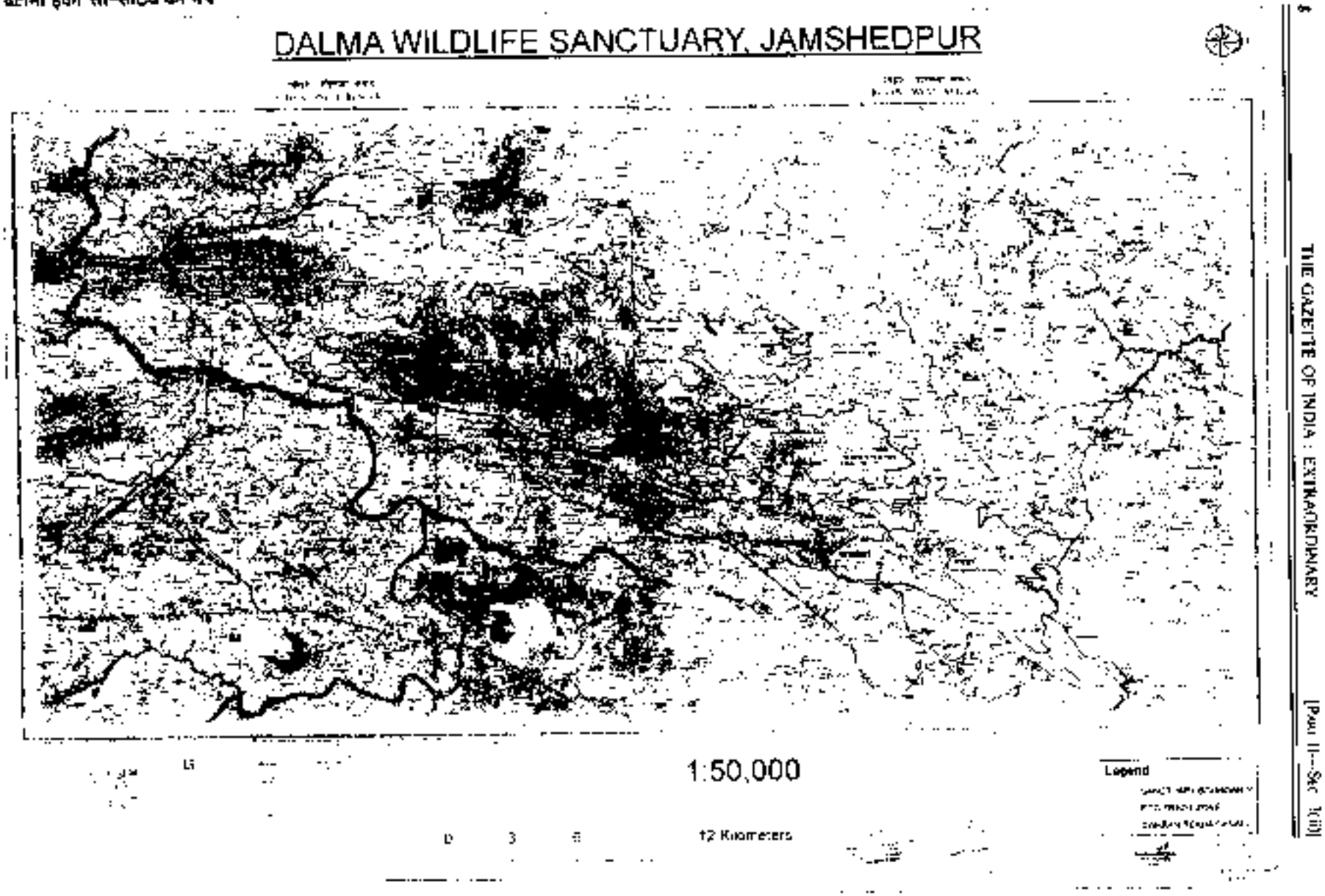

उपाबन्ध 2

[अनुच्छेद 1(3)देखे]

बलरामा इको सेन्सिटिव क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची

भाग I-अंतः क्षेत्र स्थित गांव

क्र.सं.	गांव का नाम	प्रशासनिक डिविजन	थाना सं.	गांव का क्षेत्रफल (हे.में)	वन क्षेत्रफल (हे.में)	घरों की संख्या	जनसंख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	बोरा	पटमदा	119/14	1371.32	798.20	249	1296
2	कुटिमाकुली	पटमदा	120/15	180.62	65.13	40	232
3	भादुडीह	पटमदा	121/16	206.69	64.97	21	136
4	राजदोहा	पटमदा	122/17	196.29	87.12	19	118
5	अलुडबन्दी	पटमदा	123/15	320.88	232.37	108	504
6	पातीपानी	पटमदा	124/19	425.68	366.28	56	246
7	मिरजाडीह	पटमदा	137/20	577.70	315.80	205	991
8	गेवरा	पटमदा	138/21	484.31	350.29	129	561
9	बराजपुर	पटमदा	139/22	155.91	76.23	24	115
10	पुनसा	पटमदा	140/23	302.71	138.45	116	604
11	नुतनडीह	पटमदा	141/24	808.44	437.87	215	7014
12	बुटालुका	पटमदा	142/25	544.31	394.32	104	527
13	अमडाकारी	पटमदा	143/155	368.56	249.33	67	284
14	अपो	पटमदा	144/154	859.59	428.66	219	1086
15	मारी	पटमदा	145/26	774.78	475.68	216	1214
16	लायलाम	पटमदा	146/27	1057.63	550.97	273	1510
17	पोगडा	पटमदा	164/45	349.92	170.23	174	883
18	कुमारी	पटमदा	166/47	286.56	152.72	102	596
19	पैमटी	पटमदा	167/48	336.55	226.97	104	459
20	कुलडल	पटमदा	400/156	248.52	120.91	56	440
21	घोरघांडा	पटमदा	401/157	617.99	331.10	113	565
22	लामडीह	पटमदा	402/158	615.46	509.22	130	708
23	झुमका	पटमदा	405/162	1183.49	751.07	252	1210
24.	लोकोरो	पटमदा	524/10	914.56	766.36	88	450
25	खापरा	पटमदा	117/12	290.51	54.97	223	1204
26	कोयानी	पटमदा	118/13	947.56	684.74	443	2546
27	गोबुरघुसी	पटमदा	147/28	1042.51	683.92	201	1361
28	डुंडलकोचा	पटमदा	148/29	150.17	95.52	45	195
29	बामनी	पटमदा	149/30	534.80	166.70	213	1019
30	गांगीबुरु	पटमदा	154/35	225.02	10.15	130	690
31	बेलडीह	पटमदा	161/42	947.75	281.51	359	1865
32	बुरीडीह	पटमदा	162/92	73.00	65.14	2	22
33	घुसरा	पटमदा	163/44	430.83	181.90	156	930
34	रायचा	पटमदा	165/46	222.18	82.14	81	430
35	अंधारझोर	पटमदा	169/49	772.66	346.79	296	1701

36	ईमडुंगा	पटमदा	169/50	755.01	359.68	226	1222
37	धोबनी	पटमदा	170/51	572.70	325.06	129	901
38	तुगबुरू	पटमदा	404/160	287.94	35.49	119	600
39	जोरिरा	पटमदा	406/161	450.57	175.44	116	615
40	कांगरडीह	पटमदा	523/09	247.76	72.63	143	686
41	काईरा	पटमदा	525/11	1170.59	723.11	203	1062
42	लोमाडीह	पटमदा	526/06	290.45	30.60	131	666
43	धाबकोमकोरा	नीमडीह	254	199.85	93.85	51	426
44	तानकोचा	नीमडीह	274	341.00	212.77	78	393
45	जाडीह	नीमडीह	243	72.84	14.85	169	776
46	लमडुंगरी	नीमडीह	244	92.40	13.81	311	1426
47	नैंगडीह	नीमडीह	275	878.16	396.36	252	1149
48	भरडीह	नीमडीह	276	323.61	17.23	42	217
49	तेलली	नीमडीह	278	323.81	114.63	271	1024
50	तुपुंगडीह	नीमडीह	279	342.21	55.44	403	1877
51	पिटकी	नीमडीह	280	199.11	33.83	152	768
52	टेलेमा	नीमडीह	310	764.91	210.59	569	2686
53	बथडीह	नीमडीह	312	863.76	586.08	31	159
54	दहुबेरा	नीमडीह	314	258.69	72.70	110	499
55	मयुरलाकोचा	चांडिल	Ch268	344.35	238.28	70	347
56	कादमडीह	चांडिल	Ch247	72.30	14.25	101	544
57	शहरबेरा	चांडिल	Ch252	190.65	23.53	251	446
58	सिंकली	चांडिल	Ch253	80.84	37.53	50	249
59	बरलखा	चांडिल	Ch255	179.75	30.79	73	391
60	पाटा	चांडिल	Ch256	350.65	129.89	242	1241
61	चिलगो	चांडिल	Ch265	216.99	56.94	341	1768
62	ठकुलिया	चांडिल	Ch266	186.81	48.80	135	657
63	शरहारबेरा 2	चांडिल	Ch267	531.68	312.02	253	1253
64	तुलीन	चांडिल	Ch269	264.12	151.81	30	135
65	कटशोर	चांडिल	Ch270	446.85	152.03	275	1373
66	हम्बदा	चांडिल	Ch 271	423.83	213.39	143	701
67	बुमीद	चांडिल	Ch273	95.41	23.70	209	923
68	कादमशोर	चांडिल	Ch211	479.12	378.42	62	250
69	आकनबानी	चांडिल	Ch325	1532.27	780.09	275	1467
70	रामगढ़	चांडिल	Ch326	896.38	373.89	153	702
71	बगदमबेरा	चांडिल	Ch327	862.05	315.00	256	1223
72	शुवलाहरी	गोलमुरी	Gh 1130	462.75	209.27	131	650
73	डलापानी	गोलमुरी	Gh 1133	477.79	284.24	68	378
74	झगतीपहारी	गोलमुरी	Ghl134	98.91	98.86	24	131
75	कुडलुंग	गोलमुरी	Gh 1136	321.15	142.04	106	569
76	बेंकरे	गोलमुरी	Gh 1137	518.64	185.08	231	1070
77	कालाझोर	गोलमुरी	Ghl139	399.48	164.76	147	706
78	छोटोबांकी	गोलमुरी	Gh 1140	422.34	185.85	158	759

80	पतरसबनी	जमशेदपुर	Gh 1141	938.28	318.93	1334	2006
81	भेलाईपाहरी	जमशेदपुर	Ghl148	567.96	236.07	243	1287
82	देवघर	जमशेदपुर	Ghl147	506.21	181.86	271	1453
83	बलीगुमा	जमशेदपुर	Ghl150	216.36	140.12	1958	8898
84	पारडीह	जमशेदपुर	Gh 1641	324.65	137.26	5878	29388
85	डिम्ना	जमशेदपुर	Gh 1643	450.75	60.94	6004	29974
			कुल	39858.22	38585.1	40336	198974

भाग II- संरक्षित क्षेत्र की सीमा के बाहर स्थित गांव

क्र.सं.	गांव का नाम	प्रशासनिक ब्लॉक	थाना सं.	गांव का क्षेत्रफल (हे.में)	वन क्षेत्रफल (हे.में)	घरों की संख्या	जनसंख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	बघरा	पटमदा	117/12	290.51	54.97	223	1204
2	हाडुंग	पटमदा	169/50	755.01	353.68	226	1222
3	सोलनी	पटमदा	170/51	572.70	125.06	129	801
4	डांगरडीह	पटमदा	523/09	247.76	72.63	143	685
5	बास्डीह	पटमदा	-	248.00	91.60	120	622
6	बालखेड़ा	पटमदा	-	131.00	29.14	101	510
7	बनाकुचा	पटमदा	-	774.00	70.24	400	1993
8	लोधाडीह	पटमदा	-	192.00	30.73	162	956
9	पहाड़पुर	पटमदा	-	365.00	55.02	196	1186
10	राहेरडीह	पटमदा	-	123.00	4.05	103	503
11	गाडीह	पटमदा	-	142.00	5.37	87	493
12	राखडीह	पटमदा	-	171.00	61.62	78	397
13	रूपाम	पटमदा	-	249.00	15.98	169	874
14	मुर्गीडीह	पटमदा	-	178.00	18.31	127	671
15	चमपोर	पटमदा	-	71.00	20.36	44	237
16	जोलिंगडुंगरी	पटमदा	-	55.00	21.86	30	148
17	जाना	पटमदा	-	201.00	76.39	109	478
18	लेकरो	पटमदा	-	210.00	19.81	67	352
19	खेरवा	पटमदा	-	816.00	336.26	373	1947
20	गोरडीह	पटमदा	-	164.00	48.03	167	917
21	झारबनी	पटमदा	-	93.00	1205.00	69	339
22	नाइरजुरी	पटमदा	-	113.00	13.15	46	217
23	लिशाडा	पटमदा	-	252.00	72.85	175	400
24	सरजुपली	पटमदा	-	89.00	11.22	37	193
25	लरकुपर	पटमदा	-	260.00	8.34	217	1016
26.	बनटोरवा	पटमदा	-	38.00	8.12	151	709
27	बासगढ़	पटमदा	-	262.00	0.47	149	725
28	रोकलापेड़ा	पटमदा	-	373.00	19.53	278	1358
29	पटपटा	पटमदा	-	398.00	172.93	376	2187
30	आगझोर	पटमदा	-	397.78	-	-	128
31	राहरपुर	पटमदा	-	390.42	-	-	68
32	धनडीह	पटमदा	-	90.41	-	-	107
33	मुनाडीह	पटमदा		325.00	50.99	176	1020

34	बरहाडीह	गोलमुरी-सह-जुगसालिया	-	197.20	318.17	80	706
35	पारसडुंगरी	गोलमुरी-सह-जुगसालिया	-	246.15	264.72	100	38
36	उगाडीह	नीमडीह	-	71.00	3.70	168	776
37	जमला	नीमडीह	-	250.00	9.87	228	1101
38	कामाडुला	नीमडीह	-	49.00	6.80	39	206
39	सागरी	नीमडीह	-	205.00	10.57	134	732
40	बुरुडीह	नीमडीह	-	174.00	82.26	55	281
41	अंगासीमल	नीमडीह	-	64.00	7.13	32	171
42	मुरुगडीह	नीमडीह	-	325.00	50.99	176	1020
43	रूपाडीह	नीमडीह	-	59.00	9.99	38	198
44	विशुनडीह	नीमडीह	-	166.00	5.65	120	637
45	पाथरडीह	नीमडीह	-	88.00	6.98	91	474
46	फायरांगा	नीमडीह	-	86.00	4.11	111	489
47	बांकडा	नीमडीह	-	214.68	-	-	72
48	सिंगाली	चांडिल		190.00	45.00	227	1148
49	कार्डीडीह	चांडिल	-	210.00	47.00	102	552
50	खुचीडीह	चांडिल	-	562.00	225.32	234	1197
51	करनीडीह	चांडिल	-	259.00	20.00	247	1305
कुल				12439.62	4394.83	6800	35061

उपाबद्ध 7

[अनुच्छेद 3 देखें]

डलमा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास इको सेन्सिटिव क्षेत्र में प्रतिषिद्ध, विनियमित अथवा अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलाप

क्र.सं.	कार्यकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञात
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वाणिज्यिक खनन	हां		
2.	वृक्षों की कटाई		हां	
3.	आरा मशीनों की स्थापना	हां		
4	प्रदूषण के कारक उद्योगों की स्थापना (लाल, नीलु, मिट्टी, शीर, आदि)	हां		
5.	होटल और रिसॉर्ट की स्थापना		हां	
6.	जलावन लकड़ी के वाणिज्यिक उपयोग	हां		

7.	कृषि प्रणालियों के तीव्र परिवर्तन		हां	
8.	भूमिगत जल संचयन वाणिज्यिक जल संसाधन		हां	
9	प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	हां		
10.	बिजली के तारों की स्थापना		हां	
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और वानिकी प्रथा			हां
12.	वर्षा जल संचयन			हां
13.	होटल और लॉज परिसर में बाड़ लगाना		हां	
14.	जैविक खेती			हां
15	दुकानदार द्वारा पॉलीथीन बैग का प्रयोग		हां	
16.	अक्षय ऊर्जा स्रोत का उपयोग			हां
17.	सड़कों को चौड़ा करना		हां	
18.	रात में वाहनों का यातायात		हां	
19.	विदेशी प्रजातियों का परिचय		हां	
20.	किसी भी खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	हां		
21.	पर्यटन से संबंधित कार्यकलाप जैसे कि नेशनल पार्क से ऊपर एयरक्राफ्ट और गर्म हवा के गुब्बारे की उड़ान	हां		
22.	पहाड़ी ढलानों और नदी के किनारों की सुरक्षा		हां	
23.	प्राकृतिक जल निकायों या स्थलीय क्षेत्र में अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट का डिस्पोजल	हां		
24.	हवा और वाहनों से होने वाले प्रदूषक		हां	
25.	साइन बोर्ड और होर्डिंग		हां	
26.	सभी कार्यकलापों हेतु हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना			हां

[फा. सं. झारखंड/3/2011-ईएसजेड]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2012

S.O. 680(E).—Whereas, the Dalma Wildlife Sanctuary, Jamshedpur lies between Latitudes 22° 46' 30" and 22° 57' 30" N and Longitudes 86° 3' 15" and 86° 26' 30" E in the East Singhbhum and Seraikela-Kharsawan districts of Jharkhand and extends over an area of 193.5077 square kilometers;

AND WHEREAS, the Asian Elephant is the species of vital importance in Dalma Wildlife Sanctuary, besides, some of the most endangered species like Ratel, Wild Dog, Mouse Deer, Indian Giant Squirrel, Python, Pangolin, Serpent Eagle, etc., are also found in this Sanctuary;

AND WHEREAS, the forests of this Sanctuary intercept rainfall and help recharge ground water aquifer and protect rivers and streams against siltation by minimizing soil erosion and the Sanctuary has a well knit network of 159 streams spreading throughout the Sanctuary, out of which 82 are perennial or semi perennial and the rest 77 streams are of seasonal nature. Subarnarekha River, Subarnarekha Canal and Dimna Lake are fed by these streams;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Dalma Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, a draft notification under sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 691(E), dated the 5th April, 2011, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 5th April, 2011;

AND WHEREAS, all objections and suggestions received in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment

(Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of the Dalma Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Jharkhand as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone).

1. Boundaries of Dalma Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone. – (1) Dalma Wildlife Sanctuary is bounded by the forests of Dhalbhum and Saraikela Forest Division of Jharkhand and Kansabati Forest Division of West Bengal. Jamshedpur township and Chandil sub divisional town are merely 0 -5 kilometers from the boundary of Dalma Wildlife Sanctuary.

(2)The said Eco-sensitive Zone covers an area of 522.98 square kilometer in Jharkhand, consisting of the followings, namely:-

(i) enclave villages:

Total number of villages - 85

Area to be included in the Eco-sensitive zone:

Non-forest area - 200.28 square kilometers

Forest area- 198.30 square kilometers

Total- = 398.58 square kilometers;

(ii) villages situated outside the boundary of Protected Area:

The Total number of villages - 51

Area to be included in the Eco-sensitive zone:

Non-forest area - 80.45 square kilometers

Forest area - 43.95 square kilometers

Total = 124.40 square kilometers;

(iii) development blocks:

Patamda, Jamshedpur and Golmuri blocks of East Singhbhum district and Chandil and Nimdih blocks of Saraiakela- Kharsawan district.

(iv) District wise area:

Name of District	Area of eco-sensitive zone
East Singhbhum	377.89 square kilometers
Saraikela- Kharsawan	145.09 square kilometers
Total	**522.98 square kilometers**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone is appended to this notification as **Annexure 1** and the list of the villages falling within the Dalma Eco-sensitive Zone is annexed as **Annexure 2.**

2. Zonal Master Plan for the Dalma Eco-sensitive Zone. – (1) A Zonal Master Plan for the Dalma Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government, in such manner as are specified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the law relating to town and country planning for the time being in force in the State, the divisional

working plans and the guidelines issued by Central Government, within a period of one year from the date of this notification and approved by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments like Department of Environment and Forests, Urban Development, Tourism, Municipal, Revenue and the Jharkhand State Pollution Control Board with a view to include various aspects of the environment and ecology.

(3) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(5) No change of land use from green uses such as tea gardens, horticulture areas, agriculture parks, etc., to non green uses shall be permitted, provided that with a view to meet the residential needs of the local residents and the natural growth of the local populations existing on the date of this notification, the conversion of agricultural land for personal residential purposes may be allowed, subject to the restriction that no concrete construction shall be allowed within 300 meters from the boundary of the Dalma Wildlife Sanctuary.

(6) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government, all new activities (specified in Annexure 3) shall be allowed only after the proposals are scrutinised and approved by the Monitoring Committee referred to in paragraph 4.

(7) There shall be no consequential reduction in forest area, green area and agricultural area and the unused or unproductive agricultural areas may be converted into forest areas.

(8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee of the Eco-sensitive Zone for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

(9) The Central Government and the State Government may specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

3. Prohibited, regulated and permitted activities in Eco-sensitive Zone.– Subject to the provisions of this paragraph, the activities in the Eco-sensitive Zone shall be regulated in accordance with Annexure 3 to this notification.

(1) Industrial Units:

(a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be setup within the Eco-sensitive Zone;

(b) any non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment, may be permitted in the Eco-sensitive Zone;

(c) no establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone.

(2) Quarrying and Mining:

(a) No mining activity except for bona-fide domestic use of the local residents shall be allowed within the of Eco- sensitive Zone.

(b) No crushing activity shall be allowed within the Eco-sensitive Zone

(3) Construction Activities:

No new construction of any kind shall be allowed in the area falling within a distance of three hundred meters from the boundary of the Dalma Wildlife Sanctuary.

(4) Trees:

There shall be no felling of trees either on forest, Government,,revenue or private lands, without the prior permission of the State Government in case of forest land, and the respective District Collector in case of Government, revenue and private land, granted in such manner as may be laid down by the State Government.

(5) Tourism:

Tourism activities shall be allowed in accordance with the Tourism Master Plan, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development, to be prepared by the Department of Tourism of the State Government in consultation with the Department of Environment and Forests which shall also form a part of the Zonal Master Plan.

(6) Natural Heritage Sites:

(a) The sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone shall be identified, particularly rock formations, waterfalls, pools, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, etc., and plans for thefr conservation in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(b) The development or construction activities at or around the heritage sites shall be regulated in accordance with the Model Regulations for Conservation of Natural and Man-made Heritage Sites formulated by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests which shall form part of the Zonal Master Plan and Sub-zonal Master Plan

(7) Man-made heritage sites:

(a) Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation, particularly their exteriors including, their interiors wherever deemed appropriate, shall be prepared and incorporated in the Zonal and Sub-zonal Master Plan.

(b) The development or construction activities at or around the heritage sites shall be regulated in accordance with the Model Regulations for Conservation of Natural and Manmade Heritage Sites referred in clause (b) of sub-paragraph (6).

(8) Ground Water:

(a) Extraction of ground water for bona-fide agricultural and domestic consumption of the occupier of land shall be allowed.

(b) Extraction of ground water for industrial, commercial use shall require prior written permission, including the amount that can be extracted, from the State Ground Water Board and the Monitoring Committee.

(c) No sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the Monitoring Committee constituted under paragraph 4.

(d) The conservation of water and its distribution, from existing facilities within the Eco-sensitive Zone, other than sanctuary and forest areas, shall be regulated in accordance to the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980).

(e) Appropriate steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water, including from agriculture activities.

(9) Protection of Hill Slopes:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(10) Road:

Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads may be allowed in the Eco-sensitive Zone.

(11) Use of Plastics:

No person shall use plastic carry bags within the Eco-sensitive Zone area and the disposal of plastic articles shall be prohibited.

(12) Noise pollution:

The Environment Department or the Forest Department of the State Government shall be the authority to frame and issue guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(13) **Discharge of effluents:**
No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body or land within the Eco-sensitive Zone and the treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(14) **Solid Wastes:**
(a) The solid waste shall not be disposed off in the Eco-sensitive Zone:

Provided that the Monitoring Committee shall indentify a site for disposal of such solid wastes in accordance with the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests vide notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000, as amended from time to time;

(b) (i) the local authorities shall prepare plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
(ii) the biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermi culture;
(iii) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone; and
(iv) no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(15) **Natural Springs:**
The catchment area of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting, shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the State Government shall issue guidelines to prohibit the activities at or near these areas.

4. Monitoring Committee (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Dalma Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance of this notification.

(2) The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1), shall consist of the following members, namely:-

(a) the Commissioner of Kolhan Revenue Division — Chairman;
(b) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India — Member;
(c) a representative of the Central Pollution Control Board, constituted under sub-section 1 of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) — Member;
(d) a representative of the Department of Forests and Environment, Government of Jharkhand — Member;
(e) a representative of the Department of Mines, Government of Jharkhand — Member;

(f) a representative of the Department of Industries, Government of Jharkhand – Member;
(g) a representative of the Department of Revenue, Government of Jharkhand – Member;
(h) a representative of the Department of Irrigation, Government of Jharkhand – Member;
(i) a representative of the Department of Public Works, Government of Jharkhand – Member,
(j) a representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
(k) the Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi – Member;
(l) the Senior Town Planner, Government of Jharkhand– Member;
(m) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
(n) the Divisional Forest Officer, Incharge of the Dalma Wildlife Sanctuary – Convener.

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance and monitoring of the provisions of this notification.

(4) In case of activities requiring prior permission, under the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the Monitoring Committee shall refer all such matters to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior clearances under the provisions of the said notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or the Convener of the Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities by the 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give such directions, from time to time, to the Monitoring Committee as it may consider necessary for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

Annexure I

[See paragraph 1(3)]

Map of Dalma Eco-sensitive Zone.

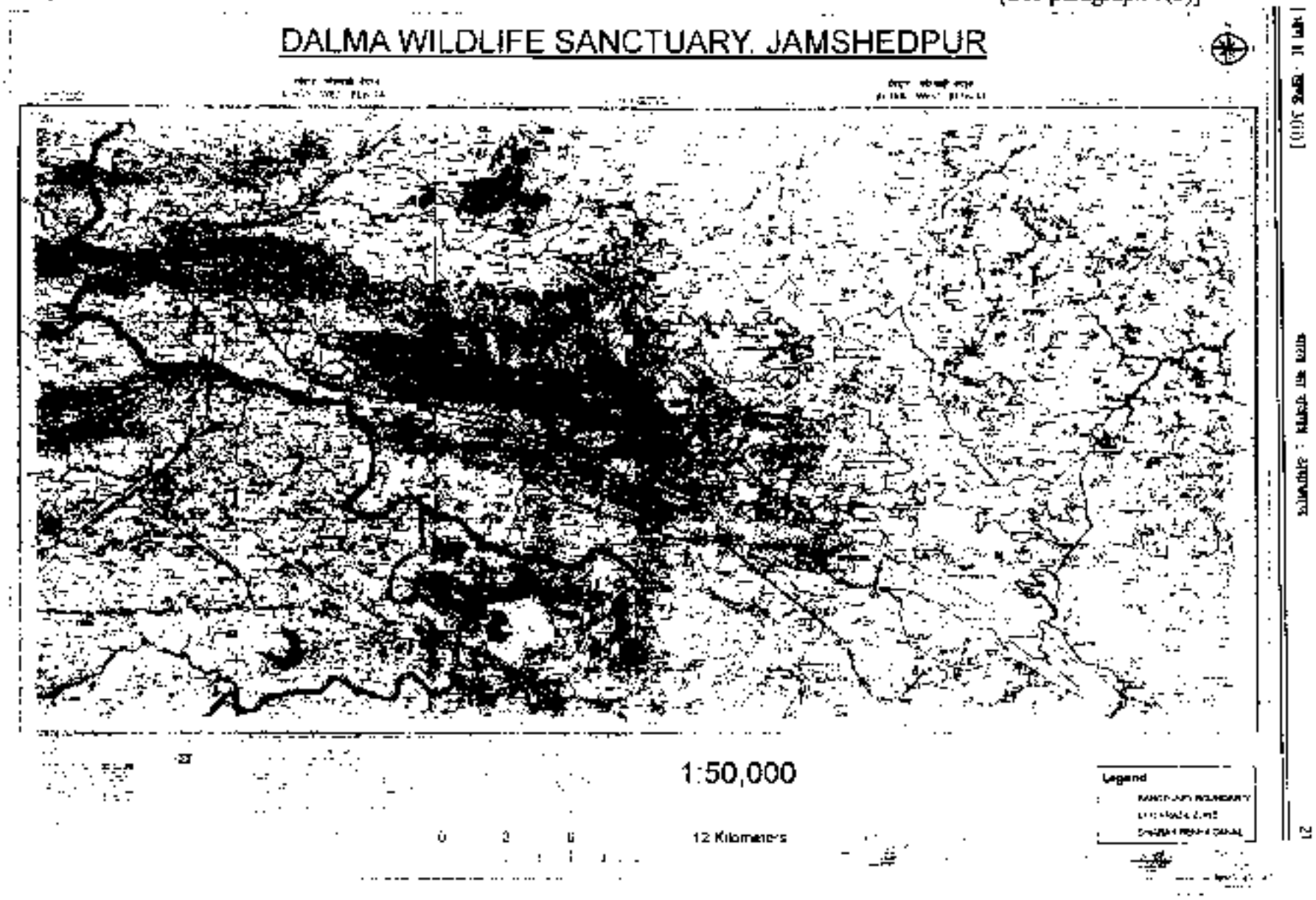

934

Annexure 2

[See paragraph 1(3)]

List of villages falling within the areas of Dalma Eco-sensitive Zone.

Part I-Enclave Villages

S. No.	Name of Village	Administrative Block	Thana No.	Area of Village (in Ha)	Forest Area (in Ha)	No. of Houses	Population
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bonta	Patmda	119/14	1371.32	798.20	249	1286
2	Kutimakul	Patmda	120/15	180.62	65.13	40	232
3	Bhadudih	Patmda	121/16	205.69	54.97	21	136
4	Saldoba	Patmda	122/17	196.29	87.12	19	118
5	Haludbani	Patmda	123/18	320.88	232.37	108	504
6	Patipani	Patmda	124/19	425.68	366.28	56	246
7	Murzadih	Patmda	137/20	577.70	315.80	205	991
8	Geruwa	Patmda	138/21	484.31	350.29	129	561
9	Brajpur	Patmda	139/22	155.91	76.23	24	115
10	Punsa	Patmda	140/23	302.71	138.45	116	604
11	Nutandih	Patmda	141/24	808.44	437.87	215	1014
12	Bataluka	Patmda	142/25	544.31	394.32	104	527
13	Amdaphar	Patmda	143/15	368.56	249.33	67	284
14	Apo	Patmda	144/15	859.59	428.66	219	1086
15	Sari	Patmda	145/26	774.78	475.68	218	1114
16	Lavlam	Patmda	146/27	1057.63	550.97	273	1510
17	Pauda	Patmda	164/45	349.92	170.23	174	883
18	Kumari	Patmda	166/47	286.56	152.72	132	596
19	Chimti	Patmda	167/48	336.55	226.97	104	459
20	Kukru	Patmda	400/15	248.52	120.91	86	440
21	Ghoraban	Patmda	401/15	617.99	331.19	113	565
22	Jamdih	Patmda	402/15	615.45	509.22	130	708
23	Jhunjhka	Patmda	405/16	1183.49	751.07	252	1219
24.	Khokoro	Patmda	524/10	914.55	766.36	98	450
25	Baghra	Patmda	117/12	290.51	54.97	223	1204
26	Koyani	Patmda	118/13	947.56	664.74	443	2546
27	Goburghu	Patmda	147/28	1042.51	683.92	291	1361
28	Kundruko	Patmda	148/29	150.17	35.52	45	195
29	Bamni	Patmda	149/30	534.80	166.70	213	1019
30	Gaghuru	Patmda	154/35	225.02	10.15	130	690
31	Beldih	Patmda	161/42	947.75	281.51	359	1865
32	Buridih	Patmda	162/92	73.00	65.14	2	22
33	Dhusra	Patmda	163/44	430.83	181.90	186	920
34	Rapcha	Patmda	165/46	222.16	82.14	81	430
35	Andharjhe	Patmda	168/49	772.66	346.79	296	1701

36	Dangdung	Patmda	169/50	755.01	353.68	226	1222
37	Dhobni	Patmda	170/51	572.70	325.06	129	801
38	Tungburu	Patmda	404/16	287.94	33.49	119	600
39	Jonsa	Patmda	406/16	450.57	175.44	118	515
40	Dangardih	Patmda	523/09	247.76	72.63	143	685
41	Kaira	Patmda	525/11	1170.59	723.11	203	1062
42	Somadih	Patmda	526/06	290.45	30.60	131	665
43	Bachkamk	Nimdih	254	199.85	93.85	81	426
44	Tankocha	Nimdih	274	341.00	212.77	78	393
45	Ugdih	Nimdih	243	72.84	14.85	168	776
46	Bumdungr	Nimdih	244	92.40	13.81	311	1426
47	Tengadih	Nimdih	275	878.16	386.38	252	1149
48	Jharridih	Nimdih	276	323.81	17.23	42	217
49	Tetla	Nimdih	278	323.81	114.63	271	1024
50	Lupungdih	Nimdih	279	342.21	55.44	403	1877
51	Pitki	Nimdih	280	189.11	33.83	152	768
52	Chclema	Nimdih	310	764.81	210.59	569	2686
53	Bandhdih	Nimdih	312	863.78	586.08	31	159
54	Dahubera	Nimdih	314	258.69	72.70	110	499
55	Makulako	Chandil	Ch268	344.35	238.28	70	347
56	Kadamdih	Chandil	Ch247	72.30	14.25	101	544
57	Shaharber	Chandil	Ch252	190.83	23.53	251	446
58	Sikli	Chandil	Ch253	80.84	37.53	50	249
59	Baralakha	Chandil	Ch255	179.75	30.79	73	391
60	Pata	Chandil	Ch256	350.65	129.88	242	1241
61	Chilgo	Chandil	Ch265	216.99	56.94	341	1788
62	Chakulia	Chandil	Ch266	186.61	48.80	135	657
63	Sharharber	Chandil	Ch267	531.68	312.02	253	1253
64	Tufin	Chandil	Ch269	264.12	151.81	30	135
65	Katjhor	Chandil	Ch270	446.85	153.03	275	1373
66	Hamsda	Chandil	Ch 271	423.83	213.39	143	701
68	Humid	Chandil	Ch273	95.41	23.70	209	923
69	Kadanjho	Chandil	Ch311	479.12	378.42	62	250
70	Asanbani	Chandil	Ch325	1532.27	780.09	275	1467
71	Ramgarh	Chandil	Ch326	696.38	373.99	153	702
72	Kanderber	Chandil	Ch327	662.05	315.00	256	1223
73	Suklahra	Golmuri	Gh	482.75	208.27	131	650
74	Dalapani	Golmuri	Gh	477.79	284.24	68	378
75	Jhantipaha	Golmuri	Ghll34	98.91	98.86	24	131
76	Kudlung	Golmuri	Gh	321 15	142.04	105	569
77	Beko	Golmuri	Gh	518.64	185.08	231	1070
78	Kalajhor	Golmuri	Ghll38	399.38	164 76	147	708
79	Chhotoban	Golmuri	Gh	422.04	185.65	158	759

80	Palasbani	Jamshedpur	Gh	938.26	518.93	1334	2006
81	Bhelaipah	Jamshedpur	Ghll46	567.96	236.07	243	1287
82	Donghar	Jamshedpur	Ghll47	506.21	181.86	271	1453
83	Baligumta	Jamshedpur	Ghll50	216.36	140.12	1955	8898
84	Pardih	Jamshedpur	Gh	324.65	137.26	5878	29388
85	Dimna	Jamshedpur	Gh	450.75	60.94	6004	29974
			Total	**39858.22**	**38585.**	**40336**	**198974**

Part II- Villages situated outside the boundaries of Protected Area.

S. No.	Name of Village	Administrative Block	Thana No.	Area of Village (in Ha)	Forest Area (in Ha)	No. of Houses	Population
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Baghra	Patmda	117/12	290.51	54.97	223	1204
2	Dangdung	Patmda	169/50	755.01	353.68	226	1222
3	Dhobni	Patmda	170/51	572.70	325.06	129	801
4	Danggardih	Patmda	523/09	247.76	72.63	143	685
5	Barudih	Patmda	-	248.00	91.60	120	628
6	Barubera	Patmda	-	131.00	29.14	101	510
7	Bankucha	Patmda	-	774.00	70.24	400	1993
8	Loadih	Patmda	-	192.00	30.73	162	856
9	Paharpur	Patmda	-	355.00	55.02	198	1186
10	Raberdih	Patmda	-	123.00	4.05	103	503
11	Chamdih	Patmda	-	142.00	5.37	87	493
12	Rakhdih	Patmda	-	171.00	61.62	78	397
13	Rupsham	Patmda	-	249.00	15.98	159	874
14	Muchidhi	Patmda	-	178.00	18.31	127	671
15	Champir	Patmda	-	71.00	20.36	44	237
16	Jilingdung	Patmda	-	55.00	21.86	30	148
17	Jawa	Patmda	-	204.00	76.39	109	478
18	Lekro	Patmda	-	210.00	19.81	67	352
19	Kherwa	Patmda	-	816.00	336.26	373	1942
20	Gordih	Patmda	-	164.00	48.63	167	917
21	Jharbani	Patmda	-	93.00	1205.0	69	339
22	Naingjuri	Patmda	-	113.00	13.15	46	217
23	Sishda	Patmda	-	252.00	72.85	175	403
24	Sarjumli	Patmda	-	89.00	11.23	37	193
25	Lachhipur	Patmda	-	260.00	8.34	217	1016
26	Bantorava	Patmda	-	39.00	8.12	151	709
27	Bansparh	Patmda	-	262.00	0.47	149	725
28	Poklabera	Patmda	-	373.00	19.53	278	1388
29	Patamda	Patmda	-	398.00	172.98	376	2187
30	Amjhor	Patmda	-	397.78	-	-	128
31	Sunderpur	Patmda	-	380.42	-	-	68
32	Bandih	Patmda	-	90.41	-	-	107
33	Murugdih	Patmda		325.00	50.99	176	1020

34	Barhadih	Golmuri-cum-Jugsalia	-	197.20	318.17	80	106
35	Parasdongri	Golmuri-cum-Jugsalia	-	246.15	264.72	100	38
36	Ugdih	Nimdih	-	71.00	3.70	168	776
37	Janta	Nimdih	-	250.00	9.87	226	1101
38	Kamadula	Nimdih	-	49.00	8.80	39	206
39	Bagri	Nimdih	-	205.00	10.57	134	732
40	Burudih	Nimdih	-	174.00	82.26	55	281
41	Atasimal	Nimdih	-	64.00	7.13	32	171
42	Murugdih	Nimdih	-	325.00	50.99	176	1020
43	Rupadhi	Nimdih	-	59.00	9.99	38	198
44	Kishundih	Nimdih	-	168.00	5.65	120	637
45	Pathardih	Nimdih	-	88.00	6.98	91	424
46	Phuerainga	Nimdih	-	86.00	4.11	111	489
47	Bankada	Nimdih	-	214.68	-	-	73
48	Singati	Chandil		190.00	45.00	227	1148
49	Kashidih	Chandil	-	210.00	47.00	102	552
50	Khuchidih	Chandil	-	562.00	225.32	234	1197
51	Kamidih	Chandil	-	259.00	20.00	247	1305
		Total		**12439.62**	**4394.6**	**6800**	**35051**

Annexure 3

[See paragraph 3]

Activities to be prohibited, regulated or permitted within the Eco-Sensitive Zone around Dalma Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Commercial Mining	Yes		
2.	Felling of trees		Yes	
3.	Setting of saw mills	Yes		
4.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	Yes		
5.	Establishment of hotels and resorts		Yes	
6.	Commercial use of firewood	Yes		
7.	Drastic change of agriculture systems		Yes	
8.	Commercial water resources including ground water harvesting		Yes	

9.	Establishment of major hydroelectric projects	Yes		
10.	Erection of electrical cables		Yes	
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities			Yes
12.	Rain Water harvesting			Yes
13.	Fencing of premises of hotels and lodge		Yes	
14.	Organic farming			Yes
15.	Use of polythene bags by shopkeepers		Yes	
16.	Use of renewable energy source			Yes
17.	Widening of roads		Yes	
18.	Movement of vehicular traffic at night		Yes	
19.	Introduction of exotic species		Yes	
20.	Use or production of any hazardous substances	Yes		
21.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by any aircraft, hot-air balloons	Yes		
22	Protection of hill slopes and river banks		Yes	
23.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or terrestrial area	Yes		
24.	Air and vehicular pollution		Yes	
25	Sign boards & hoardings		Yes	
26.	Adoption of green technology for all activities			Yes

[F. No. Jharkhand/1/2011-ISZ]

DR. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054